अक्तूबर, 2018
I.S.S.N. : 2457-0478

उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

Cover ii

प्रस्तावित संपादक-मंडल

डा. जी. नारायण राजू,
सचिव, विधायी विभाग

डा. रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव,
विधायी विभाग

श्री एस. आर. ढलेटा,
सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव एवं
विधायी परामर्शी, विधायी विभाग

डा. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रिन्सिपल,
विधि विभाग, डी आई आर डी, गुरु
गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

श्री ए. के. अवस्थी,
सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं डीन
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

श्री एल. आर. सिंह,
प्रोफेसर एवं डीन इलाहाबाद
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल,
सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

श्री अनुराग दीप,
एसोसिएट प्रोफेसर,
भारतीय विधि संस्थान

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय,
प्रधान संपादक

श्री कमला कान्त,
संपादक

श्री अविनाश शुक्ला,
संपादक

श्री असलम खान,
संपादक

सहायक संपादक : श्री पुण्डरीक शर्मा

उप-संपादक : सर्वश्री महीपाल सिंह और जसवन्त सिंह

परामर्शदाता : सर्वश्री दयाल चन्द ग्रोवर, महमूद अली खां और विनोद कुमार आर्य

ISSN- 2457-0478

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 125/-

© 2018 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

---

1. प्रकाशन नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054.
2. प्रधान संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा.................................. द्वारा मुद्रित ।

पी एल डी (सी. डी)-10-2018 आई.एस.एस.एन. 2457-0478

उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका

अक्तूबर, 2018 अंक - 10

प्रधान संपादक
डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय

संपादक
अविनाश शुक्ला

विधि साहित्य
प्रकाशन

(2018) 2 सि. नि. प.

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

विक्रय कार्यालय : 1. प्रकाशन नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054.
2. सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in

संपादकीय

आधार की उपयोगिता स्वयंसिद्ध है । इस विशिष्ट पहचानपत्र के कारण आम जनता को अत्यंत लाभ हुए हैं । किन्तु दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इसका भी विरोध किया जा रहा है, वह भी इस आधार पर कि इस विशिष्ट पहचानपत्र को बैंक खातों से न जोड़ा जाए । यहां पर यह उल्लेख किया जाना महत्वपूर्ण होगा कि बैंक खातों को विशिष्ट पहचानपत्र आधार से जोड़े जाने के कारण ही लगभग छह करोड़ उज्जवला लाभार्थियों को रसोई गैस पर सब्सिडी दी जा रही है जो उनके बैंक खातों में सीधे अन्तरित की जा रही है । इसके अतिरिक्त दस करोड़ मनरेगा श्रमिकों को भी मजदूरी का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जा रहा है । राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग दो करोड़ लाभार्थियों को भी विशिष्ट पहचानपत्र आधार से जुड़े हुए बैंक खातों में सीधे भुगतान किया जा रहा है । लगभग 58 करोड़ राशनकार्ड आधार से जुड़ चुके हैं ।

इस विशिष्ट पहचानपत्र के कारण ही भारत सरकार को लगभग 80 हजार करोड़ रुपए के राजस्व की बचत संभव हो सकी जिससे आयुष्मान भारत जैसी महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू किया जा सका । आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत सरकार का लक्ष्य दस करोड़ से अधिक परिवारों को पांच लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना और देश में डेढ़ लाख वेलनेस सेंटर खोलना है ताकि निम्न व मध्यम् वर्ग से संबंधित लोगों को गंभीर बीमारियों का इलाज प्रथम अवस्था में ही उपलब्ध करा दिया जाए ।

आधार से संबंधित कानून में निजता की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय किए गए हैं और साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इसका उपयोग किन-किन कार्यों के लिए किया जाएगा । आधार कानून का सार यह है कि सरकार द्वारा गरीबों की भलाई के लिए सब्सिडी के रूप में व्यय किया जाने वाला धन बायोमैट्रिक प्रणाली के माध्यम से सही लोगों तक पहुंचाया जा सके । माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशिष्ट पहचानपत्र आधार की सम्पूर्ण अवधारणा को मान्यता प्रदान की है और इस आरोप को भी नकार दिया है कि इससे निजता का उल्लंघन होता है । आज 122 करोड़ से ज्यादा लोगों को आधार नम्बर जारी किए जा चुके हैं और 18 वर्ष से ऊपर

की लगभग 99 प्रतिशत आबादी के पास आधार कार्ड हैं । आधार के कारण अनेक नकली और फर्जी लाभार्थी समाप्त हो गए हैं और बिचौलियों के कार्यकलाप पर भी अंकुश लगा है । अब तो चुनाव आयोग भी मतदाताओं को आधार कार्ड से जोड़ने की योजना बना रहा है जिससे फर्जी मतदाताओं द्वारा की जानी वाली गतिविधियों को रोका जा सके ।

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका प्रतिमाह आपके अवलोकनार्थ उच्च न्यायालयों द्वारा पारित प्रतिवेद्य निर्णय, जो अधिवक्ताओं, विधि छात्रों, न्यायाधीशों और अकादमीशियनों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, का प्रकाशन करता है । आप लोगों से प्राप्त सुझावों के आधार पर हमको अपनी पत्रिका की गुणवत्ता को सुधारने और अपने कार्य को और अधिक निखारने की शक्ति प्राप्त होती है । कृपया अपने अमूल्य सुझावों से हमें अवगत कराते रहें और हमारा मार्गदर्शन करते रहें ।

अविनाश शुक्ला
संपादक

उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका

अक्टूबर, 2018

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
अनीमा दास **बनाम** समरेश मजूमदार	437
अशोक कुमार और एक अन्य **बनाम** जुहर मल और अन्य	530
आनन्द राम **बनाम** श्रीमती लक्ष्मी बाई	446
आल कार्गो लाजिस्टिक्स लिमिटेड और अन्य **बनाम** भारत संघ और अन्य	452
करण सिंह **बनाम** श्रीमती चन्द्रा श्री	425
जयपुर मेटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड **बनाम** धीर एण्ड धीर एसेट रिकन्सट्रक्शन	536
दिनेश त्रिपाठी **बनाम** श्रीमती वन्दना त्रिपाठी	520
प्रबंधक, महालिंगपुर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड **बनाम** श्रीमती महानंदा श्रीशाली मुगलखोड़ और अन्य	431
विष्णू बबनराव यादव **बनाम** नलिनी विष्णू यादव	508

संसद् के अधिनियम

धार्मिक विन्यास अधिनियम, 1863 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ	1 – 13

पृष्ठ संख्या

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31)

– धारा 7, 14, 30 और 238 [सपठित कम्पनी (लंबित कार्यवाहियों का अंतरण) नियम, 2016 का नियम 1, 5 और 6 और रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 20 और कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 का खंड (क) और (च)] – याची की कम्पनी याचिका को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर रजिस्ट्रीकृत किया जाना – औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड द्वारा इस न्यायालय के समक्ष परिसमापन की सिफारिश किए जाने के पूर्व कम्पनी को पुनर्जीवित किए जाने का प्रयास किया जाना – कम्पनी के कर्मकारों द्वारा कम्पनी को पुनर्जीवित किए जाने अथवा उनके प्रतिकर का संदाय किए जाने की मांग किया जाना – कम्पनी के कारखाना परिसर में पड़े हुए माल का मूल्यांकन कराया जाना – तत्पश्चात् याची द्वारा 2016 की संहिता का अवलंब लिया जाना और कम्पनी को पुनर्जीवित किए जाने के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना – चूंकि इस न्यायालय के समक्ष लम्बित परिसमापन याचिका 1956 के कम्पनी अधिनियम की धारा 433 (ङ) के अधीन नहीं बल्कि धारा 433 के खंड (क) और (च) के अधीन फाइल की गई है, अतः 2016 के नियम का नियम 5 लागू नहीं होगा ।

जयपुर मेटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बनाम **धीर एण्ड धीर एसेट रिकन्सट्रक्शन** 536

– धारा 7, 14, 30 और 238 [सपठित कम्पनी (लंबित कार्यवाहियों का अंतरण) नियम, 2016 का नियम 1, 5 और 6 और कम्पनी (न्यायालय) नियम, 1959 का नियम 26, रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 20 और कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 का खंड (क) और (च)] – 1959 के

पृष्ठ संख्या

नियम के नियम 26 के अधीन नोटिस की तामीली – प्रभाव – चूंकि 1959 के नियम के नियम 26 के अधीन नोटिस पहले ही तामील की जा चुकी है और सभी पक्ष न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं और तदर्थ परिसमापक की नियुक्ति भी हो चुकी है, इस न्यायालय के समक्ष लंबित परिसमापन याचिका 2016 के नियम के नियम 6 के अधीन अन्तरित नहीं की जाएगी ।

जयपुर मेटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बनाम **धीर एण्ड धीर एसेट रिकन्सट्रक्शन** 536

– धारा 7, 14, 30 और 238 [सपठित कम्पनी (लंबित कार्यवाहियों का अंतरण) नियम, 2016 का नियम 1, 5 और 6 और कम्पनी (न्यायालय) नियम, 1959 का नियम 26, रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 20 और कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 का खंड (क) और (च)] – इस न्यायालय के समक्ष परिसमापन याचिका का लंबित होना – प्रभाव – चूंकि 2016 के नियम 5 के परन्तुक 3 के निबंधनों के अनुसार परिसमापन याचिका इस न्यायालय के समक्ष लंबित है, इसलिए 2016 की संहिता के अन्तर्गत कोई नया आवेदन फाइल नहीं किया जा सकता और यदि ऐसा किया जाता है तो वह न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग और विधि के विपरीत होगा ।

जयपुर मेटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बनाम **धीर एण्ड धीर एसेट रिकन्सट्रक्शन** 536

– धारा 7, 14, 30 और 238 [सपठित कम्पनी (लंबित कार्यवाहियों का अंतरण) नियम, 2016 का नियम 1, 5 और 6 और कम्पनी (न्यायालय) नियम, 1959 का नियम 26, रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 20 और कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 का खंड (क) और (च)] – न्यायालयों के मध्य पारस्परिक सौहार्द के सिद्धांत का प्रभाव – राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण उच्च न्यायालय से श्रेष्ठ फोरम नहीं है और उसके द्वारा उच्च न्यायालय

पृष्ठ संख्या

को किसी परिसमापन कार्यवाही में अग्रसर होने से निषिद्ध नहीं किया जा सकता ।

जयपुर मेटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बनाम **धीर एण्ड धीर एसेट रिकन्सट्रक्शन** 536

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39)

– धारा 371 और 372 [सपठित हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (1956 का 30) की धारा 15] – पत्नी की निर्वसीयती मृत्यु – पति द्वारा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के लिए आवेदन – पत्नी की माता द्वारा आक्षेप – माता द्वारा इस आधार पर आक्षेप किया जाना कि पति ने अपनी पत्नी अर्थात् उसकी पुत्री की देखभाल नहीं की थी और उसकी पुत्री की मृत्यु उसके पास रहकर हुई थी – माता द्वारा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के लिए दावा – विधिमान्यता – पति उत्तराधिकार प्रमाणपत्र पाने का हकदार है – न्यायालय द्वारा पति के हक में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र की मंजूरी उचित है ।

अनीमा दास बनाम **समरेश मजूमदार** 437

राजस्थान अग्र-क्रय अधिनियम, 1966 (1966 का 1)

– धारा 6 – अग्र-क्रय का अधिकार – उपलब्धता – वादी द्वारा दो मकानों के बीच सामान्य दीवार के आधार पर दूसरे मकान में अग्र-क्रय के अधिकार का दावा किया जाना – विधिमान्यता – मात्र सामान्य दीवार के आधार पर अग्र-क्रय के अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता ।

अशोक कुमार और एक अन्य बनाम **जुहर मल और अन्य** 530

संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4)

– धारा 60 – साम्यापूर्ण बंधक – बंधक संपत्ति का विभाजन – बंधक विलेख में ऐसा कोई निबंधन या शर्त न होना जो बंधककर्ता को मोचन के अधिकार के साथ विभाजन को प्रभावित करने वाला हो – बंधककर्ता संपत्ति

पृष्ठ संख्या

का विभाजन कराने के लिए स्वतंत्र है – विभाजन से बंधकदार का हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा – संपत्ति को प्रतिस्थापित प्रतिभूति का सिद्धांत लागू होगा ।

प्रबंधक, महालिंगपुर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम **श्रीमती महानंदा श्रीशाली मुगलखोड़ और अन्य** 431

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52)

– धारा 157, 54, 56, 67 और 141 [सपठित सीमाशुल्क क्षेत्र में जलपोत पर लदा माल विनियम, 2009 का विनियम 2(ख) और 7(2)] – सीमाशुल्क क्षेत्र में माल का परिवहन और माल का सीमाशुल्क अधिकारियों के नियंत्रणाधीन होना और उसके संबंध में विनियम बनाने की शक्ति – आयातित माल की प्राप्ति, भण्डारण, सुपुर्दगी, प्रेक्षण या उसके बाबत अन्यथा रूप से संव्यवहार के लिए उत्तरदायी व्यक्ति सीमाशुल्क जलपोत वहन सेवा प्रदाता है और इसके अर्थान्तर्गत अभिरक्षक या अन्य कोई व्यक्ति नहीं है – यदि किसी सीमाशुल्क क्षेत्र में जलपोत पर लदे हुए माल का संव्यवहार विनियमों के अन्तर्गत होता है और वे विनियम इसी प्रयोजनार्थ बने हैं, तो यह दलील देना निरर्थक होगा कि अधिनियम और विनियम को क्रियान्वित करने के लिए भारसाधक अधिकारी सार्वजनिक सूचनाएं जारी नहीं कर सकते ।

आल कार्गो लाजिस्टिक्स लिमिटेड और अन्य बनाम **भारत संघ और अन्य** 452

– धारा 157, 54, 56, 67 और 141 [सपठित सीमाशुल्क क्षेत्र में जलपोत पर लदा माल विनियम, 2009 का विनियम 2(ख) और 7(2)] – सेवा विस्तार के प्रयोजनार्थ सार्वजनिक सूचनाओं और अधिसूचनाओं को अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जारी किया जाता है और किसी कार्यकारी आदेश या प्रशासनिक कार्य द्वारा सम्पूर्ण विधिक व्यवस्था को परिवर्तित नहीं किया जा सकता ।

आल कार्गो लाजिस्टिक्स लिमिटेड और अन्य बनाम **भारत संघ और अन्य** 452

पृष्ठ संख्या

– धारा 157, 54, 56, 67 और 141 [सपठित सीमाशुल्क क्षेत्र में जलपोत पर लदा माल विनियम, 2009 का विनियम 2(ख) और 7(2)] – अधिनियम की धारा 141(2) सीमाशुल्क आयुक्त को नियंत्रण शक्ति का प्रयोग करने के लिए सशक्त करती है और इस अधिनियम के उपबंधों को इस प्रकार से परिवर्तित किया जाना चाहिए ताकि सीमाशुल्क क्षेत्र में पड़े हुए माल को सीमाशुल्क अधिकारियों के नियंत्रणाधीन किया जा सके – वे सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा विरचित विनियमों की सहायता से सीमाशुल्क क्षेत्र में आयातित और निर्यातित माल की प्राप्ति, भण्डारण, सुपुर्दगी, प्रेक्षण या अन्यथा रूप से संव्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते ।

आल कार्गो लाजिस्टिक्स लिमिटेड और अन्य बनाम **भारत संघ और अन्य** 452

हिन्दू विधि

– हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की संपत्ति – कुटुम्ब के मुख्तारनामा धारक द्वारा कुटुम्ब के लिए बैंक से ऋण लिया जाना – कुटुम्ब के सदस्य द्वारा संपत्ति के विभाजन के लिए वाद – बैंक द्वारा आक्षेप – विधिमान्यता – चूंकि विभाजन के पश्चात् भी संपत्ति ऋण के दायित्व से उन्मोचित नहीं होती – अतः संपत्ति का अंशदार संपत्ति का विभाजन करा सकता है ।

प्रबंधक, महालिंगपुर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम **श्रीमती महानंदा श्रीशाली मुगलखोड़ और अन्य** 431

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (1955 का 25)

– धारा 13 – पत्नी द्वारा परित्यजन और क्रूरता बरतने के आधार पर पति द्वारा विवाह-विच्छेद के लिए अर्जी – पति द्वारा पत्नी पर पागलपन और दुर्व्यवहार का आरोप लगाना – पत्नी द्वारा फाइल की गई शिकायत से यह साबित होना कि पति पत्नी को तंग करता था – विचारण

पृष्ठ संख्या

न्यायालय द्वारा विवाह-विच्छेद की डिक्री मंजूर करने से ठीक ही इनकार किया गया है ।

दिनेश त्रिपाठी बनाम **श्रीमती वन्दना त्रिपाठी** 520

– धारा 13(i) – पति द्वारा विवाह-विच्छेद के लिए अर्जी – पति द्वारा पत्नी पर जादू-टोना करने और पत्नी के माता-पिता द्वारा दामाद की हत्या कराने की मंशा का आरोप लगाना – पति द्वारा उक्त अभिकथन किसी साक्ष्य द्वारा साबित न किया जाना – पति इस आधार पर विवाह-विच्छेद की डिक्री पाने का हकदार नहीं है ।

दिनेश त्रिपाठी बनाम **श्रीमती वन्दना त्रिपाठी** 520

– धारा 13(1), (i), (i-ख) – विवाह-विच्छेद के लिए आवेदन – अधित्यजन और जारकर्म का आधार – पत्नी द्वारा बिना किसी न्यायोचित कारण के पति का घर छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के साथ निवास – दूसरे बच्चे का जन्म उस अवधि के दौरान होना जब पत्नी पति के साथ नहीं रह रही थी – पत्नी द्वारा अपनी ससुराल आने के लिए कभी भी प्रयास न किया जाना – पति विवाह-विच्छेद की डिक्री पाने का हकदार है ।

आनन्द राम बनाम **श्रीमती लक्ष्मी बाई** 446

– धारा 13(1) (i-क) – पति द्वारा विवाह-विच्छेद की अर्जी – पति द्वारा पत्नी के विरुद्ध क्रूरता बरतने के अस्पष्ट और सामान्य अभिकथन किया जाना – पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध यह साबित किया जाना कि पति दूसरी महिला के साथ रहता है और उससे उसका एक पुत्र भी है – पति विवाह-विच्छेद की डिक्री पाने का हक़दार नहीं है ।

विष्णू बबनराव यादव बनाम **नलिनी विष्णू यादव** 508

– धारा 13 और 24 – पति द्वारा तलाक याचिका फाइल किया जाना – पत्नी द्वारा मुकदमे की प्रतिरक्षा करने और इलाहाबाद या हरदोई से मुरादाबाद जाकर कुटुंब न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए भरणपोषण दिलाए जाने के लिए आवेदन फाइल किया जाना – पति की पर्याप्त

पृष्ठ संख्या

आय साबित हो जाना जबकि पत्नी की आय के स्त्रोत न होना – न्यायालय द्वारा पत्नी को मुकदमे में प्रतिरक्षा के लिए एकमुश्त रकम व प्रत्येक तारीख पर न्यायालय में उपस्थित होने के प्रयोजनार्थ एक निश्चित रकम दिलाया जाना न्यायसंगत है ।

करण सिंह बनाम **श्रीमती चन्द्रा श्री** 425

(2018) 2 सि. नि. प. 425 इलाहाबाद

करण सिंह

बनाम

श्रीमती चन्द्रा श्री

तारीख 22 अगस्त, 2017

न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह I

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (1955 का 25) – धारा 13, 24 – पति द्वारा तलाक याचिका फाइल किया जाना – पत्नी द्वारा मुकदमे की प्रतिरक्षा करने और इलाहाबाद या हरदोई से मुरादाबाद जाकर कुटुंब न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए भरणपोषण दिलाए जाने के लिए आवेदन फाइल किया जाना – पति की पर्याप्त आय साबित हो जाना जबकि पत्नी की आय के स्रोत न होना – न्यायालय द्वारा पत्नी को मुकदमे में प्रतिरक्षा के लिए एकमुश्त रकम व प्रत्येक तारीख पर न्यायालय में उपस्थित होने के प्रयोजनार्थ एक निश्चित रकम दिलाया जाना न्यायसंगत है ।

संक्षेप में मामले के तथ्य ये हैं कि मुरादाबाद के कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा पारित तारीख 18 जुलाई, 2017 के निर्णय और आदेश को इस अपील में चुनौती दी गई है जिसके द्वारा प्रत्यर्थी-पत्नी को विवाह-विच्छेद के लिए हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अधीन (निचले) न्यायालय के समक्ष लंबित 2016 के मूल वाद संख्या 686 (करण सिंह बनाम श्रीमती चन्द्रा श्री) में हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 24 के अधीन फाइल किए गए आवेदन पर अंतरिम भरणपोषण के मुकदमे के खर्चों को पूरा करने के लिए एकमुश्त धनराशि के रूप में 20,000/- रुपए की राशि और न्यायालय में उपस्थित होने के लिए प्रत्येक तारीख पर 1,000/- रुपए का संदाय किए जाने का आदेश पारित किया गया है । संक्षेप में मामले के तथ्य, जो आक्षेपित निर्णय और आदेश से उद्भूत हुए हैं, यह है कि प्रत्यर्थी-पत्नी का तारीख 14 फरवरी, 2014 को अपीलार्थी के साथ विवाह सम्पन्न हुआ था परन्तु तत्पश्चात् उनके संबंध सामान्य रूप से नहीं

चल सके और अपीलार्थी-पति ने क्रूरता और अभित्यजन के आधार पर विवाह-विच्छेद याचिका फाइल की जो प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मुरादाबाद के समक्ष विचारणार्थ लंबित है जिसमें प्रत्यर्थी-पत्नी ने उक्त मामले में प्रतिरक्षा करने के अपने अधिकार हेतु अंतरिम भरणपोषण प्रदान किए जाने के लिए अधिनियम की धारा 24 के अधीन आवेदन फाइल किया है । कुटुंब न्यायालय ने भरणपोषण आवेदन को मंजूर कर लिया और अपीलार्थी-पति को निर्देश दिया कि वह प्रत्यर्थी-पत्नी मुकदमे की प्रतिरक्षा प्रयोजनार्थ एकमुश्त 20,000/- रुपए और न्यायालय में प्रत्येक तारीख पर उपस्थित होने के प्रयोजनार्थ 1,000/- रुपए का संदाय करे । भरणपोषण आवेदन को मंजूर किए जाने वाले आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी-पति ने यह अपील फाइल की । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – इस प्रकार धारा 24 उपबंध करती है कि अधिनियम के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही में पति या पत्नी जिसको अपने भरणपोषण के प्रयोजनार्थ स्वतंत्र रूप से पर्याप्त आय नहीं है, तो वे न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी को मासिक भरणपोषण जैसा कि न्यायालय युक्तिसंगत प्रतीत करे, याची की स्वयं की आय और प्रत्यर्थी की आय को ध्यान में रखते हुए संदाय करने का निदेश देने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं । वह भाषा जिसमें इस धारा को शब्दांकित किया गया है, उपदर्शित करती है कि अंतरिम भरणपोषण प्रदान करने के लिए न्यायालय को व्यापक विवेकाधिकार दिया गया है । यद्यपि न्यायालय को प्रदत्त विवेकाधिकार व्यापक है फिर भी यह धारा मार्गदर्शक सिद्धांत उपबंधित करती है क्योंकि न्यायालय अंतरिम भरणपोषण निर्धारित करते हुए प्रत्यर्थी की आय और याची की स्वयं आय को ध्यान में रखा जाना होता है । अन्य शब्दों में अन्तरिम भरणपोषण के लिए आदेश पारित किए जाने वाले मामलों में न्यायालय का विवेकाधिकार इस धारा में उपबंधित मापदंड द्वारा संचालित होना चाहिए अर्थात् पक्षों के आनुषंगिक साधनों और अन्य सुसंगत कारकों जैसे कि पक्षों की सामाजिक हैसियत; पृष्ठभूमि जिससे दोनों पक्ष संबंधित हैं और याची की आर्थिक निर्भरता । चूंकि अंतरिम भरणपोषण के लिए पारित किया गया आदेश अस्थायी प्रकृति का होता है, न्यायालय द्वारा किसी ब्यौरेवार और विस्तृत आदेश को पारित किया जाना आवश्यक नहीं होता किन्तु तत्समय न्यायालय सभी सुसंगत कारकों पर विचार कर रहा है और उनको ध्यान में रखते हुए, जो कानून में उल्लिखित है, एक समुचित धनराशि के संबंध में निर्णय लेता है । प्रस्तुत मामले में यह स्पष्ट है कि

अपीलार्थी-पति की पेंशन से आय 50,000/- रुपए प्रतिमाह है जो अपीलार्थी की संस्वीकृति के आधार पर साबित तथ्य है । साक्ष्य से यह भी सिद्ध हो गया है कि प्रत्यर्थी-पत्नी के पास इस मामले में अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए आय का कोई स्रोत नहीं है । उसके पक्ष में अंतरिम भरणपोषण अधिनिर्णीत किए जाने की आवश्यकता है । यह भी अभिलेख पर उपलब्ध है कि उसे प्रत्येक तारीख पर इलाहाबाद या हरदोई से मुरादाबाद जहां मामला विचारणार्थ लंबित है जाकर न्यायालय कार्यवाहियों में उपस्थित होना होता है और जिसमें व्यय करने के लिए अच्छी धनराशि की आवश्यकता होगी । इसलिए, इन सभी तथ्यों पर विचार करते हुए प्रत्यर्थी-पत्नी को मुकदमे के व्यय को पूरा करने के लिए 20,000/- रुपए की एकमुश्त धनराशि अधिनिर्णीत की जाती है और न्यायालय में उपस्थिति की प्रत्येक तारीख पर संदत्त किए जाने के लिए 1,000/- रुपए की धनराशि युक्तियुक्त है । इस न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता प्रथम अपील खारिज किए जाने योग्य है और तद्नुसार खारिज की जाती है । (पैरा 8, 9 और 10)

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2017 की प्रथम अपील सं. 602.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 96 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री कृपा शंकर यादव, मनीष देव

प्रत्यर्थियों की ओर से कोई नहीं

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह-I ने दिया ।

न्या. सिंह – मुरादाबाद के कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा पारित तारीख 18 जुलाई, 2017 के निर्णय और आदेश, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी-पत्नी को विवाह-विच्छेद के लिए 1955 के हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अधीन (निचले) न्यायालय के समक्ष लंबित 2016 के मूल वाद संख्या 686 (करण सिंह बनाम श्रीमती चन्द्रा श्री) में हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 24 के अधीन फाइल किए गए आवेदन पर अंतरिम भरणपोषण के रूप में मुकदमे के खर्चों को पूरा करने के लिए एकमुश्त धनराशि के रूप में 20,000/- रुपए की राशि और न्यायालय में उपस्थित होने के लिए प्रत्येक तारीख पर 1,000/- रुपए का संदाय किए जाने के

लिए आदेश पारित किया गया है, को चुनौती दी गई है ।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य जो आक्षेपित निर्णय और आदेश से उद्भूत हुए हैं, यह है कि प्रत्यर्थी-पत्नी का तारीख 14 फरवरी, 2014 को अपीलार्थी के साथ विवाह संपन्न हुआ था परन्तु तत्पश्चात् उनके संबंध सामान्य रूप से नहीं चल सके और अपीलार्थी-पति ने क्रूरता और अभित्यजन के आधार पर विवाह-विच्छेद याचिका फाइल की, मुरादाबाद के कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के समक्ष विचारण हेतु लंबित है जिसमें प्रत्यर्थी-पत्नी ने उक्त मामले में प्रतिरक्षा करने के अपने अधिकार हेतु अंतरिम भरणपोषण प्रदान किए जाने के लिए अधिनियम की धारा 24 के अधीन एक आवेदन फाइल किया है ।

3. प्रत्यर्थी-पत्नी ने यह अभिकथित किया है कि उसका पति एस.डी.ओ. के पद से सेवानिवृत्त हुआ था और उसे पेंशन के रूप में 18,000/- रुपए प्रतिमाह मिलते हैं । इसके अतिरिक्त, उसे अपने मकान से किराए के रूप में 20,000/- रुपए प्रतिमाह, गांव में स्थित घर से किराए के रूप में 15,000/- रुपए प्रतिमाह की कमाई भी होती है और इसके अलावा वह अपनी भूमि से प्रतिवर्ष 4 लाख रुपए की आय भी प्राप्त करता है । दूसरी ओर, उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है और वह आय के स्रोतों की कमी के कारण मामले में अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए सक्षम नहीं है और इसलिए, उसने मुकदमे के खर्चों को पूरा करने के लिए एकमुश्त 60,000/- रुपए दिलाए जाने और अन्य खर्चों के लिए 10,000/- रुपए प्रतिमाह दिलाए जाने का भी दावा किया है ।

4. अपीलार्थी-पति ने उपरोक्त तथ्यों का खंडन किया और यह कथन किया कि उसकी पत्नी ने स्वयं उसको परित्यक्त किया है और वह अपने माता-पिता के साथ रहने चली गई है । वह ब्यूटी पार्लर चलाती है जिससे उसे 30,000/- रुपए प्रतिमाह की आय होती है । उसने यह भी दर्शित किया है कि वह अपने दो बालिग बेटों के खर्चों को पूरा करता है जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ।

5. उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, मुरादाबाद के कुटुंब न्यायालय के विद्वान् प्रधान न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि अपीलार्थी ने यह साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि प्रत्यर्थी-पत्नी की ब्यूटी पार्लर से आय 30,000/- रुपए प्रतिमाह है, यद्यपि उसने पेंशन के रूप में 50,000/- रुपए प्राप्त करना स्वीकार किया ।

आदेश में यह भी उल्लिखित है कि प्रत्यर्थी-पत्नी हरदोई में रहती है जहां से उसे न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तारीख को मुरादाबाद जिला में न्यायालय कार्यवाहियों के लिए उपस्थित होना पड़ता है । मामले की इस पृष्ठभूमि में, विद्वान् प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय ने मुकदमे व्यय के रूप में प्रत्यर्थी-पत्नी को एकमुश्त रकम 20,000/- रुपए और न्यायालय में उपस्थित होने की प्रत्येक तारीख पर प्रतिमाह 1,000/- रुपए संदत्त किए जाने के लिए भी आदेश पारित कर दिया ।

6. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल ने मात्र एक दलील दी है कि उक्त धनराशि काफी अधिक है और इसलिए, उसे कम किया जाए ।

7. अधिनियम की धारा 24 भरणपोषण के लिए उपबंध करती है :–

> "धारा 24. **वादकालीन भरणपोषण और कार्यवाहियों के व्यय** – जहां कि इस अधिनियम के अधीन वाली किसी कार्यवाहियों में न्यायालय को यह प्रतीत होता हो कि, यथास्थिति पत्नी या पति की ऐसी स्वतंत्र आय नहीं है जो उसकी देखभाल और कार्यवाहियों के आवश्यक व्ययों के लिए पर्याप्त नहीं हो वहां वह पति या पत्नी के आवेदन पर प्रत्यर्थी या याची को आदेश दे सकेगा कि वह अर्जीदार को कार्यवाही में होने वाले व्यय तथा कार्यवाही के दौरान में प्रतिमास ऐसी राशि संदत्त करे जो अर्जीदार की अपनी आय तथा प्रत्यर्थी की आय को देखते हुए न्यायालय को युक्तियुक्त प्रतीत हो :
>
> परन्तु यह तब जब कि खर्चे के संदाय के लिए आवेदन और कार्यवाही के दौरान ऐसी मासिक राशि का यथासंभव निस्तारण पति या पत्नी पर सूचना/तामीली के 60 दिनों के अन्दर किया जाएगा ।"

8. इस प्रकार धारा 24 उपबंध करती है कि अधिनियम के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही में पति या पत्नी जिसको अपने भरणपोषण के प्रयोजनार्थ स्वतंत्र रूप से पर्याप्त आय नहीं है, तो वे न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी को मासिक भरणपोषण जैसा कि न्यायालय युक्तिसंगत प्रतीत करे, याची की स्वयं की आय और प्रत्यर्थी की आय को ध्यान में रखते हुए संदाय करने का निदेश देने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं । वह भाषा जिसमें इस धारा को शब्दांकित किया गया है, उपदर्शित करती है कि अंतरिम भरणपोषण प्रदान करने के लिए न्यायालय को व्यापक विवेकाधिकार दिया गया है । यद्यपि न्यायालय को प्रदत्त विवेकाधिकार व्यापक है फिर भी यह धारा मार्गदर्शक सिद्धांत उपबंधित करती है क्योंकि

न्यायालय अंतरिम भरणपोषण निर्धारित करते हुए प्रत्यर्थी की आय और याची की स्वयं आय को ध्यान में रखा जाना होता है । अन्य शब्दों में अन्तरिम भरणपोषण के लिए आदेश पारित किए जाने वाले मामलों में न्यायालय का विवेकाधिकार इस धारा में उपबंधित मापदंड द्वारा संचालित होना चाहिए अर्थात् पक्षों के आनुषंगिक साधनों और अन्य सुसंगत कारकों जैसे कि पक्षों की सामाजिक हैसियत; पृष्ठभूमि जिससे दोनों पक्ष संबंधित हैं और याची की आर्थिक निर्भरता । चूंकि अंतरिम भरणपोषण के लिए पारित किया गया आदेश अस्थायी प्रकृति का होता है, न्यायालय द्वारा किसी ब्यौरेवार और विस्तृत आदेश को पारित किया जाना आवश्यक नहीं होता किन्तु तत्समय न्यायालय सभी सुसंगत कारकों पर विचार कर रहा है और उनको ध्यान में रखते हुए, जो कानून में उल्लिखित है, एक समुचित धनराशि के संबंध में निर्णय लेता है ।

9. प्रस्तुत मामले में यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी-पति की पेंशन से आय 50,000/- रुपए प्रतिमाह है जो अपीलार्थी की संस्वीकृति के आधार पर साबित तथ्य है । साक्ष्य से यह भी सिद्ध हो गया है कि प्रत्यर्थी-पत्नी के पास इस मामले में अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए आय का कोई स्रोत नहीं है । उसके पक्ष में अंतरिम भरणपोषण अधिनिर्णीत किए जाने की आवश्यकता है । यह भी अभिलेख पर उपलब्ध है कि उसे प्रत्येक तारीख पर इलाहाबाद या हरदोई से मुरादाबाद जहां मामला विचारणार्थ लंबित है जाकर न्यायालय कार्यवाहियों में उपस्थित होना होता है और जिसमें व्यय करने के लिए अच्छी धनराशि की आवश्यकता होगी ।

10. इसलिए, इन सभी तथ्यों पर विचार करते हुए प्रत्यर्थी-पत्नी को मुकदमे के व्यय को पूरा करने के लिए 20,000/- रुपए की एकमुश्त धनराशि अधिनिर्णीत की जाती है और न्यायालय में उपस्थिति की प्रत्येक तारीख पर संदत्त किए जाने के लिए 1,000/- रुपए की धनराशि युक्तियुक्त है । इस न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता प्रथम अपील खारिज किए जाने योग्य है और तद्नुसार खारिज की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

मही./अवि.

प्रबंधक, महालिंगपुर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड

बनाम

श्रीमती महानंदा श्रीशाली मुगलखोड़ और अन्य

तारीख 4 अप्रैल, 2018

न्यायमूर्ति कृष्ण एस. दीक्षित

हिन्दू विधि – हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की संपत्ति – कुटुम्ब के मुख्तारनामा धारक द्वारा कुटुम्ब के लिए बैंक से ऋण लिया जाना – कुटुम्ब के सदस्य द्वारा संपत्ति के विभाजन के लिए वाद – बैंक द्वारा आक्षेप – विधिमान्यता – चूंकि विभाजन के पश्चात् भी संपत्ति ऋण के दायित्व से उन्मोचित नहीं होती – अतः संपत्ति का अंशदार संपत्ति का विभाजन करा सकता है ।

संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) – धारा 60 – साम्यापूर्ण बंधक – बंधक संपत्ति का विभाजन – बंधक विलेख में ऐसा कोई निबंधन या शर्त न होना जो बंधककर्ता को मोचन के अधिकार के साथ विभाजन को प्रभावित करने वाला हो – बंधककर्ता संपत्ति का विभाजन कराने के लिए स्वतंत्र है – विभाजन से बंधकदार का हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा – संपत्ति को प्रतिस्थापित प्रतिभूति का सिद्धांत लागू होगा ।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि – (क) सभी प्रत्यर्थी एक-दूसरे के नातेदार हैं । इन सभी ने संयुक्त रूप से अपीलार्थी-सहकारी बैंक से वाद सूची-क से संबंधित संपत्ति के तीन रजिस्ट्रीकृत बंधक विलेखों के निष्पादन द्वारा धन उधार लिया था । (ख) धन उधार लेने के पश्चात् प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 ने वाद की अनुसूची-क और ख संपत्तियों के विभाजन और पृथक् कब्जे के लिए 2005 का मूल वाद सं. 306 फाइल किया था । सभी प्रत्यर्थी उसमें प्रतिवादी बनाए गए थे और उनके साथ ही अपीलार्थी-सहकारी बैंक को भी प्रतिवादी बनाया गया था । (ग) विचारण न्यायालय ने तारीख 29 अगस्त, 2013 के निर्णय और डिक्री द्वारा वाद अनुसूची-ख संपत्ति के संबंध में विभाजन के लिए वाद डिक्री कर दिया तथापि, न्यायालय ने वाद अनुसूची-क से संबंधित संपत्ति के बारे में वाद खारिज कर दिया था, जो संपत्ति अपीलार्थी बैंक को बंधक की गई थी । (घ) प्रत्यर्थी-

वादियों ने विचारण न्यायालय के उस निर्णय और डिक्री के विरुद्ध 2013 की नियमित अपील सं. 25 फाइल की थी जिसमें न्यायालय ने वाद अनुसूची-क से संबंधित संपत्ति के संबंध में विभाजन के लिए डिक्री पारित करने से इनकार किया था । निचले अपील न्यायालय ने अपील मंजूर करते हुए इस संपत्ति के संबंध में भी विभाजन की डिक्री मंजूर कर दी । अपीलार्थी द्वारा इस नियमित द्वितीय अपील में दिए गए इसी निर्णय और डिक्री को आक्षेपित किया गया है । यह नियमित द्वितीय अपील, 2013 की नियमित अपील सं. 25 में विद्वान् ज्येष्ठ सिविल न्यायाधीश, मुधोल द्वारा पारित उस निर्णय और डिक्री के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा 2005 के मूल वाद सं. 306 में विद्वान् अपर सिविल न्यायाधीश, मुधोल द्वारा तारीख 29 अगस्त, 2013 को पारित निर्णय और डिक्री को वाद की अनुसूची-क से संबंधित संपत्ति के संबंध में निर्णय और डिक्री को उलटा गया है और इसके अतिरिक्त वाद की सूची-क में उल्लिखित संपत्ति के संबंध में विभाजन और पृथक् कब्जे के लिए वाद डिक्री किया गया है । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – बंधक से संबंधित विधि-क्षेत्र में यह सुस्थापित स्थिति है कि प्रतिस्थापित प्रतिभूति का सिद्धांत बंधकों को भी लागू होता है । बंधक की विषयवस्तु वाद संपत्ति की अनुसूची-क से संबंधित संपत्ति में बंधककर्ता का हित है । जहां बंधक होगा वहां वह अविभाजित होगा । विभाजन के पश्चात् यह विभिन्न लोगों को चला जाता है तथापि, सारभूत रूप से यह एक ही है जो हमारे समक्ष के अपीलार्थी को बंधक किया गया है और इसलिए अपीलार्थी को विभाजन पर उक्त संपत्ति धारकों के विरुद्ध वही अधिकार प्राप्त है । अपीलार्थी-बैंक के विद्वान् काउंसेल द्वारा अभिव्यक्त यह आशंका कि वाद अनूसूची-क संपत्ति से संबंधित विभाजन-डिक्री को दृष्टिगत करते हुए बैंक का हित तात्विक रूप से प्रभावित होगा, सुआधारित नहीं है क्योंकि निचले अपील न्यायालय के मत में जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है, बैंक के हित को पूर्ण रूप से ध्यान में रखा गया है और इसलिए अपीलार्थी-बैंक प्रतिवादियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए हकदार है और ऋण धनराशि और ब्याज की वसूली के लिए वाद संपत्तियां सम्यक् रूप से मौजूद हैं । (पैरा 6 और 8)

अनुसरित निर्णय

पैरा

[1975] (1975) 21 डब्ल्यू. आर. 233 :
बैजनाथ लाल बनाम **रामोदीन चौधरी** । 6

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2017 की नियमित द्वितीय अपील सं. 100352.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री अरविंद डी. कुलकर्णी

प्रत्यर्थियों की ओर से –

न्यायमूर्ति कृष्ण एस. दीक्षित – यह नियमित द्वितीय अपील, 2013 की नियमित अपील सं. 25 में विद्वान् ज्येष्ठ सिविल न्यायाधीश, मुधोल द्वारा पारित उस निर्णय और डिक्री के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा 2005 के मूल वाद सं. 306 में विद्वान् अपर सिविल न्यायाधीश, मुधोल द्वारा तारीख 29 अगस्त, 2013 को पारित निर्णय और डिक्री को वाद की अनुसूची-क से संबंधित संपत्ति के संबंध में निर्णय और डिक्री को उलटा गया है और इसके अतिरिक्त वाद की सूची-क में उल्लिखित संपत्ति के संबंध में विभाजन और पृथक् कब्जे के लिए वाद डिक्री किया गया है ।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि – (क) सभी प्रत्यर्थी एक दूसरे के नातेदार हैं । इन सभी ने संयुक्त रूप से अपीलार्थी-सहकारी बैंक से वाद सूची-क से संबंधित संपत्ति के तीन रजिस्ट्रीकृत बंधक विलेखों के निष्पादन द्वारा धन उधार लिया था । (ख) धन उधार लेने के पश्चात् प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 ने वाद की अनुसूची-क और ख संपत्तियों के विभाजन और पृथक् कब्जे के लिए 2005 का मूल वाद सं. 306 फाइल किया था । सभी प्रत्यर्थी उसमें प्रतिवादी बनाए गए थे और उनके साथ ही अपीलार्थी-सहकारी बैंक को भी प्रतिवादी बनाया गया था । (ग) विचारण न्यायालय ने तारीख 29 अगस्त, 2013 के निर्णय और डिक्री द्वारा वाद अनुसूची-ख संपत्ति के संबंध में विभाजन के लिए वाद डिक्री कर दिया तथापि, न्यायालय ने वाद अनुसूची-क से संबंधित संपत्ति के बारे में वाद खारिज कर दिया था, जो संपत्ति अपीलार्थी बैंक को बंधक की गई थी । (घ) प्रत्यर्थी-वादियों ने विचारण न्यायालय के उस निर्णय और डिक्री के विरुद्ध 2013 की नियमित अपील सं. 25 फाइल की थी जिसमें न्यायालय ने वाद अनुसूची-क से संबंधित संपत्ति के संबंध में विभाजन के लिए डिक्री पारित करने से इनकार किया था । निचले अपील न्यायालय ने अपील मंजूर करते हुए इस संपत्ति के संबंध में भी विभाजन की डिक्री मंजूर कर दी । अपीलार्थी द्वारा इस नियमित द्वितीय अपील में दिए गए इसी निर्णय और डिक्री को आक्षेपित किया गया है ।

3. अपीलार्थी-सहकारी बैंक के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि निचले अपील न्यायालय की डिक्री विधि के अनुसार नहीं है क्योंकि न्यायालय ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि वाद अनुसूची-क से संबंधित संपत्ति के संबंध में कोई विभाजन-डिक्री पारित नहीं की जा सकती क्योंकि यह संपत्ति बंधक थी । काउंसेल ने यह दलील दी कि किसी विभाजन-डिक्री की मंजूरी अपीलार्थी-बैंक के हित के प्रतिकूल होगी क्योंकि संपत्ति बंधक थी ।

4. मैंने अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल की दलीलों पर सतर्कतापूर्वक विचार किया । यह सही है कि वाद अनुसूची-क से संबंधित संपत्ति हमारे समक्ष के प्रत्यर्थियों द्वारा लिए गए ऋण की प्रतिभूति स्वरूप रजिस्ट्रीकृत विलेखों द्वारा निष्पादित बंधकों के जरिए बंधक की गई थी । जहां कोई संपत्ति हक विलेखों को जमा करके बंधक की जाती है वहां संपत्ति में कतिपय सीमा तक हित बंधक करने वाले के हक में अंतरित और निहित हो जाता है क्योंकि ऐसे बंधक ऋण के संदाय के लिए प्रतिभूति के रूप में बने रहते हैं । संपत्ति के स्वामियों का हित जो बंधक के पश्चात् रह जाता है, मोचन कराने का अधिकार कहलाता है जो बंधक को छुड़ाने के लिए बंधककर्ताओं के अधिकार के सिवाय और कुछ नहीं है । यह साम्या एक संपत्ति भी है जो विभाजन योग्य है और इसलिए ऐसी किसी संपत्ति का विभाजन कराने के लिए कोई विधिक बाधा या वर्जन नहीं है जो किसी साम्यापूर्ण बंधक की विषयवस्तु है । अतः अपीलार्थी की दलील सही नहीं है ।

5. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने अगली दलील यह दी है कि निचले अपील न्यायालय द्वारा मंजूर की गई विभाजन-डिक्री के आधार पर अपीलार्थी-बंधकदार-बैंक का हित तात्विक रूप से प्रभावित होता है क्योंकि अनुसूची-क से संबंधित वाद संपत्ति प्रत्यर्थियों के बीच विभाजित हो जाएगी । स्वीकृततः बंधक में जो अपीलार्थी धारित करता है, संपत्ति का कब्जा अन्तर्वलित नहीं है और ऐसा कब्जा ऋणी-प्रत्यर्थियों के पास है । बंधक विलेखों में ऐसा कोई निबंधन या शर्त नहीं है जो बंधककर्ताओं को मोचन कराने के अधिकार के साथ विभाजन को प्रभावित करे । अतः बंधककर्ता इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि वे उक्त संपत्ति का विभाजन कराएं और तद्द्वारा बंधकदार बैंक का हित प्रभावित नहीं होता है ।

6. बंधक से संबंधित विधि-क्षेत्र में यह सुस्थापित स्थिति है कि प्रतिस्थापित प्रतिभूति का सिद्धांत बंधकों को भी लागू होता है । बंधक की

विषयवस्तु वाद संपत्ति की अनुसूची-क से संबंधित संपत्ति में बंधककर्ता का हित है । जहां बंधक होगा वहां वह अविभाजित होगा । विभाजन के पश्चात् यह विभिन्न लोगों को चला जाता है तथापि, सारभूत रूप से यह एक ही है जो हमारे समक्ष के अपीलार्थी को बंधक किया गया है और इसलिए अपीलार्थी को विभाजन पर उक्त संपत्ति धारकों के विरुद्ध वही अधिकार प्राप्त है । हमारे इस मत को प्रीवी कौंसिल द्वारा **बैजनाथ लाल** बनाम **रामोदीन चौधरी**[1] वाले मामले में दिए गए विनिश्चय से समर्थन मिलता है । अतः बंधकदार बैंक का हित आक्षेपित विभाजन-डिक्री द्वारा किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हुआ है ।

7. इस मामले में उक्त निर्णय का पैरा 20 सुसंगत है जो उद्धृत किया जाता है और जो निचले अपील न्यायालय के ऐसे निर्णय और डिक्री से संबंधित है जिसमें अपीलार्थी बैंक का हित पूर्ण रूप से सुरक्षित किया गया है :–

> " .....तथ्यतः प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा ऋण संपूर्ण कुटुंब के फायदे के लिए मुख्तारनामा धारक के रूप में लिया गया था । वादियों ने यह दलील दी कि वाद संपत्तियां संयुक्त कुटुंब की संपत्तियां हैं । यदि ऋण संयुक्त कुटुंब के मुख्तारनामा धारक द्वारा संपूर्ण कुटुंब की ओर से लिया गया है तब सभी सहदायिक ऋण को ब्याज के साथ प्रतिदाय करने के जिम्मेदार हैं । तथ्यतः मुल्ला कृत हिन्दू विधि के अनुच्छेद 289, अनुच्छेद 290 और अनुच्छेद 290 (7) के उपबंधों के परिशीलन पर यह स्पष्ट रूप से उपदर्शित होता है कि संयुक्त कुटुंब के सदस्य अपने पूर्वजों द्वारा लिए गए ऋण का प्रतिदाय करने के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं । अनुच्छेद 240 के अधीन संयुक्त कुटुंब का प्रबंधक संयुक्त कुटुंब के प्रयोजनों, कुटुंब की आवश्यकताओं और कुटुंब के कारबार हेतु ऋण लेने के लिए सशक्त है । ऐसी किसी दशा में सहदायिक ऋण का संदाय करने के लिए दायी हैं । इन परिस्थितियों के अधीन यद्यपि प्रतिवादी सं. 1 ने अनुसूची-क संपत्ति के ऊपर ऋण लिया है तथापि, कुटुंब के सभी सदस्य वाद भूमि में अंशों के अनुसार जिम्मेदार हैं और मुल्ला कृत हिन्दू विधि के अनुच्छेद 289, अनुच्छेद 290(7) और अनुच्छेद 240 के उपबंधों के अनुसार उक्त ऋण का प्रतिदाय करने के लिए जिम्मेदार हैं । इन संप्रेक्षणों के

---

[1] (1975) 21 डब्ल्यू. आर. 233.

साथ मेरा यह मत है कि निचले न्यायालय ने इस आधार पर बंधक रखी गई संपत्ति के संबंध में वाद खारिज करने में गलती की है कि अनुसूची-क संपत्ति के ऊपर ऋण लिया गया था ।"

8. अपीलार्थी-बैंक के विद्वान् काउंसेल द्वारा अभिव्यक्त यह आशंका कि वाद अनूसूची-क संपत्ति से संबंधित विभाजन-डिक्री को दृष्टिगत करते हुए बैंक का हित तात्विक रूप से प्रभावित होगा, सुआधारित नहीं है क्योंकि निचले अपील न्यायालय के मत में जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है, बैंक के हित को पूर्ण रूप से ध्यान में रखा गया है और इसलिए अपीलार्थी बैंक प्रतिवादियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए हकदार है और ऋण धनराशि और ब्याज की वसूली के लिए वाद संपत्तियां सम्यक् रूप से मौजूद हैं ।

9. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा उपर्युक्त दलीलों के सिवाय और कोई दलील नहीं दी गई है । इसके अतिरिक्त अपील ज्ञापन के पैरा 23 में उल्लिखित विधि के सभी सारभूत प्रश्न केवल तथ्यों के सारभूत प्रश्न हैं और मैं यह अभिनिर्धारित करता हूं कि अपील में विधि का कोई सारभूत प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ है । अतः मैं निम्नलिखित आदेश पारित करता हूं –

आदेश

नियमित द्वितीय अपील में कोई बल न होने के कारण यह ग्रहण किए जाने योग्य नहीं है और इसलिए इसे खारिज किया जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

मह.

अनीमा दास

बनाम

समरेश मजूमदार

तारीख 11 मई, 2018

न्यायमूर्ति सुमन श्याम

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) – धारा 371 और 372 [सपठित हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (1956 का 30) की धारा 15] – पत्नी की निर्वसीयती मृत्यु – पति द्वारा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के लिए आवेदन – पत्नी की माता द्वारा आक्षेप – माता द्वारा इस आधार पर आक्षेप किया जाना कि पति ने अपनी पत्नी अर्थात् उसकी पुत्री की देखभाल नहीं की थी और उसकी पुत्री की मृत्यु उसके पास रहकर हुई थी – माता द्वारा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के लिए दावा – विधिमान्यता – पति उत्तराधिकार प्रमाणपत्र पाने का हकदार है – न्यायालय द्वारा पति के हक में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र की मंजूरी उचित है ।

यह अपील 2003 के प्रकीर्ण (एस. सी.) मामला सं. 186 में जिला न्यायाधीश, डिब्रूगढ़ के न्यायालय द्वारा तारीख 3 सितंबर, 2007 को पारित उस निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा अपीलार्थी द्वारा विरोध में फाइल किए गए आक्षेप को स्वीकार करते हुए प्रत्यर्थी के हक में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र की मंजूरी से इनकार किया गया है । संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी की मृतक पुत्री अर्थात् स्वर्गीय गौरी दूरसंचार विभाग के अधीन एक कर्मचारी थी जिसकी बीमारी के कारण तारीख 15 नवंबर, 1997 को मृत्यु हो गई । गौरी दास ने अपनी असामयिक मृत्यु के समय अपने पीछे मूल्यवान प्रतिभूतियां और स्थावर संपत्तियां छोड़ीं । गौरी दास की मृत्यु के पश्चात् उसके पति अर्थात् प्रत्यर्थी ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 371/372 के अधीन एक आवेदन फाइल किया जिसे 2003 के प्रकीर्ण उत्तराधिकार मामला सं. 186 के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया, जिसमें उसने अपनी मृतक पत्नी द्वारा छोड़े ऋणों और प्रतिभूतियों के संबंध में अपने हक में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र की मंजूरी के लिए अनुरोध किया । अभिलेख से यह भी प्रतीत होता है कि उपर्युक्त कार्यवाही में सामान्य उत्तराधिकार सूचनाएं

जारी की गई थीं तथापि, चूंकि आक्षेप फाइल करने के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ था इसलिए मामले में एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी । तथापि, प्रत्यर्थी के हक में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र मंजूर किए जाने से पूर्व अपीलार्थी उपस्थित हुई थी और उसने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 383 के अधीन एक आवेदन फाइल किया जिसमें उसने उत्तराधिकार प्रमाणपत्र को रद्द करने का अनुरोध किया । विद्वान् जिला न्यायाधीश, डिब्रूगढ़ ने तारीख 3 सितंबर, 2007 के आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए वर्तमान अपीलार्थी द्वारा फाइल किए गए आक्षेप को खारिज कर दिया कि वह पति के जीवनकाल के दौरान ऋणों और प्रतिभूतियों को प्राप्त करने की हकदार नहीं थी । तद्नुसार तारीख 3 सितंबर, 2007 के आक्षेपित आदेश द्वारा प्रत्यर्थी के हक में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी करने का निदेश दिया गया था । अतः भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 384 के अधीन यह अपील फाइल की गई । अपील में तद्नुसार आदेश पारित करते हुए,

अभिनिर्धारित – वर्तमान मामले में मृतक का पति अपनी पत्नी के साथ नहीं रहता था और उसकी पत्नी अपनी विधवा माता के साथ रहती थी जिसने आखिर तक अपनी पुत्री की देखभाल की थी । तथापि, उच्चतम न्यायालय द्वारा ओम प्रकाश वाले मामले में दिए गए विनिश्चय को दृष्टिगत करते हुए यह स्पष्ट है कि इस मामले में पति अर्थात् प्रत्यर्थी ही अपनी मृतक पत्नी द्वारा छोड़ी गई स्व-अर्जित संपत्तियों का हकदार होगा । ओम प्रकाश वाले मामले में अधिकथित मत समान रूप से इस मामले के तथ्यों को भी लागू होता है और इसलिए उक्त मत इस न्यायालय पर भी आबद्धकर है । साम्या से संबंधित अनुतोष न्यायालय द्वारा विधि की आज्ञा के विरुद्ध जाकर अपीली अधिकारिता का प्रयोग करके मंजूर नहीं किया जा सकता । अतः न्यायालय अपीलार्थी के विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल के अनुरोध को इस मामले के भिन्न तथ्यों को दृष्टिगत करते हुए मामले में भिन्न मत अपनाकर स्वीकार नहीं कर सकता । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ओम प्रकाश वाले मामले में अधिकथित विधि को दृष्टिगत करते हुए न्यायालय का यह मत है कि इस न्यायालय के पास विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा पारित तारीख 3 सितंबर, 2007 के आक्षेपित निर्णय और आदेश में, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी के हक में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र मंजूर किया गया है, हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश नहीं है । इस मामले को निपटाने से पूर्व यहां यह उल्लेख करना सुसंगत होगा कि अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन के पैरा 5 में

यह उल्लेख किया है कि उसे पहले ही विभाग से उसकी मृतक पुत्री को देय कुछ धनराशि का भुगतान नामिती के रूप में हो चुका है । प्रत्यर्थी ने उक्त प्रकथन का विरोध नहीं किया है । इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए न्याय के हित में एतद्द्वारा यह निदेशित किया जाता है कि प्रत्यर्थी के हक में मंजूर किए गए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के आधार पर अपीलार्थी द्वारा अपनी मृतक पुत्री के नामनिर्देशिती के रूप में उसके द्वारा पहले ही प्राप्त की गई किसी धनराशि के संबंध में कोई वसूली नहीं की जाएगी । (पैरा 10 और 11)

अनुसरित निर्णय

पैरा

[2009] ए. आई. आर. 2009 एस. सी. (सप्ली.) 2060 = (2009) 15 एस. सी. सी. 66 : **ओम प्रकाश और अन्य** बनाम **राधा चरण और अन्य** ; 5, 9, 10

[1984] ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 346 = (1984) 1 एस. सी. सी. 424 : **श्रीमती सरबती देवी और एक अन्य** बनाम **श्रीमती ऊषा देवी** । 6

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2008 का मामला सं. 1.

2003 के प्रकीर्ण (एस. सी.) मामला सं. 186 में जिला न्यायाधीश, डिब्रूगढ़ के न्यायालय द्वारा तारीख 3 सितंबर, 2007 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से आर. कौर

प्रत्यर्थी की ओर से के. बरूआ

न्यायमूर्ति सुमन श्याम – अपीलार्थी की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री एस. दत्त को सुना । मैंने प्रत्यर्थी का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान् काउंसेल श्री ए. के. गुप्ता को भी सुना ।

2. यह अपील 2003 के प्रकीर्ण (एस. सी.) मामला सं. 186 में जिला न्यायाधीश, डिब्रूगढ़ के न्यायालय द्वारा तारीख 3 सितंबर, 2007 को पारित उस निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा अपीलार्थी

द्वारा विरोध में फाइल किए गए आक्षेप को स्वीकार करते हुए प्रत्यर्थी के हक में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र की मंजूरी से इनकार किया गया है ।

3. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी की मृतक पुत्री अर्थात् स्वर्गीय गौरी दूरसंचार विभाग के अधीन एक कर्मचारी थी जिसकी बीमारी के कारण तारीख 15 नवंबर, 1997 को मृत्यु हो गई । गौरी दास ने अपनी असामयिक मृत्यु के समय अपने पीछे मूल्यवान प्रतिभूतियां और स्थावर संपत्तियां छोड़ीं । गौरी दास की मृत्यु के पश्चात् उसके पति अर्थात् प्रत्यर्थी ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 371/372 के अधीन एक आवेदन फाइल किया जिसे 2003 के प्रकीर्ण उत्तराधिकार मामला सं. 186 के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया, जिसमें उसने अपनी मृतक पत्नी द्वारा छोड़े ऋणों और प्रतिभूतियों के संबंध में अपने हक में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र की मंजूरी के लिए अनुरोध किया । अभिलेख से यह भी प्रतीत होता है कि उपर्युक्त कार्यवाही में सामान्य उत्तराधिकार सूचनाएं जारी की गई थीं तथापि, चूंकि आक्षेप फाइल करने के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ था इसलिए मामले में एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी । तथापि, प्रत्यर्थी के हक में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र मंजूर किए जाने से पूर्व अपीलार्थी उपस्थित हुई थी और उसने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 383 के अधीन एक आवेदन फाइल किया जिसमें उसने उत्तराधिकार प्रमाणपत्र को रद्द करने का अनुरोध किया । विद्वान् जिला न्यायाधीश, डिब्रूगढ़ ने तारीख 3 सितंबर, 2007 के आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए वर्तमान अपीलार्थी द्वारा फाइल किए गए आक्षेप को खारिज कर दिया कि वह पति के जीवनकाल के दौरान ऋणों और प्रतिभूतियों को प्राप्त करने की हकदार नहीं थी । तद्नुसार तारीख 3 सितंबर, 2007 के आक्षेपित आदेश द्वारा प्रत्यर्थी के हक में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी करने का निदेश दिया गया था । अतः भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 384 के अधीन यह अपील फाइल की गई ।

4. अपीलार्थी का पक्षकथन जो अभिवचनों के द्वारा पेश किया गया है, यह है कि उसकी पुत्री ने अपीलार्थी को अपनी सेवा पुस्तिका में मृत्यु-सहयुक्त-सेवानिवृत्ति लाभों के लिए और पोस्टल इंडोवमेंट बीमा पालिसी सं. ए. एम. /5564 टी./एफ. के संबंध में नामित किया था और यह संपत्तियां स्वर्गीय गौरी दास की स्व-अर्जित संपत्तियां थीं । अपीलार्थी का यह भी पक्षकथन है कि यद्यपि उसकी पुत्री का विवाह प्रत्यर्थी के साथ हुआ था तथापि, वह

अपनी पत्नी की देखभाल नहीं करता था जिसके परिणामस्वरूप गौरी दास ने अपना ससुराल छोड़ दी थी और वह अपनी मृत्यु तक सतत् रूप से अपीलार्थी के साथ रह रही थी । चूंकि प्रत्यर्थी अपनी पत्नी की देखभाल नहीं करता था इसलिए अपीलार्थी के अनुसार वह अपनी मृतक पत्नी द्वारा छोड़ी गई स्व-अर्जित संपत्तियों के लिए हकदार नहीं है ।

5. अपीलार्थी के विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री एस. दत्त ने यह दलील दी है कि अपीलार्थी एक विधवा है और उसके पास अपनी आय का कोई स्रोत नहीं है और इसलिए प्रत्यर्थी को जिसने अपनी मृतक पत्नी के प्रति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया, संपूर्ण धनराशि प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है तो न केवल अपीलार्थी के अधिकारों और हितों को नुकसान पहुंचेगा अपितु इससे न्याय की भी गंभीर हानि होगी । इन परिस्थितियों के अधीन तारीख 3 सितंबर, 2007 के निर्णय और आदेश को अपास्त करने का अनुरोध किया गया है । तथापि, विद्वान् काउंसेल श्री दत्त ने इस न्यायालय का ध्यान उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित **ओम प्रकाश और अन्य** बनाम **राधा चरण और अन्य**[1] वाले मामले की ओर दिलाते हुए यह दलील दी है कि उच्चतम न्यायालय ने 1956 के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15(1) और (2) का निर्वचन करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि यद्यपि किसी स्त्री की स्व-अर्जित संपत्ति के संबंध में विधि में कुछ नहीं कहा गया है तथापि, धारा 15(2) में उल्लिखित उपबंध को दृष्टिगत करते हुए स्व-अर्जित संपत्ति और उस संपत्ति के बीच कोई विभेद नहीं किया गया है जो किसी स्त्री द्वारा विरासत में प्राप्त की गई हो । उपर्युक्त को दृष्टिगत करते हुए विद्वान् काउंसेल श्री दत्त ने ऋजुतापूर्वक यह दलील दी कि अपीलार्थी प्रश्नगत प्रतिभूतियों और ऋणों के अधीन अपनी पुत्री को देय धनराशि को प्राप्त करने की हकदार नहीं हो सकती । तथापि, विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने यह अनुरोध किया है कि इस न्यायालय की साम्यापूर्ण अधिकारिता का अवलंब लेते हुए और मामले के तथ्यों को दृष्टिगत करते हुए अपीलार्थी को राशि दिलाई जाए ।

6. इसके प्रतिकूल प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल ने अपीलार्थी के पक्षकथन का विरोध करते हुए यह दलील दी कि इस बारे में विधि सुस्थापित है कि उक्त नामिती बीमाकृत की मृत्यु पर संदेय धनराशि पर

---

[1] ए. आई. आर. 2009 एस. सी. (सप्ली.) 2060 = (2009) 15 एस. सी. सी. 66.

कोई लाभ या हित पाने की हकदार नहीं होगी । तथापि, वह केवल नकद धनराशि को पाने की हकदार होगी । श्री गुप्ता ने अपनी उपर्युक्त दलील के समर्थन में उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित **श्रीमती सरबती देवी और एक अन्य** बनाम **श्रीमती ऊषा देवी**[1] वाले मामले का अवलंब लिया है । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी कि निचले न्यायालय ने विभिन्न न्यायालयों द्वारा मामले से संबंधित दिए गए विनिश्चियों की चर्चा करने के पश्चात् एक युक्तियुक्त आदेश पारित किया है और इसलिए यह न्यायालय आक्षेपित निर्णय में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता क्योंकि विधि के अधीन अपीलार्थी अपनी मृतक पुत्री द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों में कोई अंश पाने की हकदार नहीं है ।

7. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेलों द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का भी परिशीलन किया । यह विवादित नहीं है कि अपीलार्थी की पुत्री जो बी. एस. एन. एल. के अधीन एक कर्मचारी थी, अपने विवाह के पश्चात् अपने पति के साथ नहीं रह रही थी और न ही उसका पति उसकी देखभाल करता था और अपीलार्थी की पुत्री अपनी मृत्यु के समय तक अपनी विधवा माता के साथ रहती थी । यह भी विवादित नहीं है कि स्वर्गीय गौरी दास ने अपने विवाह से पूर्व सेवा ग्रहण की थी और अपनी वैयक्तिक आय से पोस्टल इंडोवमेंट बीमा पालिसी भी खरीदी थी । अत: ये मृतक की स्व-अर्जित संपत्तियां हैं और इसमें उसके पति का कोई योगदान नहीं है । अपीलार्थी द्वारा इस बात से भी इनकार नहीं किया गया है कि इस मामले में पक्षकारों के अधिकार 1956 के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से विनियमित होंगे ।

8. 1956 के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 हिन्दू महिला के मामले में उत्तराधिकार की विधि अधिकथित करती है । उक्त अधिनियम की धारा 15 इस प्रकार है :–

> "15. **हिन्दू नारी की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम** – (1) निर्वसीयत मरने वाली हिन्दू नारी की संपत्ति धारा 16 में दिए गए नियमों के अनुसार निम्नलिखित को न्यागत होगी –
>
> (क) प्रथमत:, पुत्रों और पुत्रियों (जिसके अन्तर्गत किसी पूर्व मृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी हैं) और पति को ;

---

[1] ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 346 = (1984) 1 एस. सी. सी. 424.

(ख) द्वितीयतः, पति के वारिसों को ;

(ग) तृतीयतः, माता और पिता को ;

(घ) चतुर्थतः, पिता के वारिसों को ; तथा

(ङ) अन्ततः, माता के वारिसों को ।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी –

(क) कोई संपत्ति जिसकी विरासत हिन्दू नारी को अपने पिता या माता से प्राप्त हुई हो, मृतक के पुत्र या पुत्री के (जिसके अन्तर्गत किसी पूर्व मृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी आते हैं) अभाव में उपधारा (1) में निर्दिष्ट अन्य वारिसों को उसमें विनिर्दिष्ट क्रम से न्यागत न होकर पिता के वारिसों को न्यागत होगी ; तथा

(ख) कोई संपत्ति जो हिन्दू नारी को अपने पति या अपने श्वसुर से विरासत में प्राप्त हुई हो, मृतक के किसी पुत्र या पुत्री के (जिसके अन्तर्गत किसी पूर्व मृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी आते हैं) अभाव में उपधारा (1) में निर्दिष्ट अन्य वारिसों को उसमें विनिर्दिष्ट क्रम से न्यागत न होकर पति के वारिसों को न्यागत होगी ।"

9. **ओम प्रकाश** (पूर्वोक्त) वाले मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्रीमती नारायणी देवी का विवाह दीनदयाल शर्मा के साथ हुआ था और वह अपने विवाह के 3 मास के भीतर विधवा हो गई थी । नारायणी अपने पति की मृत्यु के तुरन्त पश्चात् अपनी ससुराल छोड़ कर चली गई थी और इसके पश्चात् वह कभी भी अपनी ससुराल में नहीं रही । नारायणी को अपने मायके में शिक्षा दिलाई गई थी और इसके पश्चात् उसने नियोजन प्राप्त किया था और अंततः तारीख 11 जुलाई, 1996 को उसकी निर्वसीयती मृत्यु हो गई थी । नारायणी के विभिन्न बैंकों में खाते थे और उसके भविष्य निधि खाते में भी वृहत रकम थी । नारायणी की मृत्यु के पश्चात् नारायणी की माता ने उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के निबंधनों में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र की मंजूरी के लिए एक आवेदन फाइल किया था, जिसका प्रत्यर्थियों द्वारा जो नारायणी के पति की बहन के पुत्र थे, विरोध किया गया था और उन्होंने भी ऐसा ही आवेदन पेश किया था । उच्चतम न्यायालय ने नारायणी की माता के दावे को, जिसमें बाद में उसके

भाइयों द्वारा पैरवी की गई थी, खारिज करते हुए **ओम प्रकाश** (पूर्वोक्त) वाले मामले में निम्नलिखित मत व्यक्त किया था :–

"8. यह विवादित नहीं है कि प्रत्यर्थी नारायणी के पति दीनदयाल के वारिस और विधिक प्रतिनिधि हैं । धारा 15 की उप-धारा (1) उत्तराधिकार का साधारण नियम अधिकथित करती है । धारा 15 की उप-धारा (2) का खंड (क) सर्वोपरि खंड के लिए उपबंध करता है तथापि, यह अपवाद भी उपबंधित करता है कि जहां संपत्ति मृतक को उसके माता पिता की ओर से न्यागत हुई है वहां उसकी मृत्यु के पश्चात् ऐसी संपत्ति उसके माता पिता के कुटुंब को वापस हो जाएगी न कि उसके पति के कुटुंब को । समान रूप में जहां कोई संपत्ति उसके पति से या पति के कुटुंब से उसे विरासत में मिली हो वहां उसकी मृत्यु के पश्चात् ऐसी संपत्ति उसके पति के कुटुंब को वापस हो जाएगी न कि उसके स्वयं के वारिसों को ।

9. विधि किसी स्त्री की स्व-अर्जित संपत्ति के संबंध में कुछ नहीं कहती है । तथापि, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1), इसकी उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अपवादों के सिवाय किसी स्व-अर्जित संपत्ति और उस संपत्ति के बीच कोई विभेद नहीं करती जो उसे विरासत में प्राप्त हुई हो । यह धारा उस संपत्ति के बारे में निर्देश करती है जो पूर्ण रूप से निहित हुई है या जो उसके स्वामित्व में है । किसी महिला की स्व-अर्जित संपत्ति उसकी आत्यंतिक संपत्ति होगी न कि ऐसी संपत्ति जो उसे उसके माता पिता से विरासत में मिली हो । मामले को इस दृष्टि से देखते हुए हमारा यह मत है कि इस मामले को अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) लागू होगी न कि उपधारा (2) ।

10. यह एक उलझा हुआ मामला है । नारायणी अपने जीवनकाल के दौरान अपनी ससुराल में नहीं रहती थी । हम यह उपधारित कर सकते हैं कि श्री चौधरी द्वारा दी गई यह दलील कि उसे अपने पति के कुटुंब से कोई सहायता या समर्थन नहीं मिला, सही है और हर प्रकार की सहायता उसके माता पिता से प्राप्त हुई थी और इसी कारण से यह मामला कठिन प्रतीत होता है तथापि, यह हमें कानूनी उपबंध का भिन्न निर्वचन करने के लिए आकर्षित नहीं करता जो कि अन्यथा भी अनुज्ञेय नहीं है ।"

10. वर्तमान मामले में मृतक का पति अपनी पत्नी के साथ नहीं रहता

था और उसकी पत्नी अपनी विधवा माता के साथ रहती थी जिसने आखिर तक अपनी पुत्री की देखभाल की थी । तथापि, उच्चतम न्यायालय द्वारा **ओम प्रकाश** (पूर्वोक्त) वाले मामले में दिए गए विनिश्चय को दृष्टिगत करते हुए यह स्पष्ट है कि इस मामले में पति अर्थात् प्रत्यर्थी ही अपनी मृतक पत्नी द्वारा छोड़ी गई स्व-अर्जित संपत्तियों का हकदार होगा । **ओम प्रकाश** (पूर्वोक्त) वाले मामले में अधिकथित मत समान रूप से इस मामले के तथ्यों को भी लागू होता है और इसलिए उक्त मत इस न्यायालय पर भी आबद्धकर है । साम्या से संबंधित अनुतोष न्यायालय द्वारा विधि की आज्ञा के विरुद्ध जाकर अपीली अधिकारिता का प्रयोग करके मंजूर नहीं किया जा सकता । अतः मैं अपीलार्थी के विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल के अनुरोध को इस मामले के भिन्न तथ्यों को दृष्टिगत करते हुए मामले में भिन्न मत अपनाकर स्वीकार नहीं कर सकता । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **ओम प्रकाश** (पूर्वोक्त) वाले मामले में अधिकथित विधि को दृष्टिगत करते हुए मेरा यह मत है कि इस न्यायालय के पास विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा पारित तारीख 3 सितंबर, 2007 के आक्षेपित निर्णय और आदेश में, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी के हक में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र मंजूर किया गया है, हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश नहीं है ।

11. इस मामले को निपटाने से पूर्व यहां यह उल्लेख करना सुसंगत होगा कि अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन के पैरा 5 में यह उल्लेख किया है कि उसे पहले ही विभाग से उसकी मृतक पुत्री को देय कुछ धनराशि का भुगतान नामिती के रूप में हो चुका है । प्रत्यर्थी ने उक्त प्रकथन का विरोध नहीं किया है । इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए न्याय के हित में एतद्द्वारा यह निदेशित किया जाता है कि प्रत्यर्थी के हक में मंजूर किए गए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के आधार पर अपीलार्थी द्वारा अपनी मृतक पुत्री के नामनिर्देशिती के रूप में उसके द्वारा पहले ही प्राप्त की गई किसी धनराशि के संबंध में कोई वसूली नहीं की जाएगी ।

12. उपर्युक्त संप्रेक्षण के साथ यह अपील निपटाई जाती है ।

13. खर्चों के बारे में कोई आदेश नहीं किया जाता है ।

14. निचले न्यायालय का अभिलेख वापस भेजा जाए ।

अपील में तद्नुसार आदेश पारित किया गया ।

मह.

आनन्द राम

बनाम

श्रीमती लक्ष्मी बाई

तारीख 5 सितंबर, 2017

न्यायमूर्ति राजेन्द्र चन्द्र सिंह सामंत

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (1955 का 25) – धारा 13(1), (i), (i-ख) – विवाह-विच्छेद के लिए आवेदन – अधित्यजन और जारकर्म का आधार – पत्नी द्वारा बिना किसी न्यायोचित कारण के पति का घर छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के साथ निवास – दूसरे बच्चे का जन्म उस अवधि के दौरान होना जब पत्नी पति के साथ नहीं रह रही थी – पत्नी द्वारा अपनी ससुराल आने के लिए कभी भी प्रयास न किया जाना – पति विवाह-विच्छेद की डिक्री पाने का हकदार है ।

आवेदक और प्रत्यर्थी पति और पत्नी हैं । उनका विवाह वर्ष 1984 में हुआ था । प्रत्यर्थी ने वर्ष 1986 से अपीलार्थी से पृथक् रहना आरंभ कर दिया । आवेदक ने प्रत्यर्थी के विरुद्ध पत्नी (प्रत्यर्थी) द्वारा अधित्यजन और जारकर्म के आधार पर 1955 के हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अधीन एक आवेदन फाइल किया था । आवेदन में यह कहा गया था कि प्रत्यर्थी कभी भी सतत् रूप से अपीलार्थी के साथ नहीं रही है और अपीलार्थी से विवाह से पूर्व उसके कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ शारीरिक संबंध थे जिसके कारण उसने विवाह संपन्न होने की तारीख से 7 मास के भीतर एक बच्चे को जन्म दिया था । श्रवण कुमार नामक व्यक्ति प्रायः प्रत्यर्थी से मिलने आता था जब वह अपीलार्थी के साथ रहती थी और इसके पश्चात् प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को सूचना दिए बिना श्रवण कुमार के आवास पर रहना आरंभ कर दिया । अपीलार्थी ने अपनी पत्नी को वापस लाने का प्रयास किया किन्तु वह वापस नहीं आई । इसके बजाय उसने जे. एम. एफ. सी. धर्मजयगढ़ के न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन आवेदन फाइल कर दिया । प्रत्यर्थी अपीलार्थी से पृथक रहने के दौरान गर्भवती हो गई और उसने तारीख 30 जून, 1989 को एक बच्चे को जन्म दिया । यह अभिकथित किया गया है कि प्रत्यर्थी के अन्य व्यक्तियों के साथ शारीरिक संबंध थे और इन आधारों पर विवाह के

विघटन के लिए डिक्री का अनुरोध किया गया था । 1955 के हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 28 के अधीन यह प्रथम अपील 1995 के सिविल वाद सं. 52ए में द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, रायपुर के न्यायालय द्वारा पारित उस निर्णय और डिक्री के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा आवेदक द्वारा फाइल किया गया विवाह-विच्छेद का आवेदन खारिज किया गया है । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – दोनों पक्षों द्वारा पेश किए गए साक्ष्य की गहराई से परीक्षा करने के पश्चात् यह स्पष्ट होता है कि इस संबंध में विवाद है कि प्रथम बच्चे का जन्म विवाह के 7 मास के भीतर हुआ था तथापि, यह बात विवादित नहीं है कि प्रत्यर्थी तारीख 18 जून, 1986 को अपीलार्थी को छोड़कर श्रवण कुमार के साथ चली गई थी । आवेदक के साक्षियों के कथनों से भी अधित्यजन के बारे में और इस बारे में समर्थन होता है कि प्रत्यर्थी श्रवण कुमार के साथ रह रही थी । मस्त राम (ए. डब्ल्यू. 4) का श्रवण कुमार से पूछताछ करने के बारे में कथन भी अखंडित रहा है । यद्यपि प्रत्यर्थी लक्ष्मीबाई (डी. डब्ल्यू. 1) ने स्पष्टीकरण दिया है, तथापि, उसने कभी भी अपने पति द्वारा क्रूरतापूर्ण व्यवहार के बारे में कोई शिकायत नहीं की । इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा किए गए इस कथन और अभिवचनों के संबंध में इनकार नहीं किया गया है कि दूसरा बच्चा तारीख 30 जून, 1989 को उत्पन्न हुआ था । प्रत्यर्थी द्वारा की गई इस स्वीकृति के पश्चात् कि वह तारीख 18 जून, 1986 से अपीलार्थी के साथ नहीं रह रही थी, अधिनियम की धारा 13(1)(i) के अधीन आधार स्पष्ट रूप से साबित हो जाता है । यह भी स्पष्ट होता है कि अधित्यजन का आधार भी साबित हो गया है । अपीलार्थी/आवेदक द्वारा पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर और प्रत्यर्थी द्वारा इस बारे में स्पष्टीकरण न दिए जाने के आधार पर यह अविवादित है कि उसने अपनी ससुराल वापस आने के लिए कभी भी कोई प्रयास नहीं किया और दूसरे बच्चे का जन्म अपीलार्थी के साथ विवाह से नहीं हुआ था । यह एक ऐसा मामला है जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा विवाह-विच्छेद की डिक्री मंजूर की जानी चाहिए थी । ऊपर उल्लिखित तर्कों के आधार पर यह अपील मंजूर की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री अपास्त की जाती है और अपीलार्थी द्वारा विवाह-विच्छेद की डिक्री के लिए किया गया अनुरोध मंजूर किया जाता है (पैरा 11 और 12)

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2001 की प्रथम अपील सं. 113.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 96 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री अखंड प्रताप सिंह और श्री संजय अग्रवाल

प्रत्यर्थी की ओर से –

न्यायमूर्ति राजेन्द्र चन्द्र सिंह सामंत – सुना गया । 1955 के हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 28 के अधीन यह प्रथम अपील 1995 के सिविल वाद सं. 52ए में द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, रायपुर के न्यायालय द्वारा पारित उस निर्णय और डिक्री के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा आवेदक द्वारा फाइल किया गया विवाह-विच्छेद का आवेदन खारिज किया गया है ।

2. आवेदक और प्रत्यर्थी पति और पत्नी हैं । उनका विवाह वर्ष 1984 में हुआ था । प्रत्यर्थी ने वर्ष 1986 से अपीलार्थी से पृथक् रहना आरंभ कर दिया । आवेदक ने प्रत्यर्थी के विरुद्ध पत्नी (प्रत्यर्थी) द्वारा अधित्यजन और जारकर्म के आधार पर 1955 के हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अधीन एक आवेदन फाइल किया था । आवेदन में यह कहा गया था कि प्रत्यर्थी कभी भी सतत् रूप से अपीलार्थी के साथ नहीं रही है और अपीलार्थी से विवाह से पूर्व उसके कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ शारीरिक संबंध थे जिसके कारण उसने विवाह संपन्न होने की तारीख से 7 मास के भीतर एक बच्चे को जन्म दिया था । श्रवण कुमार नामक व्यक्ति प्रायः प्रत्यर्थी से मिलने आता था जब वह अपीलार्थी के साथ रहती थी और इसके पश्चात् प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को सूचना दिए बिना श्रवण कुमार के आवास पर रहना आरंभ कर दिया । अपीलार्थी ने अपनी पत्नी को वापस लाने का प्रयास किया किन्तु वह वापस नहीं आई । इसके बजाय उसने जे. एम. एफ. सी. धर्मजयगढ़ के न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन आवेदन फाइल कर दिया । प्रत्यर्थी अपीलार्थी से पृथक् रहने के दौरान गर्भवती हो गई और उसने तारीख 30 जून, 1989 को एक बच्चे को जन्म दिया । यह अभिकथित किया गया है कि प्रत्यर्थी के अन्य व्यक्तियों के साथ शारीरिक संबंध हैं और इन आधारों पर विवाह के विघटन के लिए डिक्री का अनुरोध किया गया था ।

3. प्रत्यर्थी ने अपने लिखित कथन में अपीलार्थी के साथ विवाह होना स्वीकार करते हुए आवेदन में किए गए सभी अभिवचनों से इनकार किया । उसने यह कथन किया कि श्रवण कुमार उसका कज़न है । उसने इस

तथ्य से इनकार किया कि वह श्रवण कुमार के आवास पर रह रही थी । उसने यह कथन किया कि उसके बच्चों का जन्म अपीलार्थी के साथ विवाह बंधन से हुआ था । प्रत्यर्थी ने अन्य सभी कथनों से इनकार करते हुए विवाह-विच्छेद का आवेदन खारिज करने का अनुरोध किया ।

4. विचारण न्यायालय ने विवाद्यक विरचित किए और दोनों पक्षों को साक्ष्य पेश करने का अवसर देने, सुनवाई का अवसर देने और बहस सुनने के पश्चात् आक्षेपित आदेश पारित किया जिसमें अपीलार्थी द्वारा विवाह के विघटन के लिए डिक्री की मंजूरी के लिए दिया गया आवेदन खारिज किया गया था ।

5. इस अपील में यह आधार लिया गया है कि विचारण न्यायालय अपीलार्थी द्वारा पेश किए गए साक्ष्य का मूल्यांकन करने में विफल रहा है । अपीलार्थी ने साक्ष्य पेश करके यह बात पूर्ण रूप से साबित कर दी है कि प्रत्यर्थी जारकर्म में रह रही थी और उसके श्रवण कुमार तथा अन्यों के साथ संबंध थे जिससे कि अपीलार्थी के साथ मानसिक क्रूरता हो रही है और इसके अतिरिक्त चूंकि प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को किसी युक्तियुक्त कारण के बिना छोड़ दिया है इसलिए अपीलार्थी द्वारा किया गया अनुरोध मंजूर किया जा सकता है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त करते हुए अपीलार्थी को अनुतोष मंजूर किया जाना चाहिए ।

6. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल को सुना गया । प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

7. विचारण न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया गया ।

8. अपीलार्थी आनंद कुमार (ए. डब्ल्यू. 1) ने विवाह-विच्छेद आवेदन में किए गए अभिवचनों के समर्थन में न्यायालय के समक्ष यह कहा कि प्रत्यर्थी विवाह के तुरन्त पश्चात् प्रायः ससुराल छोड़ कर चली जाती थी और वह अपनी ससुराल में कुछ दिन ही रही थी । प्रत्यर्थी का पहला बच्चा सात मास में उत्पन्न हो गया था । यह कहा गया है कि जब वह अपने काम पर चला जाता था तो श्रवण कुमार नामक व्यक्ति उसकी पत्नी/प्रत्यर्थी से मिलने आता था और काफी समय रूकता था । अपीलार्थी ने जब कभी भी श्रवण कुमार के बारे में पूछा तो प्रत्यर्थी ने यह कहा कि वह उसका कज़न है । अंततः प्रत्यर्थी तारीख 18 जून, 1986 को श्रवण कुमार के साथ चली गई और लौट कर नहीं आई । जब अपीलार्थी ने अपनी पत्नी की तलाश की तो उसकी पत्नी/प्रत्यर्थी श्रवण कुमार के मकान में मौजूद पाई गई । उसने श्रवण कुमार

से अपनी पत्नी को वापस भेजने के लिए कहा किन्तु उसकी पत्नी कभी भी वापस नहीं आई । यह भी कथन किया गया है कि चूंकि प्रत्यर्थी के अन्य व्यक्तियों के साथ शारीरिक संबंध थे इसलिए वह गर्भवती हो गई और उसने अपीलार्थी से पृथक् रहने के दौरान तारीख 30 जून, 1989 को एक बच्चे को जन्म दिया । अपीलार्थी की प्रतिपरीक्षा करने पर अपीलार्थी मुख्य परीक्षा में किए गए अपने कथन से विचलित नहीं हुआ ।

9. बजरा साई (ए. डब्ल्यू. 2) ने यह कथन किया है कि प्रत्यर्थी श्रवण कुमार के साथ रह रही थी और उसे इस बात की जानकारी है कि प्रत्यर्थी कभी भी अपीलार्थी के साथ रहने के लिए वापस नहीं आई । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में प्रत्यर्थी के काउंसेल द्वारा दिए गए सुझावों से इनकार किया है और अपने कथन से विचलित नहीं हुआ है । भूशरण राम (ए. डब्ल्यू. 3) ने भी इसी प्रकार का कथन किया है और वह भी अपने कथन से विचलित नहीं हुआ है । मस्त राम (ए. डब्ल्यू. 4) ने यह कथन किया है कि उसे यह पता चला कि श्रवण कुमार प्रत्यर्थी को अपने आवास पर ले गया था और प्रत्यर्थी 4 मास से उसके मकान में रह रही थी । जब उसने श्रवण कुमार से यह पूछा कि वह अपीलार्थी की पत्नी को क्यों लेकर आया है तो श्रवण कुमार ने उसे यह बताया कि वह प्रत्यर्थी को अपनी पत्नी के तौर पर रख रहा है । उसके द्वारा मुख्य परीक्षा में किया गया कथन प्रतिपरीक्षा में अखंडित रहा है ।

10. प्रत्यर्थी/अनावेदक (डी. डब्ल्यू. 1) ने यह कथन किया है कि प्रत्यर्थी अपीलार्थी के विवाह के तुरन्त पश्चात् इस कारण प्रत्यर्थी से झगड़ा, हमला और दुव्यर्वहार करती थी, क्योंकि अपीलार्थी दूसरा विवाह करना चाहता था जिसके कारण वह प्रत्यर्थी श्रवण कुमार के मकान में रहने के लिए पन्डरीपानी चली गई और पन्डरीपानी से उसे ग्राम सिसरिंगा उसके मायके ले जाया गया और इसलिए उसने आंगनबाड़ी में नौकरी कर ली थी और वह ग्राम पुसुलदा में रहने लगी थी । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया था कि उसने अपीलार्थी द्वारा क्रूरता बरते जाने के संबंध में कभी भी कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई । उसने इस बात से इनकार किया कि पहला बच्चा विवाह के 7 मास के भीतर उत्पन्न हुआ था और उसने तारीख 30 जून, 1989 को उत्पन्न दूसरे बच्चे के संबंध में कोई विनिर्दिष्ट कथन नहीं किया ।

11. दोनों पक्षों द्वारा पेश किए गए साक्ष्य की गहराई से परीक्षा करने के पश्चात् यह स्पष्ट होता है कि इस संबंध में विवाद है कि प्रथम बच्चे का

जन्म विवाह के 7 मास के भीतर हुआ था तथापि, यह बात विवादित नहीं है कि प्रत्यर्थी तारीख 18 जून, 1986 को अपीलार्थी को छोड़कर श्रवण कुमार के साथ चली गई थी । आवेदक के साक्षियों के कथनों से भी अधित्यजन के बारे में और इस बारे में समर्थन होता है कि प्रत्यर्थी श्रवण कुमार के साथ रह रही थी । मस्त राम (ए. डब्ल्यू. 4) का श्रवण कुमार से पूछताछ करने के बारे में कथन भी अखंडित रहा है । यद्यपि प्रत्यर्थी लक्ष्मीबाई (डी. डब्ल्यू. 1) ने स्पष्टीकरण दिया है, तथापि, उसने कभी भी अपने पति द्वारा क्रूरतापूर्ण व्यवहार के बारे में कोई शिकायत नहीं की । इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा किए गए इस कथन और अभिवचनों के संबंध में इनकार नहीं किया गया है कि दूसरा बच्चा तारीख 30 जून, 1989 को उत्पन्न हुआ था । प्रत्यर्थी द्वारा की गई इस स्वीकृति के पश्चात् कि वह तारीख 18 जून, 1986 से अपीलार्थी के साथ नहीं रह रही थी, अधिनियम की धारा 13(1)(i) के अधीन आधार स्पष्ट रूप से साबित हो जाता है । यह भी स्पष्ट होता है कि अधित्यजन का आधार भी साबित हो गया है । अपीलार्थी/आवेदक द्वारा पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर और प्रत्यर्थी द्वारा इस बारे में स्पष्टीकरण न दिए जाने के आधार पर यह अविवादित है कि उसने अपनी ससुराल वापस आने के लिए कभी भी कोई प्रयास नहीं किया और दूसरे बच्चे का जन्म अपीलार्थी के साथ विवाह से नहीं हुआ था । यह एक ऐसा मामला है जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा विवाह-विच्छेद की डिक्री मंजूर की जानी चाहिए थी ।

12. ऊपर उल्लिखित तर्कों के आधार पर यह अपील मंजूर की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री अपास्त की जाती है और अपीलार्थी द्वारा विवाह-विच्छेद की डिक्री के लिए किया गया अनुरोध मंजूर किया जाता है ।

13. अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच विवाह निर्णय पारित करने की तारीख से विघटित माना जाएगा ।

14. इस अपील का निपटान किया जाता है ।

अपील मंजूर की गई ।

मह.

आल कार्गो लाजिस्टिक्स लिमिटेड और अन्य

बनाम

भारत संघ और अन्य

तारीख 5 जून, 2017

न्यायमूर्ति एस. सी. धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति प्रकाश डी. नायक

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) – धारा 157, 54, 56, 67 और 141 [सपठित सीमाशुल्क क्षेत्र में जलपोत पर लदा माल विनियम, 2009 का विनियम 2(ख) और 7(2)] – सीमाशुल्क क्षेत्र में माल का परिवहन और माल का सीमाशुल्क अधिकारियों के नियंत्रणाधीन होना और उसके संबंध में विनियम बनाने की शक्ति – आयातित माल की प्राप्ति, भण्डारण, सुपुर्दगी, प्रेक्षण या उसके बाबत अन्यथा रूप से संव्यवहार के लिए उत्तरदायी व्यक्ति सीमाशुल्क जलपोत वहन सेवा प्रदाता है और इसके अर्थान्तर्गत अभिरक्षक या अन्य कोई व्यक्ति नहीं है – यदि किसी सीमाशुल्क क्षेत्र में जलपोत पर लदे हुए माल का संव्यवहार विनियमों के अन्तर्गत होता है और वे विनियम इसी प्रयोजनार्थ बने हैं, तो यह दलील देना निरर्थक होगा कि अधिनियम और विनियम को क्रियान्वित करने के लिए भारसाधक अधिकारी सार्वजनिक सूचनाएं जारी नहीं कर सकते ।

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 – धारा 157, 54, 56, 67 और 141 [सपठित सीमाशुल्क क्षेत्र में जलपोत पर लदा माल विनियम, 2009 का विनियम 2(ख) और 7(2)] – सेवा विस्तार के प्रयोजनार्थ सार्वजनिक सूचनाओं और अधिसूचनाओं को अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जारी किया जाता है और किसी कार्यकारी आदेश या प्रशासनिक कार्य द्वारा सम्पूर्ण विधिक व्यवस्था को परिवर्तित नहीं किया जा सकता ।

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 – धारा 157, 54, 56, 67 और 141 [सपठित सीमाशुल्क क्षेत्र में जलपोत पर लदा माल विनियम, 2009 का विनियम 2(ख) और 7(2)] – अधिनियम की धारा 141(2) सीमाशुल्क आयुक्त को नियंत्रण शक्ति का प्रयोग करने के लिए सशक्त करती है और इस अधिनियम के उपबंधों को इस प्रकार से परिवर्तित किया जाना चाहिए ताकि सीमाशुल्क क्षेत्र में पड़े हुए माल को सीमाशुल्क अधिकारियों

के नियंत्रणाधीन किया जा सके – वे सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा विरचित विनियमों की सहायता से सीमाशुल्क क्षेत्र में आयातित और निर्यातित माल की प्राप्ति, भण्डारण, सुपुर्दगी, प्रेक्षण या अन्यथा रूप से संव्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते ।

वर्तमान याचिका की पृष्ठभूमि के तथ्य ये हैं कि भारत सरकार ने वर्ष 1989 में कंटेनर भाड़ा स्टेशन विकसित किए जाने के प्रयोजनार्थ एक नीति प्रस्तावित की । कंटेनर भाड़ा स्टेशन विकसित किए जाने की आवश्यकता अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की बढ़ती हुई मात्रा और न्यूनतम समयावधि के भीतर पत्तन से माल का शीघ्रतापूर्वक निपटारा किए जाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उत्पन्न हुई थी । यह आवश्यकता इस कारणवश उत्पन्न हुई क्योंकि भारत में पत्तन अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के परिणामस्वरूप अपने परिसरों के भीतर आयात और निर्यात की मात्रा में भारी बढ़ोतरी के कारण अत्यधिक भीड़-भाड़ की स्थिति का सामना कर रहे थे । इसलिए, विद्यमान अवसंरचना, स्थान और उपकरणों का अधिकतम सदुपयोग किए जाने के प्रयोजनार्थ वह माल जो पत्तन में आ रहा था, का बिना समय गंवाए तुरन्त निकास किए जाने की आवश्यकता उत्पन्न हुई । तद्नुसार, कंटेनर भाड़ा स्टेशन स्थापित किए जाने की संकल्पना की गई और पत्तनों के विकास और वृद्धि के साथ-साथ इसका महत्व बढ़ता गया । अतः, कंटेनर भाड़ा स्टेशन स्थापित किए जाने के पीछे लक्ष्य पत्तन को भीड़-भाड़ से मुक्त करना था । अतः, कंटेनर भाड़ा स्टेशन को सीमाशुल्क स्टेशन के विस्तार के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य पत्तन को भीड़-भाड़ से मुक्त करना है । इस बात को प्रत्यर्थी संख्या 7 के माध्यम से प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा निर्गत तारीख 8 जून, 2009 के परिपत्र संख्या 18 में अन्य बातों के साथ-साथ स्पष्ट किया गया है, जिसकी प्रति याचिका के साथ संलग्नक-क के रूप में संलग्न है । यहां तक कि फरवरी, 2017 तक प्रत्यर्थी संख्या 7 ने तारीख 16 फरवरी, 2017 के कंटेनर भाड़ा स्टेशन पत्तन के विस्तार हैं । 2017 के परिपत्र संख्या 4 को स्वीकार किया है कि सीमाशुल्क अनुमति की समस्त प्रणाली में कंटेनर भाड़ा स्टेशनों ने आयात और निर्यात किए जाने वाले माल की तीव्र निकासी की प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं जिसके परिणामस्वरूप अधिमूल्यन के अलावा अधिकांश विनियामक क्रियाकलापों को कंटेनर भाड़ा स्टेशन के जिम्मे कर दिया गया । तद्नुसार, याचियों को सम्मिलित करते हुए अनेक कंटेनर भाड़ा स्टेशन स्थापित किए गए हैं और सभी कंटेनर भाड़ा स्टेशनों

का रजिस्ट्रीकरण और कार्यन्वयन 2009 के सीमाशुल्क क्षेत्र में जलपोत पर लदे माल का संचालन विनियम द्वारा नियंत्रित है । अब तक जवाहरलाल नेहरू पत्तन के संबंध में 34 कंटेनर भाड़ा स्टेशन क्रियान्वित हो चुके हैं । उपरोक्त कंटेनर भाड़ा स्टेशन सारभूत निवेश करके स्थापित किए गए थे । कंटेनर भाड़ा स्टेशन स्थापित किए जाने की प्रक्रिया का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है (i) कंटेनर भाड़ा स्टेशन को क्रियान्वित किए जाने की अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के लिए इच्छुक आवेदक विहित प्रपत्र में नई दिल्ली स्थित वाणिज्य मंत्रालय के अवसंरचना प्रभाग के समक्ष आवेदन फाइल करता है । आवेदन करने के लिए अर्ह होने के प्रयोजनार्थ आवेदक को, अन्य बातों के साथ-साथ न्यूनतम पांच एकड़ जमीन अर्जित करनी होती है, जिसमें सारभूत निवेश अपेक्षित होता है (ii) अनुमोदन प्राप्त होने पर आवेदक से यह अपेक्षित होता है कि वह अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष के भीतर अवसंरचना स्थापित करे, जिसमें ये बातें अन्तर्वलित होती हैं (क) कंटेनरों को रखने के लिए माल गोदाम का निर्माण करना, (ख) एक परिसर का निर्माण करना जिसमें कंक्रीट या खड़ंजे के ब्लाक निर्मित हों जो एक के ऊपर एक रखे जाने पर न्यूनतम चार कंटेनरों का भार वहन कर सके (ग) बिजली सब-स्टेशन, अग्निशमन पम्पकक्ष और उपकरणों के रख-रखाव, कंटेनरों की मरम्मत के लिए कार्यशाला का प्रबंध (घ) प्रशासनिक भवन, जहां से सीमाशुल्क अधिकारी कार्य कर सकें, का निर्माण । कंटेनर भाड़ा स्टेशन में बैंक की शाखा, काफी हाउस और जलपान गृह की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक भवन का निर्माण किया जाएगा (ङ) जलपोत पर लदे हुए माल को नियंत्रित करने वाले उच्च स्तरीय उपकरण क्रय किया जाना और उनको स्थापित किया जाना जैसे कि क्रेन, माल के अंबार पर पहुंचने वाला मोटरचलित वाहन, खाली कंटेनरों को हटाने के लिए वाहन, माल को उठाने के लिए कंटेनर लिफ्टें इत्यादि । (च) सुरक्षा उपकरणों की खरीद जैसे कि सी. सी. टी. वी. कैमरे, सूंघने वाले प्रशिक्षित कुत्ते और मेटल डिक्टेटर इत्यादि । (iii) अवसंरचना के स्थापित हो जाने के पश्चात् सीमाशुल्क आयुक्त सुविधा का निरीक्षण करेगा और अवसंरचना और सुरक्षा मानदंडों के प्रति संतुष्ट हो जाने पर 1962 के सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 8 और 45 के अधीन कंटेनर भाड़ा स्टेशन को अधिसूचित कर देगा । (iv) कंटेनर भाड़ा स्टेशन के संबंध में अधिनियम की धारा 45 के अधीन अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात् संबद्ध कंटेनर भाड़ा स्टेशन भारत के राष्ट्रपति के समक्ष सीमाशुल्क आयुक्त के

मार्फत एक बंधपत्र प्रस्तुत करेगा जिसके साथ कंटेनर भाड़ा स्टेशन की जलपोत पर लदे हुए माल के रखरखाव की क्षमता के मूल्यांकन के 10 प्रतिशत की बैंक प्रत्याभूति संलग्न होगी (v) सीमाशुल्क आयुक्त बंधपत्र प्राप्त होने पर संबद्ध कंटेनर भाड़ा स्टेशन को कार्य आरम्भ प्रमाणपत्र जारी करेगा । कंटेनर भाड़ा स्टेशन को कार्य आरम्भ प्रमाणपत्र जारी किए जाने पर कारबार प्रचालनों को आरम्भ करने की अनुज्ञा होगी । अतः, कंटेनर भाड़ा स्टेशन स्थापित किए जाने और उसको कार्यान्वयित बनाए जाने में सारभूत प्रयास, समय और धन का निवेश किया जाना होता है । याचियों ने संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन फाइल की गई इस याचिका द्वारा तारीख 9 फरवरी, 2017 और 6 मार्च, 2017 की सार्वजनिक सूचनाओं, जो 2017 की सार्वजनिक सूचना संख्या 16 और 27 है, को चुनौती दी है । याचियों ने तारीख 16 जनवरी, 2017 की पूर्ववर्ती सार्वजनिक सूचना, जो 2017 की सार्वजनिक सूचना संख्या 8 है, को भी अभिखंडित और अपास्त किए जाने की ईप्सा की है । तारीख 28 नवम्बर, 2016 की सार्वजनिक सूचना जो 2016 की सार्वजनिक सूचना संख्या 161 है, के संबंध में दो अनुतोष ईप्सित हैं । उपरोक्त दोनों सार्वजनिक सूचनाओं की भांति ही, जिनको सम्पूर्णता में अभिखंडित किए जाने की ईप्सा की गई है, याचियों ने इस सार्वजनिक सूचना के पैरा 4.9 को भी अभिखंडित और अपास्त किए जाने की प्रार्थना की है । याचियों ने तारीख 28 नवम्बर, 2016 की आक्षेपित सार्वजनिक सूचना संख्या 161 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 9 का कंटेनर भाड़ा स्टेशन के रूप में नामित किए जाने के द्वारा की गई नियुक्ति को भी अभिखंडित और अपास्त किए जाने की ईप्सा की है । याचियों ने तारीख 1 सितम्बर, 2008 की सुविधा सूचना संख्या 63 के पैराग्राफ 3.7 और 3.8 को भी चुनौती दी है, जो कंटेनर भाड़ा स्टेशन के रूप में नामित किए जाने के द्वारा की गई नियुक्ति के लिए उपबंधित करती है । अंत में याचियों ने याचिका में संशोधन द्वारा तारीख 17 मार्च, 2017 की निविदा सूचना को भी चुनौती दी है । याची प्रत्यर्थियों को जो रिट याचिका में आक्षेपित सार्वजनिक सूचनाओं को प्रवर्तित या लागू न किए जाने और निविदा सूचना के अन्तर्गत कार्यवाही को जारी रखे जाने के प्रयोजनार्थ प्रतिरक्षा कर रहे हैं, परमादेश की रिट या परमादेश की ही प्रकृति में किसी अन्य रिट, आदेश या निर्देश द्वारा निर्देशित किए जाने की ईप्सा कर रहे हैं । इन अनुतोषों का दावा भारत संघ, मुख्य सीमाशुल्क आयुक्त और 1952 के सीमाशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अन्य प्राधिकारियों और

अधिकारियों के विरुद्ध किया गया है । प्रत्यर्थी संख्या 7 केन्द्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क बोर्ड है और प्रत्यर्थी संख्या 10 जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क केन्द्र स्थित कंटेनर भाड़ा स्टेशन प्रबंध सेल का सहायक सीमाशुल्क आयुक्त है और जिसने तारीख 17 मार्च, 2017 की निविदा सूचना जारी की है । प्रत्यर्थी संख्या 8 कंटेनर भाड़ा स्टेशन संघ है, जिसके विरुद्ध किसी अनुतोष की ईप्सा नहीं की गई है और प्रत्यर्थी संख्या 9 को प्रत्यर्थी के रूप में मात्र इस कारणवश सम्मिलित किया गया है क्योंकि उसकी नियुक्ति 2008 की सुविधा सूचना संख्या 63 के प्रयोजनार्थ कंटेनर भाड़ा स्टेशन के रूप में नामित किए जाने के द्वारा की गई है । याचिका खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – चूंकि, न्यायालय उपरोक्त पैराग्राफों में अधिनियम के समस्त उपबंधों को उनके उद्देश्यों और प्रयोजनों और साथ ही अधिनियम के भी महत्व को स्पष्ट करते हुए निर्दिष्ट किया है, यह स्पष्ट है कि 1962 के सीमाशुल्क अधिनियम की दो धाराओं अर्थात् धारा 141(2) और 157 का अवलंब लिया जाना उचित होगा । विनियम 2(ख) द्वारा अभिव्यक्ति के अर्थान्तर्गत "सीमाशुल्क जलपोत वहन सेवा प्रदात्ता" को इस अर्थ में परिभाषित किया गया है कि इसके अधीन आयातित माल की प्राप्ति, भण्डारण, सुपुर्दगी, प्रेषण या उसका अन्यथा रूप से संव्यवहार के लिए उत्तरदायी व्यक्ति हैं और उसमें 1962 के सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 141(2) में निर्दिष्ट अभिरक्षक या अन्य कोई व्यक्ति है । यदि किसी सीमाशुल्क क्षेत्र में जलपोत पर लदे हुए माल का संव्यवहार विनियमों के अनुसार होता है और वे विनियम विनिर्दिष्ट रूप से इसी प्रयोजन के लिए बने है, तो यह दलील देना निरर्थक होगा कि अधिनियम और विनियम को क्रियान्वित करने लिए भारसाधक अधिकारी सार्वजनिक सूचनाएं जारी नहीं कर सकते । विस्तार के रूप में ऊपर निर्दिष्ट सार्वजनिक सूचनाओं और अधिसूचनाओं को 1962 के सीमाशुल्क अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जारी किया जाता है । न्यायालय केवल श्री द्वारकादास की इस दलील का अधिमूल्यन करने के प्रयोजनार्थ सम्पूर्ण अधिनियम को निर्दिष्ट किया है कि किसी कार्यकारी आदेश या प्रशासनिक कार्य के द्वारा सम्पूर्ण विधिक व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया गया । न्यायालय के अनुसार, ऐसा करने की शक्ति प्रदत्त नहीं है और न ही सीमाशुल्क आयुक्त को ऐसा करने की कोई अधिकारिता प्राप्त है । न्यायालय अनेक कारणोंवश इस दलील को स्वीकार कर पाने में असमर्थ हैं । विनियम 7(2) सीमाशुल्क क्षेत्र माल के

प्रवेश को विनियमित किए जाने के प्रयोजनार्थ सीमाशुल्क आयुक्त को ऐसे माल के संबंध में प्रभावी रूप से संव्यवहार के लिए सशक्त करता है । इस विनियम द्वारा सीमाशुल्क आयुक्त वैवेकिक शक्ति प्रदान की गई है । इसके अतिरिक्त किसी सीमाशुल्क क्षेत्र में माल का संव्यवहार एक ऐसा मामला है जिस पर विनिर्दिष्ट रूप से धारा 141 की उपधारा (2) के अधीन विचार किया जाता है । अतः उस तरीके, जिसमें सीमाशुल्क क्षेत्र में आयातित या निर्यातित माल को प्राप्त, भण्डारित, सुपुर्द, प्रेषित या उसके संबंध में अन्यथा रूप से संव्यवहार किया जा सकता है, को विहित किए जाने के प्रयोजनार्थ विनियम बनाए जा सकते है । इन विनियमों के माध्यम से पूर्वोक्त क्रियाकलापों में संलग्न व्यक्तियों के क्रियाकलापों का भी उल्लेख किया जा सकता है । यदि एक बार विनियम इस प्रकार के मामलों पर विचार करते हैं, तो यह आवश्यक नहीं है कि धारा 141 की उपधारा (2) द्वारा आच्छांदित प्रत्येक मामले के संबंध में पृथक् रूप से उपबंध बनाए जाएं । धारा 141 (2) स्वयंमेव सीमाशुल्क आयुक्त को नियंत्रण शक्ति का प्रयोग करने के लिए सशक्त करती है । 1962 के सीमाशुल्क अधिनियम के उपबंधों को इस प्रकार से प्रवर्तित किया जाना चाहिए ताकि इस अधिनियम के उद्देश्यों और प्रयोजनों को अभिप्राप्त किया जा सके और सीमाशुल्क क्षेत्र में पड़े हुए माल को सीमाशुल्क अधिकारियों के नियंत्रणाधीन किया जा सके । वे सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा विरचित इन विनियमों को सहायता से किसी सीमाशुल्क क्षेत्र में आयातित और निर्यातित माल की प्राप्ति भण्डारण, सुपुर्दगी, प्रेषण या उसके संबंध में अन्यथा रूप से संव्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं । यदि धारा 141 की उपधारा (2) इस प्रयोजन के लिए विनियम बनाने के लिए सीमाशुल्क बोर्ड को सशक्त करती है जिससे कि सीमाशुल्क अधिकारियों की सहायता उनके कार्यों और कर्तव्यों के निवर्हन में की जा सके, तो श्री द्वारकादास की इस दलील में कोई सार नहीं है कि अधिकारियों को आक्षेपित सूचनाएं जारी करने की शक्ति या अधिकारिता नहीं थी । आक्षेपित सूचनाएं उन विनियमों के संदर्भ में निर्दिष्ट किए जाने योग्य हैं, जिनको अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत बनाया गया है । इसलिए, सार्वजनिक सूचनाओं को जारी किए जाने का प्रयोजन निर्विवाद है और किसी सीमाशुल्क क्षेत्र में माल के समुचित रूप से संव्यवहार को सुनिश्चित किए जाने की समर्थकारी शक्ति के प्रयोग में अन्तर्निहित है और इसके नियंत्रण की व्यापक शक्ति सीमाशुल्क प्राधिकारियों में निहित होती है । संलग्नक ज 2008 की सुविधा सूचना

संख्या 63 की प्रति है । इस सूचना का विषय "कुछ चुने हुए आयातकों को प्रत्यक्ष पत्तन सुपुर्दगी की सुविधा" है । यह सूचना व्यापार और जनता की सूचना के लिए अधिसूचित करती है कि जलपोत पर लदे हुए आयातित माल की प्रत्यक्ष पत्तन सुपुर्दगी की सुविधा कुछ प्रसिद्ध आयातकों को होगी जिनके पास 2005 की सार्वजनिक सूचना संख्या 64 द्वारा प्रत्यायित ग्राहक कार्यक्रम हैसियत होगी । प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा की अनुज्ञा जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क (आयात) गृह के सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा व्यक्तिगत आयातकों द्वारा आवेदन के आधार पर प्रदान की जाएगी । इस सुविधा के बाबत जारी की गई सूचना में इस संबंध में सम्पूर्ण प्रक्रिया उल्लिखित है । इस सुविधा से संबंधित सूचना तारीख 1 सितम्बर, 2008 की है और याचियों ने अपनी याचिका में ही किए गए इन इंतजामों को निर्दिष्ट किया है । उन्होंने 2008 की सार्वजनिक सूचना संख्या 66 को भी निर्दिष्ट किया जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 9 को नामित कंटेनर भाड़ा स्टेशन के रूप में अधिसूचित किया गया । अतः, यह स्पष्ट है कि तारीख 11 सितम्बर, 2008 को ही प्रत्यर्थी संख्या 9 की नियुक्ति को अधिसूचित कर दिया गया था । इस बात को अभिकथित करने के अलावा कि प्रत्यर्थी संख्या 9 की नियुक्ति मनमानीपूर्ण है और यह नियुक्ति याचियों या अन्य कंटेनर भाड़ा स्टेशनों को कोई अवसर प्रदान किए बिना की गई है, हम इन इंतजामों के किए जाने को कोई चुनौती दिया जाना उपयुक्त नहीं समझते । एकमात्र अभिवचन यह किया गया है कि प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा वैकल्पिक थी और यद्यपि कंटेनर भाड़ा स्टेशनों जैसे कि उस समय बिन्दू पर याची के कारबार और विद्यमानता को कोई गंभीर खतरा कारित करने वाली नहीं थी । न्यायालय का विचार है कि याचियों और उनके जैसे पक्षों द्वारा 8 वर्ष से अधिक की अवधि तक धारण किया गया मौन अत्यधिक अर्थपूर्ण है । इससे केवल यह उपदर्शित होता है कि जब तक कि उनके कारबार के अवसर या उनके वाणिज्यिक हित को कोई खतरा नहीं है, वे या उनके प्रतिनिधि संघ शिकायत नहीं करेंगे । यह शिकायत शुद्धतः वाणिज्यिक प्रतिफलों द्वारा प्रेरित है । इन परिस्थितियों में, प्रतिरक्षा करने वाले प्रत्यर्थियों द्वारा किए गए निवेदन सही है कि न्यायालय रिट याचिका में दी गई चुनौती पर विचार करते हुए याचियों के वाणिज्यिक प्रतिफलों या कारोबारी संभाव्यनाओं पर विचार नहीं कर सकते । संविधान का अनुच्छेद 19(1)(छ) कतिपय अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है और विशेष रूप से किसी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार करने के अधिकारों को

संरक्षण प्रदान करता है । तथापि, अनुच्छेद 19 का खंड (6) इस स्वातंत्र्य पर युक्तिसंगत निर्बंधन अधिरोपित किए जाने के लिए राज्य को समर्थ बनाता है । यह खंड स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 19 के खंड (1) का उप-खंड (छ) की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में युक्तियुक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी । इसलिए, संविधान के अन्तर्गत प्रदत्त स्वांतत्र्य आत्यांतिक नहीं है । विधि सामान्य जनता के हित में नागरिकों के कारबार आरम्भ करने या उसको चलाने के स्वांतत्र्य पर निर्बंधन अधिरोपित कर सकता है । अतः, इस प्रकार की कोई भी विधि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(छ) की आज्ञा के अतिक्रमण के कारणवश समाप्त नहीं की जा सकती । अतः, किसी व्यक्ति विशेष को कारित कारबार हानि या उसके लाभ में कमी कोई ऐसा आधार नहीं हो सकती जिस पर जनहित में की गई किसी कार्रवाई में हस्तक्षेप किया जा सके । इसलिए, याचियों की पहल पर वर्तमान सार्वजनिक सूचनाओं को अभिखंडित और अपास्त नहीं किया जा सकता । प्रत्यर्थी संख्या 8 ने एक बार पुनः एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जिसके द्वारा इसी शिकायत को फिर से उठाया । संघ ने पूर्ण पारदर्शिता पर जोर दिया किन्तु सिद्धांतः ऐसा प्रतीत होता है कि वे यातायात संबंधी इन्तजामों के विरोध में नहीं थे । न्यायालय परस्पर विरोधी प्रत्यर्थियों के मध्य इन शिकायतों पर सकारात्मक रूप से विचार करने का कोई कारण नहीं पाता । सार्वजनिक सूचनाएं केवल एक नीति को अधिकथित करती हैं और नीतिगत विनिश्चय पत्तन पर भीड़-भाड़ को घटाए जाने और जलपोत के माध्य से आयातित माल के शीघ्र कार्यव्यापार, को सुकर बनाने के लिए आशयित हैं, जिनके द्वारा कारबार को आसान बनाया जाना सम्मिलित है, अतः इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम इन सार्वजनिक सूचनाओं में मध्यक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते । सीमाशुल्क आयुक्त के कार्यालय द्वारा तारीख 18 जनवरी, 2017 को एक स्पष्टीकरण जारी किया गया, जो पेपर बुक का पृष्ठ संख्या 143 है और जिसमें यह अभिकथित है कि 48 घंटों के परे कंटेनरों की रवानगी के संबंध में प्रक्रिया 2016 की सार्वजनिक सूचना संख्या 16 में विहित की गई है । इस सार्वजनिक सूचना में अपवादिक प्रकृति की उन परिस्थितियों को उपबंधित किया गया है जब कोई प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधासंपन्न आयातक माल को उतराई के 48 घंटों के

भीतर पत्तन से नहीं हटाता । इसलिए, केवल अपवादित परिस्थितियों में पूर्वोक्त सार्वजनिक सूचनाओं में विहित प्रक्रिया लागू होगी । अतः प्रत्याशा यह थी कि प्रेषित माल/जलपोत पर लदा हुआ माल 48 घंटों के भीतर पत्तन से हटा दिया जाना चाहिए और यदि अपवादिक परिस्थितियोंवश ऐसा नहीं हो पाता, तो इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश इन सार्वजनिक सूचनाओं में समाविष्ट हैं । इस संबंध में एक न्यायोचित्य को उपबंधित किया गया है जो यह है कि यातायात के तरीकों में किसी कंटेनर भाड़ा स्टेशन को नामित किए जाने के लिए प्रशासनिक इंतजाम के रूप में अंतिम स्थानक पत्तन के निकटस्थ कंटेनर भाड़ा स्टेशन को नामित किया गया है । इसलिए, स्पीडी मल्टीमोड सी. एफ. एस. प्रत्यर्थी संख्या 9 जो अंतिम स्थानक पत्तन के निकटस्थ अवस्थित है, को स्थानापन्न कंटेनर भाड़ा स्टेशन के रूप में नामित किया गया था । यह जनहित को ध्यान में रखते हुए किया गया था ताकि (48 घंटों के परे) कंटेनरों की स्थानापन्न निकासी के कारण पत्तन पर होने वाली भीड़-भाड़ से बचा जा सके । न्यायालय इस बाबत संतुष्ट है कि ये स्पष्टीकरण प्रत्यर्थी संख्या 8 समेत समस्त पणधारकों के प्रत्यावेदनों पर विचारोपरान्त जारी किए गए थे । इन परिस्थितियों में, न्यायालय उक्त सार्वजनिक सूचनाओं में मध्यक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाता । यहां तक कि 2017 की सार्वजनिक सूचना संख्या 27, जिसको पृष्ठ 153 पर प्रदर्श-प अंकित किया गया है, इनमें से प्रत्येक पहलू को निर्दिष्ट करती है । जिन बातों को पहले ही अभिनिर्धारित किया जा चुका है उनको फिर से दोहराए जाने की आवश्यकता नहीं है । जहां तक 2017 की सार्वजनिक सूचना संख्या 27 का संबंध है, इसको इस कारणवश जारी किया गया क्योंकि पणधारकों द्वारा एक ऐसी प्रणाली को विकसित करने का अनुरोध किया गया था जिसमें कंटेनर को, जहां कंटेनर भाड़ा स्टेशन परिवहन सेवा प्रदाता है, सुपुर्दगी आदेश जारी किए जाने के पश्चात् केवल प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा सम्पन्न आयातक को निर्गत किया जाए इसलिए अन्य दस्तावेज जिनको प्रेषित माल की रवानगी के पूर्व प्रत्यक्ष पार्सल वितरण आयातक द्वारा अभिप्राप्त किया जाना अपेक्षित है, आवागमन को इस भाव में सुगम बनाएंगे कि प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा सम्पन्न आयातक द्वारा जलपोत कम्पनी को अग्रिम में सूचना दे दी गई है, तत्पश्चात् जलपोत कम्पनी कंटेनर भाड़ा स्टेशन से सम्पर्क कर सकती है । इस प्रकार से यह सार्वजनिक सूचना जारी की गई है । इसको उन लोगों द्वारा जारी किया गया है जो पत्तन के प्रशासन और तत्समय प्रचालन को

संचालित करते हैं । अन्य शब्दों में वे अधिकारी जो 1962 के सीमाशुल्क अधिनियम द्वारा सशक्त हैं और वे जो पत्तन का प्रशासन कर रहे हैं और उसके मामलों का प्रबन्धन कर रहे हैं, एक दूसरे के सामंजस्य में कार्य कर रहे हैं ताकि कारबार करने में सुविधा हो । किसी भी आयातक ने कोई शिकायत नहीं की है । यदि वे उन सुविधाओं को प्राप्त करते हैं, जिनके वे हकदार है, तो वे लाभान्वित होने वाले हैं । वे आयातित माल की शीघ्र रवानगी द्वारा भी लाभान्वित होने वाले हैं । इन परिस्थितियों में जब 1962 के सीमाशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम अधिकारियों ने नीतिगत निर्णय ले लिया है, जो सार्वजनिक सूचनाओं में उल्लिखित है, तो न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अपनी असामान्य, साम्यापूर्ण और वैवेकिक अधिकारिता का प्रयोग करते हुए मध्यक्षेप करने के लिए आनत नहीं हैं । न्यायालय प्रत्यर्थियों द्वारा की गई इन कार्यवाहियों में कुछ भी मनमानापूर्ण, अयुक्तियुक्त या अनुचित नहीं पाता । इसके अतिरिक्त, उन्होंने नामित किए जाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता को भी सुनिश्चित किया है । प्रत्यावेदन इस बात का दिया गया है, जिसकी प्रति पेपर बुक के पृष्ठ 154-क पर है, कि न केवल याची और प्रत्यर्थी संख्या 8 सार्वजनिक सूचनाओं से व्यथित और असंतुष्ट हैं बल्कि जब आयुक्त ने जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क गृह के अंतिम स्थानक पत्तन से प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सेवा सुविधासम्पन्न कंटेनरों के लिए कंटेनर भाड़ा स्टेशन नामित किए जाने या उसको नियुक्त किए जाने में पारदर्शिता बरती है, तो उसके विरुद्ध भी संघ के सदस्यों/याचियों द्वारा आक्षेप किया गया है । इस बाबत कोई शिकायत नहीं हो सकती जब सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से कंटेनर भाड़ा स्टेशन को नामित किए जाने के मामले में पारदर्शिता और खुलेपन को सुनिश्चित किया गया हो । अब संबद्ध और हितबद्ध कंटेनर भाड़ा स्टेशन भाग ले सकते हैं और अपनी निविदाएं प्रस्तुत कर सकते हैं । यद्यपि इसको न्यायतः सीमित निविदा कहा गया है, फिर भी इसके माध्यम से संघ की शिकायतों कि प्रत्यर्थी संख्या 9 को मनमानेपूर्ण ढंग से और कंटेनर भाड़ा स्टेशनों की उपेक्षा करते हुए चुना गया, पर विचार किया जाता है । अब अन्य कंटेनर भाड़ा स्टेशनों को प्रक्रिया की नियुक्ति या प्रक्रिया को नामित किए जाने में भाग लेने के अवसर उपलब्ध हैं । फिर भी वे शिकायत कर रहे हैं क्योंकि वे नामित किया जाना बिल्कुल भी नहीं चाहते । वे नामित किया जाना नहीं चाहते क्योंकि वे पत्तन से प्रेषित माल की शीघ्र रवानगी में और पत्तन से भीड़-

भाड़ को कम किए जाने में हितबद्ध हैं । यदि इसमें कोई भ्रम है तो वह भ्रम याचियों के लिए लाभकारी होगा, किन्तु यह निश्चित रूप से जनहित के विरुद्ध होगा । बृहत्तर जनहित को पूरा किया जाना आवश्यक है और यदि एक बार उसको सुनिश्चित कर दिया जाता है तो वह याचियों के वाणिज्यिक या कारबार हितों के ऊपर अभिभावी हो जाता है । उनके वाणिज्यिक या कारबार संबंधी उद्देश्यों के प्रयोजनार्थ जनहित में लिए गए किसी विनिश्चय में मध्यक्षेप नहीं किया जा सकता । संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ज) की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता । तारीख 17 मार्च, 2017 की सीमित निविदा सूचना वास्तव में नीतिगत उपायों के अग्रसरण में है और सार्वजनिक सूचना में स्पष्टतः उल्लिखित है । इसी कारणवश जब वह सीमित निविदा सूचना प्रकाशित की गई तो उसमें सार्वजनिक सूचनाओं के सुसंगत पैराग्राफों को निर्दिष्ट किया गया और यह अभिकथित किया गया कि सीमित निविदा सूचना के विस्तृत नियमों और शर्तों को संलग्नक-क में उल्लिखित किया गया है । सीमित निविदा बोलियों के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाने के प्रयोजनार्थ है, विशेष रूप से न्हेवा-शेवा स्थित जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क गृह के अंतिम स्थानक टर्मिनल से कंटेनर भाड़ा स्टेशनों को प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा सम्पन्न कंटेनरों की सुपुर्दगी के लिए कंटेनर भाड़ा स्टेशनों को नामित किए जाने के प्रयोजनार्थ, यदि उसको विहित अवधि के भीतर रवाना नहीं किया गया और कतिपय अन्य परिस्थितियां जो कि सार्वजनिक सूचनाओं में विनिर्दिष्ट हैं । इसी भाव में सीमित निविदा में भागीदारी निर्बंधित हैं और यह प्रत्यर्थी संख्या 9 के तथाकथित एकाधिकार को शाश्वतता प्रदान नहीं करती । यहां तक कि प्रत्यर्थी संख्या 9 भी मात्र इस कारणवश आत्यांतिक अधिकार का दावा नहीं कर सकता कि केवल वही उन कंटेनरों/माल को प्राप्त कर सकता है जिनको आयातकों द्वारा 48 घंटों की उपरोक्त समयावधि के भीतर रवाना नहीं किया गया । अतः पत्तन से इस प्रकार के जलपोत पर लदे हुए माल के आवागमन के इन्तजाम की रूपरेखा तैयार की गई है । यदि यही उद्देश्य और प्रयोजन है जिसको प्राप्त करने की ईप्सा की गई है और जब न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रत्यर्थी संख्या 8 संघ के सदस्यों ने और कुछ याचियों ने इस निविदा के पक्ष में सकारात्मक रूप से उत्तर दिया है, तो न्यायालय रिट अधिकारिता में मध्यक्षेप के लिए इच्छुक नहीं हैं । उपरोक्त चर्चा के फलस्वरूप रिट याचिका विफल होती है । जारी की गई नोटिस को उन्मोचित किया जाता

है । तथापि, लागत के बाबत कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा । (पैरा 56, 59, 60, 67, 69 और 70)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2010] ए. आई. आर. 2010 मद्रास 452 :
कंटेशन शिपिंग लाईन्स एसोशिएशन बनाम **भारत संघ** । 42

अपीली सिविल अधिकारिता : 2017 की रिट याचिका सं. 3310.

संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन अपील ।

पक्षों की ओर से	किसी अधिवक्ता के नाम का उल्लेख नहीं
याची की ओर से	श्री द्वारिकादास
प्रत्यर्थी की ओर से	किसी अधिवक्ता के नाम का उल्लेख नहीं

निर्णय

पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेलों को सुना । प्रत्यर्थियों पर तामीली की प्रक्रिया अधित्यजित की गई । दोनों पक्षों की सहमति से तामीली की रिपोर्ट अभिलेख पर तुरन्त प्रस्तुत की जाए ।

2. याचियों ने संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन फाइल की गई इस याचिका द्वारा तारीख 9 फरवरी, 2017 और 6 मार्च, 2017 की सार्वजनिक सूचनाओं, जो 2017 की सार्वजनिक सूचना संख्या 16 और 27 है, को चुनौती दी है ।

3. याचियों ने तारीख 16 जनवरी, 2017 की पूर्ववर्ती सार्वजनिक सूचना, जो 2017 की सार्वजनिक सूचना संख्या 8 है, को भी अभिखंडित और अपास्त किए जाने की ईप्सा की है ।

4. तारीख 28 नवम्बर, 2016 की सार्वजनिक सूचना जो 2016 की सार्वजनिक सूचना संख्या 161 है, के संबंध में दो अनुतोष ईप्सित हैं । उपरोक्त दोनों सार्वजनिक सूचनाओं की भांति ही, जिनको सम्पूर्णतः में अभिखंडित किए जाने की ईप्सा की गई है, याचियों ने इस सार्वजनिक सूचना के पैरा 4.9 को भी अभिखंडित और अपास्त किए जाने की प्रार्थना

की है ।

5. याचियों ने तारीख 28 नवम्बर, 2016 की 2016 की आक्षेपित सार्वजनिक सूचना संख्या 161 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 9 का कंटेनर भाड़ा स्टेशन के रूप में नामित किए जाने के द्वारा की गई नियुक्ति को भी अभिखंडित और अपास्त किए जाने की ईप्सा की है ।

6. याचियों ने तारीख 1 सितम्बर, 2008 की सुविधा सूचना संख्या 63 के पैराग्राफ 3.7 और 3.8 को भी चुनौती दी है, जो कंटेनर भाड़ा स्टेशन के रूप में नामित किए जाने के द्वारा की गई नियुक्ति के लिए उपबंधित करती है ।

7. अन्त में याचियों ने याचिका में संशोधन द्वारा तारीख 17 मार्च, 2017 की निविदा सूचना को भी चुनौती दी है ।

8. याची प्रत्यर्थियों को जो रिट याचिका में आक्षेपित सार्वजनिक सूचनाओं को प्रवर्तित या लागू न किए जाने और निविदा सूचना के अन्तर्गत कार्यवाही को जारी रखे जाने के प्रयोजनार्थ प्रतिरक्षा कर रहे हैं, परमादेश की रिट या परमादेश की ही प्रकृति में किसी अन्य रिट, आदेश या निर्देश द्वारा निर्देशित किए जाने की ईप्सा कर रहे हैं ।

9. इन अनुतोषों का दावा भारत संघ, मुख्य सीमाशुल्क आयुक्त और 1952 के सीमाशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अन्य प्राधिकारियों और अधिकारियों (जो इस रिट याचिका में प्रत्यर्थी संख्या 2 से 6 हैं) के विरुद्ध किया गया है । प्रत्यर्थी संख्या 7 केन्द्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क बोर्ड है और प्रत्यर्थी संख्या 10 जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क केन्द्र स्थित कंटेनर भाड़ा स्टेशन प्रबंध सेल का सहायक सीमाशुल्क आयुक्त है और जिसने तारीख 17 मार्च, 2017 की निविदा सूचना जारी की है । प्रत्यर्थी संख्या 8 कंटेनर भाड़ा स्टेशन संघ है, जिसके विरुद्ध किसी अनुतोष की ईप्सा नहीं की गई है और प्रत्यर्थी संख्या 9 को प्रत्यर्थी के रूप में मात्र इस कारणवश सम्मिलित किया गया है क्योंकि उसकी नियुक्ति 2008 की सुविधा सूचना संख्या 63 के प्रयोजनार्थ कंटेनर भाड़ा स्टेशन के रूप में नामित किए जाने के द्वारा की गई है ।

10. वर्तमान याचिका की पृष्ठभूमि के तथ्य ये हैं कि भारत सरकार ने वर्ष 1989 में कंटेनर भाड़ा स्टेशन विकसित किए जाने के प्रयोजनार्थ एक नीति प्रस्तावित बनाई थी । कंटेनर भाड़ा स्टेशन विकसित किए जाने की आवश्यकता अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की बढ़ती हुई मात्रा और न्यूनतम

समयावधि के भीतर पत्तन से माल का शीघ्रतापूर्वक निपटारा किए जाने को ध्यान में रखते हुए उत्पन्न हुई थी । यह आवश्यकता इस कारणवश उत्पन्न हुई क्योंकि भारत में पत्तन भीतरी अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के परिणामस्वरूप अपने परिसरों के आयात और निर्यात की मात्रा में भारी बढ़ोतरी के कारण अत्यधिक भीड़-भाड़ की स्थिति का सामना कर रहे थे । इसलिए, वह विद्यमान अवसंरचना, स्थान और उपकरणों का अधिकतम सदुपयोग किए जाने के प्रयोजनार्थ वह माल जो पत्तन में आ रहा था, का बिना समय गंवाए तुरन्त निकास किए जाने की आवश्यकता उत्पन्न हुई । तद्नुसार, कंटेनर भाड़ा स्टेशन स्थापित किए जाने की संकल्पना की गई और पत्तनों के विकास और वृद्धि के साथ-साथ इसका महत्व बढ़ता गया । अतः, कंटेनर भाड़ा स्टेशन को स्थापित किए जाने के पीछ लक्ष्य पत्तन को भीड़-भाड़ से मुक्त करना था ।

11. अतः, कंटेनर भाड़ा स्टेशन को सीमाशुल्क स्टेशन के विस्तार के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य पत्तन को भीड़-भाड़ से मुक्त करना है । इस बात को प्रत्यर्थी संख्या 7 के माध्यम से प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा निर्गत तारीख 8 जून, 2009 के परिपत्र संख्या 18 में अन्य बातों के साथ-साथ स्पष्ट किया गया है, जिसकी प्रति याचिका के साथ संलग्नक-क के रूप में संलग्न है । यहां तक कि फरवरी, 2017 तक प्रत्यर्थी संख्या 7 ने तारीख 16 फरवरी, 2017 के कंटेनर भाड़ा स्टेशन पत्तन के विस्तार हैं 2017 के परिपत्र संख्या 4 को स्वीकार किया है कि सीमाशुल्क अनुमति की समस्त प्रणाली में कंटेनर भाड़ा स्टेशन से आयात और निर्यात किए जाने वाले माल की तीव्र निकासी की प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं जिसके परिणामस्वरूप अधिमूल्यन के अलावा अधिकांश विनियामक क्रियाकलापों को कंटेनर भाड़ा स्टेशन के जिम्मे कर दिया गया । 2017 के परिपत्र संख्या 4 की प्रति को याचिका के साथ प्रदर्श ख के रूप में संलग्न किया गया है ।

12. तद्नुसार, याचियों को सम्मिलित करते हुए अनेक कंटेनर भाड़ा स्टेशन स्थापित किए गए हैं और सभी कंटेनर भाड़ा स्टेशनों का रजिस्ट्रीकरण और कार्यान्वयन 2009 के सीमाशुल्क क्षेत्र में कार्गों का संचालन विनियम द्वारा नियंत्रित है । अब तक जवाहरलाल नेहरू पत्तन के संबंध में 34 कंटेनर भाड़ा स्टेशन क्रियान्वित हो चुके हैं । उपरोक्त कंटेनर भाड़ा स्टेशन सारभूत निवेश करके स्थापित किए गए थे, अवसंरचना और प्रतिभूति के स्तर पर सारभूत निवेश करके । कंटेनर भाड़ा स्टेशन स्थापित

किए जाने की प्रक्रिया का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है :–

(i) कंटेनर भाड़ा स्टेशन को क्रियान्वित किए जाने की अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के लिए इच्छुक आवेदक विहित प्रपत्र में नई दिल्ली स्थित वाणिज्य मंत्रालय के अवसंरचना प्रभाग के समक्ष आवेदन फाइल करता है । आवेदन करने के लिए अर्ह होने के प्रयोजनार्थ आवेदक को, अन्य बातों के साथ न्यूनतम पांच एकड़ जमीन अर्जित करनी होती है, जिसमें सारभूत व्यय अपेक्षित होता है ;

(ii) अनुमोदन प्राप्त होने पर आवेदक से यह अपेक्षित होता है कि वह अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष के भीतर अवसंरचना स्थापित करे, जिसमें निम्नलिखित अन्तर्वलित होता है –

(क) कंटेनरों को रखने के लिए माल गोदाम का निर्माण करना ;

(ख) एक परिसर का निर्माण करना जिसमें कंक्रीट या खडंजे के ब्लाक निर्मित हों जो एक के ऊपर एक रखे जाने पर न्यूनतम चार कंटेनरों का भार सहन कर सके ;

(ग) बिजली सब-स्टेशन, अग्निशमन पम्पकक्ष और उपकरणों के रख-रखाव, कंटेनरों की मरम्मत के लिए कार्यशाला ;

(घ) प्रशासनिक भवन, जहां से सीमाशुल्क अधिकारी कार्य कर सकें, का निर्माण । कंटेनर भाड़ा स्टेशन में बैंक की शाखा, काफी हाउस और जलपान गृह की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक भवन का निर्माण किया जाएगा ;

(ङ) जलपोत पर लदे हुए माल को नियंत्रित करने वाले उच्च स्तरीय उपकरणों का क्रय किया जाना और उनको स्थापित किया जाना जैसे कि क्रेन, माल के अंबार पर पहुंचने वाला मोटरचलित वाहन, खाली कंटेनरों को हटाने के लिए वाहन, माल को उठाने के लिए कंटेनर लिफ्टें इत्यादि ;

(च) सुरक्षा उपकरणों की खरीद जैसे कि सी. सी. टी.वी. कैमरे, सूंघने वाले प्रशिक्षित कुत्ते और मेटल डिक्टेटर इत्यादि ।

(iii) अवसंरचना के स्थापित हो जाने के पश्चात् सीमाशुल्क

आयुक्त सुविधा का निरीक्षण करेगा और अवसंरचना और सुरक्षा मानदंडों के प्रति संतुष्ट हो जाने पर 1962 के सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 8 और 45 के अधीन कंटेनर भाड़ा स्टेशन को अधिसूचित कर देगा ;

(iv) कंटेनर भाड़ा स्टेशन के संबंध में अधिनियम की धारा 45 के अधीन अधिसूचना के जारी किए जाने के पश्चात् संबद्ध कंटेनर भाड़ा स्टेशन भारत के राष्ट्रपति के समक्ष सीमाशुल्क आयुक्त के मार्फत एक बंधपत्र प्रस्तुत करेगा जिसके साथ कंटेनर भाड़ा स्टेशन की कार्गो रख-रखाव क्षमता के मूल्यांकन के 10 प्रतिशत की बैंक प्रत्याभूति संलग्न हो गी ;

(v) सीमाशुल्क आयुक्त बंधपत्र प्राप्त होने पर संबद्ध कंटेनर भाड़ा स्टेशन को कार्य आरम्भ प्रमाणपत्र जारी करेगा । कंटेनर भाड़ा स्टेशन को कार्य आरम्भ प्रमाणपत्र जारी किए जाने पर कारबार प्रचालनों को आरम्भ करने की अनुज्ञा होगी ।

13. अतः, कंटेनर भाड़ा स्टेशन स्थापित किए जाने और उसको कार्यान्वित बनाने के प्रयोजनार्थ सारभूत प्रयास, समय और धन का निवेश किया जाना होता है ।

14. याचियों ने निवेदन किया कि वर्तमान रिट याचिका में अन्तर्वलित विवाद का पूर्णतः अधिमूल्यन किए जाने के प्रयोजनार्थ सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि भारत में जलपोत के माध्यम से माल के आयात की प्रक्रिया उक्त प्रक्रिया और उस प्रक्रिया में कंटेनर भाड़ा स्टेशन द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिका का संक्षेप में उल्लेख किया जाए, जो इस प्रकार है:–

"(i) समुद्र द्वारा माल का परिवहन निर्यातक से मोहरबंद कंटेनरों के रूप में प्रेषित माल की लदायी वाले पत्तन पर प्राप्ति पर आरम्भ होता है । चूंकि निर्यातक के सीलबंद कंटेनर लदायी वाले पत्तन पर आरम्भ होता हैं । तत्पश्चात् उक्त कंटेनरों से लदा हुआ जलपोत माल सौंपे जाने वाले पत्तन की ओर रवाना हो जाता है ।

(ii) माल सौंपे जाने वाले पत्तन पर जलपोत के पहुंचने के लगभग 48 घंटे पूर्व पोत परिवहन द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 7 के ई-वाणिज्य पोर्टल अर्थात् आईसगेट प्रणाली (भारतीय सीमाशुल्क

इलेक्ट्रोनिक वाणिज्य/इलेक्ट्रानिक डाटा इंटरचेंज गेटवे) फाइल किया जाता है । याचियों का कहना है कि इंपोर्ट जनरल मेनिफेस्ट एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें लादे जाने वाले माल के बिल (बिल आफ लेंडिग) का विवरण समाविष्ट होता है अर्थात् लादे जाने वाले माल के बिल की संख्या, तारीख, जलपोत पर लदे हुए माल का विवरण, प्रेषित माल पाने वाले का नाम, जलपोत पर लदे हुए माल पर अंकित चिह्न और संख्या, पैकेटों की संख्या, जलपोत पर लदे हुए माल का वजन, वह पत्तन जहां माल उतारा जाना है, भारत में वह पत्तन जहां से माल लादा गया और माल का अंतिम गंतव्य स्थान, कंटेनर संख्या और कंटेनर का आकार और यह भी कि क्या कंटेनर पूर्णतः भरे हुए हैं या अपनी क्षमता से कम भरे हुए हैं जहां कंटेनर सेवा प्रदाता प्रेषित माल पाने वालों से संबंधित है । इंपोर्ट जनरल मेनिफेस्ट में यह भी दर्शित होता है कि क्या जलपोत पर लदा हुआ माल किसी कंटेनर भाड़ा स्टेशन को भेजा जाना है या किसी विशिष्ट जमीनी कंटेनर डिपो (आई. सी. डी.) को भेजा जाना है । इसके पश्चात्, क्योंकि अब प्रत्यक्ष पार्सल वितरण (डी. पी. डी.) सुविधा आरम्भ की जा चुकी है, इंपोर्ट जनरल मेनिफेस्ट में इस बात का भी उल्लेख किया जाता है कि क्या कोई कंटेनर प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा के लिए आशयित है (इंपोर्ट जनरल मेनिफेस्ट का एक नमूना इस याचिका के साथ प्रदर्श सी के रूप में संलग्न है) ।

(iii) माल सौंपे जाने वाले पत्तन पर जलपोत के पहुंचने के लगभग 6 से 8 घंटे पूर्व एक आयात अग्रिम सूची (इंपोर्ट जनरल लिस्ट) माल भेजने वाली जलपोत कम्पनी द्वारा अंतिम स्थानक में फाइल की जाती है । आयात अग्रिम सूची में अनेक सूचनाएं समाविष्ट होती हैं जैसे कि कंटेनर संख्या, उसका वजन, आकार, स्थिति (पूरा भरा हुआ/ खाली) श्रेणी (खतरनाक/ पाल समेटने वाला इत्यादि), माल की सुपुर्दगी वाला पत्तन, यातायात का तरीका (रेल/सड़क), मोहर संख्या इत्यादि । इसके अतिरिक्त, आयात अग्रिम सूची पत्तन और अधिमानी कंटेनर भाड़ा स्टेशन के नाम को सम्मिलित करते हुए कंटेनर के स्थानक के विवरण भी उपलब्ध होते हैं । आयात अन्तिम सूची का एक नमूना जो याचिका के साथ प्रदर्श-घ के रूप में संलग्न है ।

(iv) तत्पश्चात्, जलपोत माल की सुपुर्दगी वाले पत्तन पर पहुंच जाता है । जलपोत के पहुंच जाने के पश्चात् सीमाशुल्क इनवर्ड क्लियरेंस होता है जहां सीमाशुल्क प्राधिकारी जलपोत पर जाते हैं और वे उस जलपोत के दस्तावेजों की जांच करते हैं, जैसे कि कानूनी प्रमाणपत्र, जलपोत के भाण्डागार में रखी गई वस्तुएं, ईंधन, ताजा पानी, जलपोत पर सवार कार्मिकों की घोषणाएं इत्यादि । कुछ मामलों में कार्यारम्भ को सुकर बनाए जाने के प्रयोजनार्थ विलम्ब से बचने के प्रयोजनार्थ यह अनापत्ति जलपोत को पहुंचने के पूर्व भी प्रदान की जा सकती है । यह माल लदाने वाले अधिकारी द्वारा आईसगेट प्रणाली में प्रविष्टि किए जाने के द्वारा किया जाता है । इसी प्रकार का निरीक्षण और अनापत्ति अप्रवास प्राधिकारियों और पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा भी किया जाता है ।

(v) तत्पश्चात्, जलपोत का अंतिम स्थानक वाला पत्तन (अपनी सुविधाओं, स्टाफ और उपकरणों इत्यादि का प्रयोग करते हुए) जलपोत पर लदे हुए माल को निर्मुक्त कर देता है और साथ ही जलपोत पर निर्यात के प्रयोजनार्थ जाने वाले माल की लदाई करा देता है ।

(vi) ऐसे मामलों, जहां जलपोत पर लदे हुए माल से आशय कंटेनर भाड़ा स्टेशन से है, पत्तन द्वारा उपकरणों की अदला-बदली की प्राप्ति (ई. आई. आर.) जारी की जाती है जो सामान्यतः कंटेनर भाड़ा स्टेशन के प्रतिनिधि को पत्तन पर प्रदान की जाती है जब जलपोत माल को लादकर पत्तन के द्वार को छोड़ता है । उपकरणों के अदला-बदली की रसीद (ई. आई. आर.) की एक नमूना प्रति इस याचिका के साथ प्रदर्श-ङ के रूप में संलग्न है ।

(vii) तत्पश्चात्, जलपोत पर लदे हुए माल के साथ कंटेनरों को पत्तन से कंटेनर भाड़ा स्टेशन द्वारा दिए गए सीमाशुल्क बंधपत्र के अधीन कंटेनर भाड़ा स्टेशन द्वारा सीमाशुल्क औपचारिकताओं को पूर्ण किए जाने के लिए, जैसा कि लागू विधियों द्वारा अपेक्षित हो, सी. एफ. एस. द्वारा प्रदान किए गए सीमाशुल्क बंधपत्र के अन्तर्गत निर्मुक्त कर दिया जाता है । जैसा कि ऊपरवर्णित है, पत्तन से कंटेनर भाड़ा स्टेशन को कंटेनरों की निर्मुक्ति की प्रणाली को दिन प्रतिदिन जलपोतों में लद कर आने वाले माल की बड़ी मात्रा से निपटने के लिए और पत्तन/माल की सुपुर्दगी के स्थानक में उपलब्ध क्षेत्र की

कमी के कारण भीड़भाड़ को कम किए जाने को सम्मिलित करते हुए विभिन्न कारकों के कारणवश आरम्भ किया गया था ।

(viii) तत्पश्चात् प्रेषित माल को पाने वाला जलपोत कम्पनी के देयों का संदाय करके और माल की लदाई के पूर्णतः उन्मोचित मूल बिल को प्रस्तुत करके माल की सुपुर्दगी देने वाले पत्तन पर माल की सुपुर्दगी प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ जलपोत कम्पनी के स्थानीय कार्यालय से सम्पर्क स्थापित करता है । तत्पश्चात्, कंटेनर भाड़ा स्टेशन से कंटेनर की सुपुर्दगी प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ कंटेनर भाड़ा स्टेशन के समक्ष माल की सुपुर्दगी वाला आदेश प्रस्तुत किया जाता है ।

(ix) तत्पश्चात् प्रेषित माल को प्राप्त करने वाला सीमाशुल्क दस्तावेजों की लिखा-पढ़ी अपेक्षाओं को पूर्ण करता है जिसके पश्चात् सीमाशुल्क प्राधिकारी विल आफ डंट्री पर 'कोई प्रभार नहीं' का पृष्ठांकन अंकित कर देते हैं । तत्पश्चात् कंटेनर भाड़ा स्टेशन प्रेषित माल प्राप्त करने वाले को सुपुर्दगी आदेश के बदले में जलपोत पर लदा हुआ माल सौंप देता है ।"

15. याचियों ने आगे निवेदन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 7 ने तारीख 24 नवम्बर, 2005 के परिपत्र, जो 2005 का सीमाशुल्क परिपत्र संख्या 42 है, द्वारा प्रत्यायित (अधिकृत) ग्राहक कार्यक्रम (ए. सी. पी.) को प्रस्तावित किया था । प्रत्यर्थी संख्या 7 ने प्रत्यायित ग्राहक कार्यक्रम के अन्तर्गत एक प्रणाली को प्रस्तावित करने का निर्णय लिया जिसे जोखिम प्रबंध प्रणाली (आर. एम. एस.) कहा जाता है । पूर्वोक्त परिपत्र के अनुसार, जोखिम प्रबंध प्रणाली का उद्देश्य उन आयातकों को सुनिश्चित सुविधाएं प्रदान करना था, जिन्होंने उन विधियों, जिनको कार्यान्वित करना सीमाशुल्क विभाग द्वारा अपेक्षित है, के अनुपालन के प्रयोजनार्थ अपनी क्षमता और इच्छा का प्रदर्शन किया । जोखिम प्रबंध प्रणाली के अन्तर्गत भारतीय सीमाशुल्क प्राधिकारियों की एक्सचेंज डाटा इन्टरफेस प्रणाली में आयातकों द्वारा फाइल किए गए जलपोत के प्रवेश पत्र को जोखिम के प्रयोजनार्थ संसाधित किया जाएगा और बड़ी संख्या में प्रेषित माल को बिना किसी परीक्षण के आयातक के स्व-निर्धारण के आधार पर अनापत्ति प्रदान की जाएगी । इस प्रक्रम पर यह सुविधा केवल कुछ गिने चुने आयातकों को उपलब्ध थी जिन्होंने विहित मानदंड पूरे कर लिए थे । मुख्य मानदंड निम्नलिखित हैं :–

"(i) आयातक ने पिछले वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रुपए मूल्य का माल का आयात किया हो या एक करोड़ रुपए के समतुल्य रकम के शुल्क का संदाय किया हो ;

(ii) आयातक ने पिछले वित्तीय वर्ष में एक या एक से अधिक भारतीय सीमाशुल्क स्टेशनों में जलपोत के प्रवेश के कम से कम 25 बिल फाइल किए हों ;

उक्त परिपत्र तारीख 12 दिसम्बर, 2005 की सार्वजनिक सूचना संख्या 64 का भाग है, जिसको प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा जारी किया गया है, जिसकी प्रति इस याचिका का प्रदर्श-छ है ।"

16. प्रत्यर्थी संख्या 3 ने तारीख 1 सितम्बर, 2008 को 2008 की सुविधा नोटिस संख्या 63 जारी की । यह नोटिस अन्य बातों के साथ प्रत्यायित ग्राहक कार्यक्रम के आयातकों (2005 की सार्वजनिक सूचना संख्या 64 के अनुसार) और 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयों को प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा (अर्थात् उन आयातकों, जो माल की सुपुर्दगी सीधे पत्तन से लेते हैं) या जहां कोई परीक्षण अपेक्षित नहीं है, के बारे में उपबंधित करती है । याचियों ने अभिकथित किया कि प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा के अन्तर्गत कंटेनरों की सुपुर्दगी पत्तन पर ही दी जाएगी और इसलिए, वे कंटेनर सीमाशुल्क विभाग की औपचारिकताओं को पूर्ण किए जाने के प्रयोजनार्थ कंटेनर भाड़ा स्टेशन की यात्रा नहीं करेंगे । 2008 की सुविधा सूचना संख्या 63 आयातकों, जो विहित प्रपत्र में प्रत्यर्थी संख्या 3 को प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा प्रदान किए जाने के लिए आवेदन करने के प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त अपेक्षाओं को पूर्ण करते हैं, के लिए उपबंधित करती है ।

17. याचियों ने निवेदन किया कि इस संदर्भ में यह उल्लेख किया जाना सुसंगत होगा कि वर्ष 2008 में मान्यताप्राप्त ग्राहक कार्यक्रमों की संख्या लगभग 15 की संख्या तक सीमित थी और इसलिए प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा के अन्तर्गत आने वाले कंटेनरों के आगमन की मात्रा न्यूनतम थी । वास्तव में, जून, 2016 तक केवल 26 आयातकों को प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा उपलब्ध कराए जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई थी । तथापि, जैसा कि बाद में विस्तारपूर्वक बताया गया, प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा के लिए अर्ह आयातकों की संख्या अचानक 700 तक बढ़ गई ।

18. प्रत्यर्थी संख्या 3 ने तारीख 11 सितम्बर, 2008 को 2008 की

सार्वजनिक सूचना संख्या 66 जारी की जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 9 को उन प्रत्यक्ष पार्सल वितरण कंटेनरों को भेजे जाने, जिनको 2008 की सुविधा संख्या 63 में विहित प्रक्रिया के अनुसार पत्तन से अनापत्ति प्राप्त नहीं किया गया था, के प्रयोजनार्थ कंटेनर भाड़ा स्टेशन नामित किए जाने के द्वारा नियुक्त किया गया । यहां पर यह उल्लेख किया जाना महत्वपूर्ण है कि प्रत्यर्थी संख्या 9 को बिना सम्यक् प्रक्रिया का पालन किए और बिना अन्य कंटेनर भाड़ा स्टेशनों, जैसे कि याचियों को बिना कोई अवसर प्रदान किए, कंटेनर भाड़ा स्टेशन के रूप में नामित किए जाने के द्वारा नियुक्त किया गया था । यह पुनः उल्लेख किया जाना महत्वपूर्ण है कि 2008 की सार्वजनिक सूचना संख्या 66 में केवल प्रत्यर्थी संख्या 9 को ही कंटेनर भाड़ा स्टेशन के रूप में नामित किए जाने के द्वारा नियुक्त किए जाने और अन्य सभी कंटेनर भाड़ा स्टेशनों को विवर्जित किए जाने के समर्थन में किसी भी प्रकार का कोई कारण/आधार दर्शित नहीं किया गया है । 2008 की सार्वजनिक सूचना संख्या 66 की प्रति इस याचिका का संलग्नक प्रदर्श-छ है ।

19. याचियों ने आगे निवेदन किया कि यद्यपि वैकल्पिक प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा में प्रत्यर्थी संख्या 9 को अत्यधिक मनमानेपूर्ण तरीके में कंटेनर भाड़ा स्टेशन के रूप में नामित किए जाने के द्वारा नियुक्त किया जाना सम्मिलित है, फिर भी इससे याचियों जैसे अन्य कंटेनर भाड़ा स्टेशनों के कारबार और विद्यमानता को किसी भी समय-बिन्दु पर कोई गंभीर खतरा उत्पन्न नहीं हुआ ।

20. याचियों ने अभिकथित किया कि 2016 की सार्वजनिक सूचना संख्या 161 के कारणोंवश प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा सम्पन्न कंटेनरों के आवागमन की मात्रा में बढ़ोतरी हुई है । इसके परिणामस्वरूप, याचियों के कारबार को सम्मिलित करते हुए कंटेनर भाड़ा स्टेशनों के कारबार पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा चूंकि बड़ी संख्या में कंटेनर, जो अन्यथा रूप से याचियों जैसे पक्षों के कंटेनर भाड़ा स्टेशनों से गुजरते, अब प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा के रूप में चिह्नित होने के कारण याचियों के कंटेनर भाड़ा स्टेशन से नहीं गुजरेंगे अर्थात् पत्तन पर ही माल की सुपुर्दगी नहीं देंगे । यहां पर यह उल्लेख किया जाना महत्वपूर्ण है कि 2016 की सार्वजनिक सूचना संख्या 161, जिसके द्वारा 48 घंटों के भीतर पत्तन से कंटेनरों को रवाना किया जाना अपेक्षित था, के कारण प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा सम्पन्न कंटेनरों, जिनको नामित कंटेनर भाड़ा स्टेशनों अर्थात् 2016 की

सार्वजनिक सूचना संख्या 161 द्वारा विहित 48 घंटों की अवधि के भीतर एकत्रित न किए जाने के कारण भेजा गया था, जैसा कि नीचे दिए गए विवरणों में दर्शाया गया है, की संख्या में बढ़ोतरी हुई है ।

21. प्रत्यर्थी संख्या 4 ने तारीख 28 नवम्बर, 2016 की सार्वजनिक सूचना संख्या 161 जारी की जो तारीख 1 दिसमबर, 2016 से प्रभावी थी और जिसके द्वारा प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा को 2008 की सुविधा सूचना संख्या 63 में विनिर्दिष्ट अर्हता अपेक्षाओं में शिथिलता देते हुए 26 आयातकों से 467 नामित आयातकों की सूची तक विस्तारित कर दिया गया था । पुनः 2016 की सार्वजनिक सूचना संख्या 161 प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा के लिए प्रक्रिया निर्धारित करती है और इस सार्वजनिक सूचना के द्वारा प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधासम्पन्न कंटेनरों को अनापत्ति प्रदान किए जाने के प्रयोजनार्थ 2008 की सुविधा सूचना संख्या 63 द्वारा विहित 24 घंटों की समयावधि को परिवर्तित करते हुए 48 घंटे कर दिया था ।

22. तारीख 9 दिसम्बर, 2016 को प्रत्यर्थी संख्या 8 ने ऊपरवर्णित सार्वजनिक सूचनाओं के संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 2 को विस्तारपूर्वक एक पत्र लिखा जिनके माध्यम से यह दलील दी गई कि समस्त प्रत्यक्ष पार्सल वितरण कंटेनर, जिनको 48 घंटों के भीतर रवाना नहीं किया गया था, को प्राप्त किए जाने के प्रयोजनार्थ कंटेनर भाड़ा स्टेशन नामित किए जाने के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 9 की नियुक्ति मनमानीपूर्ण थी और समस्त सदस्यों के विरुद्ध पक्षपातपूर्ण थी । प्रत्यर्थी संख्या 8 ने इस तथ्य के कारण कंटेनर भाड़ा स्टेशनों के विरुद्ध कारित पक्षपात का भी उल्लेख किया है कि प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा प्राप्त किए जाने के प्रयोजनार्थ आयातकों के लिए मानकों में शिथिलता दिए जाने के साथ ही कंटेनरों की संख्या, जो 48 घंटों के भीतर पत्तन से निर्मुक्त होकर नामित कंटेनर भाड़ा स्टेशन के रूप में प्रत्यर्थी संख्या 9 को जाने थे, भी बढ़ जाएंगे । इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी संख्या 8 ने जलपोत कम्पनियों को उनकी पसंद के कंटेनर भाड़ा स्टेशन चुनने की अनुज्ञा प्रदान किए जाने को सम्मिलित करते हुए या कंटेनर भाड़ा स्टेशन को कंटेनरों जिनका खड़े रहने का समय 48 घंटे से अधिक का है, को रवाना किए जाने का प्रयास करने के लिए प्रत्यक्ष पार्सल वितरण प्रणाली के संबंध में कुछ सुझाव भी दिए । प्रत्यर्थी संख्या 8 ने अपनी स्थिति को आगे स्पष्ट करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 2 के साथ बैठक के लिए भी अनुरोध किया । प्रत्यर्थी संख्या 8 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2

को संबोधित तारीख 9 दिसम्बर, 2016 के पत्र की प्रति इस याचिका के साथ प्रदर्श-ज्ञ के रूप में संलग्न है ।

23. प्रत्यर्थी संख्या 5 ने प्रत्यर्थी संख्या 8 द्वारा प्रस्तुत की गई विधिसम्मत शिकायत पर विचार करने के बजाय तारीख 19 दिसम्बर, 2016 को 2016 की सार्वजनिक सूचना संख्या 180 जारी की और 2016 की सार्वजनिक सूचना 180 में के संलग्नक-क में उल्लिखित में उल्लिखित 214 आयातकों को प्रत्यक्ष वितरण प्रणाली की सुविधा प्रदान कर दी । याचियों का अभिकथन है कि 2016 की सार्वजनिक सूचना संख्या 180 के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधासम्पन्न कंटेनरों की संख्या अत्यधिक बढ़ गई जिसका परिणाम यह भी हुआ कि पत्तन से 48 घंटों में रवाना न किए जाने के कारण प्रत्यर्थी संख्या 9 को अधिमान स्वरूप भेजे गए प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधासम्पन्न कंटेनरों की संख्या में पुनः सहवर्ती रूप से बढ़ोतरी हो गई । 2016 की सार्वजनिक सूचना संख्या 180 की प्रति इस याचिका के साथ प्रदर्श-ज के रूप में संलग्न है ।

24. तारीख 23 दिसम्बर, 2016 को प्रत्यर्थी संख्या 8 ने प्रत्यर्थी संख्या 2 को एक अन्य पत्र संबोधित किया जिसके द्वारा उन्होंने अपने सरोकारों और सुझावों को दोहराया जैसा कि तारीख 9 दिसम्बर, 2016 के पत्र में भी उल्लिखित है । तारीख 23 दिसम्बर, 2016 के पत्र की प्रति इस याचिका के साथ संलग्न प्रदर्श-झ है ।

25. प्रत्यर्थी संख्या 5 ने तारीख 27 दिसम्बर, 2016 को प्रत्यक्ष वितरण प्रणाली सुविधा के संबंध में याचियों को सम्मिलित करते हुए सभी कंटेनर भाड़ा स्टेशनों को एक परामर्श जारी किया । उक्त परामर्श में प्रत्यर्थी संख्या 5 ने निर्देशित किया कि आयातकों, जिनको 2016 की सार्वजनिक सूचना संख्या 161 और 2016 की सार्वजनिक सूचना संख्या 180 के अनुसार प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा प्रदान की गई है, द्वारा जोखिम प्रबन्ध प्रणाली सुविधाप्राप्त और प्रत्यक्ष वितरण प्रणाली के लिए आशयित आयातित माल के पूरी तरह से आयात किए गए भरे हुए कंटेनरों सुविधा को कंटेनर भाड़ा स्टेशन द्वारा स्वीकार किया जाएगा । प्रत्यर्थी संख्या 5 ने यह भी अभिकथित किया कि किसी कंटेनर भाड़ा स्टेशन द्वारा इसके अननुपालन को गंभीरता से लिया जाएगा और 1962 के सीमाशुल्क अधिनियम के अनुसार कार्यवाही की जाएगी । तारीख 27 दिसम्बर, 2016 के परामर्श की प्रति इस याचिका के प्रदर्श-ढ के रूप में संलग्न है ।

26. प्रत्यर्थी संख्या 6 ने तारीख 16 जनवरी, 2017 को 2017 की सार्वजनिक सूचना संख्या 8 जारी की जिसके द्वारा यह दोहराया गया कि ऐसे मामलों में जहां प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधासम्पन्न कंटेनरों को प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधाप्राप्त आयातकों द्वारा 48 घंटों के भीतर खाली नहीं किया जाता है, तो अंतिम स्थानक पत्तन उनको नामित कंटेनर भाड़ा स्टेशन अर्थात् प्रत्यर्थी संख्या 9 को अन्तरित कर देगा जब तक कि सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा अन्यथा रूप से निर्देशित न किया गया हो । इसके साथ ही 2017 की सार्वजनिक सूचना संख्या 8 द्वारा यह निर्देशित भी किया गया कि प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा के लिए अर्ह आयातकों को जलपोत कम्पनी को अन्य बातों के अलावा आयातक के प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा कोड और आयातक के अधिमानित कंटेनर भाड़ा स्टेशन के संबंध में न्यूनतम 72 घंटों की अन्तिम सूचना देनी चाहिए । याचियों ने अभिकथित किया कि इस बात के होते हुए भी कि किसी अधिमानित कंटेनर भाड़ा स्टेशन, जिसको आयातकों द्वारा उन कंटेनरों के अपवादस्वरूप, जो "कोई प्रभार नहीं" के अन्तर्गत आते हैं उपदर्शित किया गया है अर्थात् जहां आयात/सीमाशुल्क औपचारिकताओं को पूरा कर दिया गया है और वे सभी प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधासम्पन्न कंटेनर, जो प्रभार विहीन नहीं है और जिनको 48 घंटों के भीतर रवाना नहीं किया गया है, को प्रत्यर्थी संख्या 9 को भेजा जा रहा है । इसके अतिरिक्त, 2017 की सार्वजनिक सूचना संख्या 8 के अन्तर्गत यह भी निर्देशित किया गया है कि जहां प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा का लाभ लिए जाने के प्रयोजनार्थ इस प्रकार की कोई अग्रिम सूचना आयातक द्वारा नहीं दी गई है, तो उसे आयातकों के संबंध में, जिनके पास प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा नहीं है, के कंटेनरों की पहचान अंतिम स्थानक पत्तन द्वारा की जानी चाहिए और उनको प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधासम्पन्न होने के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए (अर्थात् उन मामलों में भी जहां आयातक ने उक्त कंटेनरों के संबंध में प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा के विकल्प को नहीं चुना) और यदि ऐसे कंटेनरों को 48 घंटों के भीतर पत्तन से एकत्रित नहीं किया जाता है और वे जोखिम प्रबंध प्रणाली के लिए अर्ह हैं, तो उनको प्रत्यर्थी संख्या 9 को अन्तरित कर दिया जाना चाहिए । 2017 की सार्वजनिक सूचना संख्या 8 में आगे स्पष्ट किया गया है कि केवल उस स्थिति में जहां किसी कंटेनर के संबंध में जोखिम प्रबंध प्रणाली की सुविधा उपलब्ध नहीं है, प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी और कंटेनर को कंटेनर भाड़ा स्टेशन के माध्यम से रवाना किया जाएगा ।

27. इसलिए, 2017 की सार्वजनिक सूचना संख्या 8 इंपोर्ट जनरल मेनीफेस्ट में उल्लिखित कंटेनर भाड़ा स्टेशन के विकल्प पर अध्यारोही प्रभाव रखती है और प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा के लिए अर्ह आयातकों, पर प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा के विकल्प को थोपा जाता है, चाहे उन्होंने प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा के विकल्प को न चुना हो और निर्देशित करती है कि यदि ऐसे जोखिम प्रबंध प्रणाली की सुविधाप्राप्त कंटेनरों को 48 घंटे के भीतर रवाना नहीं किया जाता, तो उनको प्रत्यर्थी संख्या 9 को भेजा जाएगा । 2017 की सार्वजनिक सूचना संख्या 8 की प्रति इस याचिका के साथ संलग्न प्रदर्श-न है ।

28. पुनः, तारीख 16 जनवरी, 2017 को प्रत्यर्थी संख्या 6 ने 2017 की सार्वजनिक सूचना संख्या 9 भी जारी की जिसमें विभिन्न आयातकों द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ समस्त जोखिम प्रबंध प्रणाली की सुविधा संपन्न कंटेनरों पर प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा के अनिवार्य रूप से अधिरोपण के कारण उनके द्वारा वहन की जा रही कठिनाइयों के संबंध में प्रस्तुत किए गए प्रत्यावेदनों को अभिलिखित किया गया था । 2017 की सार्वजनिक सूचना संख्या 9 में अन्य बातों के साथ यह अभिकथित किया गया है कि आयातकों के लिए यह कठिन है कि वे अंतिम स्थानक पत्तन से प्रत्यक्ष पार्सल वितरण द्वारा जोखिम प्रबन्ध प्रणाली द्वारा सुविधासंपन्न कंटेनरों को हटाए जाने के लिए आवश्यक वाहन संबंधी इन्तजाम निम्नलिखित कारणोंवश करें :–

"(i) वाहक के इन्तजाम में कठिनाई,

(ii) चोरी का जोखिम,

(iii) बीमा के विवाद्यक,

(iv) निजी अन्तिम स्थानक पत्तन प्रचालकों द्वारा वसूल किए जा रहे दोनों पालियों के संचालन प्रभार,

(v) गैर जोखिम प्रबन्ध प्रणाली कंटेनरों के साथ संव्यवहार,

(vi) आयातकों के कारखाना परिसरों में भंडारण के स्थान की कमी के कारण सीमाशुल्क संदत्त जलपोत पर लदे हुए माल के लिए अस्थायी भंडारण स्थान की अपेक्षा,

(vii) सीमाशुल्क प्रभार और सुपुर्दगी आदेश प्रभारों के संदाय के लिए अपर्याप्त निधियों के कारण नकद की तरलता संबंधी विवाद्यक,

(viii) यातायात के अन्य तरीकों को अपनाए जाने के द्वारा कंटेनरों को खाली किए जाने/हटाए जाने की समसामयिक अपेक्षा,

(ix) रवानगी के पहले फुटकर विक्रय मूल्य/अधिकतम फुटकर मूल्य स्टीकर लगाए जाने की अपेक्षा ।"

29. उपरोक्त कारण यह दर्शित करते हैं कि आयातक आयात के कारबार में प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा का अनिवार्य रूप से अधिरोपित किए जाने के कारण सुविधा का अनुभव करने के बजाय कठिनाई और बोझ का अनुभव कर रहे थे । 2017 की सार्वजनिक सूचना संख्या 9 की प्रति याचिका के साथ प्रदर्श-त के रूप में संलग्न है ।

30. प्रत्यर्थी संख्या 8 ने तारीख 16 जनवरी, 2017 को तारीख 27 दिसम्बर, 2016 के ऊपरवर्णित परामर्श, जिसको प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा कंटेनर भाड़ा स्टेशनों को इस बाबत जारी किया गया था कि उनके विरुद्ध गंभीर कार्यवाही की जाएगी यदि प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा द्वारा चिह्नित कंटेनरों को उनके द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, के उत्तर में प्रत्यर्थी संख्या 2 को एक अन्य पत्र संबोधित किया । इस पत्र द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 8 ने सूचित किया कि कंटेनर भाड़ा स्टेशन अपनी मर्जी से कंटेनरों को पत्तन से नहीं हटाते हैं (उनको आयातक/जलपोत कम्पनी द्वारा फाइल किए गए इंपोर्ट जनरल मेनिफेस्ट के आधार पर हटाया जाता है) और इसलिए कंटेनर भाड़ा स्टेशनों के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही भ्रांतधारणा पर आधारित होगी । उक्त पत्र द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 9 को प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा के संबंध में कंटेनर भाड़ा स्टेशन के रूप में नामित किए जाने के विरुद्ध दी गई विधिक दलीलों को पुनः दोहराया गया । प्रत्यर्थी संख्या 8 को संबोधित तारीख 16 जनवरी, 2017 के पत्र की प्रति इस याचिका के साथ प्रदर्श-द के रूप में संलग्न है ।

31. प्रत्यर्थी संख्या 6 ने तारीख 18 जनवरी, 2017 को प्रत्यर्थी संख्या 8 द्वारा लिखे गए उपरोक्त पत्र के उत्तर में उसको एक पत्र लिखा । इस पत्र में प्रत्यर्थी संख्या 6 ने जो अभिकथित किया वह निम्नलिखित है :–

"(i) प्रत्यर्थी संख्या 9 को प्रत्यक्ष पार्सल वितरण कंटेनर भेजे जाने के लिए 2016 की सार्वजनिक सूचना संख्या 161 में विहित प्रक्रिया यह है कि ऐसा केवल अपवादिक परिस्थितियों में ही किया जाएगा अर्थात् जब प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा का प्रयोग करने वाला आयातक माल की उतराई के 48 घंटों के भीतर उसको नहीं

हटाता । इस पत्र के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 6 ने यह भी अभिकथित किया कि कारबार करने के लिए उचित वातावरण उपलब्ध कराए जाने के प्रयोजनार्थ किए गए अनेक उपायों को दृष्टि में रखते हुए प्रत्यक्ष वितरण प्रणाली सुविधा आयातकों को बड़ी संख्या में उपलब्ध कराई गई है, अतः अब यह प्रत्याशित है कि अधिकांश प्रेषित माल सामान्यतः 48 घंटों में हटा दिया जाएगा । याचियों ने अभिकथित किया कि यह पूर्णतः असत्य है और बुनियादी वास्तविकता के सर्वथा विपरीत है कि सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा प्रत्यक्ष पार्सल वितरण कंटेनरों का यातायात उक्त कंटेनरों को 48 घंटों के भीतर न हटाए जा सकने के कारण घट रहा है ।

(ii) प्रत्यर्थी संख्या 9 को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए नामित कंटेनर भाड़ा स्टेशन के रूप में इस प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए नियुक्त किया गया था कि यह कंटेनर भाड़ा स्टेशन पत्तन के निकटतम है और इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 9 को कंटेनरों के यातायात से सड़कों की भीड़-भाड़ कम हो जाएगी । याचियों ने आगे अभिकथित किया कि यह स्पष्टतया पश्चात्वर्ती विचार है चूंकि 2008 की सार्वजनिक सूचना संख्या 66, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 9 को कंटेनर भाड़ा स्टेशन के रूप में नामित किया गया, में ऐसे किसी कारण का उल्लेख नहीं है । प्रत्यर्थी संख्या 6 प्रत्येक परिस्थिति में इस बात का अधिमूल्यन कर पाने में पूर्णतया विफल रहा है कि याचियों समेत अन्य कंटेनर भाड़ा स्टेशन भी हैं, जो पत्तन से तुलनात्मक दृष्टि से समान दूरी पर हैं और किसी भी दशा में पत्तन से इतनी अधिक दूरी पर नहीं हैं कि उनको प्रत्यक्ष पार्सल वितरण की सुविधा के अन्तर्गत यातायात प्राप्त करने के अनर्ह पाते हुए इस कारणवश विवर्जित कर दिया जाए कि उन्होंने 48 घंटों के भीतर कंटेनरों को नहीं हटाया ।

(iii) 2016 की सार्वजनिक सूचना संख्या 161 के अनुसार प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा का लाभ लेने वाले को कंटेनर भाड़ा स्टेशन में परिवर्तन करने के लिए अनुरोध करने की अनुज्ञा जोखिम प्रबंध प्रणाली की सुविधासंपन्न केन्द्र के भारसाधक अपर/संयुक्त आयुक्त द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुज्ञा के अध्यधीन रहते हुए, प्रदान की गई है और इसलिए, नामित कंटेनर भाड़ा स्टेशन की नियुक्ति न तो मनमानीपूर्ण है और न ही पक्षपातपूर्ण । याचियों ने

आगे अभिकथित किया कि इस दलील में इस तथ्य का अनदेखा किया गया है कि वास्तव में, उक्त अनुज्ञाएं सामान्य अनुक्रम में प्रदान नहीं की गई हैं (वास्तव में आज की तारीख तक मात्र 28 अनुज्ञाएं प्रदान की गई हैं) और किसी भी परिस्थिति में 48 घंटों की अवधि इस अनुज्ञा को अभिप्राप्त किए जाने के प्रयोजनार्थ बिल्कुल ही अपर्याप्त है और इसलिए, प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा प्राप्त कंटेनर नामित कंटेनर भाड़ा स्टेशनों अर्थात् प्रत्यर्थी संख्या 9 को 48 घंटें समाप्त होने के पश्चात् नहीं जा रहे हैं ।

(iv) किसी भी विशिष्ट अस्तित्व से कोई करार नहीं हुआ है और इसलिए निविदाएं आमंत्रित किए जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता । याचियों ने अभिकथित किया कि इस दलील के द्वारा इस तथ्य का अनदेखा किया गया है कि नामित कंटेनर भाड़ा स्टेशन के रूप में प्रत्यर्थी संख्या 9 को नियुक्त किए जाने और समस्त प्रत्यक्ष पार्सल वितरण प्रणाली की सुविधा का लाभ उठाने वाले यातायात को केवल प्रत्यर्थी संख्या 9 की ओर भेजे जाने के द्वारा केवल एक नामित कंटेनर भाड़ा स्टेशन के पक्ष में मनमाने और अनुचित तरीके से उन प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा का लाभ उठाने वाले कंटेनरों के पक्ष में, जिनको आयातकों द्वारा 48 घंटों की विहित अवधि के भीतर नहीं हटाया जाता, एकाधिकार सृजित कर दिया गया है और इस नामित कंटेनर भाड़ा स्टेशन के किसी अन्य कंटेनर भाड़ा स्टेशनों को बोली लगाने या प्रतिस्पर्धा करने के लिए सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किए बिना नियुक्त किया गया है ।"

प्रत्यर्थी संख्या 6 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 8 को लिखित तारीख 18 जनवरी, 2017 के पत्र की प्रति इस याचिका के साथ प्रदर्श-द के रूप में संलग्न है ।

32. प्रत्यर्थी संख्या 6 ने तारीख 9 फरवरी, 2017 को 2017 की सार्वजनिक सूचना संख्या 16 जारी की जिसके द्वारा यह दोहराया गया कि ऐसे मामलों, जहां जोखिम प्रबन्ध प्रणाली की सुविधासम्पन्न कंटेनर प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा के लिए अर्ह आयातक प्रत्यर्थी संख्या 2 से 6 अर्थात् सीमाशुल्क प्राधिकारी से "कोई प्रभार नहीं" की अनापत्ति उक्त कंटेनरों के संबंध में प्राप्त नहीं करते हैं, तो आयातकों को कंटेनर भाड़ा स्टेशन चुनने की अनुज्ञा प्राप्त नहीं होगी । जैसा कि ऊपर विस्तारपूर्वक बताया गया है अनेक आयातक प्रत्यर्थी संख्या 2 से 6 उनके कंट्रोल के परे विभिन्न

कठिनाइयों के कारण अनुध्यात अवधि के भीतर "कोई प्रभार नहीं" अभिप्राप्त करने के योग्य नहीं होता । 2017 की सार्वजनिक सूचना संख्या 16 की प्रति इस याचिका के साथ प्रदर्श-ध के रूप में संलग्न है ।

33. इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने याचियों को सम्मिलित करते हुए पत्तन के समस्त पणधारकों के साथ तारीख 19 जनवरी, 2017 को आयोजित बैठक के दौरान याचियों समेत समस्त कंटेनर भाड़ा स्टेशनों को निर्देशित किया कि वे जोखिम प्रबन्ध प्रणाली के कंटेनरों को प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा प्रदान करें और आगे अभिकथित किया कि यदि 48 घंटों की अवधि के भीतर आयातकों द्वारा किसी कंटेनर को खाली नहीं किया जाता तो वह आयातक कड़े परीक्षण का सामना करेगा । तारीख 19 जनवरी, 2017 की बैठक का कार्यवृत्त की प्रति इस याचिका के साथ प्रदर्श-न के रूप में संलग्न है ।

34. प्रत्यर्थी संख्या 5 ने तारीख 6 मार्च, 2017 को 2017 की सार्वजनिक सूचना संख्या 27 जारी की जो याचियों समेत कंटेनर भाड़ा स्टेशनों पर अन्य बातों के साथ-साथ इस बात को सुनिश्चित किए जाने की बाध्यता अधिरोपित करती है कि समस्त प्रत्यक्ष पार्सल वितरण कंटेनर जो किसी विशिष्ट कंटेनर, भाड़ा स्टेशन को इंपोर्ट जनरल मेनिफेस्ट के अनुसार चिह्नित किए गए थे, मात्र सीमाशुल्क विभाग से "कोई प्रभार नहीं" अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात् और इस बात को भी सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कंटेनर मात्र प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा के लिए इस बात को प्रमाणित किए जाने के पश्चात् निर्मुक्त किए गए थे कि आयातक को सुपुर्दगी आदेश जारी किया जा चुका है, कंटेनर भाड़ा स्टेशन को भेजे गए थे । 2017 की सार्वजनिक सूचना संख्या 27 इस याचिका के साथ प्रदर्श-प के रूप में संलग्न है ।

35. याचियों ने वर्तमान याचिका तारीख 16 मार्च, 2017 को इस न्यायालय के समक्ष फाइल की जिसकी प्रति प्रत्यर्थियों पर तारीख 17 मार्च, 2017 को तामील हो गई । प्रत्यर्थी संख्या 1 से 6 ने याचिका की प्रति प्राप्त हो जाने के तुरन्त पश्चात् प्रत्यर्थी संख्या 10 के माध्यम से तारीख 17 मार्च, 2017 की सीमित निविदा नोटिस 2009 के सीमाशुल्क क्षेत्र में जलपोत पर लदा माल विनियम के अन्तर्गत सीमाशुल्क जलपोत पर लदा माल सेवा प्रदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत समस्त कंटेनर भाड़ा स्टेशनों से आमंत्रित की ।

36. इस रिट याचिका में न्हेवा शेवा के सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा प्रत्युत्तर में एक शपथपत्र फाइल किया गया है ।

37. इस शपथपत्र में सर्वप्रथम यह अभिकथित किया गया है कि न्हेवा शेवा, ताल्लुका उड़ान, जिला रायगढ़ स्थित जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क गृह के प्रबंधन सेल द्वारा तारीख 9 फरवरी, 2017 की सार्वजनिक सूचना संख्या 16 जारी की गई है जिसके द्वारा आयातकों को उनकी संव्यवहार लागत और पोत पर खड़े रहने के समय को घटाए जाने के प्रयोजनार्थ विभिन्न अन्य उपायों के अतिरिक्त प्रत्यक्ष पोत संवितरण कोड के निबंधनों के अनुसार अतिरिक्त सुविधा और आयातकों की पसंद के कंटेनर भाड़ा स्टेशन कोड की अनुज्ञा प्रदान की गई है । इसके परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष पार्सल वितरण कंटेनरों, जिनको सीमाशुल्क विभाग द्वारा 48 घंटों के भीतर रवाना नहीं किया जाता था, की संख्या में अत्यधिक कमी आई है । माह फरवरी, 2017 में प्रत्यर्थी संख्या 9 को जाने वाले ऐसे प्रत्यक्ष पार्सल वितरण कंटेनरों की संख्या 7215 थी जो एक मार्च से 22 मार्च, 2017 की अवधि में घटकर 3568 रह गई । एक माह में प्रत्यक्ष पार्सल वितरण कंटेनरों की यह संख्या, जिनको 48 घंटों के भीतर रवाना नहीं किया गया था, 30 प्रतिशत तक घट गई है और आने वाले दिनों में इसके और अधिक घटने की उम्मीद है । यह दिलचस्प है कि प्रत्यक्ष पार्सल वितरण कंटेनरों की यह संख्या, जिसके लिए याचियों आयातकों ने समेत अन्य कंटेनरों भाड़ा स्टेशनों को चुना, फरवरी के माह में 2049 कंटेनर थे । बाद में यह संख्या तारीख 22 मार्च, 2017 तक आश्चर्यजनक रूप से बढ़कर 7698 कंटेनर हो गई । अतः, अंतिम स्थानक पत्तन से प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधासम्पन्न कंटेनरों की रवानगी के संबंध में उपलब्ध डाटा शीट की प्रति का अवलंब लिया गया । अतः, इस संबंध में कोई शिकायत नहीं हो सकती और यदि ऐसी कोई शिकायत है, तो उसका निस्तारण हो चुका है । इसलिए, याचिका अस्वीकृत की जाती है ।

38. तत्पश्चात्, अगले पैरा में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा को जोखिम प्रबंध प्रणाली सुविधासम्पन्न जलपोत पर लगे हुए माल (जिसके संबंध में कोई परीक्षण अपेक्षित नहीं है) विस्तारित किए जाने के प्रयोजनार्थ विनिश्चयाधार और कारण यह है कि पहले ये कंटेनर केवल कंटेनर संख्या, मोहर संख्या और मोहर की स्थिति के सत्यापन के प्रयोजनार्थ कंटेनर भाड़ा स्टेशनों के माध्यम से रवाना किए

जाते थे । चूंकि कंटेनरों को कंटेनर भाड़ा स्टेशनों के माध्यम से रवाना किया जाता है, पृष्ठ 157 पर पैरा 4 में उल्लिखित प्रभारों का संदाय किया जाना चाहिए । अन्य शब्दों में ऐसे विवरणों का सत्यापन अंतिम स्थानक पत्तन के भीतर (पत्तन से रवानगी से पूर्व) किया जा सकता है और प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा को समय और लागत, दोनों को घटाए जाने के प्रयोजनार्थ विस्तारित किया गया था ।

39. तत्पश्चात्, यह अभिकथित किया गया कि याची केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा जारी की गई विभिन्न सार्वजनिक सूचनाओं, कुछ अधिसूचनाओं और परिपत्रों को चुनौती दे रहे हैं किन्तु वे केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा 1962 के सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 141 की उपधारा (2) सपठित धारा 157 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए 2009 के सीमाशुल्क क्षेत्र में जलपोत पर लदा माल विनियम के अर्थान्तर्गत यह भूल गए हैं कि वे सीमाशुल्क क्षेत्र में जलपोत पर लदे हुए माल का सेवा प्रदाता हैं । शपथपत्र के पैरा 1 में जहाजरानी और यातायात मंत्रालय (पत्तन खंड) की अधिसूचना को निर्दिष्ट किया गया है । तत्पश्चात् यह अधिकथित किया गया है कि जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के साथ संलग्न एक कंटेनर भाड़ा स्टेशन का परिचालन प्रत्यर्थी संख्या 9 द्वारा किया जाता है । याची उपरोक्त विनियमों द्वारा आच्छादित हैं और तत्पश्चात् 2009 के सीमाशुल्क क्षेत्र में जलपोत पर लदा माल विनियम के विनियम 2(ख) और 7(2) को निर्दिष्ट किया गया है, जिनके द्वारा अधिकारिताप्राप्त सीमाशुल्क आयुक्त आयात निर्यात कंटेनरों के आवागमन को विनियमित कर सकता है । अतः, उक्त अधिनियम की धारा 141(2) और 2009 के सीमाशुल्क क्षेत्र में जलपोत पर लदा माल विनियम के विनियम 7(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2008 की सुविधा सूचना संख्या 63 तारीख 1 सितम्बर, 2008 को जारी की गई थी । तत्पश्चात् सुविधा सूचना के पैरा 3.8 को निर्दिष्ट किया गया जिसके द्वारा समस्त संबद्ध पणधारकों को सूचित किया गया था कि सीमाशुल्क आयुक्त नामित कंटेनर भाड़ा स्टेशन को अधिसूचित करेगा । जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क गृह के सीमाशुल्क आयुक्त ने 2008 की सार्वजनिक सूचना संख्या 66, तारीख 11 सितम्बर, 2008 प्रत्यर्थी संख्या 9 स्पीडी मल्टीमोड लिमिटेड को नामित कंटेनर भाड़ा स्टेशन के रूप में अधिसूचित करते हुए जारी की ।

40. इन नोटिसों के जारी किए जाने का न्यायोचित्य इस शपथपत्र के

पैरा 11 में उपबंधित है, जो इस प्रकार है :–

> "11. मेरा कहना है कि जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क गृह के सीमाशुल्क आयुक्त ने पारदर्शी तरीके से कंटेनर भाड़ा स्टेशन नामित किए जाने की प्रशासनिक अपेक्षा पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि अंतिम स्थानक पत्तन के निकटतम कंटेनर भाड़ा स्टेशन को नामित किया जाना उपयुक्त होगा । इसलिए, प्रत्यर्थी संख्या 9 स्पीडी मल्टीमोड लिमिटेड नामक कंटेनर भाड़ा स्टेशन, जो अंतिम स्थानक पत्तन के निकटतम स्थित कंटेनर भाड़ा स्टेशन है, को वैकल्पिक कंटेनर भाड़ा स्टेशन के रूप में नामित किया गया । इसके अलावा, जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क गृह के सीमाशुल्क आयुक्त ने स्पीडी मल्टीमोड लिमिटेड को जवाहरलाल नेहरू पत्तन टर्मिनल के स्वामित्वाधीन होने के कारण कंटेनर भाड़ा स्टेशन के रूप में नामित किया जो **प्रमुख पत्तन के लिए टैरिफ अथारिटी** के अधिक्षेत्र के अन्तर्गत आता है । प्रमुख पत्तनों के लिए टैरिफ अथारिटी विनियम एक सीमा अधिरोपित करते हैं जिसके आधार पर स्पीडी मल्टीमोड लिमिटेड, कंटेनर भाड़ा स्टेशन को प्रभार वसूल करने होते हैं । इसको पक्षपातपूर्ण तरीके से परिवर्तित नहीं किया जा सकता । यह विनिश्चय जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क गृह के सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा जनहित में लिया गया था ताकि कंटेनरों को वैकल्पिक रूप से निकाले जाने से सड़क पर भीड़-भाड़ से मुक्ति मिलेगी और आयातकों की संव्यवहार लागत में भी कमी आएगी ।"

41. तत्पश्चात्, जिस बात का अवलंब लिया गया, वह जवाहरलाल नेहरू पत्तन टर्मिनल के अध्यक्ष द्वारा लिखा गया तारीख 29 नवम्बर, 2016 का एक पत्र है, जिसकी प्रति प्रत्युत्तर में फाइल किए गए शपथपत्र के साथ प्रदर्श 6 के रूप में संलग्न है । यह अभिकथित किया गया है कि सीमाशुल्क विभाग को उपलब्ध सूचना के अनुसार याची संख्या 1 से 13 प्रमुख पत्तन के लिए टैरिफ अथारिटी के अधिक्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आते । यह उनको बाजार दरों पर और/या उनकी अपनी शर्तों पर बाजार दरों से भी अधिक प्रभार वसूलने की स्वतंत्रता प्रदान करता है । अतः यह अभिकथित किया गया कि आयुक्त द्वारा जारी की गई पश्चात्वर्ती सार्वजनिक सूचनाएं जिनको इस याचिका में आक्षेपित किया गया है, यह परिकल्पित करती हैं कि यदि प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा प्राप्त कंटेनरों को 48 घंटों के भीतर रवाना नहीं किया जाता, तो उनको जनहित में

नामित कंटेनर भाड़ा स्टेशनों को और प्रत्युत्तर शपथपत्र के पैरा 9 से 11 में उल्लिखित कारणोंवश रवाना कर दिया जाना चाहिए ।

42. इसके अतिरिक्त, आक्षेपित कार्यवाहियों के लिए दिया गया न्यायोचित्य यह है कि उनके द्वारा की गई कार्यवाही मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा **कंटेनर शिपिंग लाईन्स एसोशिएशन** बनाम **भारत संघ**[1] वाले मामले में व्यक्त किए गए विचारों के समांजस्य में है । इस निर्णय की प्रति शपथपत्र के साथ प्रदर्श-7 के रूप में संलग्न है । इसलिए, जिस बात पर आक्षेप किया गया है, वह प्रत्यर्थी संख्या 9 को नामित किया जाना है, किन्तु यदि सार्वजनिक सूचनाओं के उद्देश्य और प्रयोजन को ध्यान में रखा जाए, विशेष रूप से कारबार करने और पत्तन का प्रयोग करने वाले/पार्सल वितरण प्रणाली सुविधा प्राप्त करने वाले व्यापारियों द्वारा वहन की जाने वाली संव्यवहार लागत को कम किए जाने को, तो सभी पणधारकों का हित पर्याप्त रूप से संरक्षित रहेगा । अब, प्रत्यर्थी संख्या 8 और अन्य कंटेनर भाड़ा स्टेशनों द्वारा यह मांग की गई है कि जाना जनहित में होगा । कंटेनर भाड़ा स्टेशन को सीमित निविदा की प्रक्रिया द्वारा नामित किया जाए । प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाए जाने के प्रयोजनार्थ, यह निर्णय लिया गया कि सीमित निविदा आमंत्रित की जाए । इससे सभी कंटेनर भाड़ा स्टेशनों को पारदर्शी तरीके से भागीदारी का अवसर मिलेगा ।

43. प्रत्युत्तर में फाइल किए गए इस शपथपत्र के पैरा 16, 17 और 19 में यह अभिकथित किया गया :–

> "16. इस संबंध में मेरा कहना है कि जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क गृह के साथ प्रमुख पत्तनों के लिए टैरिफ अथारिटी के रूप में रजिस्ट्रीकृत समस्त कंटेनर भाड़ा स्टेशनों से निविदाएं आमंत्रित किए जाने के लिए निविदा सूचना जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क गृह द्वारा तारीख 17 मार्च, 2017 को न्हेवा शेवा स्थित जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क गृह के अंतिम स्थानक पत्तन से प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधासम्पन्न कंटेनरों की सुपुर्दगी के लिए कंटेनर भाड़ा स्टेशन नामित किए जाने के प्रयोजनार्थ को कंटेनर भाड़ा स्टेशन को जारी की जा चुकी है । सीमित निविदा सूचना की प्रति संलग्न है और प्रदश-8 के रूप में चिह्नांकित है ।
>
> 17. इस संबंध में मेरा कहना है कि सीमित निविदा सूचना

---

[1] ए. आई. आर. 2010 मद्रास 452.

दस्तावेजों को याची संख्या 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 13 को सम्मिलित करते हुए वर्तमान में कार्यान्वित 33 कंटेनर भाड़ा स्टेशनों में से 27 कंटेनर भाड़ा स्टेशनों द्वारा पहले ही तारीख 17 मार्च, 2017 को प्राप्त किया जा चुका है और निविदाएं प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तारीख 30 मार्च, 2017 है । इसके साथ प्रदर्श 9 के रूप में संलग्न और चिह्नांकित कागज 27 कंटेनर भाड़ा स्टेशनों के निविदा दस्तावेजों की रसीद है ।

19. मेरा कहना है कि यह याचिका गुणागुण से रहित है और सरसरी में ही अस्वीकृत किए जाने योग्य है । मेरा कहना है कि यातायात संबंधी व्ययों की लागत वहन करने का जिम्मा आयातकों का है । वे व्यथित नहीं है । इसके विपरीत कंटेनर भाड़ा स्टेशन ने इस न्यायालय की शरण ली है । मेरा कहना है कि याची संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन असाधारण अधिकारिता के प्रयोग में इस न्यायालय द्वारा मध्यक्षेप किए जाने के प्रयोजनार्थ मामला प्रस्तुत कर पाने में विफल रहे हैं । मेरा कहना है कि राजस्व विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का एकमात्र उद्देश्य समस्त पणधारकों के लिए सुविधाएं जुटाना है । मैं अब, जो कुछ भी ऊपर कहा गया है, से विपरीत रूप से प्रभावित हुए बिना इस याचिका के विभिन्न पैरा पर विचार करूंगा ।"

44. अंततः यह दलील दी गई है कि याचियों ने तथ्यों के आधार पर न्यायालय को गुमराह किया है और असत्य बातों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया । सीमाशुल्क विभाग ने स्वप्रेरणा से प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा को 700 से अधिक आयातकों को प्रदान कर दिया है और अब ऐसा कोई मामला शेष नहीं रह गया है जिसमें कोई आयातक उसको प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा प्रदान किए जाने के विरुद्ध व्यथित हो । इसके अतिरिक्त आयातक को ऐसा कोई कारण उत्पन्न नहीं हुआ कि वह व्यथित होता चूंकि यह सुविधा उनके संव्यवहार, समय और लागत को बड़ी मात्रा में घटाने के लिए आशयित है । जवाहरलाल नेहरू पत्तन टर्मिनल और अन्य पत्तन टर्मिनलों के माध्यम से कंटेनरों का कुल मासिक आयात लगभग 1,20,000 फीट के समतुल्य यूनिट होने के कारण आयातकों को लगभग 48 करोड़ की लागत बचत होगी, यद्यपि चाहे 40 प्रतिशत आयात कंटेनरों को प्रत्यक्ष पार्सल वितरण कंटेनरों के रूप में रवाना कर दिया जाए जो लगभग 48,000 यूनिटों के समतुल्य है । अतः याची सीमाशुल्क विभाग

द्वारा या अंतिम स्थानक पत्तन द्वारा आयातकों को प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा विस्तारित किए जाने या के विरुद्ध व्यथित कैसे हो सकते हैं, को स्पष्ट नहीं किया गया है । अतः याचियों को इस प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होने के कारण यह याचिका साशय फाइल की गई प्रतीत होती है और पूर्णतया वाणिज्यिक लाभ-हानि को ध्यान में रखते हुए फाइल की गई है । शपथपत्र के शेष पैराग्राफ में इनकार समाविष्ट है और इस बात के स्पष्टीकरण समाविष्ट हैं कि किस प्रकार से पत्तन के गतिशील और पारदर्शी तरीके से प्रशासन के लिए किए गए उपायों के द्वारा समस्त पणधारकों के हित संरक्षित हैं । आयातकों को कंटेनर भाड़ा स्टेशन के बाबत अपनी रुचि दर्शित करने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है । इन समस्त कारणोंवश यह याचिका भ्रमपूर्ण प्रतीत होती है और तुरन्त अस्वीकृत किए जाने योग्य है । याचियों का निजी हित सर्वांगीण जनहित से बड़ा नहीं हो सकता । इन कारणोंवश यह रिट याचिका खारिज की जाती है । यह आदेश पारित करते हुए यह उल्लेख किया जाता है कि आयातकों को कंटेनर भाड़ा स्टेशन का विकल्प उपलब्ध है और इस विकल्प के उपलब्ध होने की प्रक्रिया भी अत्यन्त साधारण है । कार्यालय के चक्कर लगाने और ईमेल भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ अंतिम हो चुका है ।

45. प्रत्युत्तर में तारीख 23 मार्च, 2017 को फाइल किए गए इस शपथपत्र, जो अत्यंत विस्तारपूर्वक है, के प्रत्युत्तर में याचियों द्वारा एक खंडन शपथपत्र फाइल किया गया । इस खंडन शपथपत्र में रिट याचिका में दी गई चुनौती के आधारों को दोहराते हुए यह अभिकथित किया गया है कि रिट याचिका का विरोध इस आधार पर किया जा रहा है कि तारीख 17 मार्च, 2017 को जारी की गई सीमित निविदा सूचना, जिसके अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत कंटेनर भाड़ा स्टेशनों को प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा संपन्न कंटेनरों की सुपुर्दगी के प्रयोजनार्थ बोलियां प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था, एक सीमित निविदा सूचना है । इससे पारदर्शिता और जनहित का संरक्षण सुनिश्चित होता है । द्वितीयतः, प्रत्यर्थी संख्या 9 को इस कारणवश नामित किया गया है क्योंकि उसका स्वामित्व जवाहरलाल नेहरू पत्तन के पास है, जो बड़े पत्तनों के अन्तर्गत आने वाले टैरिफ प्राधिकरण के अधिक्षेत्र के अन्तर्गत आता है । तथापि, यह आधार पर्याप्त नहीं है और इनमें कोई गुणागुण नहीं है । जैसा कि याचिका में कहा गया है, निविदा सूचना जारी किए जाने से याचियों की शिकायतों का निस्तारण नहीं होता और न ही इससे याचिका का प्रयोजन समाप्त होता है । याचियों

ने यह दलील नहीं दी है कि उनको नामित कंटेनर भाड़ा स्टेशनों के रूप में नियुक्त किया जाए या कोई सीमित निविदा जारी की जाए । याची न तो बचने का प्रयास कर रहे हैं और न ही अपनी चुनौती को कंटेनर भाड़ा स्टेशन के रूप में प्रत्यर्थी संख्या 9 की नियुक्ति तक सीमित कर रहे हैं । वे आक्षेपित सार्वजनिक सूचनाओं से व्यथित हैं क्योंकि ये आक्षेपित सूचनाएं आयातकों की रुचि पर अध्यारोही प्रभाव रखती हैं । यदि आयातक अधिमानित कंटेनर भाड़ा स्टेशन की अपनी रुचि को उपदर्शित कर देते हैं और यदि वे अपने कंटेनरों को उन अधिमानित कंटेनर भाड़ा स्टेशनों को भेजना चाहते हैं तो उनकी ऐसी रुचि में मध्यक्षेप नहीं किया जा सकता । यदि एक बार प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा के लिए अर्ह आयातकों ने किसी अधिमानिक कंटेनर भाड़ा स्टेशन को उनके इंपोर्ट जनरल मेनिफेस्ट के रूप में उपदर्शित कर दिया, तो उनके कंटेनरों को उसी अधिमानिक कंटेनर भाड़ा स्टेशन को इस बात के बावजूद भेजा जाना चाहिए कि वह कंटेनर "कोई प्रभार नहीं" की श्रेणी में आता है कि नहीं अर्थात् उस कंटेनर को 48 घंटों के भीतर पत्तन से सीमाशुल्क विभाग द्वारा रवाना कर दिया है या नहीं । प्रत्युत्तर से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा के लिए अर्ह कंटेनरों से इस बात के बावजूद सहमत हैं कि क्या उन कंटेनरों, जिनको 48 घंटों की अवधि, जिसके भीतर आयातकों द्वारा 2016 की सार्वजनिक सूचना संख्या 161 के अनुसार रवाना किया जाना है, के पश्चात् आयातकों की पसंद के कंटेनर भाड़ा स्टेशनों को सौंपा जाना है । सीमाशुल्क विभाग से "कोई प्रभार नहीं" सुविधा प्राप्त कर ली है या नहीं । तथापि, यह दृष्टिकोण 2017 की सार्वजनिक सूचना संख्या 27, जो स्पष्ट करती है कि केवल वे कंटेनर जिनको सीमाशुल्क विभाग से 48 घंटों के भीतर "कोई प्रभार नहीं" सुविधा प्राप्त हो चुकी है, उस कंटेनर भाड़ा स्टेशन को भेजे जा सकते हैं जिनको आयातक द्वारा अधिमान प्रदान किया गया है, के विपरीत है और ऐसी स्थिति में जब उस आयातक के लिए "कोई प्रभार नहीं" सुविधा प्राप्त नहीं हुई है, तो उसको नामित कंटेनर भाड़ा स्टेशन को भेजा जाएगा । अतः समस्त प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधासंपन्न कंटेनरों से यह अपेक्षा किया जाना कि वे एकल नामित कंटेनर भाड़ा स्टेशन के पास जाएं, उस तरीके को ध्यान में न रखते हुए, जिसके द्वारा उस नामित कंटेनर भाड़ा स्टेशन की नियुक्ति की गई है, याचियों के व्यापार करने के अधिकार के प्रति मनमानापूर्ण, अवैध और असंवैधानिक मध्यक्षेप है । याचियों को आक्षेपित सार्वजनिक सूचनाओं द्वारा

सृजित प्रत्यक्ष पार्सल वितरण व्यवस्था में भागीदारी करने का समान अवसर प्रदान नहीं किया गया । आक्षेपित सार्वजनिक सूचनाएं सभी याचियों और कंटेनर भाड़ा स्टेशनों को प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा व्यवस्था में भाग लेने का समान अवसर प्रदान किए जाने की अनुज्ञा प्रदान करने के बजाय उसमें भागीदारी को किसी एकल नामित कंटेनर भाड़ा स्टेशन तक सीमित करते हैं, जो कि पक्षपातपूर्ण, मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 की आज्ञा का अतिक्रमण है । इसलिए, केवल ऐसा नहीं है कि एक सीमित निविदा सूचना जारी कर दी गई है और इसलिए याचियों की शिकायत सुने जाने योग्य नहीं है । याचियों का कहना है कि प्रतिरक्षा करने वाले प्रत्यर्थियों द्वारा उनकी चुनौती का गलत अर्थान्वयन और निर्वचन किया गया है । यदि प्रत्यर्थी संख्या 9 की नियुक्ति का दुरुपयोग उसके लाभ के प्रयोजनार्थ किया जाता है, तो वह एक बड़ी चुनौती है और उस पर विचार किया जाना चाहिए । प्रत्यर्थी संख्या 9 एक निजी अस्तित्व है यद्यपि वह प्रमुख पत्तन के लिए टैरिफ अथारिटी के अन्तर्गत आता है । प्रत्यर्थियों ने आज तक याचियों द्वारा आयातों पर अधिरोपित प्रभारों के बाबत कभी कोई आक्षेप नहीं किया और इसलिए वे इस बात का विरोध नहीं कर सकते कि प्रत्यर्थी संख्या 9 द्वारा आयातकों से वसूल की जाने वाली रकम पर कोई सीमा है । लागत में भी कोई कमी नहीं की गई है । इसलिए आक्षेपित कार्यवाही जनहित में नहीं है और समाप्त किए जाने योग्य है । खंडन में फाइल किया गया यह शपथपत्र तारीख 30 मार्च, 2017 को फाइल किया गया ।

46. हमने उपरोक्त सामग्री के आधार पर दोनों पक्षों द्वारा दी गई परस्पर विरोधी दलीलों पर विचार किया ।

47. याचियों की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल श्री द्वारकादास ने हमारा ध्यान समस्त सार्वजनिक सूचनाओं की ओर दिलाया और यह निवेदन किया कि कंटेनर भाड़ा स्टेशन का चुनाव आयातकों की पसन्द पर निर्भर करता है । तथापि, आयातक अब जो अनुध्यात करते हैं वह यह है कि यदि कंटेनरों को रवाना नहीं किया गया तो ऐसा किए जाने में विफलता का परिणाम प्रत्यर्थी संख्या 9 को हटाया जाना होगा । श्री द्वारकादास ने निवेदन किया कि इस प्रकार की सुविधाएं जिनको अब लागू किए जाने या सृजित किए जाने की ईप्सा की जा रही है, को कार्यकारी आदेश जारी किए जाने के द्वारा किया गया है । कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया गया है ।

48. तत्पश्चात्, श्री द्वारकादास ने निवेदन किया कि जहां तक अनुध्यात अवधि के भीतर प्रत्यक्ष पार्सल वितरण के तरीके द्वारा कंटेनरों को रवाना किए जाने में विफलता का प्रश्न है, आक्षेपित कार्यवाहियों के कारण संविधान के अनुच्छेद 19(1)(छ) की आज्ञा का अतिक्रमण होता है और इसके परिणामस्वरूप आयातकों को किसी भी प्रकार की शास्ति का संदाय नहीं होता, किन्तु इससे याची ऐसे सभी कंटेनरों, जिनको आयातकों की पसन्द के बाद भी रवाना नहीं किया गया और तत्पश्चात् प्रत्यर्थी संख्या 9 को भेजा गया, के संबंध में अपने अधिकारों से वंचित होते हैं । यह प्रत्यर्थी संख्या 9 और अन्य याचियों के विरुद्ध बिना किसी तर्काधार या युक्तिसंगत आधार के स्पष्ट रूप से पक्षपात है । अन्य शब्दों में प्रत्यर्थी संख्या 9 द्वारा लिया गया लाभ याचियों की हानि के बदले में है । प्राधिकारियों ने यह धारणा करते हुए किन्तु बिना स्वीकार किए बृहत्तर लोक हित के पक्ष में कार्य करने का प्रयास किया है किन्तु वह लोक हित विल्कुल भी पूरा नहीं हो पाया । इससे एक निजी अस्तित्व प्रत्यर्थी संख्या 9 का लाभ हुआ है जो संरक्षित है । यह आयातकों के प्रोत्साहन को कम करना है और इससे याचियों को हानि होगी । यह अनुचित रूप से उठाया गया कड़ा और अयुक्तियुक्त कदम है जो संविधान के अनुच्छेद 14 की आज्ञा का उल्लंघन करता है । तत्पश्चात् श्री द्वारकादास ने यह निवेदन किया कि इससे लोकहित की प्राप्ति नहीं होगी चूंकि अक्षेपित कार्यवाहियों के कारण पत्तन पर भीड़-भाड़ बिल्कुल भी नहीं घटी है । श्री द्वारकादास ने निवेदन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 9 के हित की तुलना याचियों के हित के साथ नहीं कि जा सकती क्योंकि याचियों की क्षतिपूर्ति सीमित सावर्जनिक निविदा जारी किए जाने के द्वारा नहीं की जा सकती । याचियों की शिकायत, जिसको याचिका में प्रमुखता प्रदान की गई है, का निस्तारण नहीं किया गया है । अब एक प्रशासनिक आदेश या कार्य के द्वारा किन्तु विधि की मंजूरी के बिना आक्षेपित कार्यवाही नहीं की जा सकती । यदि याचियों ने एक बार भी आक्षेपित कार्यवाहियों और उपायों के संबंध में प्राधिकारियों में शक्ति या अधिकारिता में कमी की ओर संकेत कर दिया, तो रिट याचिका सफल होने योग्य है ।

49. इसके विपरीत, विद्वान् अपर महासालिसीटर श्री अनिल सिंह ने निवेदन किया कि याची आयातक नहीं है । आयातकों ने इस संबंध में कोई भी शिकायत नहीं की है । आयातक ही वित्तीय बोझ वहन करते हैं । इस बोझ को याचियों द्वारा बिल्कुल भी वहन नहीं किया जाता । इन

परिस्थितियों में समस्त कार्यवाहियां बृहत्तर जनहित में और पत्तन से भीड़-भाड़ को घटाने के लिए की गई हैं । जलपोत पर लदे हुए माल की निकासी को शीघ्रता प्रदान की गई है । याचियों का कोई निहित अधिकार नहीं है और वे याचियों द्वारा आरम्भ किए गए उपायों की प्रक्रिया को चुनौती देते हुए अपने व्यवसायिक हितों की ईप्सा नहीं कर सकते । यदि किसी आयातक ने कंटेनर भाड़ा स्टेशन की अपनी अभिरुचि को कभी प्रदर्शित किया है और आयातक की उस अभिरुचि का आदर नहीं किया गया है, तो आयातक के पास विधिक सहायता प्राप्त करने के पर्याप्त अवसर हैं । किन्तु आयातक ने विधिक सहायता प्राप्त करने के किसी उपाय का आशय नहीं लिया । यदि फिर भी याची निवेदन करते हैं कि प्राधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियां उन बाध्यताओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं या उनको विफल करती हैं, जिनका निर्वहन उनके और आयातकों द्वारा किया जाना है, तो वे सिविल न्यायालय की शरण में जाने के द्वारा आयातकों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं । निश्चित रूप से इससे संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19(1)(छ) की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं होता । इसलिए, रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है ।

50. इन दलीलों के अधिमूल्यन के प्रयोजनार्थ 1962 के सीमाशुल्क अधिनियम को निर्दिष्ट किया जाना उचित होगा । यह अधिनियम सीमाशुल्क से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने वाला अधिनियम है । असंशोधित और संशोधित अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के कथन से यह दर्शित होता है कि यह अधिनियम किस प्रकार से सीमाशुल्क के उद्ग्रहण के लिए उपबंधित करता है । यह अधिनियम तस्करी को हत्सोसाहित करता है । इसके अतिरिक्त, इस व्यापार में कतिपय परिवर्तन और सुविधाएं अपेक्षित हैं । इन्हीं परिस्थितियोंवश पूर्ववर्ती अधिनियम को संशोधित किया गया था और तत्पश्चात्, 1991 के संशोधन अधिनियम संख्या 55 द्वारा बिना शुल्क के संदाय के आयात के पश्चात् माल को भंडारित किए जाने से संबंधित कतिपय उपबंधों को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था । 1991 के संशोधन अधिनियम संख्या 55 के उद्देश्यों और कारणों के कथन द्वारा इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि आयातित माल को बंधित भांडागारों में रखा जाए जब तक कि समुचित शुल्क के संदाय पर उनके घरेलू उपभोग के लिए या किसी विदेशी पत्तन को शुल्क के संदाय के बिना निर्यात किए

जाने के लिए वास्तविक रूप से अनुज्ञा प्राप्त नहीं हो जाती । विद्यमान उपबंधों के कारणोंवश इन कार्यों में कठिनाई आ रही है । इसलिए, यह विधेयक भंडारण की अवधि के दौरान कटौती की ईप्सा करता है, भंडारित माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क पर ब्याज की दर बढ़ाए जाने के लिए विहित करता है, शुल्क के शीघ्रतापूर्वक संदाय को सुनिश्चित करता है और शुल्क के विलम्बित संदाय पर ब्याज अधिरोपित करता है । राजस्व को शीघ्रतापूर्वक वसूल किए जाने और शुल्क के अंधाधुंध संदाय को हतोत्सोसाहित किया जाना इच्छित है । जब एक बार संशोधन किसी समय सीमा को अधिरोपित किए जाने के द्वारा शुल्कों के तीव्र संदाय को सुनिश्चित करते हैं, तो हम इस बात पर विचार नहीं करते कि आक्षेपित उपायों द्वारा आने वाली कठिनाईयां क्या हैं ।

51. अध्याय 1 की धारा 2 में परिभाषाएं समाविष्ट हैं और शब्द "सीमाशुल्क वायु पत्तन" और "सीमाशुल्क पत्तन" और "सीमाशुल्क स्टेशन" वे शब्द और अभिव्यक्तियां हैं जिनको सम्यक् रूप से परिभाषित किया गया है । शब्द "परीक्षा" को सम्मिलित करके धारा 2(17) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है किसी माल के संबंध में जिसमें उनका नापना और तोलना भी सम्मिलित है । इस अधिनियम में शब्द "तस्करी" को भी धारा 2(39) में परिभाषित किया गया है । अन्य परिभाषाएं भी हैं, जिनको 2016 के अधिनियम संख्या 28 द्वारा धारा 2(43) में शब्द "भाण्डागार" द्वारा और 2(44) में शब्द "भाण्डागारित माल" द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है । अध्याय 2 द्वारा तीनों शुल्क अधिकारियों और उनके वर्गों को निर्दिष्ट किया गया है । अध्याय 3 द्वारा सीमाशुल्क पत्तनों, सीमाशुल्क वायु पत्तनों इत्यादि की नियुक्ति के बारे में बताया गया है । अध्याय 4 द्वारा धारा 11 को अंतःस्थापित किया गया है जो माल के आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले प्रतिषेधों के बारे में वर्णन करती है। अध्याय 4क अवैध रूप से आयात किए जाने वाले माल के संबंध में दिए जाने वाले निर्देशों और उनके निस्तारण पर निवारण पर विचार करता है । इसी प्रकार से अध्याय 4ख माल के अवैध आयात के निवारण या खोज के बारे में उपबंधित करता है । इस संबंध में अपवाद का वर्णन करने की शक्ति भी प्रदान की गई है जो धारा 11(ढ) द्वारा प्रदत्त है और अध्याय 4सी में समाविष्ट है ।

52. अध्याय 5 सीमाशुल्क के उद्ग्रहण और उससे छूट के बारे में उपबंधित करता है और अध्याय 5ए वापस लौटाए जाने के प्रयोजनार्थ माल इत्यादि के मूल्य में शुल्क की रकम को दर्शित करता है । अध्याय 6 में

आयात और निर्यातित माल के यातायात में उपयोग किए जाने वाले साधनों से संबंधित उपबंध समाविष्ट हैं । यह एक सामान्य आधार है कि इस अध्याय में समाविष्ट धारा 29 से 43, "इस अध्याय के कतिपय उपबंधों से यातायात के कतिपय वर्गों को छूट" के संबंध में "भारत में जलपोतों और हवाई जहाजों के आगमन" पर विचार करती हैं । अध्याय 7 द्वारा आयातित माल और निर्यात किए जाने वाले माल की रवानगी के मामलों पर विचार किया जाता है । अध्याय 8 में उस माल पर विचार किया जाता है जो मार्ग में है । तत्पश्चात् एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो अध्याय 9 है और "भाण्डागार" पर विचार करता है । सार्वजनिक और निजी भाण्डागारों और विशेष भाण्डागारों को अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के बाबत भी उपबंध हैं । धारा 60 भाण्डागार में जमा किए जाने के प्रयोजनार्थ माल को हटाए जाने की अनुज्ञा पर विचार करती है । धारा 61 उस अवधि के संबंध मे विचार करती है जिसमें माल भाण्डागार में जमा रहेगा । तत्पश्चात्, अन्य बहुत से पहलू भी हैं जिनका उल्लेख धारा 63 ले 73क में किया गया है । अध्याय 10 का शीर्षक "वापसी" है । अध्याय 11 में यात्री सामान-डाक द्वारा आयातित या निर्यातित माल और यान सामग्री के संबंध में विशेष उपबंध समाविष्ट हैं । अध्याय 12 में तटीय माल और तटीय माल को वहन करने वाले जलयानों के बारे में उपबंध समाविष्ट हैं । अध्याय 13 में तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तारी से संबंधित उपबंध समाविष्ट हैं । अध्याय 14 में माल और प्रवहणों का अधिहरण और शास्तियों का अधिरोपण से संबंधित उपबंध समाविष्ट हैं । हम इस मामले में अध्याय 14क, जो मामलों के निपटारों से संबंधित है, के उपबंधों से संबंधित नहीं है और अध्याय 15 में अपीलों और पुनरीक्षणों से संबंधित उपबंध समाविष्ट हैं और इसी प्रकार से अध्याय 16 में अपराधों और अभियोजनों से संबंधित उपबंध समाविष्ट हैं । अध्याय 17 में प्रकीर्ण उपबंध समाविष्ट है, जिसके अन्तर्गत आने वाली धारा 141 निम्नलिखित है :–

> "धारा 141. **सीमाशुल्क क्षेत्र में प्रवहण और माल का सीमाशुल्क अधिकारियों के नियंत्रण के अधीन होना** – (1) किसी सीमाशुल्क क्षेत्र में सभी प्रवहण और माल, इस अधिनियम के उपबंधों को प्रवृत्त करने के प्रयोजन के लिए, सीमाशुल्क अधिकारियों के नियंत्रण के अधीन होंगे ।
>
> (2) आयातित या निर्यातित माल को सीमाशुल्क क्षेत्र में प्राप्त, भण्डारित, सुपुर्द, प्रेषित किया जा सकता है या उसके संबंध में

अन्यथा रूप से ऐसे तरीके में, जैसा कि विहित किया जाए, निर्णय लिया जा सकता है और पूर्वोक्त क्रियाकलापों में लगे हुए व्यक्तियों के उत्तरदायित्व वे होंगे, जैसा कि विहित किया जाए ।"

53. इस धारा, जिसको 2008 के अधिनियम संख्या 18 द्वारा उपधारा (1) और उपधारा (2) के रूप में पुनर्संख्यांकित किए जाने के द्वारा अंतःस्थापित किया गया है, के कोरे परिशीलन से यह उपदर्शित होता है कि किसी सीमाशुल्क क्षेत्र में समस्त जलपोत और माल इस अधिनियम के उपबंधों को प्रवर्तित किए जाने के प्रयोजनार्थ सीमाशुल्क अधिकारियों के अधीन होंगे और उनके नियंत्रण में होंगे और आयातित और निर्यातित माल किसी भी सीमाशुल्क क्षेत्र में प्राप्त, भण्डारित, सुपुर्द, प्रेषित किया जा सकता है या उसके संबंध में अन्यथा रूप से ऐसे तरीके में, जैसा कि विहित किया जाए, निर्णय लिया जा सकता है और पूर्वोक्त क्रियाकलापों में लगे हुए व्यक्तियों के उत्तरदायित्व वे होंगे, जैसा कि विहित किया जाए । शब्द "प्रवहण" को धारा 2(9) में परिभाषित किया गया है जिसके अन्तर्गत जलयान, वायुयान और अन्य यान सम्मिलित होते हैं । शब्द "सीमाशुल्क क्षेत्र" को धारा 2(11) परिभाषित किया गया है जिसके अर्थान्तर्गत सीमाशुल्क स्टेशन का क्षेत्र अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसा क्षेत्र है जिसमें आयातित माल या निर्यातित माल समान्यतः सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा निकासी के पहले रखे जाते हैं । "सीमाशुल्क पत्तन" के अर्थान्तर्गत धारा 7 के खंड (क) के अधीन सीमाशुल्क पत्तन के रूप में नियत किए गए पत्तन से अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत इस धारा के खंड (क) के अधीन अन्तर्देशीय कंटेनर डिपो के रूप में नियत किया गया स्थान भी सम्मिलित है । "सीमाशुल्क स्टेशन" को धारा 2(13) के अधीन परिभाषित किया गया है जिसके अर्थान्तर्गत सीमाशुल्क पत्तन, सीमाशुल्क विमान पत्तन या भूमि सीमाशुल्क स्टेशन अभिप्रेत हैं । अंततः, शब्द "विहित" को धारा 2(32) के अधीन परिभाषित किया गया है जिसके अर्थान्तर्गत इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है और शब्द "विनियम" को धारा 2(35) के अधीन परिभाषित किया गया है जिसके अर्थान्तर्गत इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं । अतः, हमारे समक्ष एक ऐसा परिदृश्य उपस्थित हो गया है जिसमें न तो विनियम बनाने की शक्ति को और न ही विनियमों को चुनौती दी गई है । तथापि, हम सम्पूर्ण विधिक व्यवस्था को अभिलेख पर लाने के प्रयोजनार्थ 1962 के सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 157 को प्रत्युत्पादित करते हैं,

जो इस प्रकार है :–

"धारा 157. **विनियम बनाने की साधारण शक्ति** - (1) इस अधिनियम में अन्यत्र दी गई विनियम बनाने की किसी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड साधारणतः इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए इस अधिनियम और नियमों से संगत विनियम बना सकता है ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित में से सभी या किन्हीं बातों के लिए उपबंध कर सकते हैं, अर्थात् –

(क) प्रवेशपत्र, पोतपत्र, निर्यातपत्र, आयात सूची, आयात रिपोर्ट, निर्यात सूची, निर्यात रिपोर्ट, यानांतरण पत्र, यानांतरण की घोषणा, नौका-पत्र और तटीय माल पत्र का प्ररूप;

(क-i) धारा 26क की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन समुचित अधिकारी की उपस्थिति में माल के आयात और सीमाशुल्क प्राधिकारियों के समक्ष उसके स्वत्व के ज्ञान के साथ और उसके बिना त्याग और माल के वाणिज्यिक रूप से विनाश या मूल्यहीन किए जाने का तरीका;

(क-ii) धारा 26क की उपधारा (2) के अधीन शुल्क की वापसी के लिए आवेदन का प्ररूप और उसको प्रस्तुत करने का तरीका;

(ख) वे शर्तें जिनके अधीन धारा 54 की उपधारा (1) के अधीन सभी या किसी माल का यानांतरण, धारा 56 के अधीन सभी या किसी माल का परिवहन और धारा 67 के अधीन भाण्डागारित माल का एक भाण्डागार से दूसरे को हटाया जाना, शुल्क का संदाय किए बिना अनुज्ञात किया जा सकता है;

(ग) वे शर्तें जिनके अधीन कोई विनिर्माण प्रक्रिया या अन्य संक्रिया धारा 65 के अधीन भाण्डागार में की जा सकती हैं ।

(घ) समुचित अधिकारी के कार्यालय में आयातक या निर्यातक के कार्यालय या परिसर में, जैसा भी मामला हो, आयातित या निर्यातित माल के शुल्क के निर्धारण का अंकेषण

संचालित करने का तरीका ।"

54. यदि हमारे पास विनियम बनाने की सामान्य शक्ति उपलब्ध हो, ताकि अधिनियम के उद्देश्यों और प्रयोजनों को कार्यान्वित किया जा सके या धारा 157 की उपधारा (2) का अवलंब लिए जाने के द्वारा अतिरिक्त रूप से कुछ कार्य किया जा सके, तो इसके लिए बोर्ड अधिनियम के साथ संगत विनियम बना सकता है जिससे कि ऐसी शर्तें उल्लिखित की जा सकें जिनके अधीन धारा 54 की उपधारा (3) के अधीन समस्त या कुछ माल का वाहानांतरण, धारा 56 के अधीन समस्त या कुछ माल का वाहानांतरण और धारा 67 के अधीन एक भाण्डागार से दूसरे भाण्डागार को भण्डारित माल को हटाए जाने को शुल्क के संदाय के बिना अनुज्ञा प्रदान की जा सके । इसमें कोई विवाद नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क गृह सीमाशुल्क क्षेत्र है ।

55. अब हम सुसंगत विनियमों को निर्दिष्ट करेंगे । इन विनियमों को 1962 के सीमाशुल्क अधिनियम के अध्याय 9 में समाविष्ट धाराओं और इन धाराओं के पूर्व और पश्चात् आने वाली समस्त धाराएं और उपबंधों के साथ पढ़ा जाना है । यदि इन सभी धाराओं और उपबंधों को एक साथ और सामंजस्यपूर्ण ढंग से पढ़ा जाए, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह विनियम सीमाशुल्क क्षेत्र में किसी जलपोत पर लदे हुए माल के आवागमन के विनियमितीकरण की शक्ति प्रदान करते हैं । ये धाराएं और उपबंध व्यापार और जनता के बृहत्तर हित में अंतिम स्थानक टर्मिनल से कंटेनर भाड़ा स्टेशन को जलपोत पर लदे हुए माल और कंटेनरों के आवागमन के विनियमितीकरण के लिए सशक्त भी करते हैं । यह विनियम 1962 के सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 141 सपठित धारा 157 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केन्द्रीय सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा बनाए गए हैं ।

56. चूंकि, हमने उपरोक्त पैराग्राफों में अधिनियम के समस्त उपबंधों को उनके उद्देश्यों और प्रयोजनों और साथ ही अधिनियम के भी महत्व को स्पष्ट करते हुए निर्दिष्ट किया है, यह स्पष्ट है कि 1962 के सीमाशुल्क अधिनियम की दो धाराओं अर्थात् धारा 141(2) और 157 का अवलंब लिया जाना उचित होगा । विनियम 2(ख) द्वारा अभिव्यक्ति के अर्थान्तर्गत "सीमाशुल्क जलपोत वहन सेवा प्रदात्ता" को इस अर्थ में परिभाषित किया गया है कि इसके अधीन आयातित माल की प्राप्ति, भण्डारण, सुपुर्दगी, प्रेषण या उसका अन्यथा रूप से संव्यवहार के लिए उत्तरदायी व्यक्ति हैं और उसमें 1962 के सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 141(2) में निर्दिष्ट

अभिरक्षक या अन्य कोई व्यक्ति है । यदि किसी सीमाशुल्क क्षेत्र में जलपोत पर लदे हुए माल का संव्यवहार विनियमों के अनुसार होता है और वे विनियम विनिर्दिष्ट रूप से इसी प्रयोजन के लिए बने है, तो यह दलील देना निरर्थक होगा कि अधिनियम और विनियम को क्रियान्वित करने लिए भारसाधक अधिकारी सार्वजनिक सूचनाएं जारी नहीं कर सकते । विस्तार के रूप में ऊपर निर्दिष्ट सार्वजनिक सूचनाओं और अधिसूचनाओं को 1962 के सीमाशुल्क अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जारी किया जाता है । हमने केवल श्री द्वारकादास की इस दलील का अधिमूल्यन करने के प्रयोजनार्थ सम्पूर्ण अधिनियम को निर्दिष्ट किया है कि किसी कार्यकारी आदेश या प्रशासनिक कार्य के द्वारा सम्पूर्ण विधिक व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया गया । उनके अनुसार, ऐसा करने की शक्ति प्रदत्त नहीं है और न ही सीमाशुल्क आयुक्त को ऐसा करने की कोई अधिकारिता प्राप्त है । हम अनेक कारणोंवश इस दलील को स्वीकार कर पाने में असमर्थ हैं । विनियम 7(2) सीमाशुल्क क्षेत्र माल के प्रवेश को विनियमित किए जाने के प्रयोजनार्थ सीमाशुल्क आयुक्त को ऐसे माल के संबंध में प्रभावी रूप से संव्यवहार के लिए सशक्त करता है । इस विनियम द्वारा सीमाशुल्क आयुक्त वैवेकिक शक्ति प्रदान की गई है । इसके अतिरिक्त किसी सीमाशुल्क क्षेत्र में माल का संव्यवहार एक ऐसा मामला है जिस पर विनिर्दिष्ट रूप से धारा 141 की उपधारा (2) के अधीन विचार किया जाता है । अतः उस तरीके, जिसमें सीमाशुल्क क्षेत्र में आयातित या निर्यातित माल को प्राप्त, भण्डारित, सुपुर्द, प्रेषित या उसके संबंध में अन्यथा रूप से संव्यवहार किया जा सकता है, को विहित किए जाने के प्रयोजनार्थ विनियम बनाए जा सकते है । इन विनियमों के माध्यम से पूर्वोक्त क्रियाकलापों में संलग्न व्यक्तियों के क्रियाकलापों का भी उल्लेख किया जा सकता है । यदि एक बार विनियम इस प्रकार के मामलों पर विचार करते हैं, तो यह आवश्यक नहीं है कि धारा 141 की उपधारा (2) द्वारा आच्छांदित प्रत्येक मामले के संबंध में पृथक् रूप से उपबंध बनाए जाएं । धारा 141 (2) स्वयंमेव सीमाशुल्क आयुक्त को नियंत्रण शक्ति का प्रयोग करने के लिए सशक्त करती है । 1962 के सीमाशुल्क अधिनियम के उपबंधों को इस प्रकार से प्रवर्तित किया जाना चाहिए ताकि इस अधिनियम के उद्देश्यों और प्रयोजनों को अभिप्राप्त किया जा सके और सीमाशुल्क क्षेत्र में पड़े हुए माल को सीमाशुल्क अधिकारियों के नियंत्रणाधीन किया जा सके । वे सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा विरचित इन विनियमों को सहायता से किसी सीमाशुल्क क्षेत्र में आयातित और निर्यातित माल की प्राप्ति भण्डारण,

सुपुर्दगी, प्रेषण या उसके संबंध में अन्यथा रूप से संव्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं । यदि धारा 141 की उपधारा (2) इस प्रयोजन के लिए विनियम बनाने के लिए सीमाशुल्क बोर्ड को सशक्त करती है जिससे कि सीमाशुल्क अधिकारियों की सहायता उनके कार्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में की जा सके, तो श्री द्वारकादास की इस दलील में कोई सार नहीं है कि अधिकारियों को आक्षेपित सूचनाएं जारी करने की शक्ति या अधिकारिता नहीं थी । आक्षेपित सूचनाएं उन विनियमों के संदर्भ में निर्दिष्ट किए जाने योग्य हैं, जिनको अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत बनाया गया है । इसलिए, सार्वजनिक सूचनाओं को जारी किए जाने का प्रयोजन निर्विवाद है और किसी सीमाशुल्क क्षेत्र में माल के समुचित रूप से संव्यवहार को सुनिश्चित किए जाने की समर्थकारी शक्ति के प्रयोग में अन्तर्निहित है और इसके नियंत्रण की व्यापक शक्ति सीमाशुल्क प्राधिकारियों में निहित होती है ।

57. हमने आक्षेपित सूचनाओं का परिशीलन किया । याचियों ने उनकी प्रतियां संलग्न की हैं । पेपर बुक के पृष्ठ संख्या 69 पर उपस्थित 2009 के परिपत्र संख्या 18 द्वारा केन्द्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क बोर्ड सीमाशुल्क अनापत्ति सुविधाओं को इंटिग्रेटेड कंटेनर डिपो या कंटेनर भाड़ा स्टेशन के रूप में नामित किए जाने के विषय पर विचार करता है । तारीख 8 जून, 2009 का परिपत्र व्यापक रूप से विधिक उपबंधों के संदर्भ में विवाद्यकों को स्पष्ट करने के प्रयोजनार्थ आशयित है । यह परिपत्र पैरा 8 और 9 में अधिकारिता प्राप्त आयुक्तों को सलाह जारी करता है । इस बात को सुनिश्चित किया जाना है कि क्या प्रस्तावित सुविधा इंट्रिग्रेटेड कंटेनर डिपो या कंटेनर भाड़ा स्टेशन के रूप में अनुमोदित किए जाने के प्रयोजनार्थ अपेक्षित है और क्या यह सुविधा 2009 की सीमाशुल्क क्षेत्र में जलपोत पर लदा माल विनियम में विनिर्दिष्ट अवसंरचनात्मक अपेक्षाओं और अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन करती है । अधिकारिताप्राप्त आयुक्त को उपरोक्त समाधान पर आधारित आवश्यक विनिश्चय को अभिलिखित करना चाहिए । परिपत्र इस बात को स्पष्ट करता है कि इंट्रिग्रेटेड कंटेनर डिपो या कंटेनर भाड़ा स्टेशन के विनियमित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी या कंटेनर भाड़ा स्टेशन संबद्ध अधिकारिताप्राप्त आयुक्त हैं ।

58. तत्पश्चात्, एक अन्य परिपत्र है जो तारीख 16 फरवरी, 2017 का परिपत्र संख्या 4 है, जिसकी प्रति पेपर बुक के पृष्ठ संख्या 73 पर

प्रदर्श ख के रूप में संलग्न है । इस परिपत्र का विषय सीमाशुल्क विभाग द्वारा 24 × 7 सुविधा के आधार पर सीमाशुल्क अनापत्ति का विस्तार है और 24 × 7 सुविधा पर आधारित पत्तन के साथ संलग्न कंटेनर भाड़ा स्टेशनों में व्यापारी ओवरटाइम शुल्क प्रभारों के उद्ग्रहण का स्पष्टीकरण है । हमको इस परिपत्र को और अधिक विस्तारपूर्वक निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु यह उपदर्शित करना पर्याप्त होगा कि केन्द्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क बोर्ड ने अधिकारिताप्राप्त आयुक्तों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए, जो माल की शीघ्रतापूर्ण अनापत्ति सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित हैं, समुचित प्राधिकार द्वारा सशक्त कर दिया है ।

59. संलग्नक-ज 2008 की सुविधा सूचना संख्या 63 की प्रति है । इस सूचना का विषय "कुछ चुने हुए आयातकों को प्रत्यक्ष पत्तन सुपुर्दगी की सुविधा" है । यह सूचना व्यापार और जनता की सूचना के लिए अधिसूचित करती है कि जलपोत पर लदे हुए आयातित माल की प्रत्यक्ष पत्तन सुपुर्दगी की सुविधा कुछ प्रसिद्ध आयातकों को होगी जिनके पास 2005 की सार्वजनिक सूचना संख्या 64 द्वारा प्रत्यायित ग्राहक कार्यक्रम हैसियत होगी । प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा की अनुज्ञा जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क (आयात) गृह के सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा व्यक्तिगत आयातकों द्वारा आवेदन के आधार पर प्रदान की जाएगी । इस सुविधा के बाबत जारी की गई सूचना में इस संबंध में सम्पूर्ण प्रक्रिया उल्लिखित है । इस सुविधा से संबंधित सूचना तारीख 1 सितम्बर, 2008 की है और याचियों ने अपनी याचिका में ही किए गए इन इंतजामों को निर्दिष्ट किया है । उन्होंने 2008 की सार्वजनिक सूचना संख्या 66 को भी निर्दिष्ट किया जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 9 को नामित कंटेनर भाड़ा स्टेशन के रूप में अधिसूचित किया गया । अतः, यह स्पष्ट है कि तारीख 11 सितम्बर, 2008 को ही प्रत्यर्थी संख्या 9 की नियुक्ति को अधिसूचित कर दिया गया था । इस बात को अभिकथित करने के अलावा कि प्रत्यर्थी संख्या 9 की नियुक्ति मनमानीपूर्ण है और यह नियुक्ति याचियों या अन्य कंटेनर भाड़ा स्टेशनों को कोई अवसर प्रदान किए बिना की गई है, हम इन इंतजामों के किए जाने को कोई चुनौती दिया जाना उपयुक्त नहीं समझते । एकमात्र अभिवचन यह किया गया है कि प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा वैकल्पिक थी और यद्यपि कंटेनर भाड़ा स्टेशनों जैसे कि उस समय बिन्दू पर याची के कारबार और विद्यमानता को कोई गंभीर खतरा कारित करने वाली नहीं थी ।

60. हमारा विचार है कि याचियों और उनके जैसे पक्षों द्वारा 8 वर्ष से अधिक की अवधि तक धारण किया गया मौन अत्यधिक अर्थपूर्ण है । इससे केवल यह उपदर्शित होता है कि जब तक कि उनके कारबार के अवसर या उनके वाणिज्यिक हित को कोई खतरा नहीं है, वे या उनके प्रतिनिधि संघ शिकायत नहीं करेंगे । यह शिकायत शुद्धतः वाणिज्यिक प्रतिफलों द्वारा प्रेरित है । इन परिस्थितियों में, प्रतिरक्षा करने वाले प्रत्यर्थियों द्वारा किए गए निवेदन सही है कि हम रिट याचिका में दी गई चुनौती पर विचार करते हुए याचियों के वाणिज्यिक प्रतिफलों या कारोबारी संभाव्यताओं पर विचार नहीं कर सकते । संविधान का अनुच्छेद 19(1)(छ) कतिपय अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है और विशेष रूप से किसी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार करने के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है । तथापि, अनुच्छेद 19 का खंड (6) इस स्वातंत्र्य पर युक्तिसंगत निर्बंधन अधिरोपित किए जाने के लिए राज्य को समर्थ बनाता है । यह खंड स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 19 के खंड (1) का उपखंड (छ) की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में युक्तियुक्त निर्बंधन, जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक, उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी । इसलिए, संविधान के अन्तर्गत प्रदत्त स्वातंत्र्य आत्यांतिक नहीं है । विधि सामान्य जनता के हित में नागरिकों के कारबार आरम्भ करने या उसको चलाने के स्वांतत्र्य पर निर्बंधन अधिरोपित कर सकता है । अतः, इस प्रकार की कोई भी विधि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(छ) की आज्ञा के अतिक्रमण के कारणवश समाप्त नहीं की जा सकती । अतः, किसी व्यक्ति विशेष को कारित कारबार हानि या उसके लाभ में कमी कोई ऐसा आधार नहीं हो सकती जिसपर जनहित में की गई किसी कार्रवाई में हस्तक्षेप किया जा सके । इसलिए, याचियों की पहल पर वर्तमान सार्वजनिक सूचनाओं को अभिखंडित और अपास्त नहीं किया जा सकता ।

61. सार्वजनिक सूचनाओं जिनकी प्रतियां याचिका के साथ संलग्न हैं, को प्रथम सार्वजनिक सूचना को तारीख 28 नवम्बर, 2016 की सार्वजनिक सूचना संख्या 161 के रूप में निर्दिष्ट किया गया है । इस सूचना की एक प्रति पेपर बुक के पृष्ठ संख्या 91 पर प्रदर्श-त्र है । इस सार्वजनिक सूचना में यह अभिकथित है कारबार को सुकर बनाने के

प्रयोजनार्थ उठाए गए कदमों के फलस्वरूप मुख्य आयातकों को प्रत्यक्ष पत्तन सुपुर्दगी की सुविधा और उठाए गए अन्य कदमों का विस्तार अनुध्यात है क्योंकि प्रत्यक्ष पत्तन सुपुर्दगी सुविधा आयातकों के समय और लागत दोनों को पर्याप्त रूप से घटाती है । न्हेवा शेवा पर आयात के संबंध में समय और लागत में कटौती के प्रयोजनार्थ यह निर्णय लिया गया है कि आयातकों को प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा की अनुज्ञा को विस्तारित किया जाए जैसा कि इस सार्वजनिक सूचना के साथ संलग्न संलग्नक-क में उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उल्लिखित है । इस बात को स्पष्ट किया जाता है कि इस सुविधा को उक्त आयातकों को उनके द्वारा किए जाने वाले संव्यवहारों की मात्रा और इस सार्वजनिक सूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन के प्रयोजनार्थ उनकी योग्यता के संबंध में न्हेवा शेवा स्थित जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क गृह के सीमाशुल्क आयुक्त, एन. एस.–III, मुम्बई सीमाशुल्क जोन–II के कार्यालय द्वारा किए गए निर्धारण के आधार पर विस्तारित किया गया है । तथापि, प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा के लिए इस प्रकार की अनुज्ञा शर्तों के पालन में विफल होने पर या किसी भी प्रकार के अतिक्रमण की स्थिति में अधिकारिता प्राप्त सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा कभी भी वापस ली जा सकती है ।

62. रिट याचिका के प्रत्यर्थी संख्या 8 ने प्रतिनिधिक हैसियत में एक पत्र लिखा । अतः, भारत के कंटेनर भाड़ा स्टेशन संघ ने मुख्य सीमाशुल्क आयुक्त के समक्ष एक शिकायत की कि उनका संघ एक गैर आमदनी वाले निकाय के रूप में रजिस्ट्रीकृत है । यह संघ 24 कंटेनर भाड़ा स्टेशनों, जो इसके सदस्य हैं, के हितों का प्रतिनिधित्व करता है । 2016 की सार्वजनिक सूचना संख्या 161 सपठित 2008 की सार्वजनिक सूचना संख्या 66 में प्रत्यर्थी संख्या 9 को नामित किए जाने का प्रभाव संघ के सदस्यों के विरुद्ध मनमानेपूर्ण और अयुक्तियुक्त रूप से पक्षपातपूर्ण कार्यवाही का प्रभाव रखता है । तथापि, पेपर बुक के पृष्ठ 107 पर इस अभ्यावेदन को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि यह अभ्यावेदन तारीख 11 सितम्बर, 2008 की पूर्ववर्ती सार्वजनिक सूचना संख्या 66 को निर्दिष्ट करता है । हमने पहले ही उल्लेख कर दिया है कि किस प्रकार से आठ वर्षों से अधिक अवधि तक, इंतजाम और विशेष रूप से प्रत्यर्थी संख्या 9 को नामित किए जाने के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की गई । अचानक, 2016 की सार्वजनिक सूचना संख्या 161 के कारण इस प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है ।

63. तत्पश्चात्, हमारे समक्ष अभिलेख पर तारीख 19 दिसम्बर, 2016 की सार्वजनिक सूचना संख्या 180 उपस्थित है जो पेपर बुक का पृष्ठ संख्या 110 है । यह सार्वजनिक सूचना पूर्ववर्ती सार्वजनिक सूचनाओं को निर्दिष्ट करती है और अभिकथित करती है कि प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा आयातकों के समय और लागत में अत्यधिक कटौती करती है । न्हेवा शेवा पर आयात के साथ सहबद्ध समय और लागत को घटाए जाने के प्रयोजनार्थ यह निर्णय लिया गया है कि आयातकों को प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा की अनुज्ञा विस्तारित की जाए, जैसा कि सार्वजनिक सूचना के साथ संलग्न संलग्नक-क में उल्लिखित है । तारीख 28 नवम्बर, 2016 की सार्वजनिक सूचना में उल्लिखित अन्य शर्तें समान रहेंगी । इसलिए, उन आयातकों, जिनके नाम संलग्नक-क में उल्लिखित हैं, को इस सुविधा की वृद्धि और विस्तार किया गया है । पुनः, प्रत्यर्थी संख्या 8 संघ ने तारीख 23 दिसम्बर, 2016 के पत्र, जो संलग्नक-ड है, द्वारा शिकायत की है । एक बार पुनः वही शिकायत की गई है कि प्रत्यर्थी संख्या 8 के सदस्यों को प्रत्यर्थी संख्या 9 को नामित किए जाने के कारण वंचित किया गया है । इस प्रत्यावेदन में यह सुझाव दिया गया है कि कंटेनर भाड़ा स्टेशन के सदस्य, जो समुचित सुविधाओं, अवसंरचना और मानवश्रम से सुसज्जित हैं, भी वही सेवाएं प्रदान कर सकेंगे, जो प्रत्यर्थी संख्या 9 प्रदान करता है । इसलिए, सदस्य कंटेनर भाड़ा स्टेशनों को भी अनुज्ञा होगी कि वे प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा संपन्न कंटेनरों के यातायात को प्राप्त कर सकें । यह स्पष्ट है कि कंटेनर भाड़ा स्टेशन संघ को प्रत्यर्थी संख्या 9 के पास उपलब्ध सुविधा और उनको नामित किए जाने के बारे में कोई वास्तविक, असली और गंभीर शिकायत नहीं है, किन्तु वे भी अपने सदस्यों की भागीदारी और अन्तर्वलन की इच्छा रखते है ।

64. तत्पश्चात्, प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा जारी तारीख 27 दिसम्बर, 2016 के परामर्श, जिसकी प्रति पेपर बुक का पृष्ठ 132 है, की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया ।

सं.-एस/22-सामान्य-100/2016-17ए.एम.(I)

तारीख 27-12-2016

सेवा में,

प्रबन्धक,
नवकर कारपोरेशन लिमिटेड,
सोमाटेन आन कोन-सरला रोड,
ताल्लुका पनवेल, जिला रायगढ़

श्रीमान्,

विषय : पत्तन पर सुपुर्दगी के संबंध में परामर्श ।

कृपया तारीख 28 नवम्बर, 2016 की सार्वजनिक सूचना संख्या 161 और 19 दिसम्बर, 2016 की सार्वजनिक सूचना संख्या 180 द्वारा इस सीमाशुल्क गृह पर अनेक आयातकों को विस्तारित प्रत्यक्ष पत्तन सुपुर्दगी की सुविधा का निर्देश करें ।

इस संबंध में, आपको एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि आयातकों, जिनको प्रत्यक्ष पत्तन सुपुर्दगी की सुविधा प्रदान की गई है, जैसा की ऊपर उल्लिखित है और जिनको जोखिम प्रबंधन प्रणाली द्वारा सुकर बनाया गया है और प्रत्यक्ष पत्तन सुपुर्दगी के लिए आशयित हैं, द्वारा आयातित भरे हुए कंटेनरों का भार रखने वाले कंटेनरों को कंटेनर भाड़ा स्टेशन द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

उपरोक्त निर्देश के अननुपालन को गंभीरता से लिया जाएगा और 1962 के सीमाशुल्क अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।

(धीरेन्द्र लाल)
अपर सीमाशुल्क आयुक्त (आयात)
एन. एस.–I,III और IV

65. तत्पश्चात्, हमारे समक्ष अभिलेख पर तारीख 16 जनवरी, 2017 की दो सार्वजनिक सूचनाएं हैं । वे 2017 की सार्वजनिक सूचना संख्या 8 और 9 हैं । इन सूचनाओं की प्रतियां पेपर बुक के पृष्ठ संख्या 133 और 137 पर प्रदर्श-ण और त हैं ।

66. 2017 की प्रथम सार्वजनिक सूचना (तारीख 16 जनवरी, 2017 की सार्वजनिक सूचना संख्या 8) में सीमाशुल्क आयुक्त कार्यालय द्वारा व्यापार से विभिन्न पणधारकों/सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनेक प्रत्यावेदनों को निर्दिष्ट किया गया है और यह अभिकथित किया गया है कि व्यापार को सुकर बनाए जाने और कारबार के संचालन में सुविधा के उपाय के रूप में इन व्यक्तियों द्वारा उठाए गए बिन्दुओं पर विचार किया गया है और उनका बिन्दुवार स्पष्टीकरण/उनसे संबंधित प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं को इस सार्वजनिक सूचना में वर्णित किया गया है । तारीख 2017 की सार्वजनिक सूचना संख्या 9 में जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क गृह की

अधिकारिता के भीतर आने वाले कंटेनर भाड़ा स्टेशनों के साथ की गई बैठकों को निर्दिष्ट किया गया है जिनमें यातायात संबंधी इंतजामों का हल अभिप्राप्त की जाने के प्रयोजनार्थ उनके विचारों को दर्शाया गया है । इस बात पर चर्चा की गई कि जवाहरलाल नेहरू पत्तन टर्मिनल 5-7 बड़े यातायात संचालकों, जो प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा प्राप्त व्यापारियों को प्रभावी ढंग से यातायात सुविधाएं प्रदान करेंगे और टर्मिनल से कंटेनरों की निकासी सर्वोत्तम प्रक्रिया के आधार पर की जाएगी, को सम्मिलित किए जाने के स्वरूप में यातायात संबंधी इंतजामों का हल पहले ही तैयार कर रहा है । इससे टर्मिनल को संचालित करने वालों द्वारा वसूल किए जाने वाले प्रभारों, जिनको टर्मिनल को संचालित करने वालों द्वारा वसूल किया जा रहा है, को स्थानांतरित करने के प्रभारों का युक्तिसंगत ढंग से प्रबंधन होगा । प्रत्यक्ष पार्सल वितरण ग्राहक पूर्वोक्त परिवहन संबंधी सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे । तत्पश्चात्, इस पहलू पर विभिन्न सुझावों को निर्दिष्ट किया गया और आगे के दिशा-निर्देश जारी किए गए ।

67. प्रत्यर्थी संख्या 8 ने एक बार पुनः एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जिसके द्वारा इसी शिकायत को फिर से उठाया । संघ ने पूर्ण पारदर्शिता पर जोर दिया किन्तु सिद्धांतः ऐसा प्रतीत होता है कि वे यातायात संबंधी इन्तजामों के विरोध में नहीं थे । हम परस्पर विरोधी प्रत्यर्थियों के मध्य इन शिकायतों पर सकारात्मक रूप से विचार करने का कोई कारण नहीं पाते । सार्वजनिक सूचनाएं केवल एक नीति को अधिकथित करती हैं और नीतिगत विनिश्चय पत्तन पर भीड़-भाड़ को घटाए जाने और जलपोत के माध्यम से आयातित माल के शीघ्र कार्यव्यापार, को सुकर बनाने के लिए आशयित हैं जिनके द्वारा कारबार को आसान बनाया जाना सम्मिलित है, अतः इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम इन सार्वजनिक सूचनाओं में मध्यक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते । सीमाशुल्क आयुक्त के कार्यालय द्वारा तारीख 18 जनवरी, 2017 को एक स्पष्टीकरण जारी किया गया जो पेपर बुक का पृष्ठ संख्या 143 है और जिसमें यह अभिकथित है कि 48 घंटों के परे कंटेनरों की रवानगी के संबंध में प्रक्रिया 2016 की सार्वजनिक सूचना संख्या 16 में विहित की गई है । इस सार्वजनिक सूचना में अपवादिक प्रकृति की उन परिस्थितियों को उपबंधित किया गया है जब कोई प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधासंपन्न आयातक माल को उतराई के 48 घंटों के भीतर पत्तन से नहीं हटाता । इसलिए, केवल अपवादित परिस्थितियों में पूर्वोक्त सार्वजनिक सूचनाओं में विहित प्रक्रिया लागू होगी ।

अतः प्रत्याशा यह थी कि प्रेषित माल/जलपोत पर लदा हुआ माल 48 घंटों के भीतर पत्तन से हटा दिया जाना चाहिए और यदि अपवादिक परिस्थितियोंवश ऐसा नहीं हो पाता, तो इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश इन सार्वजनिक सूचनाओं में समाविष्ट हैं । इस संबंध में एक न्यायोचित्य को उपबंधित किया गया है जो यह है कि यातायात के तरीकों में किसी कंटेनर भाड़ा स्टेशन को नामित किए जाने के लिए प्रशासनिक इंतजाम के रूप में अंतिम स्थानक पत्तन के निकटस्थ कंटेनर भाड़ा स्टेशन को नामित किया गया है । इसलिए, स्पीडी मल्टीमोड सी. एफ. एस., प्रत्यर्थी संख्या 9 जो अंतिम स्थानक पत्तन के निकटस्थ अवस्थित है, को स्थानापन्न कंटेनर भाड़ा स्टेशन के रूप में नामित किया गया था । यह जनहित को ध्यान में रखते हुए किया गया था ताकि (48 घंटों के परे) कंटेनरों की स्थानापन्न निकासी के कारण पत्तन पर होने वाली भीड़-भाड से बचा जा सके । हम इस बाबत संतुष्ट है कि ये स्पष्टीकरण प्रत्यर्थी संख्या 8 समेत समस्त पणधारकों के प्रत्यावेदनों पर विचारोपरान्त जारी किए गए थे ।

68. तत्पश्चात्, हमारे समक्ष 2017 की सार्वजनिक सूचना संख्या 16 है जिसके द्वारा प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा के बारे में कतिपय स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं, विशेष रूप से एक ऐसा उपाय निकाला गया है ताकि व्यापार को सुकर बनाया जा सके और यह कारबार में आसानी के लिए आशयित है । बिन्दुवार स्पष्टीकरण/प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं तारीख 9 फरवरी, 2017 की इस सार्वजनिक सूचना संख्या 16 में वर्णित है । तथापि, आधारभूत नीतिगत विनिश्चय पूर्ववर्ती सार्वजनिक सूचनाओं द्वारा पहले ही लिया जा चुका है । यह बिन्दुवार स्पष्टीकरण पुनः विस्तारपूर्वक प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं का उल्लेख करता है । इस संबंध में पणधारकों के साथ भी बैठकें आयोजित की गई हैं ।

69. इन परिस्थितियों में हम उक्त सार्वजनिक सूचनाओं में मध्यक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते । यहां तक कि 2017 की सार्वजनिक सूचना संख्या 27, जिसको पृष्ठ 153 पर प्रदर्श-प अंकित किया गया है, इनमें से प्रत्येक पहलू को निर्दिष्ट करती है । जिन बातों को पहले ही अभिनिर्धारित किया जा चुका है उनको फिर से दोहराए जाने की आवश्यकता नहीं है । जहां तक 2017 की सार्वजनिक सूचना संख्या 27 का संबंध है, इसको इस कारणवश जारी किया गया क्योंकि पणधारकों द्वारा एक ऐसी प्रणाली को विकसित करने का अनुरोध किया गया था जिसमें कंटेनर को, जहां कंटेनर भाड़ा स्टेशन परिवहन सेवा प्रदाता है,

सुपुर्दगी आदेश जारी किए जाने के पश्चात् केवल प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा सम्पन्न आयातक को निर्गत किया जाए इसलिए अन्य दस्तावेज जिनको प्रेषित माल की रवानगी के पूर्व प्रत्यक्ष पार्सल वितरण आयातक द्वारा अभिप्राप्त किया जाना अपेक्षित है, आवागमन को इस भाव में सुगम बनाएंगे कि प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा सम्पन्न आयातक द्वारा जलपोत कम्पनी को अग्रिम में सूचना दे दी गई है, तत्पश्चात् जलपोत कम्पनी कंटेनर भाड़ा स्टेशन से सम्पर्क कर सकती है । इस प्रकार से यह सार्वजनिक सूचना जारी की गई है । इसको उन लोगों द्वारा जारी किया गया है जो पत्तन के प्रशासन और तत्समय प्रचालन को संचालित करते हैं । अन्य शब्दों में वे अधिकारी जो 1962 के सीमाशुल्क अधिनियम द्वारा सशक्त हैं और वे जो पत्तन का प्रशासन कर रहे हैं और उसके मामलों का प्रबन्धन कर रहे हैं, एक दूसरे के सामंजस्य में कार्य कर रहे हैं ताकि कारबार करने में सुविधा हो । किसी भी आयातक ने कोई शिकायत नहीं की है । यदि वे उन सुविधाओं को प्राप्त करते हैं, जिनके वे हकदार हैं, तो वे लाभान्वति होने वाले हैं । वे आयातित माल की शीघ्र रवानगी द्वारा भी लाभान्वित होने वाले हैं । इन परिस्थितियों में जब 1962 के सीमाशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम अधिकारियों ने नीतिगत निर्णय ले लिया है, जो सार्वजनिक सूचनाओं में उल्लिखित है, तो हम संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अपनी असामान्य, साम्यापूर्ण और वैवेकिक अधिकारिता का प्रयोग करते हुए मध्यक्षेप करने के लिए आनत नहीं हैं । हम प्रत्यर्थियों द्वारा की गई इन कार्यवाहियों में कुछ भी मनमानापूर्ण, अयुक्तियुक्त या अनुचित नहीं पाते । इसके अतिरिक्त, उन्होंने नामित किए जाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता को भी सुनिश्चित किया है । प्रत्यावेदन इस बात का दिया गया है, जिसकी प्रति पेपर बुक के पृष्ठ 154-क पर है, कि न केवल याची और प्रत्यर्थी संख्या 8 सार्वजनिक सूचनाओं से व्यथित और असंतुष्ट हैं बल्कि जब आयुक्त ने जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क गृह के अंतिम स्थानक पत्तन से प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सेवा सुविधासम्पन्न कंटेनरों के लिए कंटेनर भाड़ा स्टेशन नामित किए जाने या उसको नियुक्त किए जाने में पारदर्शिता बरती है, तो उसके विरुद्ध भी संघ के सदस्यों/याचियों द्वारा आक्षेप किया गया है । इस बाबत कोई शिकायत नहीं हो सकती जब सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से कंटेनर भाड़ा स्टेशन को नामित किए जाने के मामले में पारदर्शिता और खुलेपन को सुनिश्चित किया गया हो । अब संबद्ध और हितबद्ध कंटेनर भाड़ा स्टेशन भाग ले सकते हैं और अपनी निविदाएं प्रस्तुत

कर सकते हैं । यद्यपि इसको न्यायतः सीमित निविदा कहा गया है, फिर भी इसके माध्यम से संघ की शिकायतों की प्रत्यर्थी संख्या 9 को मनमानेपूर्ण ढंग से और कंटेनर भाड़ा स्टेशनों की उपेक्षा करते हुए चुना गया, पर विचार किया जाता है । अब अन्य कंटेनर भाड़ा स्टेशनों को प्रक्रिया की नियुक्ति या प्रक्रिया को नामित किए जाने में भाग लेने के अवसर उपलब्ध हैं । फिर भी वे शिकायत कर रहे हैं क्योंकि वे नामित किया जाना बिल्कुल भी नहीं चाहते । वे नामित किया जाना नहीं चाहते क्योंकि वे पत्तन से प्रेषित माल की शीघ्र रवानगी में और पत्तन से भीड़-भाड़ को कम किए जाने में हितबद्ध हैं । यदि इसमें कोई भ्रम है तो वह भ्रम याचियों के लिए लाभकारी होगा, किन्तु यह निश्चित रूप से जनहित के विरुद्ध होगा । बृहत्तर जनहित को पूरा किया जाना आवश्यक है और यदि एक बार उसको सुनिश्चित कर दिया जाता है तो वह याचियों के वाणिज्यिक या कारबार हितों के ऊपर अभिभावी हो जाता है । उनके वाणिज्यिक या कारबार संबंधी उद्देश्यों के प्रयोजनार्थ जनहित में लिए गए किसी विनिश्चय में मध्यक्षेप नहीं किया जा सकता । संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ज) की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता । तारीख 17 मार्च, 2017 की सीमित निविदा सूचना वास्तव में नीतिगत उपायों के अग्रसरण में है और सार्वजनिक सूचना में स्पष्टतः उल्लिखित है । इसी कारणवश जब वह सीमित निविदा सूचना प्रकाशित की गई तो उसमें सार्वजनिक सूचनाओं के सुसंगत पैरा को निर्दिष्ट किया गया और यह अभिकथित किया गया कि सीमित निविदा सूचना के विस्तृत नियमों और शर्तों को संलग्नक-क में उल्लिखित किया गया है । सीमित निविदा बोलियों के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाने के प्रयोजनार्थ है, विशेष रूप से न्हेवाशेवा स्थित जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क गृह के अंतिम स्थानक टर्मिनल से कंटेनर भाड़ा स्टेशनों को प्रत्यक्ष पार्सल वितरण सुविधा सम्पन्न कंटेनरों की सुपुर्दगी के लिए कंटेनर भाड़ा स्टेशनों को नामित किए जाने के प्रयोजनार्थ, यदि उसको विहित अवधि के भीतर रवाना नहीं किया गया और कतिपय अन्य परिस्थितियां जो कि सार्वजनिक सूचनाओं में विनिर्दिष्ट हैं । इसी भाव में सीमित निविदा में भागीदारी निर्बंधित हैं और यह प्रत्यर्थी संख्या 9 के तथाकथित एकाधिकार को शाश्वतता प्रदान नहीं करती । यहां तक कि प्रत्यर्थी संख्या 9 भी मात्र इस कारणवश आत्यंतिक अधिकार का दावा नहीं कर सकता कि केवल वहीं उन कंटेनरों /माल को प्राप्त कर सकता है जिनको आयातकों द्वारा 48 घंटों की उपरोक्त समयावधि के भीतर रवाना नहीं किया गया । अतः पत्तन से इस प्रकार के

जलपोत पर लदे हुए माल के आवागमन के इन्तजाम की रूपरेखा तैयार की गई है । यदि यही उद्देश्य और प्रयोजन है जिसको प्राप्त करने की ईप्सा की गई है और जब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 8 संघ के सदस्यों ने और कुछ याचियों ने इस निविदा के पक्ष में सकारात्मक रूप से उत्तर दिया है, तो हम रिट अधिकारिता में मध्यक्षेप के लिए इच्छुक नहीं हैं ।

70. उपरोक्त चर्चा के फलस्वरूप रिट याचिका विफल होती है । जारी की गई नोटिस को उन्मोचित किया जाता है । तथापि, लागत के बाबत कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा ।

71. इस प्रक्रम पर श्री द्वारिकादास ने सीमित निविदा और 2017 की अद्यतन सार्वजनिक सूचना संख्या 27 को जारी किए जाने के पूर्व के इन्तजामों को पुनः चालू किए जाने की प्रार्थना की । इस अनुरोध का विरोध श्री जेटली द्वारा यह दलील देते हुए किया गया कि सार्वजनिक सूचना को पहले ही प्रभावी किया जा चुका है और इसी प्रकार से सीमित निविदा और बोलियों को उसके मतालम्बन में आमंत्रित किया जा चुका है । तत्पश्चात् बोलियां प्राप्त हुईं । उनका सम्यक् रूप से परीक्षण किया गया और कार्य आदेश भी श्री जेटली के पक्ष में जारी किया जा चुका है । श्री जेटली द्वारा प्राप्त अनुदेशों और विशेष रूप से इस निर्णय में हमारे द्वारा अभिलिखित तर्कसंगतता को दृष्टि में रखते हुए श्री द्वारिकादास के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता । उनके अनुरोध को अस्वीकृत किया जाता है ।

रिट याचिका खारिज की गई ।

अवि.

विष्णू बबनराव यादव

बनाम

नलिनी विष्णू यादव

तारीख 15 मार्च, 2018

न्यायमूर्ति एस. एस. शिन्दे और न्यायमूर्ति एस. एम. गवहाने

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (1955 का 25) – धारा 13(1)(i-क) – पति द्वारा विवाह-विच्छेद की अर्जी – पति द्वारा पत्नी के विरुद्ध क्रूरता बरतने के अस्पष्ट और सामान्य अभिकथन किया जाना – पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध यह साबित किया जाना कि पति दूसरी महिला के साथ रहता है और उससे उसका एक पुत्र भी है – पति विवाह-विच्छेद की डिक्री पाने का हक़दार नहीं है ।

संक्षेप में अपीलार्थी का पक्षकथन जो उसने विवाह-विच्छेद की डिक्री के लिए फाइल की गई अर्जी में प्रकट किया है, इस प्रकार है – (क) अपीलार्थी-पति और प्रत्यर्थी-पत्नी का विवाह उनके समुदायों में विद्यमान रूढ़ियों के अनुसार तारीख 12 मार्च, 2000 को संपन्न हुआ था और उनका वैवाहिक बंधन अभी भी विद्यमान है । विवाह के पश्चात् प्रत्यर्थी अपनी ससुराल में रहने लगी जहां उसने केवल 15 दिनों तक ठीक प्रकार से व्यवहार किया और उसके पश्चात् एकाधिक कारणों से अपीलार्थी के साथ झगड़ा और दुर्व्यवहार करने लगी । प्रत्यर्थी-पत्नी अपने माता-पिता की एकलौती संतान है और इसलिए उसके व्यवहार में अहम् की भावना है और वह किसी की भी सुनने के लिए तैयार नहीं है । वह शिव छत्रपति महाविद्यालय में कम्प्यूटर संचालक के रूप में कार्य कर रही है और अपनी नौकरी को लेकर अत्यधिक गौरवान्वित है । प्रत्यर्थी-पत्नी ने कभी भी अपीलार्थी-पति को अपना वेतन नहीं दिया । जब कभी भी उससे वेतन के बारे में पूछा गया तो वह झगड़ा करने लगी, गाली-गलौज करने लगी और आत्महत्या करने और पुलिस में मिथ्या शिकायतें करने की धमकी देने लगी । वह आत्महत्या टिप्पण लिखने की अभ्यस्त थी । अपीलार्थी जब भी अपने कार्यालय से लौटता, तब प्रत्यर्थी दरवाजा नहीं खोलती थी और वह कभी-कभी अपने शयन कक्ष में ताला लगा लेती थी और कभी भी दरवाजा नहीं खोलती और उसके इस प्रकार के व्यवहार के कारण अपीलार्थी भूखा

रहता था और मकान के बाहर ही सो जाता था । प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को अपना शरीर छूने के लिए भी अनुज्ञात नहीं किया । वह खुले तौर पर अपीलार्थी से यह कहती थी कि वह उसे पंसद नहीं करती है और उसका विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध किया गया है । वह अपीलार्थी के माता-पिता और नातेदारों से भी झगड़ा करती थी । (ख) अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के विवाह से कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई । अपीलार्थी प्रत्यर्थी को उसका चिकित्सीय उपचार कराने के लिए विभिन्न अस्पतालों में ले गया तथापि, चिकित्सक ने यह राय दी कि प्रत्यर्थी बच्चे को जन्म देने के लिए सक्षम नहीं है । प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी से इस तथ्य को छुपाया और प्रत्यर्थी तथा उसके पिता ने गुप्त रूप से टेस्ट-ट्यूब बेबी की प्रक्रिया अपनाने का विनिश्चय किया तथापि, चिकित्सक ने बताया कि जब तक टेस्ट-ट्यूब बेबी की प्रक्रिया के लिए अपीलार्थी को नहीं लाया जाएगा तब तक यह प्रक्रिया संभव नहीं होगी । अपीलार्थी ने टेस्ट-ट्यूब बेबी की प्रक्रिया कराने के लिए अपनी सम्मति नहीं दी और इसलिए प्रत्यर्थी नाराज होकर अपने माता-पिता के घर चली गई । (ग) अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को वापस लाने के लिए अनेकों प्रयास किए किन्तु वह नहीं आई । इसलिए अपीलार्थी ने तारीख 27 जुलाई, 2009 को कुटुंब न्यायालय, औरंगाबाद के समक्ष विवाह-विच्छेद के लिए अर्जी फाइल की जिसको 2009 की अर्जी सं. ए-269 के रूप में संख्यांकित किया गया । उक्त अर्जी में समझौता हो गया था और तद्नुसार उक्त अर्जी का निपटान कर दिया गया था । समझौते के अनुसार अपीलार्थी और प्रत्यर्थी ने साथ-साथ रहना आरंभ कर दिया था । इसके पश्चात् भी प्रत्यर्थी ने घरेलू हिंसा से स्त्रियों का संरक्षण अधिनियम के अधीन और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन कार्यवाहियां फाइल कीं । (घ) फरवरी, 2011 में प्रत्यर्थी के भाई का विवाह हुआ था तथापि, अपीलार्थी को कोई निमंत्रण नहीं दिया गया था । पूछने पर प्रत्यर्थी ने यह बताया कि उसका अपीलार्थी के साथ कोई संबंध नहीं है और इसलिए विवाह कार्यक्रम में उसको आमंत्रित करने का कोई प्रश्न ही नहीं था । इससे यह उपदर्शित होता है कि प्रत्यर्थी अपीलार्थी को अपने पति के रूप में नहीं मानती है । जब अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी से उसके भाई के विवाह के बारे में पूछा तो वह नाराज हो गई और उसने मकान के फर्श पर गेहूं का आटा फेंक दिया और मकान में मिट्टी का तेल छिड़क कर मकान में रखी हुई चीजों को जलाने का प्रयास किया । इस प्रकार प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के साथ घोर क्रूरता बरती और चूंकि पिछले तीन वर्षों से प्रत्यर्थी

उसकी लैंगिक आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रही है इसलिए अपीलार्थी ने इन सभी आधारों पर प्रत्यर्थी से विवाह-विच्छेद करने का दावा किया । अपीलार्थी-पति ने इस कुटुंब न्यायालय अपील द्वारा 2011 की अर्जी सं. ए-75 में कुटुंब न्यायालय, औरंगाबाद के न्यायाधीश द्वारा तारीख 18 जुलाई, 2014 को पारित उस निर्णय और आदेश को आक्षेपित किया है जिसके द्वारा अपीलार्थी द्वारा क्रूरता के आधार पर विवाह-विच्छेद की डिक्री के लिए फाइल की गई अर्जी को खारिज किया गया है । अतः अपीलार्थी-पति द्वारा वर्तमान अपील फाइल की गई । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – न्यायालय ने ऊपर पक्षकारों के अभिवचनों और उनके द्वारा पेश किए गए साक्ष्य का उल्लेख किया है । अपीलार्थी-पति द्वारा प्रत्यर्थी-पत्नी के विरुद्ध किए गए अभिकथन पूर्णतया अस्पष्ट और सामान्य प्रकृति के हैं । अपीलार्थी ने अपनी पत्नी के विरुद्ध किए गए अभिकथनों के संबंध में विनिर्दिष्ट घटनाओं का उल्लेख नहीं किया है । अपीलार्थी ने यह अभिवाक् किया है कि उसकी पत्नी, उसके और उसके माता-पिता के साथ बुरा व्यवहार करती थी । तथापि, अपीलार्थी ने विनिर्दिष्ट घटनाओं का उल्लेख करके उक्त कथन को साबित नहीं किया है । अपीलार्थी ने यह अभिकथित किया है कि प्रत्यर्थी आत्महत्या टिप्पणों को लिखने की अभ्यस्त थी । तथापि, उक्त आत्महत्या टिप्पणों की प्रतियां अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई हैं । अपीलार्थी ने यह भी अभिकथन किया है कि प्रत्यर्थी बच्चे को जन्म देने के योग्य नहीं है । तथापि, अपीलार्थी ने अपने उक्त कथन के समर्थन में अभिलेख पर कोई चिकित्सीय साक्ष्य पेश नहीं किया है । यद्यपि अपीलार्थी ने विद्या नामक महिला के साथ अपने अवैध संबंधों से और गुरूदत्त नगर में रहने से इनकार किया है, तथापि, अपीलार्थी के पिता ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि अपीलार्थी गुरूदत्त नगर में रह रहा था । यद्यपि अपीलार्थी ने क्रूरता के अभिकथनों के समर्थन में अपने पिता की परीक्षा कराई है तथापि, इस साक्षी बबनराव ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि वह दम्पत्ति के निवास पर अक्सर नहीं जाता था और उसे दम्पत्ति के बीच विवाद के बारे में कोई जानकारी नहीं थी । उसने यह भी स्वीकार किया है कि दम्पत्ति चिखाली में उसके आवास पर अक्सर नहीं आती थी । अतः 'क्रूरता' के मुद्दे पर साक्षी बबनराव का साक्ष्य किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं है । यद्यपि अपीलार्थी द्वारा क्रूरता के अभिकथन करने वाली पूर्वतर फाइल की गई विवाह-विच्छेद

अर्जी दम्पत्ति के बीच हुए समझौते के निबंधनों में निपटा दी गई थी और उक्त समझौते के अनुसरण में दम्पत्ति ने साथ-साथ रहना आरंभ कर दिया था । अपीलार्थी ने पुनः ऐसे ही अभिकथन, जो पूर्वतर याचिका में किए गए थे और जो पक्षकारों के बीच हुए समझौते के निबंधनों में निपटा दी गई थी, करते हुए 2011 की वर्तमान विवाह-विच्छेद अर्जी सं. ए-75 फाइल की है । अतः ऐसे तुच्छ अभिकथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है । कुटुंब न्यायालय ने इस संबंध में यह ठीक ही मत व्यक्त किया है कि अपीलार्थी स्वयं द्वारा फाइल की गई पूर्वतर शिकायतों का और अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई पूर्वतर अंतर्वस्तु का कोई फायदा नहीं ले सकता । अभिलेख पर पेश किए गए सम्पूर्ण साक्ष्य के आधार पर न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि अपीलार्थी द्वारा क्रूरता के संबंध में प्रत्यर्थी के विरुद्ध किए गए अभिकथन अस्पष्ट और सामान्य प्रकृति के हैं । पति द्वारा अपनी पत्नी के विरुद्ध किए गए सामान्य अभिकथनों के आधार पर और उस रीति का स्पष्टतया उल्लेख किए बिना जिसमें पत्नी ने पति के साथ दुर्व्यवहार किया है, क्रूरता के कथन पर विवाह-विच्छेद की कोई डिक्री मंजूर नहीं की जा सकती । ऐसे सामान्य अभिकथन कि पत्नी, पति और उसके कुटुंब के सदस्यों की उपेक्षा करती थी और वह अक्सर अपने माता-पिता के मकान पर चली जाती थी तथा पति के लिए खाना नहीं बनाती थी और पति के घर लौटने के पश्चात् मकान का दरवाजा नहीं खोलती थी, क्रूरता गठित नहीं कर सकते । कुटुंब न्यायालय ने अभिलेख पर के साक्ष्य के आधार पर यह ठीक ही अभिनिर्धारित किया है कि पति द्वारा पत्नी के विरुद्ध लगाए गए आरोप ऐसी क्रूरता गठित नहीं कर सकते जिससे कि पति हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(i-क) के अधीन विवाह-विच्छेद की डिक्री के लिए हकदार बने । कुटुंब न्यायालय ने यह ठीक ही निष्कर्ष निकाला है कि पत्नी का आचरण इस प्रकार का नहीं था जो पति का पूर्णतया असम्मान उपदर्शित करता हो । अभिलेख पर साक्ष्य के गहन मूल्यांकन के पश्चात् न्यायालय का यह मत है कि पति ने यह साबित नहीं किया है कि पत्नी उसके साथ क्रूरता का व्यवहार करती थी । कुटुंब न्यायालय ने यह ठीक ही निष्कर्ष निकाला है कि पति ने दो बार क्रूरता का अभिकथन किया है, प्रथमतः उसने 2009 की अपनी पूर्वतर अर्जी सं. ए-269 में और दूसरी बार वर्तमान अर्जी में, तथापि, वह इसे साबित करने में पूर्णतया विफल रहा है । कुटुंब न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि प्रत्यर्थी द्वारा जो प्रतिरक्षा साबित की गई है उससे यह उपदर्शित होता है कि पति ने अपनी

मर्जी से न केवल विद्या नामक महिला के साथ अवैध संबंध बना लिए हैं अपितु उससे उसका एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ है । कुटुंब न्यायालय ने यह ठीक ही निष्कर्ष निकाला है कि पति क्रूरता के आधार पर विवाह-विच्छेद की डिक्री पाने का हकदार नहीं है । (पैरा 15, 16, 18 और 19)

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2015 की कुटुंब न्यायालय अपील सं. 10.

2011 की अर्जी सं. ए-75 में कुटुंब न्यायालय, औरंगाबाद द्वारा तारीख 18 जुलाई, 2014 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री एस. पी. सलगर

प्रत्यर्थी की ओर से सुश्री एन. आर. चौबे और श्री एन. पी. सूर्यवंशी

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एस. एस. शिन्दे ने दिया ।

न्या. शिन्दे – अपीलार्थी-पति ने इस कुटुंब न्यायालय अपील द्वारा 2011 की अर्जी सं. ए-75 में कुटुंब न्यायालय, औरंगाबाद के न्यायाधीश द्वारा तारीख 18 जुलाई, 2014 को पारित उस निर्णय और आदेश को आक्षेपित किया है जिसके द्वारा अपीलार्थी द्वारा क्रूरता के आधार पर विवाह-विच्छेद की डिक्री के लिए फाइल की गई अर्जी को खारिज किया गया है ।

2. संक्षेप में अपीलार्थी का पक्षकथन जो उसने विवाह-विच्छेद की डिक्री के लिए फाइल की गई अर्जी में प्रकट किया है, इस प्रकार है – (क) अपीलार्थी-पति और प्रत्यर्थी-पत्नी का विवाह उनके समुदायों में विद्यमान रूढ़ियों के अनुसार तारीख 12 मार्च, 2000 को संपन्न हुआ था और उनका वैवाहिक बंधन अभी भी विद्यमान है । विवाह के पश्चात् प्रत्यर्थी अपनी ससुराल में रहने लगी जहां उसने केवल 15 दिनों तक ठीक प्रकार से व्यवहार किया और उसके पश्चात् एकाधिक कारणों से अपीलार्थी के साथ झगड़ा और दुर्व्यवहार करने लगी । प्रत्यर्थी-पत्नी अपने माता-पिता की एकलौती संतान है और इसलिए उसके व्यवहार में अहम् की भावना है और वह किसी की भी सुनने के लिए तैयार नहीं है । वह शिव छत्रपति महाविद्यालय में कम्प्यूटर संचालक के रूप में कार्य कर रही है और अपनी नौकरी को लेकर अत्यधिक गौरवान्वित है । प्रत्यर्थी-पत्नी ने कभी भी अपीलार्थी-पति को अपना वेतन नहीं दिया । जब कभी भी उससे वेतन के बारे में पूछा गया तो वह झगड़ा करने लगी, गाली-गलौज करने लगी और

आत्महत्या करने और पुलिस में मिथ्या शिकायतें करने की धमकी देने लगी । वह आत्महत्या टिप्पण लिखने की अभ्यस्त थी । अपीलार्थी जब भी अपने कार्यालय से लौटता, तब प्रत्यर्थी दरवाजा नहीं खोलती थी और वह कभी-कभी अपने शयन कक्ष में ताला लगा लेती थी और कभी भी दरवाजा नहीं खोलती और उसके इस प्रकार के व्यवहार के कारण अपीलार्थी भूखा रहता था और मकान के बाहर ही सो जाता था । प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को अपना शरीर छूने के लिए भी अनुज्ञात नहीं किया । वह खुले तौर पर अपीलार्थी से यह कहती थी कि वह उसे पंसद नहीं करती है और उसका विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध किया गया है । वह अपीलार्थी के माता-पिता और नातेदारों से भी झगड़ा करती थी । (ख) अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के विवाह से कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई । अपीलार्थी प्रत्यर्थी को उसका चिकित्सीय उपचार कराने के लिए विभिन्न अस्पतालों में ले गया तथापि, चिकित्सक ने यह राय दी कि प्रत्यर्थी बच्चे को जन्म देने के लिए सक्षम नहीं है । प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी से इस तथ्य को छुपाया और प्रत्यर्थी तथा उसके पिता ने गुप्त रूप से टेस्ट-ट्यूब बेबी की प्रक्रिया अपनाने का विनिश्चय किया तथापि, चिकित्सक ने बताया कि जब तक टेस्ट-ट्यूब बेबी की प्रक्रिया के लिए अपीलार्थी को नहीं लाया जाएगा तब तक यह प्रक्रिया संभव नहीं होगी । अपीलार्थी ने टेस्ट-ट्यूब बेबी की प्रक्रिया कराने के लिए अपनी सम्मति नहीं दी और इसलिए प्रत्यर्थी नाराज़ होकर अपने माता-पिता के घर चली गई । (ग) अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को वापस लाने के लिए अनेकों प्रयास किए किन्तु वह नहीं आई । इसलिए अपीलार्थी ने तारीख 27 जुलाई, 2009 को कुटुंब न्यायालय, औरंगाबाद के समक्ष विवाह-विच्छेद के लिए अर्जी फाइल की जिसको 2009 की अर्जी सं. ए-269 के रूप में संख्यांकित किया गया । उक्त अर्जी में समझौता हो गया था और तद्नुसार उक्त अर्जी का निपटान कर दिया गया था । समझौते के अनुसार अपीलार्थी और प्रत्यर्थी ने साथ-साथ रहना आरंभ कर दिया था । इसके पश्चात् भी प्रत्यर्थी ने घरेलू हिंसा से स्त्रियों का संरक्षण अधिनियम के अधीन और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन कार्यवाहियां फाइल कीं । (घ) फरवरी, 2011 में प्रत्यर्थी के भाई का विवाह हुआ था तथापि, अपीलार्थी को कोई निमंत्रण नहीं दिया गया था । पूछने पर प्रत्यर्थी ने यह बताया कि उसका अपीलार्थी के साथ कोई संबंध नहीं है और इसलिए विवाह कार्यक्रम में उसको आमंत्रित करने का कोई प्रश्न ही नहीं था । इससे यह उपदर्शित होता है कि प्रत्यर्थी अपीलार्थी को अपने पति के

रूप में नहीं मानती है । जब अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी से उसके भाई के विवाह के बारे में पूछा तो वह नाराज हो गई और उसने मकान के फर्श पर गेहूं का आटा फेंक दिया और मकान में मिट्टी का तेल छिड़क कर मकान में रखी हुई चीजों को जलाने का प्रयास किया । इस प्रकार प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के साथ घोर क्रूरता बरती और चूंकि पिछले तीन वर्षों से प्रत्यर्थी उसकी लैंगिक आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रही है इसलिए अपीलार्थी ने इन सभी आधारों पर प्रत्यर्थी से विवाह-विच्छेद करने का दावा किया ।

3. प्रत्यर्थी-पत्नी ने अर्जी में अपना लिखित कथन फाइल किया और अपीलार्थी-पति द्वारा उसके विरुद्ध किए गए सभी कथनों से इनकार किया । प्रत्यर्थी ने यह अभिवचन किया कि उसके पिता ने उसके नाम में हनुमान नगर, औरंगाबाद में एक भूखंड क्रय किया था । अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को उक्त भूखंड को अपने नाम में अंतरित करने के लिए कहा और जब उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो अपीलार्थी ने उससे दुर्व्यवहार किया और उसके भाई तथा पिता से बातचीत करनी बंद कर दी । अपीलार्थी ने अपने मैस में खाना, खाना आरंभ कर दिया और घर में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं को लाना बंद कर दिया । वर्ष 2008 में दिवाली के त्यौहार पर अपीलार्थी अपने माता-पिता के मकान पर गया और वहां से वापस आने के पश्चात् उसने प्रत्यर्थी से विवाह-विच्छेद करने के लिए जोर देना आरंभ कर दिया क्योंकि वह दूसरा विवाह करना चाहता था । जब प्रत्यर्थी ने विवाह-विच्छेद करने से इनकार कर दिया तो अपीलार्थी उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगा । वह कभी भी अपने नातेदारों के विवाह समारोह में उसे नहीं ले जाता था । जब अपीलार्थी के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तब प्रत्यर्थी ने महिला शिकायत निवारण सैल में शिकायत फाइल की । चूंकि प्रत्यर्थी बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकी इसलिए वह चिकित्सीय उपचार कराना चाहती थी तथापि, अपीलार्थी ने चिकित्सीय उपचार में कभी भी उसके साथ सहयोग नहीं किया । वह जानबूझकर उसके साथ लैंगिक नातेदारी से बचता था जबकि चिकित्सक ने ऐसा करने की सलाह दी थी । इसके पश्चात् अपीलार्थी ने अपने मित्र के साथ रहना आरंभ कर दिया और वह जानबूझकर रात्रि में देर से घर आता था और दरवाजे को जोर से पीटता था और जब प्रत्यर्थी दरवाजा खोलती तो अपीलार्थी उस पर हमला करता था और उससे घर छोड़ कर जाने के लिए कहता था । वस्तुतः अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के साथ घोर क्रूरता बरती है । प्रत्यर्थी द्वारा यह भी अभिवचन किया गया है कि इस समय अपीलार्थी

गुरूदत्त नगर में विद्या नामक एक महिला के साथ रहता है और उसका उक्त विद्या से एक पुत्र उत्पन्न हुआ है । अपीलार्थी उक्त विद्या से विवाह करना चाहता है और इसलिए वह प्रत्यर्थी से दुर्व्यवहार करता है और विवाह-विच्छेद के लिए जोर दे रहा है ।

4. पक्षकारों के उपर्युक्त अभिवचनों पर विचार करने और पक्षकारों द्वारा अभिलेख पर पेश किए गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् कुटुंब न्यायालय ने विवाह-विच्छेद के लिए अर्जी खारिज कर दी ।

5. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल ने हमारा ध्यान अपीलार्थी के साक्ष्य तथा अपीलार्थी के पिता अर्थात् विष्णू बबनराव यादव के साक्ष्य पर आकर्षित करते हुए यह दलील दी है कि अपीलार्थी ने यह साबित कर दिया है कि विवाह के पश्चात् प्रत्यर्थी उचित रूप से व्यवहार नहीं कर रही थी और इसलिए 'क्रूरता' के आधार पर अपीलार्थी विवाह-विच्छेद की डिक्री पाने का हकदार है । विद्वान् काउंसेल ने अपील में लिए गए आधारों का निर्देश करते हुए यह दलील दी कि कुटुंब न्यायालय मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का इसके सही परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करने में विफल रहा है । अत: उन्होंने यह अनुरोध किया कि अपील मंजूर की जाए ।

6. यद्यपि प्रत्यर्थी-पत्नी की ओर से दो अधिवक्ता उपस्थित हुए थे तथापि, जब अपील सुनवाई के लिए पेश की गई तो प्रत्यर्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ ।

7. हमने मूल अभिलेख और कार्यवाहियों का परिशीलन किया । कुटुंब न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों द्वारा पेश किए गए कथनों और दावा किए गए अनुतोषों के आधार पर विवाद्यक विरचित किए गए हैं । अपीलार्थी-पति से यह प्रत्याशित था कि वह परित्यजन और क्रूरता के पक्षकथन को साबित करे ।

8. हमने अपीलार्थी के साक्ष्य का परिशीलन किया । मुख्य परीक्षा अर्जी में किए गए अभिवचनों के अनुसार है । पति के साक्ष्य से यह उपदर्शित होता है कि पूर्वतर अवसर पर भी विवाद था और उसने 2009 की विवाह-विच्छेद अर्जी सं. ए-269 फाइल की थी तथापि, शुभचिंतकों के मध्यक्षेप के पश्चात् समझौता हो गया था और विवाद समाप्त हो गया था और पत्नी पति के साथ रहने लगी थी । दोनों के साथ रहने के दौरान

दम्पत्ति के बीच पुनः विवाद हुआ और प्रत्यर्थी-पत्नी ने घरेलू हिंसा से स्त्रियों का संरक्षण अधिनियम के उपबंधों के अधीन मिथ्या कार्यवाही फाइल की थी और उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन भी कार्यवाही फाइल की थी । अपीलार्थी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि उसे प्रत्यर्थी के भाई के विवाह समारोह में नहीं बुलाया गया था और इस कारण भी दम्पत्ति के बीच झगड़ा हुआ था ।

9. हमने अपीलार्थी की प्रतिपरीक्षा का परिशीलन किया । अपीलार्थी ने विनिर्दिष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि घरेलू हिंसा से स्त्रियों का संरक्षण अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के उपबंधों के अधीन प्रत्यर्थी द्वारा फाइल की गई दोनों कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी के हक में आदेश पारित किए गए हैं और अपीलार्थी को प्रत्यर्थी को भरणपोषण का संदाय करने तथा उसके मकान में रहने के लिए प्रत्यर्थी को अनुज्ञात करने के लिए निदेश दिए गए थे । अतः यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी के इस कथन में कोई बल नहीं है कि प्रत्यर्थी द्वारा उसके विरुद्ध मिथ्या मामले फाइल किए गए थे ।

10. हमने अपीलार्थी के पिता बबनराव अशुरूबा यादव के साक्ष्य का परिशीलन किया । उसने अपनी मुख्य परीक्षा में अर्जी में किए गए अभिवचनों को दोहराया है । साक्षी बबनराव ने प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि वर्ष में 1-2 बार वह गुरूदत्त नगर में विष्णु के मकान पर गया था । अतः अपीलार्थी के पिता ने यह स्वीकार किया है कि अपीलार्थी गुरूदत्त नगर में रहता था और इस प्रकार उसने प्रत्यर्थी के इस कथन का समर्थन किया है कि अपीलार्थी एक महिला अर्थात् विद्या के साथ गुरूदत्त नगर में रहता है । बबनराव ने यह भी स्वीकार किया है कि वह अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के आवास पर उस समय कभी भी नहीं गया जब वे शिवनेरी संकुल में रहते थे । उसने यह भी कथन किया है कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी अपने विवाह के पश्चात् केवल एक बार ग्राम चिखाली अर्थात् बबनराव के मूल निवास पर आए थे । अतः यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पिता को इस बारे में निश्चित तौर पर व्यक्तिगत रूप से जानकारी नहीं है कि दम्पत्ति के बीच किन विवाद्यकों पर विवाद था क्योंकि वह दम्पत्ति के पास प्रायः नहीं जाता था ।

11. प्रत्यर्थी ने प्रदर्श-49 पर अपनी परीक्षा कराई है । उसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसके पिता ने हनुमान नगर, औरंगाबाद में उसके नाम में एक भूखंड क्रय किया था । उसने यह भी

अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी उक्त भूखंड को अपने नाम में अंतरित करने के लिए दबाव देता था और जब उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो अपीलार्थी ने उसके साथ दुर्व्यवहार करना और पिता के साथ झगड़ा करना आरंभ कर दिया । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी ने अनेक अवसरों पर उसके साथ दुर्व्यवहार किया था । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी एक महिला अर्थात् विद्या के साथ गुरूदत्त नगर, औरंगाबाद में रहता है और अपीलार्थी से उक्त विद्या का एक पुत्र उत्पन्न हुआ था ।

12. प्रत्यर्थी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि वह इस समय शिव छत्रपति महाविद्यालय, औरंगाबाद में कम्प्यूटर संचालक के रूप में कार्य कर रही है । उसने इस बात से इनकार किया है कि अपीलार्थी ने उसकी अंतड़ियों की शल्य-क्रिया के लिए सम्पूर्ण धनराशि खर्च कर दी थी । उसने यह स्वीकार किया है कि अपीलार्थी ने सतारा परिसर, औरंगाबाद स्थित शिवनेरी संकुल में एक फ्लैट क्रय किया था ।

13. प्रत्यर्थी ने यह कथन किया कि अपीलार्थी के एक महिला अर्थात् विद्या के साथ अवैध संबंध थे और वह गुरूदत्त नगर में उक्त विद्या के साथ रहता है और उसका इस नातेदारी से एक पुत्र भी है । प्रत्यर्थी ने अपने उपर्युक्त कथन को साबित करने के लिए नगर निगम, औरंगाबाद में कार्यरत चपरासी की परीक्षा कराई है । उसने एक पुरुष बालक के जन्म प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति अभिलेख पर दाखिल की है जिसमें बालक के पिता का नाम विष्णू बबनराव यादव अर्थात् अपीलार्थी का नाम और माता का नाम विद्या विष्णू यादव उल्लिखित है ।

14. प्रत्यर्थी ने प्रदर्श-69 पर पुलिस नायक करभरी नामदेव नालवड़े की भी परीक्षा कराई है । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी ने यह अभिकथित करते हुए एक शिकायत दर्ज कराई थी कि प्रत्यर्थी के पिता और भाई ने उसे गाली-गलौज किया था और सतारा परिसर, औरंगाबाद स्थित शिवनेरी संकुल में उसे पीटा था । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने उक्त शिकायत की जांच की थी और जांच के पश्चात् यह प्रकट हुआ कि शिवनेरी संकुल में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी । अत: इस पुलिस कर्मचारी के साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी, प्रत्यर्थी के पिता और भाइयों के विरुद्ध अभिकथन करने वाली मिथ्या शिकायतें फाइल करने का अभ्यस्त था ।

15. हमने ऊपर पक्षकारों के अभिवचनों और उनके द्वारा पेश किए गए

साक्ष्य का उल्लेख किया है । अपीलार्थी-पति द्वारा प्रत्यर्थी-पत्नी के विरुद्ध किए गए अभिकथन पूर्णतया अस्पष्ट और सामान्य प्रकृति के हैं । अपीलार्थी ने अपनी पत्नी के विरुद्ध किए गए अभिकथनों के संबंध में विनिर्दिष्ट घटनाओं का उल्लेख नहीं किया है । अपीलार्थी ने यह अभिवाक् किया है कि उसकी पत्नी, उसके और उसके माता-पिता के साथ बुरा व्यवहार करती थी । तथापि, अपीलार्थी ने विनिर्दिष्ट घटनाओं का उल्लेख करके उक्त कथन को साबित नहीं किया है । अपीलार्थी ने यह अभिकथित किया है कि प्रत्यर्थी आत्महत्या टिप्पणों को लिखने की अभ्यस्त थी । तथापि, उक्त आत्महत्या टिप्पणों की प्रतियां अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई हैं । अपीलार्थी ने यह भी अभिकथन किया है कि प्रत्यर्थी बच्चे को जन्म देने के योग्य नहीं है । तथापि, अपीलार्थी ने अपने उक्त कथन के समर्थन में अभिलेख पर कोई चिकित्सीय साक्ष्य पेश नहीं किया है । यद्यपि अपीलार्थी ने विद्या नामक महिला के साथ अपने अवैध संबंधों से और गुरूदत्त नगर में रहने से इनकार किया है, तथापि, अपीलार्थी के पिता ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि अपीलार्थी गुरूदत्त नगर में रह रहा था । यद्यपि अपीलार्थी ने क्रूरता के अभिकथनों के समर्थन में अपने पिता की परीक्षा कराई है तथापि, इस साक्षी बबनराव ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि वह दम्पत्ति के निवास पर अक्सर नहीं जाता था और उसे दम्पत्ति के बीच विवाद के बारे में कोई जानकारी नहीं थी । उसने यह भी स्वीकार किया है कि दम्पत्ति चिखाली में उसके आवास पर अक्सर नहीं आती थी । अतः 'क्रूरता' के मुद्दे पर साक्षी बबनराव का साक्ष्य किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं है ।

16. यद्यपि अपीलार्थी द्वारा क्रूरता के अभिकथन करने वाली पूर्वतर फाइल की गई विवाह-विच्छेद अर्जी दम्पत्ति के बीच हुए समझौते के निबंधनों में निपटा दी गई थी और उक्त समझौते के अनुसरण में दम्पत्ति ने साथ-साथ रहना आरंभ कर दिया था । अपीलार्थी ने पुनः ऐसे ही अभिकथन, जो पूर्वतर याचिका में किए गए थे और जो पक्षकारों के बीच हुए समझौते के निबंधनों में निपटा दी गई थी, करते हुए 2011 की वर्तमान विवाह-विच्छेद अर्जी सं. ए-75 फाइल की है । अतः ऐसे तुच्छ अभिकथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है । कुटुंब न्यायालय ने इस संबंध में यह ठीक ही मत व्यक्त किया है कि अपीलार्थी स्वयं द्वारा फाइल की गई पूर्वतर शिकायतों का और अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई पूर्वतर अंतर्वस्तु का कोई फायदा नहीं ले सकता ।

17. यद्यपि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के विरुद्ध अभिकथन करके पुलिस

थाने में स्वयं द्वारा फाइल की गई शिकायतों की प्रतियां अभिलेख पर पेश की हैं तथापि, उक्त शिकायतों के परिशीलन मात्र से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी द्वारा ये शिकायतें केवल प्रत्यर्थी के विरुद्ध अभिलेख सृजित करने के लिए फाइल की गई थीं ।

18. अभिलेख पर पेश किए गए सम्पूर्ण साक्ष्य के आधार पर हमारा यह सुविचारित मत है कि अपीलार्थी द्वारा क्रूरता के संबंध में प्रत्यर्थी के विरुद्ध किए गए अभिकथन अस्पष्ट और सामान्य प्रकृति के हैं । पति द्वारा अपनी पत्नी के विरुद्ध किए गए सामान्य अभिकथनों के आधार पर और उस रीति का स्पष्टतया उल्लेख किए बिना जिसमें पत्नी ने पति के साथ दुर्व्यवहार किया है, क्रूरता के कथन पर विवाह-विच्छेद की कोई डिक्री मंजूर नहीं की जा सकती । ऐसे सामान्य अभिकथन कि पत्नी, पति और उसके कुटुंब के सदस्यों की उपेक्षा करती थी और वह अक्सर अपने माता-पिता के मकान पर चली जाती थी तथा पति के लिए खाना नहीं बनाती थी और पति के घर लौटने के पश्चात् मकान का दरवाजा नहीं खोलती थी, क्रूरता गठित नहीं कर सकते ।

19. कुटुंब न्यायालय ने अभिलेख पर के साक्ष्य के आधार पर यह ठीक ही अभिनिर्धारित किया है कि पति द्वारा पत्नी के विरुद्ध लगाए गए आरोप ऐसी क्रूरता गठित नहीं कर सकते जिससे कि पति हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(i-क) के अधीन विवाह-विच्छेद की डिक्री के लिए हकदार बने । कुटुंब न्यायालय ने यह ठीक ही निष्कर्ष निकाला है कि पत्नी का आचरण इस प्रकार का नहीं था जो पति का पूर्णतया असम्मान उपदर्शित करता हो । अभिलेख पर साक्ष्य के गहन मूल्यांकन के पश्चात् हमारा यह मत है कि पति ने यह साबित नहीं किया है कि पत्नी उसके साथ क्रूरता का व्यवहार करती थी । कुटुंब न्यायालय ने यह ठीक ही निष्कर्ष निकाला है कि पति ने दो बार क्रूरता का अभिकथन किया है, प्रथमत: उसने 2009 की अपनी पूर्वतर अर्जी सं. ए-269 में और दूसरी बार वर्तमान अर्जी में, तथापि, वह इसे साबित करने में पूर्णतया विफल रहा है । कुटुंब न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि प्रत्यर्थी द्वारा जो प्रतिरक्षा साबित की गई है उससे यह उपदर्शित होता है कि पति ने अपनी मर्जी से न केवल विद्या नामक महिला के साथ अवैध संबंध बना लिए हैं अपितु उससे उसका एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ है । कुटुंब न्यायालय ने यह ठीक ही निष्कर्ष निकाला है कि पति क्रूरता के आधार पर विवाह-विच्छेद की डिक्री पाने का हकदार नहीं है ।

20. उपर्युक्त कारणों से यह कुटुंब न्यायालय अपील खारिज की जाती है तथापि, खर्चों के बारे में कोई आदेश नहीं किया जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

मह.

(2018) 2 सि. नि. प. 520 **मध्य प्रदेश**

दिनेश त्रिपाठी

बनाम

श्रीमती वन्दना त्रिपाठी

तारीख 15 फरवरी, 2018

न्यायमूर्ति (श्रीमती) अंजुलि पालो

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (1955 का 25) – धारा 13 – पत्नी द्वारा परित्यजन और क्रूरता बरतने के आधार पर पति द्वारा विवाह-विच्छेद के लिए अर्जी – पति द्वारा पत्नी पर पागलपन और दुर्व्यवहार का आरोप लगाना – पत्नी द्वारा फाइल की गई शिकायत से यह साबित होना कि पति पत्नी को तंग करता था – विचारण न्यायालय द्वारा विवाह-विच्छेद की डिक्री मंजूर करने से ठीक ही इनकार किया गया है ।

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 – धारा 13(i) – पति द्वारा विवाह-विच्छेद के लिए अर्जी – पति द्वारा पत्नी पर जादू-टोना करने और पत्नी के माता-पिता द्वारा दामाद की हत्या कराने की मंशा का आरोप लगाना – पति द्वारा उक्त अभिकथन किसी साक्ष्य द्वारा साबित न किया जाना – पति इस आधार पर विवाह-विच्छेद की डिक्री पाने का हकदार नहीं है ।

संक्षेप में अपीलार्थी का यह पक्षकथन है कि प्रत्यर्थी तारीख 21 मई, 2003 को विवाह के पश्चात् अपने भाइयों के साथ अपने माता-पिता के मकान पर गई थी । वह चार-पांच मास के पश्चात् अपनी ससुराल लौटी । उसने अभिचार (जादू टोना) करना आरंभ कर दिया । अपीलार्थी ने उसका चिकित्सीय उपचार कराया । तारीख 29 फरवरी, 2004 को लगभग 9.00 बजे पूर्वाह्न कुछ असामाजिक तत्व उसको उसके मकान पर ले जाने के लिए आए । प्रत्यर्थी के माता-पिता अपीलार्थी की बलि चढ़ाना चाहते

थे । उन्होंने अपीलार्थी के साथ दुर्व्यवहार किया । वह उनके क्रूरतापूर्ण व्यवहार से क्षुब्ध हो गया । उसके द्वारा तारीख 6 सितंबर, 2004 को प्रत्यर्थी के विरुद्ध विवाह-विच्छेद के लिए अर्जी फाइल की गई थी । उन दोनों के बीच समझौता होने के कारण प्रत्यर्थी अपीलार्थी के घर वापस आ गई और उसके साथ रहने लगी । उसके पश्चात् तारीख 7 जून, 2005 को वह पुनः अपनी ससुराल छोड़ कर चली गई । उसने अपीलार्थी को और उसके कुटुंब के सदस्यों को एक मिथ्या मामले में आलिप्त करने का प्रयत्न किया । इसलिए अपीलार्थी ने हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अधीन विवाह-विच्छेद की अर्जी फाइल की । अपीलार्थी-पति द्वारा कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 के अधीन यह अपील 2005 के सिविल वाद सं. 49ए में मुख्य न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रेवा द्वारा तारीख 14 मार्च, 2007 को पारित उस निर्णय और डिक्री के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा अपीलार्थी-पति द्वारा विवाह-विच्छेद की डिक्री के लिए फाइल किया गया वाद खारिज किया गया है । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – सभी अभिकथन पूर्णतया अनैसर्गिक प्रतीत होते हैं । अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के साथ समझौता भी किया था । इसके पश्चात् वे दोनों कुछ समय तक साथ-साथ रहे थे । अतः विद्वान् विचारण न्यायालय ने सावित्री पांडे वाले मामले का अवलंब लेते हुए यह ठीक ही अभिनिर्धारित किया है कि चूंकि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के क्रूरतापूर्ण व्यवहार को क्षमा कर दिया था इसलिए वह प्रत्यर्थी के विरुद्ध विवाह-विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने का हकदार नहीं है । इसके अतिरिक्त उसने प्रतिपरीक्षा के पैरा 14 में स्वयं यह स्वीकार किया है कि उसने डा. प्रदीप से अपनी पत्नी का चिकित्सीय उपचार कराया था । डा. प्रदीप ने प्रत्यर्थी की स्थिति सामान्य पाई थी । अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपने अभिकथन के समर्थन में चिकित्सीय उपचार कराने के बारे में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है । अपीलार्थी ने अपनी ससुराल वालों के विरुद्ध शिकायत करने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जो उससे पीछा छुड़ाने के लिए और परोक्ष फायदा उठाने के लिए उसकी हत्या करना चाहते थे । प्रत्यर्थी-पत्नी ने यह कथन किया है कि अपीलार्थी उससे और उसके माता-पिता से दहेज की मांग करता था । इस कारण से वह उसे परेशान करता था और उसे यह धमकी देता था कि वह दूसरा विवाह कर लेगा । इसलिए उसने महिला पुलिस थाना, रेवा में अपीलार्थी के विरुद्ध एक शिकायत फाइल की थी ।

अपीलार्थी और उसके कुटुंब के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498क, 323/34 के अधीन अपराधों के लिए मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया था । अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को पागल घोषित कराने का भी प्रयास किया । अपीलार्थी प्रत्यर्थी के हाथों को बांधने के पश्चात् उसकी पिटाई करता था । एक दिन अपीलार्थी और उसके कुटुंब के सदस्यों द्वारा पीटे जाने के कारण वह बेहोश हो गई थी । लगभग 9.00 बजे अपराह्न वह किसी तरह भागने में सफल हुई और एक रिक्शा चालक उसे पुलिस थाने ले गया । हम भी पक्षकारों द्वारा पेश किए साक्ष्य के मूल्यांकन के आधार पर प्रत्यर्थी की लिखित शिकायत का अवलंब लेते हैं । इस शिकायत में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि अपीलार्थी कतिपय आरोप लगाने के पश्चात् विवाह-विच्छेद की डिक्री पाना चाहता था । तथ्यतः जब उसकी पत्नी/प्रत्यर्थी उसके साथ रहती थी तो वह उसके साथ क्रूरता बरतता था । प्रत्यर्थी ने अपने पति का परित्याग नहीं किया और उसके साथ क्रूरता नहीं बरती । इस शिकायत से यह भी उपदर्शित होता है कि अपीलार्थी-पति ऐसी प्रकृति का था कि वह अपनी पत्नी और उसके माता-पिता से अपने लिए और अपने कुटुंब के सदस्यों के लिए अत्यधिक सम्मान की प्रत्याशा करता था और वह उस सम्मान से संतुष्ट नहीं था जो वस्तुतः उसे दिया जाता था । साक्ष्य से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वह अपनी पत्नी से अपनी प्रशंसा सुनना चाहता था । अतः उसने अपनी पत्नी को उसके माता-पिता के विरुद्ध एक पत्र लिखने के लिए मजबूर किया था । प्रत्यर्थी ने पत्र प्रदर्श पी3 में यह कहा है कि उसके माता-पिता से नियमित रूप से धमकियां मिलने के कारण वह अपने माता-पिता से तंग आकर अपने पति को बचाने के लिए पति का मकान छोड़कर चली गई । अपीलार्थी के अभिकथन अत्यधिक अनैसर्गिक हैं और इस बारे में विश्वास किए जाने योग्य नहीं हैं कि प्रत्यर्थी के माता-पिता कतिपय जादू टोना (बलि पूजा) करके उसकी हत्या करना चाहते थे । न्यायालय को अपीलार्थी द्वारा किए गए अभिकथनों को स्वीकार करने के लिए कोई उचित आधार प्रतीत नहीं होता है । (पैरा 9, 10 और 12)

न्यायालय को यह प्रतीत नहीं होता कि प्रत्यर्थी-पत्नी ने स्वेच्छापूर्वक अपने पति का परित्याग किया है अथवा उसने अपीलार्थी-पति के प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया है । न्यायालय को इस बात के लिए कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी और उसके माता-पिता के विरुद्ध झूठी शिकायतें फाइल की हैं । प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध फाइल की

गई शिकायत प्रदर्श डी4 से स्पष्ट रूप से यह साबित होता है कि उसके पति द्वारा उसको तंग किया गया था । उसे क्षतियां भी पहुंची थीं । अत: न्यायालय के सुविचारित मतानुसार विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर के साक्ष्य का प्रत्यर्थी के हक में ठीक ही मूल्यांकन करते हुए यह ठीक ही अभिनिर्धारित किया है कि अपीलार्थी विवाह-विच्छेद की डिक्री पाने का हकदार नहीं है । अतः न्यायालय विद्वान् विचारण न्यायालय के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नहीं है । तद्नुसार यह अपील खारिज की जाती है । (पैरा 14 और 15)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2017]	ए. आई. आर. 2017 छत्तीसगढ़ 196 : **सुबोध गुप्ता** बनाम **नीतू गुप्ता** ;	13
[2002]	ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 591 = (2002) 2 एस. सी. सी. 73 : **सावित्री पांडे** बनाम **प्रेम चंद पांडे** ;	6, 9
[1993]	ए. आई. आर. 1993 एम. पी. 14 : **देवी दास** बनाम **ज्ञानवती** उर्फ **शील रानी** ।	5

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2007 की प्रथम अपील सं. 284.

कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से अपीलार्थी-स्वयं

प्रत्यर्थी की ओर से –

न्यायमूर्ति (श्रीमती) अंजुलि पालो – अपीलार्थी-पति द्वारा कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 के अधीन यह अपील 2005 के सिविल वाद सं. 49ए में मुख्य न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रेवा द्वारा तारीख 14 मार्च, 2007 को पारित उस निर्णय और डिक्री के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा अपीलार्थी-पति द्वारा विवाह-विच्छेद की डिक्री के लिए फाइल किया गया वाद खारिज किया गया है ।

2. यह विवादित नहीं है कि अपीलार्थी-पति और प्रत्यर्थी-पत्नी का विवाह तारीख 11 मई, 2003 को संपन्न हुआ था ।

3. संक्षेप में अपीलार्थी का यह पक्षकथन है कि प्रत्यर्थी तारीख 21 मई, 2003 को विवाह के पश्चात् अपने भाईयों के साथ अपने माता-पिता के मकान पर गई थी । वह चार-पांच मास के पश्चात् अपनी ससुराल लौटी । उसने अभिचार (जादू-टोना) करना आरंभ कर दिया । अपीलार्थी ने उसका चिकित्सीय उपचार कराया । तारीख 29 फरवरी, 2004 को लगभग 9.00 बजे पूर्वाह्न कुछ असामाजिक तत्व उसको उसके मकान पर ले जाने के लिए आए । प्रत्यर्थी के माता-पिता अपीलार्थी की बलि चढ़ाना चाहते थे । उन्होंने अपीलार्थी के साथ दुर्व्यवहार किया । वह उनके क्रूरतापूर्ण व्यवहार से क्षुब्ध हो गया । उसके द्वारा तारीख 6 सितंबर, 2004 को प्रत्यर्थी के विरुद्ध विवाह-विच्छेद के लिए अर्जी फाइल की गई थी । उन दोनों के बीच समझौता होने के कारण प्रत्यर्थी अपीलार्थी के घर वापस आ गई और उसके साथ रहने लगी । उसके पश्चात् तारीख 7 जून, 2005 को वह पुनः अपनी ससुराल छोड़ कर चली गई । उसने अपीलार्थी को और उसके कुटुंब के सदस्यों को एक मिथ्या मामले में आलिप्त करने का प्रयत्न किया । इसलिए अपीलार्थी ने हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अधीन विवाह-विच्छेद की अर्जी फाइल की ।

4. प्रत्यर्थी-पत्नी ने अपने उत्तर में अभिकथनों से इनकार करते हुए यह निवेदन किया कि अपीलार्थी उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त घोषित कराना चाहता है । अपीलार्थी और उसके कुटुंब द्वारा की गई दहेज की मांग को पूरा न करने के कारण उसको प्रताड़ित किया गया था । अपीलार्थी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी । पुलिस विभाग द्वारा परामर्श द्वारा समझौता कराने पर प्रत्यर्थी अपीलार्थी के साथ रहने के लिए तैयार हो गई । इसके पश्चात् अपीलार्थी पुनः उसे परेशान करने लगा, जिसके कारण वह अपनी ससुराल छोड़ने के लिए मजबूर हो गई । उसने तारीख 7 जून, 2004 को एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई थी । मामला अपीलार्थी के विरुद्ध लंबित है । वह अपीलार्थी के प्रति अपने वैवाहिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए तैयार है । अतः उसने विवाह-विच्छेद अर्जी खारिज करने का अनुरोध किया ।

5. विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह साबित करने के लिए प्रत्यर्थी के परिसाक्ष्य को विश्वसनीय पाया कि अपीलार्थी, प्रत्यर्थी और उसके कुटुंब के सदस्यों को दहेज के लिए परेशान करता है । प्रत्यर्थी ने कभी भी अपीलार्थी के साथ क्रूरता का व्यवहार नहीं किया । अपीलार्थी ने अपनी इच्छा से

पूर्वतर विवाह-विच्छेद अर्जी वापस लेकर प्रत्यर्थी-पत्नी के साथ रहना आरंभ कर दिया था । विद्वान् विचारण न्यायालय ने **देवी दास** बनाम **ज्ञानवती** उर्फ **शील रानी**[1] वाले मामले में अधिकथित सिद्धांतों को दृष्टिगत करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी, प्रत्यर्थी के विरुद्ध विवाह-विच्छेद की डिक्री पाने का हकदार नहीं है । अतः अर्जी खारिज की गई थी ।

6. अपीलार्थी ने उपर्युक्त निर्णय से व्यथित होकर इस आधार पर यह अपील फाइल की है कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने उसके द्वारा पेश किए गए साक्ष्य को विचार में नहीं लिया है । प्रत्यर्थी-पत्नी ने समझौते की सभी शर्तों का भंग किया है । वह भद्दी भाषा बोलने, शारीरिक हमला करने और अपीलार्थी को मिथ्या मामले में अंतर्वलित करने की अभ्यस्त है । उसने अपीलार्थी के विरुद्ध एक मिथ्या रिपोर्ट लिखाई है । प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को परेशान किया गया था और शारीरिक प्रताड़ना की गई । तथा उसे परित्यक्त कर दिया गया था । **सावित्री पांडे** बनाम **प्रेम चंद पांडे**[2] वाले मामले में अधिकथित सिद्धांत को दृष्टिगत करते हुए अपीलार्थी प्रत्यर्थी के विरुद्ध विवाह-विच्छेद की डिक्री पाने का हकदार है ।

7. सुना गया । अभिलेख का परिशीलन किया गया ।

8. यह विवादित नहीं है कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी पति और पत्नी हैं और उनका विवाह तारीख 11 मई, 2003 को संपन्न हुआ था । यह भी विवादित नहीं है कि वे पृथक्-पृथक् रह रहे हैं । अपीलार्थी ने यह कथन किया है कि उनके विवाह के पश्चात् उनके बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं हुआ था इसके लिए वह कोई कारण नहीं बता सकता । इसके अतिरिक्त उसने यह कथन किया है कि प्रत्यर्थी जादू-टोना करती थी और उसके कुटुंब के सदस्य अपीलार्थी की हत्या करना चाहते थे । अपीलार्थी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 18 में यह कहा है कि प्रत्यर्थी देर से उठती थी वह घरेलू कर्तव्यों को पूरा नहीं करती थी । वह उसे सूचित किए बिना अपने मायके चली जाती थी और उससे दुर्व्यवहार भी करती थी ।

9. सभी अभिकथन पूर्णतया अनैसर्गिक प्रतीत होते हैं । अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के साथ समझौता भी किया था । इसके पश्चात् वे दोनों कुछ समय तक साथ-साथ रहे थे । अतः विद्वान् विचारण न्यायालय ने **सावित्री पांडे**

---

[1] ए. आई. आर. 1993 एम. पी. 14.

[2] ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 591 = (2002) 2 एस. सी. सी. 73.

(पूर्वोक्त) वाले मामले का अवलंब लेते हुए यह ठीक ही अभिनिर्धारित किया है कि चूंकि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के क्रूरतापूर्ण व्यवहार को क्षमा कर दिया था इसलिए वह प्रत्यर्थी के विरुद्ध विवाह-विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने का हकदार नहीं है । इसके अतिरिक्त उसने प्रतिपरीक्षा के पैरा 14 में स्वयं यह स्वीकार किया है कि उसने डा. प्रदीप से अपनी पत्नी का चिकित्सीय उपचार कराया था । डा. प्रदीप ने प्रत्यर्थी की स्थिति सामान्य पाई थी । अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपने अभिकथन के समर्थन में चिकित्सीय उपचार कराने के बारे में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है । अपीलार्थी ने अपनी ससुराल वालों के विरुद्ध शिकायत करने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जो उससे पीछा छुड़ाने के लिए और परोक्ष फायदा उठाने के लिए उसकी हत्या करना चाहते थे ।

10. प्रत्यर्थी-पत्नी ने यह कथन किया है कि अपीलार्थी उससे और उसके माता-पिता से दहेज की मांग करता था । इस कारण से वह उसे परेशान करता था और उसे यह धमकी देता था कि वह दूसरा विवाह कर लेगा । इसलिए उसने महिला पुलिस थाना, रेवा में अपीलार्थी के विरुद्ध एक शिकायत फाइल की थी । अपीलार्थी और उसके कुटुंब के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498क, 323/34 के अधीन अपराधों के लिए मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया था । अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को पागल घोषित कराने का भी प्रयास किया । अपीलार्थी प्रत्यर्थी के हाथों को बांधने के पश्चात् उसकी पिटाई करता था । एक दिन अपीलार्थी और उसके कुटुंब के सदस्यों द्वारा पीटे जाने के कारण वह बेहोश हो गई थी । लगभग 9.00 बजे अपराह्न वह किसी तरह भागने में सफल हुई और एक रिक्शा चालक उसे पुलिस थाना ले गया ।

11. विद्वान् विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी द्वारा फाइल रिपोर्टों पर विचार करने के पश्चात् उनका अवलंब लिया । प्रदर्श-डी1 लिखित शिकायत है जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा यह उल्लेख किया गया था कि उसके पति और पति के कुटुंब के सदस्यों द्वारा क्रूरता बरती जाती थी । तारीख 7 जून, 2005 को अपीलार्थी ने उसे पीटा था और अवसर मिलने पर वह भाग गई थी । वह ठीक प्रकार से चल नहीं पाती है । रिपोर्ट उसी दिन अर्थात् तारीख 7 जून, 2005 को दर्ज कराई गई थी । पुलिस अधीक्षक ने इस रिपोर्ट पर अपराधी के विरुद्ध "तुरंत कार्रवाई की जाए" टिप्पण लिखा था ।

12. हम भी पक्षकारों द्वारा पेश किए साक्ष्य के मूल्यांकन के आधार पर प्रत्यर्थी की लिखित शिकायत का अवलंब लेते हैं । इस शिकायत में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि अपीलार्थी कतिपय आरोप लगाने के पश्चात् विवाह-विच्छेद की डिक्री पाना चाहता था । तथ्यतः जब उसकी पत्नी/प्रत्यर्थी उसके साथ रहती थी तो वह उसके साथ क्रूरता बरतता था । प्रत्यर्थी ने अपने पति का परित्याग नहीं किया और उसके साथ क्रूरता नहीं बरती । इस शिकायत से यह भी उपदर्शित होता है कि अपीलार्थी-पति ऐसी प्रकृति का था कि वह अपनी पत्नी और उसके माता-पिता से अपने लिए और अपने कुटुंब के सदस्यों के लिए अत्यधिक सम्मान की प्रत्याशा करता था और वह उस सम्मान से संतुष्ट नहीं था जो वस्तुतः उसे दिया जाता था । साक्ष्य से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वह अपनी पत्नी से अपनी प्रशंसा सुनना चाहता था । अतः उसने अपनी पत्नी को उसके माता-पिता के विरुद्ध एक पत्र लिखने के लिए मजबूर किया था । प्रत्यर्थी ने पत्र प्रदर्श पी3 में यह कहा है कि उसके माता-पिता से नियमित रूप से धमकियां मिलने के कारण वह अपने माता-पिता से तंग आकर अपने पति को बचाने के लिए पति का मकान छोड़कर चली गई । अपीलार्थी के अभिकथन अत्यधिक अनैसर्गिक हैं और इस बारे में विश्वास किए जाने योग्य नहीं हैं कि प्रत्यर्थी के माता-पिता कतिपय जादू टोना (बलि पूजा) करके उसकी हत्या करना चाहते थे । हमें अपीलार्थी द्वारा किए गए अभिकथनों को स्वीकार करने के लिए कोई उचित आधार प्रतीत नहीं होता है ।

13. **सुबोध गुप्ता** बनाम **नीतू गुप्ता**[1] वाले मामले में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया है :–

> "24. विपिन चन्द्र जयसिंहभाई शाह **बनाम** प्रभावती (ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 176) वाले मामले में विवाह-विच्छेद की डिक्री मंजूर करने के लिए कार्रवाई के हेतुक के रूप में 'परित्यक्त' की संकल्पना के इतिहास और अभिवृद्धियों के बारे में उल्लेख किया गया है । उच्चतम न्यायालय ने इंगलिश लेखक के 'हाल्सबरी कृत लॉ आफ इंग्लैंड' के पैरा 10 को उद्धृत करते हुए इस प्रकार मत व्यक्त किया था –

[1] ए. आई. आर. 2017 छत्तीसगढ़ 196.

'10. परित्यजन क्या है ? "रेडन आन डाइवोर्स" (छठा संस्करण) का पृष्ठ 128 इस विषय पर एक मानक कार्य है, जिसे इस विषय पर विधिक मामलों को इन निबंधनों में संक्षिप्त किया जा सकता है – परित्यजन पति-पत्नी में से एक के द्वारा दूसरे से पृथक्करण है जो पृथक् रहने वाले पति या पत्नी की ओर से स्थायी तौर पर साथ न रखने के आशय और किसी युक्तियुक्त कारण के बिना नातेदारी को समाप्त करने के आशय के लिए है और जो दूसरे अर्थात् पति या पत्नी की सम्मति के बिना है ; तथापि, पति-पत्नी में से एक के द्वारा दूसरे से शारीरिक रूप से दूर रहने के कार्य से आवश्यक रूप से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि पति-पत्नी में से कोई पक्षकार परित्याग चाहता है ।'

30. मामले में एक अन्य पहलू भी है जिस पर अपीलार्थी विवाह को आसुधार्य विखंडन के आधार पर विवाह-विच्छेद की डिक्री के लिए जोर देना चाहता है । तथापि इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा नीलम कुमारी (ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 193) वाले मामले में दिए गए विनिश्चय का निर्देश करना पर्याप्त होगा, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां विवाह का कोई पक्षकार अपने स्वयं के आचरण द्वारा नातेदारी को आसुधार्य विखंडन तक ले जाना चाहता है या चाहती है वहां उसे विवाह के विखंडन के आधार पर विवाह-विच्छेद की डिक्री की ईप्सा करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जा सकता । इसका साधारणतया यह अर्थ है किसी को स्वयं अपनी गलती का फायदा नहीं दिया जाएगा । उच्चतम न्यायालय ने विष्णू दत्त शर्मा **बनाम** मंजू शर्मा [ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 2254 = (2009) 6 एस. सी. सी. 379] वाले मामले में अपने दिए गए पूर्वतर विनिश्चय का भी निर्देश किया, जिसमें यह मत व्यक्त किया गया है कि विवाह का आसुधार्य विखंडन विवाह-विच्छेद के लिए एक आधार नहीं है क्योंकि यह धारा 13 के अधीन अनुध्यात नहीं है और केवल इस आधार पर विवाह-विच्छेद की मंजूरी किसी न्यायिक निर्णय द्वारा एक अतिरिक्त खंड जोड़ने के बराबर होगा और जो न्यायालय द्वारा विधान बनाने के बराबर होगा । अन्यथा भी उच्चतम न्यायालय ने कुछ मामलों में भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अधीन शक्ति के

प्रयोग द्वारा विवाह के असुधार्य विखंडन के आधार पर डिक्री मंजूर की है न कि धारा 13 के अधीन विवाह-विच्छेद के किसी आधार के रूप में ।"

14. हमें यह प्रतीत नहीं होता कि प्रत्यर्थी-पत्नी ने स्वेच्छापूर्वक अपने पति का परित्याग किया है अथवा उसने अपीलार्थी-पति के प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया है । हमें इस बात के लिए कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी और उसके माता-पिता के विरुद्ध झूठी शिकायतें फाइल की हैं । प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध फाइल की गई शिकायत प्रदर्श डी4 से स्पष्ट रूप से यह साबित होता है कि उसके पति द्वारा उसको तंग किया गया था । उसे क्षतियां भी पहुंची थीं ।

15. अतः हमारे सुविचारित मतानुसार विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर के साक्ष्य का प्रत्यर्थी के हक में ठीक ही मूल्यांकन करते हुए यह ठीक ही अभिनिर्धारित किया है कि अपीलार्थी विवाह-विच्छेद की डिक्री पाने का हकदार नहीं है । अतः हम विद्वान् विचारण न्यायालय के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नहीं हैं । तद्नुसार यह अपील खारिज की जाती है ।

16. खर्चों के बारे में कोई आदेश नहीं किया जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

मह.

अशोक कुमार और एक अन्य

बनाम

जुहर मल और अन्य

तारीख 25 मई, 2017

न्यायमूर्ति दीपक महेश्वरी

राजस्थान अग्र-क्रय अधिनियम, 1966 (1966 का 1) – धारा 6 – अग्र-क्रय का अधिकार – उपलब्धता – वादी द्वारा दो मकानों के बीच सामान्य दीवार के आधार पर दूसरे मकान में अग्र-क्रय के अधिकार का दावा किया जाना – विधिमान्यता – मात्र सामान्य दीवार के आधार पर अग्र-क्रय के अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता ।

इस अपील से संबंधित तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी-प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 ने यह कहते हुए एक वाद फाइल किया था कि प्रतिवादी सं. 2 से 5 का वादियों के स्वामित्व वाले मकान के उत्तर की तरफ मकान है । दोनों मकानों के बीच दोनों पक्षों की संयुक्त स्वामित्व वाली एक विभाजन दीवार है । वादियों को तारीख 4 मार्च, 1980 को यह पता चला कि प्रतिवादी सं. 2 से 5 अपने स्वामित्व वाले मकान को विक्रीत करने जा रहे हैं । तब वादियों ने तारीख 20 मार्च, 1980 को एक रजिस्ट्रीकृत सूचना की प्रतिवादियों पर तामील की । इस सूचना के बावजूद प्रतिवादी सं. 2 से 5 ने उक्त मकान 21,000/- रुपए के बदले प्रतिवादी सं. 1 को विक्रीत कर दिया, यद्यपि उक्त विक्रय विलेख में विक्रय प्रतिफल के रूप में गलत रूप से 25,000/- रुपए का उल्लेख किया गया । वादियों ने यह प्रकथन किया कि वे राजस्थान अग्र-क्रय अधिनियम, 1966 के अधीन अग्र-क्रय के अधिकार के प्रयोग में मकान क्रय करने के लिए तैयार और इच्छुक हैं । विद्वान् विचारण न्यायालय ने साक्ष्य अभिलिखित करने के पश्चात् और दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् तारीख 30 नवंबर, 1989 को आक्षेपित निर्णय और डिक्री पारित करते हुए वाद को विनिश्चित कर दिया । वाद इस आशय के लिए डिक्री किया गया था कि वादीगण अग्र-क्रय के अधिकार के आधार पर विवादित मकान के क्रेता घोषित किए जाते हैं और तारीख 20 मार्च, 1980 के विक्रय विलेख में उनके नाम प्रतिवादी सं. 1 के स्थान पर अंतः स्थापित किए जाते हैं । विक्रय प्रतिफल 25,000/- रुपए

निर्धारित किया जाता है और वादीगण को तारीख 1 मार्च, 1990 तक उक्त विक्रय प्रतिफल तथा रजिस्ट्रीकरण फीस इत्यादि जमा करने के लिए समय अनुज्ञात किया जाता है, जिससे विफल रहने पर वाद खारिज किए जाने योग्य होगा । विचारण न्यायालय के निर्णय और डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थी-प्रतिवादी द्वारा वर्तमान अपील फाइल की गई । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – आक्षेपित निर्णय के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि विवाद्यक सं. 3 और 4 वादी के हक में विनिश्चित किए गए थे जिसके द्वारा विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि वादीगण और प्रतिवादी सं. 2 से 5 के स्वामित्व वाली संपत्तियों के बीच विद्यमान सामान्य विभाजन दीवार संयुक्त स्वामित्व वाली है और इसलिए वादी राजस्थान अग्र-क्रय अधिनियम की धारा 6 के अधीन अग्र-क्रय के अपने अधिकार के प्रयोग में विवादित संपत्ति को क्रय करने के लिए हकदार है । विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय निर्दिष्ट निर्णयों में अधिकथित सिद्धांतों को दृष्टिगत करते हुए विधिक रूप से स्वीकार किए जाने योग्य नहीं पाया जाता है । अब यह विधिक प्रतिपादना सुस्थापित हो चुकी है कि अग्र-क्रय के अधिकार का दावा विभाजन दीवार के आधार पर नहीं किया जा सकता जिसके बारे में अग्र-क्रय का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा सह-स्वामित्व का दावा किया गया हो । अतः विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक सं. 4 के संबंध में निकाले गए निष्कर्ष कायम रखे जाने योग्य नहीं पाए जाते हैं इसलिए ये उलटे जाने योग्य हैं । तद्नुसार आक्षेपित निर्णय और डिक्री भी अपास्त किए जाने योग्य है । (पैरा 12)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2009]	ए. आई. आर. 2009 राजस्थान 129 : **कमला (श्रीमती) और अन्य** बनाम **अमर चन्द अग्रवाल और अन्य** ;	7, 11
[2008]	2008 (2) डी. एन. जे. (राजस्थान) 895 : **सत्यनारायण** बनाम **इस्माइल और अन्य** ;	7, 10
[2008]	ए. आई. आर. 2008 राजस्थान 13 : **श्रीमती सायर कुंवर मालू के विधिक प्रतिनिधि** बनाम **दाऊदास मंत्री** ।	7, 9, 10

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 1990 की खंड न्यायपीठ प्रथम अपील सं. 133.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 96 के अधीन अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से दलपत राज भंडारी

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री एल. आर. मेहता, सौरव महेश्वरी और तरूण दूधिया

न्यायमूर्ति दीपक महेश्वरी – इस अपील में अन्तर्वलित संक्षिप्त संविवाद यह है कि क्या प्रत्यर्थी/वादी सं. 1 से 3 विवादित संपत्ति अर्थात् दो मकानों के बीच सामान्य विभाजन दीवार को अग्र-क्रय अधिकार का प्रयोग करके क्रय करने के लिए हकदार हैं, जो दीवार दोनों पक्षों की है और जो प्रतिवादी सं. 2 से 5 की भी मिलकियत है, जो कि इस अपील में प्रत्यर्थी सं. 4 से 7 हैं ।

2. इस अपील से संबंधित तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी-प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 ने यह कहते हुए एक वाद फाइल किया था कि प्रतिवादी सं. 2 से 5 (हमारे समक्ष के प्रत्यर्थी सं. 4 से 7) का वादियों के स्वामित्व वाले मकान के उत्तर की तरफ मकान है । दोनों मकानों के बीच दोनों पक्षों की संयुक्त स्वामित्व वाली एक विभाजन दीवार है । वादियों को तारीख 4 मार्च, 1980 को यह पता चला कि प्रतिवादी सं. 2 से 5 अपने स्वामित्व वाले मकान को विक्रीत करने जा रहे हैं । तब वादियों ने तारीख 20 मार्च, 1980 को एक रजिस्ट्रीकृत सूचना की प्रतिवादियों पर तामील की । इस सूचना के बावजूद प्रतिवादी सं. 2 से 5 ने उक्त मकान 21,000/- रुपए के बदले प्रतिवादी सं. 1 को विक्रीत कर दिया, यद्यपि उक्त विक्रय विलेख में विक्रय प्रतिफल के रूप में गलत रूप से 25,000/- रुपए का उल्लेख किया गया । वादियों ने यह प्रकथन किया कि वे राजस्थान अग्र-क्रय अधिनियम, 1966 के अधीन अग्र-क्रय के अधिकार के प्रयोग में मकान क्रय करने के लिए तैयार और इच्छुक हैं ।

3. प्रतिवादी सं. 1 की ओर से लिखित कथन फाइल किया गया था जिसमें उसने वादपत्र में उल्लिखित सभी तथ्यों से इनकार किया और यह कथन किया कि दोनों मकानों के बीच संयुक्त स्वामित्व वाली कोई सामान्य विभाजन दीवार नहीं है और इसलिए वादियों को अग्र-क्रय का अधिकार नहीं है । प्रतिवादी सं. 3 ने भी यह कहते हुए लिखित कथन फाइल किया कि दोनों मकानों के बीच विद्यमान दीवार केवल प्रतिवादी सं. 2 से 5 की

थी और यह दीवार पक्षकारों के बीच सामान्य दीवार नहीं थी । यह भी कथन किया गया था कि प्रथमतः वादियों को अग्र-क्रय का कोई अधिकार नहीं था और द्वितीयतः प्रतिवादीगण वित्तीय कठिनाइयों के कारण विक्रीत मकान को क्रय करने के लिए तैयार और इच्छुक नहीं थे ।

4. विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा दोनों पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किए गए :–

"1. क्या वादीगण संयुक्त हिन्दू कुटुंब के सदस्य हैं और क्या वादी सं. 1 कर्ता और प्रबन्धक है ?

2. क्या वादपत्र के पैरा 3 में उपवर्णित विवादित संपत्ति वादियों की मिलकियत है ?

3. क्या सामान्य दीवार वादी और प्रतिवादीगण के मकानों के बीच स्थित है जो उनकी संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति है ?

4. क्या वादियों को प्रतिवादी सं. 2 से 5 के स्वामित्व वाले मकान के संबंध में अग्र-क्रय का अधिकार है ?

5. क्या प्रतिवादी सं. 2 से 5 ने विवादित मकान 21,000/- रुपए के प्रतिफल के लिए प्रतिवादी सं. 1 को विक्रीत कर दिया है ?

6. क्या वादीगण अपने अग्र-क्रय के अधिकार के प्रयोग में विवादित मकान को क्रय करने के लिए सदैव तैयार और इच्छुक रहे हैं ?

7. अनुतोष ।"

5. विद्वान् विचारण न्यायालय ने साक्ष्य अभिलिखित करने के पश्चात् और दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् तारीख 30 नवंबर, 1989 को आक्षेपित निर्णय और डिक्री पारित करते हुए वाद को विनिश्चित कर दिया । वाद इस आशय के लिए डिक्री किया गया था कि वादीगण अग्र-क्रय के अधिकार के आधार पर विवादित मकान के क्रेता घोषित किए जाते हैं और तारीख 20 मार्च, 1980 के विक्रय विलेख में उनके नाम प्रतिवादी सं. 1 के स्थान पर अंतः स्थापित किए जाते हैं । विक्रय प्रतिफल 25,000/- रुपए निर्धारित किया जाता है और वादीगण को तारीख 1 मार्च, 1990 तक उक्त विक्रय प्रतिफल तथा रजिस्ट्रीकरण फीस इत्यादि जमा करने के लिए समय अनुज्ञात किया जाता है, जिससे विफल रहने पर वाद खारिज किए जाने योग्य होगा ।

6. उपर्युक्त निर्णय और डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थी/प्रतिवादी सं. 1 ने यह अपील फाइल की है ।

7. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने दलीलों के दौरान यह निवेदन किया कि इस न्यायालय द्वारा दिए गए निम्नलिखित निर्णयों को दृष्टिगत करते हुए अब यह विवाद्यक अनिर्णीत नहीं रहा है कि अग्र-क्रय के अधिकार को दो सटी हुई संपत्तियों के बीच विद्यमान सामान्य दीवार के संबंध में प्रवृत्त नहीं किया जा सकता :

(1) **श्रीमती सायर कुंवर मालू के विधिक प्रतिनिधि** बनाम **दाऊदास मंत्री**[1] ;

(2) **सत्यनारायण** बनाम **इस्माइल और अन्य**[2] ; और

(3) **कमला (श्रीमती) और अन्य** बनाम **अमर चन्द अग्रवाल और अन्य**[3] ।

8. प्रत्यर्थियों के विद्वान् काउंसेल ने ऋजुतापूर्वक इस बात को स्वीकार किया है कि इस न्यायालय द्वारा इस संबंध में दिए गए प्राधिकृत निर्णयों को दृष्टिगत करते हुए यह अपील विनिश्चित की जा सकती है ।

9. ऊपर निर्दिष्ट निर्णयों के परिशीलन मात्र से यह प्रतीत होता है कि **श्रीमती सायर कुंवर मालू के विधिक प्रतिनिधि** (उपरोक्त) वाले मामले में इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ को किए गए निर्देश का उत्तर देते हुए इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया था :–

> "39. ..... अतः अंतिम निष्कर्ष के रूप में हम इस प्रश्न का उत्तर देते हैं जैसा कि विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा प्रश्न विरचित किया गया है, कि क्या विभाजन दीवार का सह-स्वामी अधिनियम की धारा 6(1) के अधीन अन्य स्थावर संपत्ति के अंतरण के संबंध में अग्र-क्रय का अधिकार रखता है, हमारा उत्तर नकारात्मक है और हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि किसी दीवार के भागतः स्वामी को ऐसा कोई अधिकार अर्जित नहीं होता है जिसे सह-स्वामी या सह-भागीदार के नाम से भी पुकारा जा सकता हो ।"

---

[1] ए. आई. आर. 2008 राजस्थान 13.

[2] 2008 (2) डी. एन. जे. (राजस्थान) 895.

[3] ए. आई. आर. 2009 राजस्थान 129.

10. **सत्यनारायण** (उपरोक्त) वाले मामले में **श्रीमती सायर कुंवर मालू** (उपरोक्त) वाले मामले में निर्णय का अनुसरण करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया था कि केवल सामान्य दीवार के आधार पर अग्र-क्रय के अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता ।

11. इस न्यायालय ने **कमला (श्रीमती) और अन्य** (उपरोक्त) वाले मामले में पुनः यह निष्कर्ष निकाला कि मात्र सह-स्वामित्वता सटी हुई स्थावर संपत्ति के संबंध में अग्र-क्रय का कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करती ।

12. आक्षेपित निर्णय के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि विवाद्यक सं. 3 और 4 वादी के हक में विनिश्चित किए गए थे जिसके द्वारा विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि वादीगण और प्रतिवादी सं. 2 से 5 के स्वामित्व वाली संपत्तियों के बीच विद्यमान सामान्य विभाजन दीवार संयुक्त स्वामित्व वाली है और इसलिए वादी राजस्थान अग्र-क्रय अधिनियम की धारा 6 के अधीन अग्र-क्रय के अपने अधिकार के प्रयोग में विवादित संपत्ति को क्रय करने के लिए हकदार है । विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय ऊपर निर्दिष्ट निर्णयों में अधिकथित सिद्धांतों को दृष्टिगत करते हुए विधिक रूप से स्वीकार किए जाने योग्य नहीं पाया जाता है । अब यह विधिक प्रतिपादना सुस्थापित हो चुकी है कि अग्र-क्रय के अधिकार का दावा विभाजन दीवार के आधार पर नहीं किया जा सकता जिसके बारे में अग्र-क्रय का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा सह-स्वामित्व का दावा किया गया हो । अतः विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक सं. 4 के संबंध में निकाले गए निष्कर्ष कायम रखे जाने योग्य नहीं पाए जाते हैं इसलिए ये उलटे जाने योग्य हैं । तद्नुसार आक्षेपित निर्णय और डिक्री भी अपास्त किए जाने योग्य है ।

13. किसी भी पक्षकार द्वारा इस अपील के संबंध में कोई अन्य विवाद्यक नहीं उठाया गया है ।

14. उपर्युक्त विवेचना को दृष्टिगत करते हुए अपील सफल होती है और विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा तारीख 30 नवंबर, 1989 को पारित निर्णय और डिक्री अभिखंडित और अपास्त की जाती है ।

15. तद्नुसार अपील मंजूर की जाती है ।

अपील मंजूर की गई ।

महे.

जयपुर मेटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

बनाम

धीर एण्ड धीर एसेट रिकन्सट्रक्शन

तारीख 1 जून, 2018

न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) – धारा 7, 14, 30 और 238 [सपठित कम्पनी (लंबित कार्यवाहियों का अंतरण) नियम, 2016 का नियम 1, 5 और 6 और रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 20 और कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 का खंड (क) और (च)] – याची की कम्पनी याचिका को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर रजिस्ट्रीकृत किया जाना – औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड द्वारा इस न्यायालय के समक्ष परिसमापन की सिफारिश किए जाने के पूर्व कम्पनी को पुनर्जीवित किए जाने का प्रयास किया जाना – कम्पनी के कर्मकारों द्वारा कम्पनी को पुनर्जीवित किए जाने अथवा उनके प्रतिकर का संदाय किए जाने की मांग किया जाना – कम्पनी के कारखाना परिसर में पड़े हुए माल का मूल्यांकन कराया जाना – तत्पश्चात् याची द्वारा 2016 की संहिता का अवलंब लिया जाना और कम्पनी को पुनर्जीवित किए जाने के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना – चूंकि इस न्यायालय के समक्ष लम्बित परिसमापन याचिका 1956 के कम्पनी अधिनियम की धारा 433 (ङ) के अधीन नहीं बल्कि धारा 433 के खंड (क) और (च) के अधीन फाइल की गई है, अतः 2016 के नियम का नियम 5 लागू नहीं होगा ।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 – धारा 7, 14, 30 और 238 [सपठित कम्पनी (लंबित कार्यवाहियों का अंतरण) नियम, 2016 का नियम 1, 5 और 6 और कम्पनी (न्यायालय) नियम, 1959 का नियम 26, रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 20 और कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 का खंड (क) और (च)] – 1959 के नियम के नियम 26 के अधीन नोटिस की तामीली – प्रभाव – चूंकि 1959 के नियम के नियम 26 के अधीन नोटिस पहले

ही तामील की जा चुकी है और सभी पक्ष न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं और तदर्थ परिसमापक की नियुक्ति भी हो चुकी है, इस न्यायालय के समक्ष लंबित परिसमापन याचिका 2016 के नियम के नियम 6 के अधीन अन्तरित नहीं की जाएगी ।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 – धारा 7, 14, 30 और 238 [सपठित कम्पनी (लंबित कार्यवाहियों का अंतरण) नियम, 2016 का नियम 1, 5 और 6 और कम्पनी (न्यायालय) नियम, 1959 का नियम 26, रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 20 और कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 का खंड (क) और (च)] – इस न्यायालय के समक्ष परिसमापन याचिका का लंबित होना – प्रभाव – चूंकि 2016 के नियम 5 के परन्तुक 3 के निबंधनों के अनुसार परिसमापन याचिका इस न्यायालय के समक्ष लंबित है, इसलिए 2016 की संहिता के अन्तर्गत कोई नया आवेदन फाइल नहीं किया जा सकता और यदि ऐसा किया जाता है तो वह न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग और विधि के विपरीत होगा ।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 – धारा 7, 14, 30 और 238 [सपठित कम्पनी (लंबित कार्यवाहियों का अंतरण) नियम, 2016 का नियम 1, 5 और 6 और कम्पनी (न्यायालय) नियम, 1959 का नियम 26, रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 20 और कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 का खंड (क) और (च)] – न्यायालयों के मध्य पारस्परिक सौहार्द के सिद्धांत का प्रभाव – राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण उच्च न्यायालय से श्रेष्ठ फोरम नहीं है और उसके द्वारा उच्च न्यायालय को किसी परिसमापन कार्यवाही में अग्रसर होने से निषिद्ध नहीं किया जा सकता ।

संक्षेप में, मामले के तथ्य यह हैं कि इस न्यायालय के समक्ष लंबित परिसमापन याचिका में तारीख 26 अप्रैल, 2018 को अन्तरिम समाधान वृत्तिक, जिसको राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण द्वारा 2016 की दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अधीन नियुक्त किया गया, द्वारा शपथपत्र फाइल किए जाने पर यह मताभिव्यक्ति की गई कि यदि एक बार इस न्यायालय के समक्ष मामला लम्बित है और आवेदक 'एलकेमिस्ट' पहले से इस न्यायालय के समक्ष लम्बित कार्यवाहियों में पक्ष है और उसको उसके विरुद्ध चल रही कार्यवाहियों के बाबत पूर्ण जानकारी है और उसने अपना प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर दिया है और साथ ही कर्मकारों के दावों का भी

परीक्षण किया गया है जिसके संबंध में मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए शासकीय परिसमापक को निर्देशित किया गया है, तो ऐसे मामले में राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण द्वारा मध्यक्षेप किए जाने का कोई कारण उत्पन्न नहीं होता । ऐसा प्रतीत होता है न तो राज्य सरकार को और न ही कर्मकारों को कोई सूचना जारी की गई और उनको 2016 की संहिता के अन्तर्गत याचिका को सुनवाई के लिए ग्रहण किए जाने के पूर्व सुने जाने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया । विद्वान् महाधिवक्ता और साथ ही अपर महाधिवक्ता ने अभिकथित किया कि वे अन्तरिम समाधान वृत्तिक द्वारा फाइल किए गए शपथपत्र का उत्तर फाइल करेंगे और उन्होंने अन्तरिम संरक्षण प्रदान किए जाने के लिए प्रार्थना की । पूर्वोक्त पहलू पर विचार करते हुए यह आदेश पारित किया गया कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण द्वारा पारित आदेश का प्रभाव और उसका क्रियान्वयन स्थगित रहेगा जब तक कि इस प्रश्न को निर्णीत नहीं कर दिया जाता कि क्या 2016 की संहिता वर्तमान कार्यवाहियों पर अध्यारोही प्रभाव रखेगी और तब तक राज्य सरकार जयपुर मेटल्स और इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के भवन और सामग्री का कब्जा राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण द्वारा नियुक्त अन्तरिम समाधान वृत्तिक को हस्तगत नहीं करेगा । इस न्यायालय के समक्ष आवश्यक रूप से विचारणार्थ जो प्रश्न उद्भूत हुआ है, यह है कि क्या वर्तमान कार्यवाहियां चलने योग्य हैं या क्या राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण द्वारा पारित आदेश, जिसके अन्तर्गत अन्तरिम समाधान वृत्तिक की नियुक्ति की गई, को 2016 की दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के निबंधनों के अनुसार कार्य करने की अनुज्ञा प्रदान की जा सकती है जबकि कम्पनी के संबंध में वर्तमान कार्यवाहियां इस न्यायालय के समक्ष लम्बित हैं । याचिका का निपटारा करते हुए,

अभिनिर्धारित – यह न्यायालय पूर्वोक्त बातों का उल्लेख करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कम्पनी याचिका औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड द्वारा धारा 20 के अधीन की गई सिफारिशों के आधार पर रजिस्ट्रीकृत की गई है । अतः, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड द्वारा इस न्यायालय के समक्ष परिसमापन की सिफारिश करने के पूर्व कम्पनी को पुनर्जीवित किए जाने के प्रयास के लिए संभावनाओं को तलाशा गया । इस न्यायालय ने कम्पनी को पुनर्जीवित करने का पहले भी प्रयास किया है और राज्य सरकार ने भी विभिन्न पणधारकों से कम्पनी को पुनर्जीवित किए जाने के प्रयोजनार्थ प्रस्ताव आमंत्रित किए । तथापि, सभी प्रयास विफल हो

गए । यह उल्लेख किया जाता है कि आवेदक एलकेमिस्ट ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के उपबंधों का अवलंब लिया और कम्पनी को पुनर्जीवित किए जाने के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया । यह न्यायालय विद्वान् अपर महाधिवक्ता द्वारा किए गए निवेदनों को स्वीकार करने के लिए आनत है और इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि 2016 के नियम के निबंधनों के अनुसार परिसमापन के लिए इस न्यायालय के समक्ष लम्बित कार्यवाही 1956 के अधिनियम की धारा 433 के संबंध में नहीं है बल्कि यह एक याचिका है जो 1956 के अधिनियम की धारा 433 के खंड (क) और (च) के अधीन फाइल की गई है । अतः, 2016 के नियम का नियम 5 लागू नहीं होगा । क्योंकि 1959 के कम्पनी (न्यायालय) नियम के नियम 26 के अधीन नोटिस पहले ही तामील की जा चुकी है और सभी पक्ष न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं और यहां तक कि तदर्थ परिसमापक की भी नियुक्ति हो चुकी है, इस न्यायालय के समक्ष लम्बित वर्तमान कार्यवाहियां 2016 के नियम के नियम 6 के अधीन अन्तरित नहीं की जाएगी । चूंकि नियम 5 के परन्तुक 3 के निबंधनों के अनुसार परिसमापन याचिका इस न्यायालय के समक्ष लम्बित है, 2016 की दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अन्तर्गत कोई नया आवेदन फाइल नहीं किया जा सकता और प्रत्यर्थी द्वारा धारा 7 के अधीन फाइल किया गया आवेदन न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग और विधि के विपरीत अभिनिर्धारित किया जाता है । यदि कोई अन्य निर्वचन किया जाता है तो इसका परिणाम कार्यवाहियों की बाहुल्य के रूप में सामने आएगा और 2016 के नियम को विरचित किए जाने के आत्यंतिक प्रयोजन को विफल कर देगा । यहां तक कि उस प्रक्रम पर भी जब 2013 का कम्पनी अधिनियम प्रभावी हुआ, तो परिसमापन से संबंधित उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित मामले राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण को अन्तरित नहीं किए गए थे और 2016 की दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के प्रभावी होने के पश्चात् कार्यवाहियों की बाहुल्य से बचने का आधारी नियम मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में बना रहा । यह खतरनाक स्थिति होगी यदि आवेदक एलकेमिस्ट को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है और अन्य लेनदार इसी न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहते हैं और 6 माह पश्चात्, जो अधिकतम अवधि है जिसके दौरान दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही जारी रह सकती है, यह न्यायालय अन्य पक्षों के दावों का परीक्षण करने के प्रयोजनार्थ शासकीय परिसमापक को भी

नियुक्त कर देती है । तथापि, चूंकि वर्तमान याचिका मात्र लेनदारों द्वारा फाइल की गई याचिका नहीं है और इस न्यायालय को तत्कालीन रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम की धारा 20(1) के अधीन निर्दिष्ट किया गया मामला है, केवल एक लेनदार के संबंध में राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण द्वारा पारित आदेश, जिसके द्वारा वर्तमान याचिका को धारा 433 के अधीन याचिका प्रतीत किया गया, पूर्णतः भ्रमपूर्ण हैं । नियम 5 के तृतीय परन्तुक के परिशीलन से भी परिदृश्य स्पष्ट हो जाता है चूंकि यह नियम विनिर्दिष्ट रूप से उपदर्शित करता है कि यदि कोई अन्य याचिका, जिसको धारा 433 के अधीन फाइल किया जाना अपेक्षित है, तो वह उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित रहेगी और उसको अन्तरित नहीं किया जाएगा । अतः, वह आधार जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, जारी रहेगा कि कार्यवाहियों की बाहुल्यता नहीं होनी चाहिए । दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अन्तर्गत अधिकथित प्रक्रिया सर्वप्रथम अन्तरिम समाधान वृत्तिक की नियुक्ति के लिए उपबंधित करती है जिससे निगमित देनदारों की आस्तियों, वित्त और कारबार से संबंधित सूचनाएं संकलित किया जाना अपेक्षित होता है । चूंकि इस न्यायालय ने पहले ही तदर्थ परिसमापक की नियुक्ति कर दी है, 2016 की दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता की धारा 18 के अधीन कर्तव्य शासकीय परिसमापक के कर्तव्यों के ही सदृश हैं, 1956 के अधिनियम के अन्तर्गत शासकीय परिसमापक को प्राप्त शक्तियां 2016 की दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अन्तर्गत समाविष्ट समस्त उपबंधों को अवेक्षित करेंगी जिनको अन्तरिम समाधान वृत्तिक या समाधान वृत्तिक संचालित करेगा । 2016 की दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता की धारा 30 समाधान योजना प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा करती है जिसको न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा । तथापि, इन पहलुओं पर पहले ही औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के प्रक्रम पर और इस न्यायालय द्वारा कम्पनी के संबंध में विचार किया जा चुका है । इसके अतिरिक्त, 2016 की दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के सम्पूर्ण उपबंध उन मामलों में लागू किए जाने चाहिएं जहां कार्यवाहियां 1956 के अधिनियम के अन्तर्गत नहीं चल रही हैं, जैसा कि 2016 के नियम के अभिप्राय से स्पष्ट है और जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है । केवल उन मामलों को अन्तरित किया गया है जिनमें नोटिस की तामीली नहीं हुई है । अतः, विधान-मंडल का स्पष्ट आशय था कि उन मामलों को अन्तरित किया जाए जिनमें संबद्ध न्यायालय

द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है जबकि वर्तमान मामले में कार्यवाहियां 2002 से चल रही हैं और वर्तमान मामला ऐसी प्रकृति का मामला नहीं है जिसमें यह कहा जा सके कि नोटिसें जारी नहीं हुई हैं या 1956 के अधिनियम के अन्तर्गत परिसमापन के संबंध में नोटिसें जारी किए जाने के प्रयोजनार्थ कार्यवाही नहीं की गई है । अतः, आवेदक एलकेमिस्ट को ऐसी कोई आवश्यकता उत्पन्न नहीं हुई कि वे राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण की शरण में 2016 के नियम के उपबंधों का अवलंब लेने के प्रयोजनार्थ जाते । (पैरा 32, 35, 36 और 37)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2018] (2018) 1 एस. सी. सी. 407 :
इनोवेटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम **आई. सी. आई. सी. आई. और एक अन्य** ; 11

[2018] (2018) 3 एस. सी. सी. 85 :
प्राधिकृत अधिकारी, स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर बनाम **मैथ्यू के. सी.** ; 12

[2018] ए. आई. आर. 2018 बोम्बे 225 :
जोटन इंडिया प्रा. लिमिटेड बनाम **पी. एल. एल.** ; 40

[2017] (2017) 3 कम्पनी ला जर्नल 225 (बम्बई) :
वेस्ट हिल्स रियल्टी प्रा. लिमिटेड बनाम **नीलकमल रियल्टर्स टावर प्रा. लिमिटेड** ; 38

[2017] 2017 (5) ए. एल. डी. 695 :
तेलंगाना राज्य बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य** ; 39

[2011] (2011) 10 एस. सी. सी. 543 :
भारत संघ और एक अन्य बनाम **एसोशिएशन आफ यूनिफाइड टेलीकाम सर्विस प्रोवाइडर्स आफ इंडिया और अन्य** ; 43

[1967] 1967 एस. एल. आर. 228 :
मध्य प्रदेश राज्य बनाम **सैय्यद कमाराली** । 28

रिट (कम्पनी) अधिकारिता : 2009 की कम्पनी याचिका संख्या 19.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका ।

याची की ओर से श्री अभिरूप दास गुप्ता

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री राजेन्द्र प्रसाद (अपर महाधिवक्ता), नितिन जैन, आर. सी. जोशी और पी. के. शर्मा

न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा – इस न्यायालय द्वारा तारीख 26 अप्रैल, 2018 को अन्तरिम समाधान वृत्तिक, जिसको राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण द्वारा 2016 की दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अधीन नियुक्त किया गया है, शपथपत्र द्वारा फाइल किए जाने पर निम्नलिखित मताभिव्यक्ति की गई :–

"प्रथमदृष्ट्या, यदि एक बार इस न्यायालय के समक्ष मामला लम्बित था और संबद्ध आवेदक एलकेमिस्ट पहले से इस न्यायालय के समक्ष लम्बित कार्यवाहियों में पक्ष था और उसको उसके विरुद्ध चल रही कार्यवाहियों के बाबत पूर्ण जानकारी थी और उसने अपना प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर दिया था और साथ ही साथ कर्मकारों के दावों का भी परीक्षण किया जा रहा था जिसके संबंध में मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए शासकीय परिसमापक को निर्देशित किया गया था, तो ऐसे मामले में राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण द्वारा मध्यक्षेप किए जाने का कोई कारण नहीं था । ऐसा प्रतीत होता है न तो राज्य सरकार को और न ही कर्मकारों को कोई सूचना जारी की गई और उनको 2016 की संहिता के अन्तर्गत याचिका को सुनवाई के लिए ग्रहण किए जाने के पूर्व सुने जाने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया ।

विद्वान् महाधिवक्ता और साथ ही अपर महाधिवक्ता ने अधिकथित किया कि वे अन्तरिम समाधान वृत्तिक द्वारा फाइल किए गए शपथपत्र का उत्तर फाइल करेंगे और उन्होंने अन्तरिम संरक्षण प्रदान किए जाने के लिए प्रार्थना की ।

पूर्वोक्त पहलू पर विचार करते हुए राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण द्वारा पारित आदेश का प्रभाव और उसका क्रियान्वयन स्थगित रहेगा जब तक कि इस प्रश्न को निर्णीत नहीं कर दिया जाता कि क्या 2016 की संहिता वर्तमान कार्यवाहियों पर अध्यारोही प्रभाव रखेगी और तब तक राज्य सरकार जयपुर मेटल्स और इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के भवन और सामग्री का कब्जा राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण द्वारा नियुक्त अन्तरिम समाधान वृत्तिक को हस्तगत नहीं करेगा ।

मामले को तारीख 3 मई, 2018 को सूचीबद्ध किया जाए ।"

2. इस न्यायालय के समक्ष आवश्यक रूप से विचारणार्थ जो प्रश्न उद्भूत हुआ है, यह है कि क्या वर्तमान कार्यवाहियां चलने योग्य हैं या क्या राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण द्वारा पारित आदेश, जिसके अन्तर्गत अन्तरिम समाधान वृत्तिक की नियुक्ति की गई, को 2016 की दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के निबंधनों के अनुसार कार्य करने की अनुज्ञा प्रदान की जा सकती है जबकि कम्पनी के संबंध में वर्तमान कार्यवाहियां इस न्यायालय के समक्ष लम्बित हैं ।

3. राज्य की ओर से उपस्थित अपर महाधिवक्ता को कर्मकारों की ओर से उपस्थित काउंसेल के साथ सुना गया और साथ ही **एलकेमिस्ट एसेट रिकन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड** की ओर से उपस्थित काउंसेलों को भी सुना गया । **जयपुर मेटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड** के काउंसेल को भी सुना गया ।

4. उपरोक्त प्रश्नों पर विचार किए जाने के पूर्व यह लाभदायक होगा कि कतिपय आदेशों का उल्लेख किया जाए जिनको इस न्यायालय द्वारा कम्पनी याचिका में और साथ ही कर्मकारों द्वारा फाइल की गई रिट याचिकाओं में पारित किया गया है ।

5. कम्पनी याचिका में तारीख 17 अगस्त, 2017 को दलीलें सुनी गईं और मामले को इस प्रश्न पर आदेश के लिए आरक्षित कर लिया गया कि क्या कम्पनी का परिसमापन कर दिया जाना चाहिए । जब मामले को निर्णय के लिए आरक्षित किया गया, तो राज्य द्वारा तारीख 17 अगस्त, 2017 के आदेश को इस आधार पर वापस लिए जाने के लिए कि राज्य सरकार अपने मामले को प्रस्तुत कर पाने में असमर्थ है, एक आवेदन फाइल किया गया । उस प्रक्रम पर यह अभिकथित किया गया कि राज्य सरकार ने कम्पनी को पुनर्जीवित करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करने का निर्णय लिया है और राज्य द्वारा लिखित निवेदन भी फाइल किए गए । ऐसा इस कारणवश किया गया क्योंकि इस न्यायालय ने जयपुर मेटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा फाइल की गई 2000 की एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 504 में महाधिवक्ता से कम्पनी को पुनर्जीवित किए जाने की संभाव्यताओं का पता लगाने के लिए कहा था, जैसी कि प्रार्थना रिट याचिका में जयपुर मेटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को पुनर्जीवित किए जाने के प्रयोजनार्थ की गई है । उस प्रक्रम पर यह अभिकथित किया

गया कि तारीख 24 अगस्त, 2017 को माननीय उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक भी आहुत की गई थी । इस न्यायालय ने इन प्रकथनों पर विचार करते हुए मामले को "ध्यान दिलाया जाए" श्रेणी के अन्तर्गत सूचीबद्ध किए जाने का आदेश पारित कर दिया और राज्य को निर्देशित किया कि वे उस तारीख पर अपने निवेदन प्रस्तुत करें जिसके पश्चात् मामले को इस न्यायालय के समक्ष अनेकों बार सूचीबद्ध किया गया । कम्पनी याचिका भी मामलों को समेकित किए जाने के प्रयोजनार्थ आदेश पारित किए जाने के लिए माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो मांग कर्मकारों द्वारा रिट कार्यवाही के दौरान की गई थी, जिसके पश्चात् माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ने निदेशित किया कि रिट याचिकाओं को कम्पनी न्यायाधीश के समक्ष कम्पनी याचिकाओं के साथ सूचीबद्ध किया जाएगा और सुना जाएगा ।

6. तत्पश्चात् राज्य सरकार से योजना के साथ एक ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया । तथापि, राज्य सरकार ने बाद में निवेदन किया कि उनके पास कोई प्रस्ताव नहीं हैं और वे संबद्ध पक्षों, जो कम्पनी को पुनर्जीवित करने के लिए अपने प्रस्ताव के साथ आगे आ सकते हैं, से प्रस्ताव मांगने की प्रक्रिया में हैं । आवेदक एलकेमिस्ट एसेट रिकन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड ने भी राज्य सरकार द्वारा बुलाई गई बैठक में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया । उनको विभिन्न कार्यवाहियों, जो कम्पनी के संबंध में की गई थी, के संबंध में विवरण प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया । इस न्यायालय द्वारा तारीख 2 नवम्बर, 2017 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

> "मामले को आज सूचीबद्ध किए जाने के लिए निर्देशित किया गया था । राज्य सरकार के अनुरोध पर मामले को पुनः सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया गया । राज्य सरकार द्वारा कम्पनी को पुनर्जीवित किए जाने के संबंध में एक ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है । इस न्यायालय के समक्ष योजना के साथ उक्त प्रस्ताव और राज्य सरकार का विनिश्चय आज से दो सप्ताह के भीतर संबद्ध पक्षों को अग्रिम प्रति प्रदान किए जाने के पश्चात् प्रस्तुत किए जा सकते हैं । यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि कम्पनी को पुनर्जीवित किए जाने और उसका परिचालन आरम्भ किए जाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए और यह सभी के हित में होगा कि कम्पनी पुनः उत्पादन आरम्भ कर दे । तथापि, यह संबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव

और वह तरीका जिसमें वे राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं, के अध्यधीन होगा ।

इस संबंध में अभिवचन चार सप्ताह के भीतर पूर्ण किए जाएं ।

मामले को तारीख 7 दिसम्बर, 2017 को पुनः सूचीबद्ध किया जाए । जयपुर मेटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड से संबंधित सभी मामले उक्त तारीख पर सूचीबद्ध हों ।"

7. तारीख 7 दिसम्बर, 2017 को एक अन्य आदेश पारित किया गया था जो इस प्रकार है :–

"हमने एलकेमिस्ट एसेट रिकन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड के विद्वान् काउंसेलों, कम्पनी के कर्मकारों और अपर महाधिवक्ता श्री जी. एस. गिल को सुना । यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बैठक, जो जयपुर मेटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को पुनर्जीवित किए जाने की संभाव्यताओं पर विचार-विमर्श किए जाने के लिए तारीख 21 और 22 नवम्बर, 2017 को उद्योग आयुक्त की अध्यक्षता में बुलाई गई थी, का कार्यवृत्त अपर महाधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया है । तारीख 1 दिसम्बर, 2017 की बैठक का कार्यवृत्त दर्शाता है कि मैसर्स जीनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एलकेमिस्ट एसेट रिकन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड और जयपुर मेटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स एम्पलाईज सोसाइटी की दलीलें लेखबद्ध कर ली गई हैं । तथापि, यह प्रतीत होता है कि राज्य सरकार ने बैठक में अपने निवेदन प्रस्तुत नहीं किए । कार्यवृत्त उन निवेदनों को निर्दिष्ट करते हैं जो राज्य सरकार के समक्ष विनिश्चय लिए जाने के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किए गए हैं ।

राज्य सरकार के लिखित निवेदनों का उल्लेख करते हुए इस न्यायालय ने तारीख 24 अक्तूबर, 2017 के आदेश द्वारा निर्देशित किया कि मामले को पुनः सुना जाए । यह आदेश राज्य सरकार द्वारा लिखित निवेदन में यह अभिकथित किए जाने के कारणवश पारित किया गया कि उनके पास कम्पनी को पुनर्जीवित किए जाने के प्रयोजनार्थ एक प्रस्ताव है । तथापि, आज तक राज्य सरकार द्वारा कम्पनी को पुनर्जीवित किए जाने के लिए कोई ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया । यह न्यायालय मैसर्स जयपुर मेटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को पुनर्जीवित किए जाने की संभाव्यता के

बाबत राज्य सरकार के ठोस प्रस्ताव जिसको राज्य सरकार को मामले में अंतिम विनिश्चय लिए जाने के पूर्व इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा के बारे में जानना चाहता है । अगली तारीख के पूर्व इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाए और साथ में प्रमुख सचिव, उद्योग का शपथपत्र भी प्रस्तुत किया जाए ।

मामले को तारीख 4 जनवरी, 2018 को उपरोक्त उद्देश्य के लिए पुनः सूचीबद्ध किया जाए ।"

8. 2000 की एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 504, जयपुर मेटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स मजदूर संघ बनाम राज्य में भी उसी तारीख को अर्थात् तारीख 7 दिसम्बर, 2007 को आदेश पारित किया गया था जो इस प्रकार है :–

"इस रिट याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लम्बित कम्पनी मामले को दृष्टि में रखते हुए प्रस्तुत किया गया है । राज्य द्वारा अनुपालन रिपोर्ट फाइल की गई है ।

याची के विद्वान् काउंसिल ने निवेदन किया कि इस रिट याचिका के माध्यम से मजदूरों ने प्रार्थना की है और बताया है कि उनके पास 59.5 प्रतिशत अंश हैं और राज्य सरकार द्वारा 20.23 प्रतिशत अंश धारित हैं । कम्पनी में तारीख 30 सितम्बर, 1998 को तालाबन्दी हो गई थी और इस रिट याचिका के कर्मकार वेतन और अन्य देयों के बाबत प्रार्थना कर रहे हैं ।

यह अधिकथित किया गया है कि 35,00,00,000/- रुपए के मूल्य का माल और सामग्री मैसर्स जयपुर मेटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कारखाना परिसर में पड़ी हुई है । इस परिसर पर राज्य सरकार का कब्जा है । कर्मकारों का वेतन, जो लम्बे समय से संदेय है, का संदाय कतिपय सीमा तक कारखाना परिसर में पड़ी हुई सामग्री को बेचे जाने के द्वारा किया जा सकता है ।

याची-कर्मकारों के काउंसेल द्वारा किए गए निवेदनों पर विचारोपरान्त यह निर्देशित किया जाता है कि राज्य सरकार सम्पूर्ण सामग्री, जो कारखाना परिसर में पड़ी हुई है, के बाबत एक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी । मैं इस न्यायालय से संबद्ध शासकीय परिसमापक को निर्देशित करता हूं कि वे तदर्थ रूप से कार्य करें और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मूल्यांकन विशेषज्ञों के माध्यम

से मूल्यांकन की कार्यवाही संचालन करकें तारीख 4 जनवरी, 2018 तक अपनी रिपोर्ट इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें ताकि इस न्यायालय द्वारा मजदूरों के वेतन के देयों से संबंधित अग्रिम विनिश्चय तद्नुसार लिए जा सकें ।

मामले को तारीख 4 जनवरी, 2018 को सूचीबद्ध किया जाए ।"

9. वे सभी पक्ष जो इस मामले में हितबद्ध हैं, ने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए हैं और शासकीय परिसमापक ने भी मूल्यांकन के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ।

10. जब पूर्वोक्त कार्यवाहियां चल रही थीं, तभी राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण ने तारीख 13 अप्रैल, 2018 को धारा 7 के अधीन एक आदेश पारित किया जिसके द्वारा वित्तीय लेनदार एलकेमिस्ट एसेट रिकन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड द्वारा फाइल किए गए शपथपत्र, जिसके द्वारा शपथपूर्वक यह कथन किया गया कि परिसमापन कार्यवाहियों में आज तक न तो परिसमापन आदेश और न ही कोई सुनवाई के लिए ग्रहण करने वाला कोई आदेश पारित किया गया है, का अवलंब लेते हुए और इस बात को उल्लिखित करते हुए कि कोई तदर्थ परिसमापक या शासकीय परिसमापक नियुक्त नहीं किया गया है, अन्तरिम समाधान वृत्तिक की नियुक्ति करने वाला आदेश पारित कर दिया और 2016 की दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के निबंधनों के अनुसार ऋण स्थगन की घोषणा कर दी ।

11. एलकेमिस्ट एसेट रिकन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसिल ने पूर्वोक्त पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए निवेदन किया एलकेमिस्ट एसेट रिकन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड वर्तमान परिसमापन कार्यवाहियों के लम्बित रहने के बावजूद राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण की शरण में जाने की हकदार थी । उन्होंने निवेदन किया कि यह कार्यवाहियों के अतंरण का मामला नहीं है बल्कि अन्तरिम दिवाला समाधान वृत्तिक द्वारा राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण के समक्ष नई कार्यवाही आरम्भ किए जाने का मामला है । उन्होंने निवेदन किया कि वर्तमान परिसमापन कार्यवाहियों के लम्बित रहने के बावजूद राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण के समक्ष नई याचिका फाइल किया जाना वर्जित नहीं है । उन्होंने निवेदन किया कि 2016 का कम्पनी (लम्बित कार्यवाहियो का अंतरण) नियम लागू नहीं होगा चूंकि यह कार्यवाहियों के अंतरण का मामला नहीं है । यह निवेदन किया कि तारीख 29 जून, 2017 को विद्यमान नियम 5 को प्रतिस्थापित कर दिया गया और औद्योगिक और

वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देशों से उत्पन्न याचिकाओं पर सृजित निषेधों का खंडन कर दिया गया और नियम 5 के परन्तुक 2 के निबंधनों के अनुसार सभी पक्षों को 2016 की दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के उपयोज्य उपबंधों के अन्तर्गत नए आवेदन फाइल करने का हकदार बना दिया गया था । यह निवेदन किया गया कि ऐसा कोई नियम नहीं है जो 2016 की दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अन्तर्गत राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण के समक्ष नई याचिकाओं को संस्थित किए जाने को प्रवारित करता हो और यह प्रकथन किया गया कि यह एक विधिसम्मत कार्यवाही है जो कानूनी अधिकार सृजित करती है और जिसको जारी रखे जाने की अनुज्ञा प्रदान की जानी चाहिए । उन्होंने आगे निवेदन किया कि इस न्यायालय को 2016 की दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के उपबंधों को दृष्टि में रखते हुए व्यादेश प्रदान करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है और उक्त प्रयोजन को दृष्टि में रखते हुए यह शक्ति उच्च न्यायालय की परिभाषा की परिधि के अन्तर्गत आ जाएगा । 2016 की दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता की धारा 238 के निबंधनों के अनुसार इस संहिता के उपबंध तत्समय अन्य सभी विधियों पर अध्यारोही प्रभाव रखेगें चाहे यह संहिता उन अन्य विधियों में समाविष्ट बातों से असंगत ही क्यों न हो । विद्वान् काउंसेल ने **इनोवेटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड** बनाम **आई. सी. आई. सी. आई. और एक अन्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलंब लिया । उन्होंने आगे यह निवेदन किया कि 2016 की दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के भारत का दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित व्यक्तियों की दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम के विनियम 9 के निबंधनों के अनुसार सभी कर्मचारियों के दावों पर विचार करने के लिए तंत्र उपबंधित करती है ।

12. विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन भी किया कि ऋणस्थगन का प्रभाव भी लागू होगा । तथापि, उन्होंने निवेदन किया कि यह केवल सीमित अवधि तक लागू होगा जिसके दौरान कार्यवाही जारी रखी जा सकती है अर्थात् 6 माह की अवधि जिसको 90 दिनों की अन्य अवधि तक विस्तारित किया जा सकता है और तत्पश्चात् उच्च न्यायालय में लम्बित मामला पुनः आरम्भ हो जाएगा । उन्होंने आगे अभिकथित किया कि चूंकि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण ने पहले ही आदेश पारित कर दिया है, वह आदेश

---

[1] (2018) 1 एस. सी. सी. 407.

किसी पक्ष द्वारा, जो उससे व्यथित है, द्वारा राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपीली अधिकरण के समक्ष चुनौती की विषयवस्तु हो सकता है और **प्राधिकृत अधिकारी, स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर** बनाम **मैथ्यू के. सी.**[1] वाले मामले और साथ ही इस संबंध में पारित किए गए अन्य विनिश्चय में उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि का अवलंब लिया है और उन्होंने यह निवेदन किया कि एलकेमिस्ट एसेट रिकन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड को वित्तीय लेनदार घोषित किया जाना चाहिए और चूंकि राज्य सरकार ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि उसके पास इस कंपनी को पुनर्जीवित किए जाने की बाबत कोई योजना नहीं है, इसलिए, राज्य सरकार को आवेदक द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अंतर्गत आरम्भ की गई किसी कार्यवाही का विरोध करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।

13. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान् अपर महाधिवक्ता श्री राजेन्द्र प्रसाद ने एलकेमिस्ट एसेट रिकन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड (संक्षेप में "एलकेमिस्ट") द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अन्तर्गत की गई सम्पूर्ण कार्यवाही का विरोध किया । उन्होंने अभिकथित किया कि कम्पनी याचिका को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड की सिफारिशों के पश्चात् तारीख 26 सितम्बर, 2002 को रजिस्ट्रीकृत किया गया था और आवेदक कम्पनी अर्थात् एलकेमिस्ट को सम्मिलित करते हुए सभी पक्षों पर नोटिसें पहले ही तामील की जा चुकी हैं । क्योंकि इस मामले के साथ अन्य रिट याचिकाएं भी संलग्न कर दी गई थीं, मामले को निर्णय के लिए आरक्षित किए जाने के पश्चात् संलग्न रिट याचिका अर्थात् 2000 की एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 504 में शासकीय परिसमापक को निर्देशित करते हुए एक आदेश पारित किया गया कि वह तदर्थ रूप से कार्य करे और इस प्रकार यह निवेदन किया गया कि एक तदर्थ परिसमापक पहले से ही कार्य कर रहा है और उसने जयपुर मेटल्स की संपत्ति के मूल्यांकन का कार्य भी कर दिया है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । अतः, शासकीय परिसमापक इस न्यायालय के समक्ष लम्बित कार्यवाहियों में सक्रिय रूप से अन्तर्वलित है ।

14. विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने यह निवेदन भी किया कि आवेदक एलकेमिस्ट ने इस बात को भी स्वीकार किया था कि परिसमापन के लिए याचिका को अन्तरित किए जाने के पूर्व नोटिस जारी किए जाने का कोई

---

[1] (2018) 3 एस. सी. सी. 85.

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता और प्रकथन किया था कि वह इस न्यायालय में ही लम्बित रहेगी और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अन्तर्गत फाइल किया गया उसका आवेदन केवल रकम की वसूली के संबंध में है । यह दलील प्रत्यर्थी-राज्य द्वारा किए गए निवेदनों के विपरीत है ।

15. कम्पनी द्वारा किए गए निवेदन कि उनको 2016 की संहिता के नियम 5(2) के निबंधनों के अनुसार 2016 की संहिता की धारा 7 के अधीन नया आवेदन फाइल करने की अनुज्ञा प्राप्त है, के उत्तर में विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने निवेदन किया कि यह दलील भ्रमपूर्ण है चूंकि 2016 का नियम 2013 के कम्पनी अधिनियम और 2016 की दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत अधिनियमित किया गया है । 2016 के नियम का नियम 3 इस प्रकार है :–

> "3. **परिसमापन के अलावा मामलों से संबंधित लम्बित कार्यवाहियों का अन्तरण** – इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख पर परिसमापन से संबंधित कार्यवाहियों के अलावा माध्यस्थम्, समझौता, इंतजाम और पुनर्गठन से कार्यवाहियों को सम्मिलित करते हुए इस अधिनियम के अन्तर्गत समस्त कार्यवाहियां अपनी-अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता का प्रयोग करने वाले अधिकरणों की न्यायपीठों को अन्तरित हो जाएंगी । परन्तु यह तब जबकि वे सभी कार्यवाहियां, जिनको उन कार्यवाहियों को मंजूर किए जाने या अन्यथा कारणोंवश आदेशों के लिए आरक्षित कर लिया गया है, अन्तरित नहीं की जाएंगी ।"

16. अतः विद्वान् अपर महाधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया कि उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि समस्त कार्यवाहियां, जिनको आदेश के लिए आरक्षित किया जा चुका है, अन्तरित नहीं की जाएंगी । उन्होंने आगे निवेदन किया कि 2016 के नियम का नियम 5 जो परिसमापन की लम्बित कार्यवाहियों के अन्तरण पर विचार करता है, केवल ऐसी परिसमापन कार्यवाहियों से संबंधित हैं जिनको धारा 433(ङ) के अर्थान्तर्गत आरम्भ किया गया है अर्थात् ऋणों के संदाय में असमर्थता के कारण, जो हमारे समक्ष उपस्थित मामले में विचारार्थ प्रश्न नहीं है ।

17. विद्वान् अपर महाधिवक्ता द्वारा किया गया तीसरा निवेदन नियम 6 के संबंध में है जो 1956 के अधिनियम के धारा 433 के खंड (क) और (च) के अधीन लम्बित याचिकाओं के संबंध में इस न्यायालय के समक्ष

परिसमापन की कार्यवाहियों को जारी रखे जाने के लिए उपबंधित करता है । उक्त उपबंध ऋणों का संदाय किए जाने की बाबत कम्पनी की असमर्थता से संबंधित नहीं है और चूंकि वर्तमान मामला धारा 433(ङ) के अन्तर्गत भी नहीं आता, यह निवेदन किया गया कि वर्तमान कार्यवाही को आवेदक एलकेमिस्ट द्वारा की गई अवैध कार्यवाही के कारण 2016 की दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अन्तर्गत राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों के प्रयोजनार्थ भेजे जाने से रोका या अन्तरित नहीं किया जा सकता ।

18. विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि धारा 20(1) के अधीन औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड द्वारा किए गए निदेश में कार्यवाही इस आधार पर चल रही थी कि 'यह न्यायसंगत और साम्यापूर्ण होगा कि कम्पनी का परिसमापन कर दिया जाना चाहिए' । इसके अतिरिक्त रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम की धारा 20(2) के अधीन बोर्ड द्वारा विचार के आधार पर कम्पनी का परिसमापन किए जाने की आज्ञा है । अतः, याचिका को सुनवाई के लिए ग्रहण किए जाने या न किए जाने का प्रश्न उन मामलों में उद्भूत नहीं होगा जहां कम्पनी न्यायालय औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड द्वारा धारा 20(1) के अधीन किए गए निदेश द्वारा बाध्य है और इसलिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अन्तर्गत फाइल की गई कार्यवाहियां स्पष्ट रूप से 1956 के अधिनियम के असंगत हैं और उनको जारी रखे जाने की अनुज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती ।

19. विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने यह प्रकथन भी किया कि वर्तमान मामले में 2016 के नियम का नियम 6 लागू होगा और इसलिए नियम 5 के संशोधन से संबंधित दलील वर्तमान मामले में सुसंगत नहीं है । उन्होंने निवेदन किया कि औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर परिसमापन का मामला नियम 6 के उपबंधों द्वारा आच्छादित था और इसलिए वह उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित रहेगा, चूकि 1956 के अधिनियम को धारा 26 के अधीन नोटिस पहले ही तामील हो चुकी थी ।

20. विद्वान् काउंसेल ने अपने निवेदनों को जारी रखते हुए कहा कि 2016 की दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता का भाग 2 उन मामलों पर लागू होता है जो कारपोरेट देनदारो के दिवाला और परिसमापन से संबंधित होते हैं और जहां चूक की न्यूनतम रकम एक लाख रुपए होती है । शब्द

"चूककर्ता" को ऋण के असंदाय के अर्थ में परिभाषित किया गया है । चूंकि इस न्यायालय के समक्ष मामले ऋण के असंदाय से संबंधित नहीं है, 2016 की दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता इस न्यायालय के समक्ष लम्बित वर्तमान मामले पर लागू नहीं होगी । अतः, नियम 5 लागू नहीं होगा ।

21. उन्होंने आगे यह दलील दी कि संहिता की धाराओं 7, 8 या 9 के अधीन नया आवेदन फाइल किए जाने के प्रयोजनार्थ 2016 के नियम के नियम 5 के द्वितीय परन्तुक के उपबंध का अवलंब लिया जाना स्पष्टतः भ्रामक है । द्वितीय परन्तुक केवल उन मामलों के संबंध में लागू होता है जो नियम 5 के अधीन अन्तरित हो जाते हैं और ऐसे अन्तरण याचिकाएं प्रथम परन्तुक के अननुपालन के कारण उपशमित हो जाती हैं । द्वितीय परन्तुक को नियम 5 के उपबंधों और उसके प्रथम परन्तुक से स्वतंत्र होकर नहीं पढ़ा जा सकता । तृतीय परन्तुक ऋण के संदाय में असमर्थता के कारण और इस बात को ध्यान में रखे बिना कि तामीली हो चुकी है या नहीं, परिसमापन के संबंध में लम्बित याचिकाओं को जारी रखे जाने के बाबत निदेशित करता है । यदि एक याचिका को अन्तरित नहीं किया जाता और वह उच्च न्यायालय के समक्ष भी लम्बित रहती है तो नई याचिका को उच्च न्यायालय के समक्ष ही फाइल किया जाना होगा । अतः विधान-मंडल का आशय स्पष्ट है कि उस स्थिति में जब उच्च न्यायालय अपने समक्ष परिसमापन याचिका को लम्बित नहीं रख सकता, तो अन्य याचिका ऋण के संदाय में असमर्थता के कारणवश संहिता के अन्तर्गत राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण के समक्ष फाइल की जाएगी ।

22. विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि 2013 के कम्पनी अधिनियम की धारा 434(1)(ग) के अनुसार अधिसूचित तारीख के पूर्व की समस्त कार्यवाहियां राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण को अन्तरित की जानी थीं जिसको अन्तरण के पूर्व वाले प्रक्रम से आगे की कार्यवाही संचालित करनी थी । तथापि, 2016 की दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता की धारा 255 उपबंधित करती है कि "कम्पनी अधिनियम 2013 11वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित किया जाएगा" । 2016 की दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता की 11वीं अनुसूची को धारा 34 के माध्यम से 2013 के कम्पनी अधिनियम की धारा 434 को प्रतिस्थापित कर दिया है और धारा 434(1)(ग) के उपबंध परिसमापन याचिकाओं के अन्तरण के लिए उपबंधित करते हैं । किन्तु इस धारा का परन्तुक उपबंधित

करता है कि "परन्तु यह तब जबकि कम्पनियों के परिसमापन से संबंधित केवल वे कार्यवाहियां अधिकरण को अन्तरित की जाएंगी जो ऐसे प्रक्रम पर हैं जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ।"

23. अतः, यह निवेदन किया जाता है कि 2013 के कम्पनी अधिनियम की धारा 434 के प्रतिस्थापित उपबंध 2016 की दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अभिन्न अंग हैं और इसलिए यह प्रश्न कि 2016 की दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता अपने ही उपबंधों पर अध्यारोही प्रभाव रखती है, उत्पन्न नहीं होता और इसलिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता की धारा 238 इस मामले को लागू नहीं होती ।

24. विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने निवेदन किया कि सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन के सिद्धांत को लागू किए जाने का अर्थ यह होगा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता की धारा 7 के अधीन नई याचिका केवल उस स्थिति में पोषणीय होगी जब उच्च न्यायालय के समक्ष परिसमापन याचिका लम्बित हो या उस पर विचारण चल रहा हो और ऐसे मामलों में जहां नियम 5 के अधीन अन्तरण किया जा चुका है और वह उक्त नियम के प्रथम परन्तुक के अधीन उपशमित हो चुका है ।

25. विधि दो विभिन्न उपबंधों के अधीन दो समानांतर फोरमों द्वारा परिसमापन को अनुध्यात नहीं करती । उन्होंने आगे निवेदन किया कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता की योजना के अधीन परिसमापन में प्रस्ताव की प्रक्रिया पृथक्नीय न होने के कारण यह परिकल्पना नहीं की जा सकती कि परिसमापन कार्यवाहियां केवल एक ही फोरम के समक्ष लम्बित हैं । अंततः, धारा 7 के अधीन फाइल की गई याचिका परिसमापन के लिए फाइल की गई याचिका है और चूंकि परिसमापन कार्यवाहियां इस न्यायालय के समक्ष पहले से ही चल रही थीं, इस बाबत कोई कारण उत्पन्न नहीं हुआ कि आवेदक, जो परिसमापन कार्यवाहियों में एक पक्ष है, ने ही दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अधीन कोई याचिका फाइल की हो ।

26. विद्वान् अपर महाधिवक्ता द्वारा आगे यह निवेदन किया गया कि कम्पनी न्यायालय और साथ ही राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण ने अपने आदेश में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता की धारा 11(घ) के उपबंधों को गलत ढंग से पढ़ा है । उन्होंने निवेदन किया कि धारा 11 कतिपय व्यक्तियों को निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरम्भ किए जाने के

प्रयोजनार्थ आवेदन प्रस्तुत करने से विवर्जित करती है और वे सभी व्यक्ति निगमित देनदारों से संबंधित हैं । कारपोरेट देनदार की परिभाषा में निगमित आवेदक सम्मिलित है और धारा 5(5) के उपबंधों को पढ़े जाने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इस धारा में वित्तीय लेनदार सम्मिलित नहीं है । इसलिए, धारा 11(घ) वर्तमान मामले में लागू नहीं होती ।

27. आवेदक एलकेमिस्ट द्वारा दी गई अनुकल्पिक अनुतोष की दलील का खंडन विद्वान् अपर महाधिवक्ता द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ यह निवेदन करते हुए किया गया कि न्यायालय को वर्तमान मामले में इस बाबत निर्णय करना है कि क्या वह इस मामले में आगे अग्रसर हो सकता है या उसको कार्यवाही रोक देनी चाहिए । यदि अधिकरण द्वारा कोई विधिमान्य आदेश पारित किया गया है, तो उसका परिणाम सामने आएगा किन्तु यदि अधिकरण का आदेश बिना किसी अधिकारिता के पाया जाता है, तो वह शून्य होगा और न्यायालय से आगे की कार्यवाही को रोके जाने की अपेक्षा नहीं की जाएगी । अतः, एकमात्र विवाद्यक यह उद्भूत होता है कि क्या अधिकरण ने अपनी अधिकारिता के भीतर कार्य किया जो वर्तमान मामले में अन्तर्वलित नहीं है ।

28. विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने उच्चतम न्यायालय द्वारा **मध्य प्रदेश राज्य** बनाम **सैय्यद कमाराली**[1] वाले मामले में दिए गए निर्णय का अवलंब लिया और निवेदन किया कि विधि इस बाबत स्थिरीकृत है कि यदि आदेश को अधिकारिता के आधार पर चुनौती दी जाती है, तो अनुकल्पित अनुतोष के लिए निरोध की विधि लागू नहीं होगी । उन्होंने आगे निवेदन किया कि विधि की सुस्थिरीकृत विधि यह है कि यदि किसी न्यायालय या अधिकरण को अन्तर्निहित रूप से अधिकारिता प्राप्त नहीं है, तो उसके आदेश/डिक्रियां शून्य होंगे और इसलिए, उनको किसी भी प्रक्रम पर चुनौती दी जा सकती है और यहां तक कि आनुषंगिक कार्यवाहियों में भी । अतः, यह प्रार्थना की गई है राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण के आदेश को आरम्भ से ही शून्य और विधि की दृष्टि में शून्य घोषित किया जाए और राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण को धारा 7 के अधीन फाइल किए गए आवेदन पर आगे की कार्यवाहियां करने से निषिद्ध किया जाए ।

29. वर्तमान मामले में अन्तर्वलित विवाद्यकों का परीक्षण करने के पूर्व यह समुचित होगा कि इस प्रयोजन के लिए सुसंगत उपबंधों को उद्धृत

---

[1] 1967 एस. एल. आर. 228.

किया जाए ।

30. कम्पनी (लंबित कार्यवाहियों का अन्तरण) नियम, 2016 के नियम 1, 5 और 6 इस प्रकार हैं :–

"1. **संक्षिप्त शीर्षक और आरम्भ** – (1) ये नियम कम्पनी (लम्बित कार्यवाहियों का अंतरण) नियम, 2016 कहे जाएंगे ।

(2) ये नियम तारीख 15 दिसम्बर, 2016 से प्रभावी होंगे, सिवाय नियम 4 के जो तारीख 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा ।

5. **ऋणों के संदाय में असमर्थता के आधार पर परिसमापन की लम्बित कार्यवाहियों का अंतरण** – (1) उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित ऋणों के संदाय में असमर्थता के आधार पर अधिनियम की धारा 433 के खंड (ग) के अधीन परिसमापन से संबंधित समस्त याचिकाएं और वे याचिकाएं जिनकी प्रत्यर्थी पर कम्पनी (न्यायालय) नियम, 1959 के नियम 26 के अधीन तामीली नहीं हुई है, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 419 की उपधारा (4) के अधीन स्थापित अधिकरण की संहिता के भाग 2 के अधीन विचारित किए जाने के प्रयोजनार्थ क्षेत्रीय अधिकारिता का प्रयोग करने वाली न्यायपीठ को अन्तरित हो जाएंगी :

परन्तु यह तब जबकि याची संहिता की धाराओं 7, 8 या 9 के अधीन याचिका को ग्रहण किए जाने के लिए अपेक्षित, प्रस्तावित दिवाला वृत्तिक के विवरणों को सम्मिलित करते हुए, जैसा भी मामला हो, नियम 7 के अनुसार अन्तरित अभिलेखों का भाग बनने वाली सूचना के अलावा तारीख 15 जुलाई, 2017 तक समस्त सूचनाएं प्रस्तुत करेगा, जिसमें विफल रहने पर याचिका का उपशमन हो जाएगा :

परन्तु यह भी तब जबकि जहां किसी कम्पनी के परिसमापन से संबंधित कोई याचिका इस नियम के अधीन अधिकरण को अन्तरित नहीं की जाती है और उच्च न्यायालय में ही लम्बित रहती है और जहां अधिनियम की धारा 433 के खंड (ङ) के अधीन उसी कम्पनी के विरुद्ध परिसमापन के लिए एक अन्य याचिका तारीख 15 दिसम्बर, 2016 को लम्बित है, तो वह अन्य याचिका अधिकरण को अन्तरित नहीं होगी चाहे याचिका की तामीली प्रत्यर्थी पर न हुई हो ।

6. **ऋणों के संदाय में असमर्थता के अलावा अन्य आधारों पर परिसमापन के मामलों की लम्बित कार्यवाहियों का अन्तरण** – उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 के खंड (क) और (च) के अधीन फाइल की गई समस्त याचिकाएं और जहां याचिका की तामीली प्रत्यर्थी पर नहीं हुई है, जैसा कि कम्पनी (न्यायालय) नियम, 1959 के नियम 26 के अधीन अपेक्षित है, क्षेत्रीय अधिकारिता का प्रयोग करने वाली अधिकरण की न्यायपीठ को अन्तरित हो जाएंगी और ऐसी याचिकाएं कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के उपबंधों के अन्तर्गत याचिकाएं प्रतीत की जाएंगी ।"

31. 2016 की दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के कतिपय उपबंधों को उद्धृत किया जाना आवश्यक है :–

"7. **वित्तीय लेनदार द्वारा निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया का प्रारम्भ** – (1) कोई वित्तीय लेनदार स्वयं या किसी अन्य वित्तीय लेनदार के साथ संयुक्त रूप से न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष किसी निगमित ऋणी के विरुद्ध, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिए आवेदन फाइल कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण – इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, कोई व्यक्तिक्रम, जिसके अन्तर्गत निगमित ऋणी के किसी वित्तीय लेनदार से लिए जाने वाले किसी वित्तीय ऋण के संबंध में कोई व्यतिक्रम भी है किन्तु आवेदक केवल किसी अन्य निगमित ऋणी का कोई वित्तीय लेनदार नहीं होगा ।

(4) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी उपधारा (2) के अधीन आवेदन की प्राप्ति के चौदह दिन के भीतर या जानकारी उपयोगिता के अभिलेखों उपधारा (3) के अधीन वित्तीय लेनदार के द्वारा अन्य साक्ष्य के अभिलेख देने के आधार पर किसी व्यतिक्रम के विद्यमानतः को सुनिश्चित करेगा ;

(5) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि –

(क) जहां कोई व्यतिक्रम हुआ है और उपधारा (2) के अधीन आवेदन पूर्ण है और प्रस्तावित समाधान वृत्तिक के विरुद्ध कोई अनुशासनिक प्रक्रिया लंबित नहीं है, आदेश द्वारा ऐसे

आवेदन को स्वीकार कर सकेगा ;

(ख) जहां कोई व्यतिक्रम नहीं हुआ है और उपधारा (2) के अधीन आवेदन अपूर्ण है और प्रस्तावित समाधान वृत्तिक के विरुद्ध कोई अनुशासनिक प्रक्रिया लंबित है, आदेश द्वारा ऐसे आवेदन को अस्वीकार कर सकेगा :

परन्तु न्यायनिर्णय प्राधिकारी, उपधारा (5) के खंड (ख) के अधीन अपूर्ण होने के आधार पर आवेदन को निरस्त करने से पूर्व इस संबंध में आवेदक को, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी से ऐसी सूचना की प्राप्त के तीन दिन के भीतर अपने आवेदन के दोषों को दूर करने के लिए आवेदक को अवसर देना आवश्यक होगा ।

(7) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी –

(क) निगमित लेनदार और निगमित ऋणी को उपधारा (5) के खंड (क) के अधीन आदेश ;

(ख) वित्तीय लेनदार को उपधारा (5) के खंड (ख) के अधीन आदेश, यथास्थिति, ऐसे आवेदन के स्वीकार करने या उसके निरस्त करने के दो दिन के भीतर,

संसूचित किया जाएगा ।

(11) **व्यक्ति जो आवेदन करने का हकदार नहीं** – निम्नलिखित व्यक्ति इस अध्याय के अधीन निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारम्भ करने का कोई आवेदन करने का हकदार नहीं होगा, अर्थात् :–

(क) .....

(ख) .....

(ग) .....

(घ) कोई निगमित ऋणी, जिसके संबंध में कोई परिसमापन आदेश किया गया है,

14. **अधिस्थगन** – (1) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, दिवाला प्रारम्भ की तारीख को, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी सभी को आदेश द्वारा प्रतिषिद्ध के लिए निम्नलिखित अधिस्थगन की घोषणा करेगा, अर्थात् :–

(क) निगमित ऋणी के विरुद्ध वाद को संस्थिगत करने या वादों को जारी रखने, कार्रवाइयां जिसके अंतर्गत विधि के किसी न्यायालय, अधिकरण, माध्यस्थम्, पैनल या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश का निष्पादन भी है, संस्थित करना या उसको जारी रखना ;

(ख) निगमित ऋणी से उसकी किसी आस्ति का अंतरण विल्लंगम करना, अन्य संक्रामण या व्ययन करना या किसी विधिक अधिकार या उसमें हित का कोई फायदा ;

(ग) किसी संपत्ति के संबंध में निगमित ऋणी द्वारा सृजित किसी प्रतिभूत हित के पुरोबंध, वसूली या प्रवृत्त की कोई कार्रवाई जिसके अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन कोई कार्रवाई भी है ;

(घ) किसी स्वामी या पट्टाधारी द्वारा किसी संपत्ति की वसूली जहां ऐसी संपत्ति निगमित ऋणी द्वारा अधिभोग में है या उसके कब्जे में है ;

(2) निगमित ऋणी को आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति, जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए, को अधिस्थगन कालावधि के दौरान समाप्त या निलंबित या बाधित नहीं किया जाएगा ।

(3) ऐसे संव्यवहारों, जो किसी वित्तीय सैक्टर के विनियामक के साथ परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित किए जाए, को उपधारा (1) के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

(4) अधिस्थगन का आदेश, ऐसे आदेश की तारीख से निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के पूरा होने तक प्रभावी रहेगा :

परन्तु जहां निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि के किसी समय के दौरान यदि धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन सम्यक् रूप से जमा समाधान योजना के अनुमोदन या धारा 33 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन निगमित ऋणी के परिसमापन को लेनदार की समिति द्वारा समाधान कर लिया गया है, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, यथास्थिति, ऐसे अनुमोदन की तारीख से परिसमापन आदेश के प्रभाव से अधिस्थगन, समाप्त होगा ।

30. **समाधान योजना को प्रस्तुत करना** – (1) कोई समाधान आवेदन सूचना ज्ञापन के आधार पर तैयार समाधान वृत्तिक को प्रस्तुत कर सकेगा ।

(2) समाधान वृत्तिक उसको प्राप्त प्रत्येक समाधान योजना की परीक्षा यह पुष्टि करते हुए करेगा कि प्रत्येक समाधान योजना –

(क) दिवालिया समाधान प्रक्रिया लागत का संदाय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में निगमित ऋणी के अन्य ऋणों का सदाय अधिमानतः पर किए जाने का उपबंध करने के लिए किया जाए ;

(ख) बोर्ड द्वारा विर्निदिष्ट ऐसी रीति में प्रचालन लेनदार का पुनर्संदाय करने के लिए उपबंध करने के लिए जो कि किसी भी दशा में धारा 53 के अधीन ऋणी के निगमित परिसमापन की दशा में प्रचालन लेनदार को संदत्त रकम से कम नहीं होगी ;

(ग) यह तत्समय प्रवृत्त विधि के विरोध में न हो, और

(घ) ऐसी अन्य अपेक्षाओं की पुष्टि करना, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(ङ) तत्समय प्रवृत्त विधि के किसी भी उपबंध का अतिलंघन नहीं करते ।

(च) ऐसी किसी भी अपेक्षा की पुष्टि करते हैं जिसको बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(3) समाधान वृत्तिक प्रत्येक समाधान योजना लेनदारों की समिति को प्रस्तुत करेगा, जो उपधारा (2) में निर्दिष्ट शर्तों की पुष्टि करती है ।

(4) लेनदारों की समिति ऐसी मद को, जो वित्तीय लेनदार के मत के भाग का पचहत्तर प्रतिशत से कम न हो तो यह अनुमोदित कर सकेगी ।

(6) वृत्तिक समाधान, लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना को न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।

238. **कठिनाइयां दूर करने की शक्ति** – (1) यदि इस संहिता के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर

सकेगी, जो इस संहिता के उपबंधों से असंगत नहीं होंगे और जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस संहिता के प्रारम्भ से पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश को, उसे किए जाने के तुरन्त पश्चात्, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।"

32. यह न्यायालय पूर्वोक्त बातों का उल्लेख करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कम्पनी याचिका औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड द्वारा धारा 20 के अधीन की गई सिफारिशों के आधार पर रजिस्ट्रीकृत की गई है । अतः, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड द्वारा इस न्यायालय के समक्ष परिसमापन की सिफारिश करने के पूर्व कम्पनी को पुनर्जीवित किए जाने के प्रयास के लिए संभावनाओं को तलाशा गया । इस न्यायालय ने कम्पनी को पुनर्जीवित करने का पहले भी प्रयास किया है और राज्य सरकार ने भी विभिन्न पणधारकों से कम्पनी को पुनर्जीवित किए जाने के प्रयोजनार्थ प्रस्ताव आमंत्रित किए । तथापि, सभी प्रयास विफल हो गए ।

33. इस दौरान, कम्पनी के तत्कालीन कर्मकारों ने, जो विगत 25 वर्षों से अधिक समय से कोई कार्य नहीं कर रहे थे, अपने देयों की मांग आरम्भ कर दी । उन्होंने यह प्रार्थना भी की है कि कम्पनी को पुनर्जीवित किया जाए और उनको कर्तव्यपालन पर वापस लिया जाए या उनके प्रतिकर का संदाय किया जाए ।

34. इस न्यायालय ने सभी पहलुओं पर विचारोपरान्त कम्पनी के कारखाना परिसर में पड़े हुए माल का मूल्यांकन करने के लिए इस न्यायालय के साथ संलग्न परिसमापक की नियुक्ति तदर्थ परिसमापक के रूप में कर दी । मूल्यांकन किया गया और मूल्यांकन रिपोर्ट को हमारे परिशीलनार्थ प्रस्तुत किया गया ।

35. यह उल्लेख किया जाता है कि आवेदक एलकेमिस्ट ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के उपबंधों का अवलंब लिया और कम्पनी को पुनर्जीवित किए जाने के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया । यह न्यायालय विद्वान् अपर महाधिवक्ता द्वारा किए गए निवेदनों को स्वीकार करने के लिए आनत है और इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि 2016 के नियम के निबंधनों के अनुसार परिसमापन के लिए इस न्यायालय के समक्ष लम्बित कार्यवाही

1956 के अधिनियम की धारा 433(ङ) के संबंध में नहीं है बल्कि यह एक याचिका है जो 1956 के अधिनियम की धारा 433 के खंड (क) और (च) के अधीन फाइल की गई है । अतः, 2016 के नियम का नियम 5 लागू नहीं होगा ।

36. क्योंकि 1959 के कम्पनी (न्यायालय) नियम के नियम 26 के अधीन नोटिस पहले ही तामील की जा चुकी है और सभी पक्ष न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं और यहां तक कि तदर्थ परिसमापक की भी नियुक्ति हो चुकी है, इस न्यायालय के समक्ष लम्बित वर्तमान कार्यवाहियां 2016 के नियम के नियम 6 के अधीन अन्तरित नहीं की जाएगी । चूंकि नियम 5 के परन्तुक 3 के निबंधनों के अनुसार परिसमापन याचिका इस न्यायालय के समक्ष लम्बित है, 2016 की दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अन्तर्गत कोई नया आवेदन फाइल नहीं किया जा सकता और प्रत्यर्थी द्वारा धारा 7 के अधीन फाइल किया गया आवेदन न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग और विधि के विपरीत अभिनिर्धारित किया जाता है । यदि कोई अन्य निर्वचन किया जाता है तो इसका परिणाम कार्यवाहियों की बाहुल्य के रूप में सामने आएगा और 2016 के नियम को विरचित किए जाने के आत्यंतिक प्रयोजन को विफल कर देगा । यहां तक कि उस प्रक्रम पर भी जब 2013 का कम्पनी अधिनियम प्रभावी हुआ, तो परिसमापन से संबंधित उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित मामले राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण को अन्तरित नहीं किए गए थे और 2016 की दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के प्रभावी होने के पश्चात् कार्यवाहियों की बाहुल्य से बचने का आधारी नियम मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में बना रहा । यह खतरनाक स्थिति होगी यदि आवेदक एलकेमिस्ट को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है और अन्य लेनदार इसी न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहते हैं और 6 माह पश्चात्, जो अधिकतम अवधि है जिसके दौरान दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही जारी रह सकती है, यह न्यायालय अन्य पक्षों के दावों का परीक्षण करने के प्रयोजनार्थ शासकीय परिसमापक को भी नियुक्त कर देती है । तथापि, चूंकि वर्तमान याचिका मात्र लेनदारों द्वारा फाइल की गई याचिका नहीं है और इस न्यायालय को तत्कालीन रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम की धारा 20(1) के अधीन निर्दिष्ट किया गया मामला है, केवल एक लेनदार के संबंध में राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण द्वारा पारित आदेश, जिसके द्वारा वर्तमान याचिका को धारा 433(ङ) के अधीन याचिका प्रतीत किया गया, पूर्णतः भ्रमपूर्ण हैं । नियम 5

के तृतीय परन्तुक के परिशीलन से भी परिदृश्य स्पष्ट हो जाता है चूंकि यह नियम विनिर्दिष्ट रूप से उपदर्शित करता है कि यदि कोई अन्य याचिका, जिसको धारा 433(ङ) के अधीन फाइल किया जाना अपेक्षित है, तो वह उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित रहेगी और उसको अन्तरित नहीं किया जाएगा । अतः, वह आधार जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, जारी रहेगा कि कार्यवाहियों की बाहुल्यता नहीं होनी चाहिए ।

37. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अन्तर्गत अधिकथित प्रक्रिया सर्वप्रथम अन्तरिम समाधान वृत्तिक की नियुक्ति के लिए उपबंधित करती है जिससे निगमित देनदारों की आस्तियों, वित्त और कारबार से संबंधित सूचनाएं संकलित किया जाना अपेक्षित होता है । चूंकि इस न्यायालय ने पहले ही तदर्थ परिसमापक की नियुक्ति कर दी है, 2016 की दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता की धारा 18 के अधीन कर्तव्य शासकीय परिसमापक के कर्तव्यों के ही सदृश हैं, 1956 के अधिनियम के अन्तर्गत शासकीय परिसमापक को प्राप्त शक्तियां 2016 की दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अन्तर्गत समाविष्ट समस्त उपबंधों को अवेक्षित करेंगी जिनको अन्तरिम समाधान वृत्तिक या समाधान वृत्तिक संचालित करेगा । 2016 की दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता की धारा 30 समाधान योजना प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा करती है जिसको न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा । तथापि, इन पहलुओं पर पहले ही औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के प्रक्रम पर और इस न्यायालय द्वारा कम्पनी के संबंध में विचार किया जा चुका है । इसके अतिरिक्त, 2016 की दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के सम्पूर्ण उपबंध उन मामलों में लागू किए जाने चाहिएं जहां कार्यवाहियां 1956 के अधिनियम के अन्तर्गत नहीं चल रही हैं, जैसा कि 2016 के नियम के अभिप्राय से स्पष्ट है और जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है । केवल उन मामलों को अन्तरित किया गया है जिनमें नोटिस की तामीली नहीं हुई है । अतः, विधान-मंडल का स्पष्ट आशय था कि उन मामलों को अन्तरित किया जाए जिनमें संबद्ध न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है जबकि वर्तमान मामले में कार्यवाहियां 2002 से चल रही हैं और वर्तमान मामला ऐसी प्रकृति का मामला नहीं है जिसमें यह कहा जा सके कि नोटिसें जारी नहीं हुई हैं या 1956 के अधिनियम के अन्तर्गत परिसमापन के संबंध में नोटिसें जारी किए जाने के प्रयोजनार्थ कार्यवाही नहीं की गई है । अतः, आवेदक एलकेमिस्ट को ऐसी कोई आवश्यकता उत्पन्न नहीं हुई कि वे राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण की शरण में 2016

के नियम के उपबंधों का अवलंब लेने के प्रयोजनार्थ जाते ।

38. **वेस्ट हिल्स रियल्टी प्रा. लिमिटेड** बनाम **नीलकमल रियल्टर्स टावर प्रा. लिमिटेड**[1] वाले मामले में इसी प्रकार का विवाद उद्भूत हुआ था और 1959 के कम्पनी (न्यायालय) नियम के नियम 26 और 2016 के नियम के विभिन्न उपबंधों का अधिमूल्यन करते हुए, बम्बई उच्च न्यायालय ने तारीख 23 दिसम्बर, 2016 को निर्णय पारित किया था, जिसके द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया :–

> "12. वास्तव में, यदि इस दलील को स्वीकार कर लिया जाए कि नियम 26 अनुध्यात करता है कि सुनवाई के लिए ग्रहण किए जाने के प्रयोजनार्थ जारी किए गए नोटिस के पश्चात् और उस स्थिति में जहां वह नोटिस वास्तव में प्रत्यर्थी पर तामील हो चुका है, याचिका राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण को अन्तरित हो जाएगी, तो विलक्षण स्थिति उत्पन्न हो जाएगी । इसका आशय यह होगा कि वे याचिकाएं जिनको सुनवाई के प्रयोजनार्थ स्वीकार किया जा चुका है और याचिका की नोटिस ग्रहण किए जाने के प्रयोजनार्थ पारित आदेश के मतावलम्बन में प्रत्यर्थी पर तामील नहीं हुई है, राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण को अन्तरित हो जाएंगी और उन पर सुनवाई के लिए ग्रहण किए जाने के प्रयोजनार्थ एक बार पुनः सुनवाई होगी और उस याचिकाओं के याचियों से यह अपेक्षा की जाएंगी की वे संहिता की धारा 7, 8 या 9 के अधीन याचिकाओं को ग्रहण किए जाने के लिए सूचनाएं प्रस्तुत करें, जैसा भी मामला हो । यह स्पष्टतः एक विसंगति होगी ।
>
> 13. इस आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि धारा 433 के खंड (ड) के अधीन परिसमापन के प्रयोजनार्थ फाइल की गई प्रत्येक याचिका जो उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित है और जिनमें याची द्वारा प्रत्यर्थी कम्पनी के ऊपर तामीली नहीं की गई है, 2016 के कम्पनी (लम्बित कार्यवाहियों का अन्तरण) नियम के नियम 5 के अधीन राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण को अन्तरित हो जाएंगी । यदि इस प्रकार की कोई लम्बित याचिका की तामीली याची द्वारा प्रत्यर्थी पर की जाती है, तो इस याचिका पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया जाता रहेगा और वे उपबंध जो लागू होंगे, 1956 के अधिनियम

---

[1] (2017) 3 कम्पनी ला जर्नल 225 (बम्बई).

के उपबंध होंगे ।

14. जैसा कि मैंने ऊपर उल्लेख किया है, वे याचिकाएं जिनकी तामीली याचीयों द्वारा स्वीकार किए जाने वाले आदेश के मतावलंबन में प्रत्यर्थियों पर की जा चुकी है, पर 1959 के कम्पनी (न्यायालय) नियम के नियम 26 के अधीन विचार किया जाएगा ।"

39. हैदराबाद उच्च न्यायालय द्वारा भी यही विचार **तेलंगाना राज्य** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य**[1] और **पहाड़पुर कूलिंग टावर लिमिटेड** बनाम **बंसल स्टील्स एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड** वाले मामलों में व्यक्त किए गए हैं, जो इस प्रकार है :–

"18. प्रश्न यह है कि क्या इस न्यायालय के समक्ष इसमें के याची द्वारा फाइल की गई परिसमापन याचिका में वर्तमान कार्यवाहियों को राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, जो एक अधिकरण है और न कि इस न्यायालय से श्रेष्ठ न्यायालय, द्वारा निषिद्ध किया जा सकता है ?

19. चूंकि, राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण उच्च न्यायालय से श्रेष्ठ फोरम नहीं है, इसके द्वारा पारित आदेशों के बारे में यह अर्थान्वयन नहीं किया जा सकता कि वे इस न्यायालय को किसी परिसमापन कार्यवाही, जिसको इस न्यायालय को निर्णीत करने की स्पष्ट रूप से अधिकारिता प्राप्त है, में अग्रसर होने से निषिद्ध करते हैं । यह 1963 के विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 41(ख) का प्रभाव है, विशेष रूप से जब दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता स्वयं ही संहिता की धारा 239 और 255 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के अन्तर्गत ऐसी याचिकाओं की सुनवाई जारी रखने की अनुज्ञा प्रदान करती है ।

24. परिसमापन याचिका में कार्यवाही के प्रयोजनार्थ अग्रसर होने से उच्च न्यायालय को निषिद्ध किए जाने के लिए न्यायालयों के मध्य पारस्परिक सौहार्द के सिद्धांत का अवलंब नहीं लिया जा सकता, जिसके संबंध में संसद् का यह आशय था कि केवल उच्च न्यायालय ही दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता की धाराओं 239 और 255 के अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसार निर्णय करेगा । चूंकि

---

[1] 2017(5) ए. एल. डी. 695.

यह परिसमापन याचिका दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अन्तर्गत जारी की गई तारीख 7 दिसम्बर, 2016 और 29 जून, 2017 की अधिसूचनाओं को दृष्टि में रखते हुए राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण को अन्तरित नहीं की गई, अब राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण को याची के संबंध में या परिसमापन याचिका के संबंध में कोई अधिकारिता प्राप्त नहीं हो सकती और इसके द्वारा पारित आदेश का निर्वचन इस न्यायालय को निषिद्ध किए जाने के प्रयोजनार्थ नहीं किया जा सकता ।"

40. उपरोक्त बातों के समर्थन में **जोटन इंडिया प्रा. लिमिटेड** बनाम **पी. एल. एल.**[1] वाले मामले में बम्बई उच्च न्यायालय की समकक्ष न्यायपीठ द्वारा दिया गया पश्चात्वर्ती निर्णय है जिसमें विद्वान् एकल न्यायाधीश ने उसी न्यायालय द्वारा पारित पूर्ववर्ती निर्णयों का उल्लेख करते हुए और उनसे विभेद किए बिना भिन्न मत व्यक्त किया । इस न्यायालय के विचार में धारा 252 के उपबंधों का निर्वचन शुद्धतः नहीं किया गया है, न्यायालय ने 2016 के यथासंशोधित नियम पर विचार नहीं किया है और 2016 के नियम के नियम 6 के उपबंधों और नियम 5 के तृतीय परन्तुक के प्रभाव का परीक्षण नहीं किया गया है । इस न्यायालय की सुविचारित राय में यह निर्णय अनवधानतावश पारित किया गया निर्णय है । हमारे समक्ष उपस्थित मामला प्रत्यक्षतः 2016 के नियम के नियम 6 के अधीन है और चूंकि 1959 के कम्पनी (न्यायालय) नियम की धारा 6 के अधीन नोटिस पहले ही तामील की जा चुकी है, उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित वर्तमान कार्यवाही राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण को अन्तरित नहीं की जाएगी ।

41. वर्तमान मामले में एक अन्य पहलू एक कर्मकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन फाइल किया गया एक अन्य मामला है जो इस मामले के साथ संलग्न है और जिसको इस कम्पनी याचिका के साथ सुना जाना है । चूंकि ये याचिकाएं अन्तरित नहीं की जा सकती या इनका परीक्षण राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण द्वारा नहीं किया जा सकता, आवेदक एलकेमिस्ट द्वारा फाइल किया गया वर्तमान आवेदन कम्पनी अधिनियम और उसके अन्तर्गत विरचित नियम के उपबंधों के विरुद्ध है और इस आवेदन को अविद्यमान प्रतीत किया जाना चाहिए ।

42. इसके अतिरिक्त, इस बात का भी उल्लेख किया जाता है कि

---

[1] ए. आई. आर. 2018 बोम्बे 225.

यह न्यायालय वर्तमान कम्पनी याचिका का परीक्षण करते हुए तीन कम्पनी अपीलों का भी परीक्षण कर रहा है जिसके द्वारा आवेदक के पक्ष में राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है । राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण ने अभिनिर्धारित किया है कि एलकेमिस्ट के पास 51 प्रतिशत शेयर हैं जो इस न्यायालय के समक्ष परीक्षण की विषयवस्तु है ।

43. अतः, 2016 की दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अन्तर्गत आने वाले उपबंधों का अवलंब लेते हुए राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण द्वारा पारित आदेश बिना अधिकारिता के है और अन्तरिम समाधान वृत्तिक की नियुक्ति सम्पूर्ण कार्यवाही को अविद्यमान के रूप में अभिनिर्धारित किया जाता है और इस सम्पूर्ण कार्यवाही का **भारत संघ और एक अन्य** बनाम **एसोशिएशन आफ यूनिफाइड टेलीकाम सर्विस प्रोवाइडर्स आफ इंडिया और अन्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि के अनुसार अनदेखा कर दिया जाना चाहिए । (इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किए) :–

> "59. अतः, अधिकरण ने तारीख 7 जुलाई, 2006 को पारित अपने आदेश में न केवल अनुज्ञप्ति में समामेलित सकल राजस्व के निर्वचन पर विवाद को निर्णीत किया बल्कि अनुज्ञप्ति में समामेलित सकल राजस्व की परिभाषा की विधिमान्यता को भी निर्णीत किया है । जैसा कि हमने पहले ही अभिनिर्धारित कर दिया है, अधिकरण को अनुज्ञप्ति करार में समामेलित सकल राजस्व की परिभाषा को सम्मिलित करते हुए अनुज्ञप्ति के नियमों और शर्तों की विधिमान्यता को निर्णीत करने की कोई अधिकारिता प्राप्त नहीं है । इसलिए, अधिकरण द्वारा तारीख 7 जुलाई, 2006 को पारित आदेश बिना अधिकारिता के है जहां तक इस निर्णय के द्वारा इस बात को निर्णीत किया गया है कि अनुज्ञप्ति के परे आने वाले क्रियाकलापों से अनुज्ञप्तिधारक द्वारा अभिप्राप्त राजस्व समामेलित सकल राजस्व से पृथक् कर दिया जाएगा, जैसा कि अनुज्ञप्ति करार में समामेलित सकल राजस्व की परिभाषा से स्पष्ट है और यह शून्य है और इस मामले में पूर्व निर्णय का सिद्धांत लागू नहीं होगा ।
>
> 60. चन्द्रभाई के. भोयर और अन्य **बनाम** कृष्ण अर्जुन भोयर और अन्य (उपरोक्त) वाले मामले में इस न्यायालय ने आंध्र प्रदेश

---

[1] (2011) 10 एस. सी. सी. 543.

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति **बनाम** एल. वी. ए. दिसितुलू, भारत संघ **बनाम** प्रमोद गुप्ता और नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी **बनाम** नीरज कुमार सिंह वाले मामलों का अवलंब लेते हुए अभिनिर्धारित किया है – (कृष्ण अर्जुन वाला मामला एस. सी. सी. 322 पैरा 26) '26. अधिकारिता विहिन न्यायालय बिना अधिकारिता के पारित किया गया आदेश शून्य होगा । यह ..... होगा और विधि की दृष्टि में अविद्यमान होगा । ऐसे मामलों में पूर्व निर्णय का आदेश लागू नहीं होगा ।'"

44. तद्नुसार, राज्य सरकार को निर्देशित किया जाता है कि अन्तरिम समाधान वृत्तिक को राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण द्वारा तारीख 13 अप्रैल, 2018 को पारित आदेश का अनदेखा करने के लिए निर्देशित करें और कम्पनी की किसी भी आस्ति का कब्जा लेने की अनुज्ञा प्रदान न करें ।

45. जयपुर मेटल्स के प्रबंध निदेशक, जिनको राज्य द्वारा तदर्थ रूप से नियुक्त किया गया है, के पास कम्पनी का कार्यभार है, किन्तु वे राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण के संज्ञान में ऊपरवर्णित तथ्यों को लाने में असफल रहे । यह भी उल्लेख किया जाता है कि संबद्ध प्रबंध निदेशक ने कार्यवाहियों और उन जटिलताओं के बारे में राज्य सरकार को सूचित नहीं किया, जो इस कारणवश उत्पन्न होंगी और इसलिए वे प्रथमदृष्ट्या अपने कर्तव्यों के निर्वहन में असफल रहे । अतः राज्य सरकार को उक्त अधिकारी को तुरन्त स्थानांतरित करने के लिए निदेशित किया जाता है और वे किसी अन्य जिम्मेदार अधिकारी को अपना कार्यभार सौंप देंगे और साथ ही राज्य सरकार को यह निर्देश भी दिया जाता है कि संबद्ध प्रबंध निदेशक के विरुद्ध उचित कार्यवाही आरम्भ की जाए ।

46. रजिस्ट्री को निर्देशित किया जाता है कि इस न्यायालय के समक्ष तारीख 5 जुलाई, 2018 को समस्त मामले अग्रिम आदेशों के लिए प्रस्तुत किए जाएं ।

याचिका का निपटारा किया गया ।

अवि.

संसद् के अधिनियम

धार्मिक विन्यास अधिनियम, 1863[1]

---

[1] संक्षिप्त नाम, भारतीय संक्षिप्त नाम अधिनियम, 1897 (1897 का 14) द्वारा दिया गया ।

यह अधिनियम धार्मिक विन्यास (कनारा पर विस्तारित) अधिनियम, 1865 (1865 का बम्बई अधिनियम सं. 7) द्वारा कनारा को विस्तारित किया गया जिसे विशेष रूप से इसी प्रयोजन के लिए पारित किया गया ।

अनुसूचित जिला अधिनियम, 1874 (1874 का 14) की धारा 3(क) के अधीन अधिसूचना द्वारा यह निम्नलिखित अनुसूचित जिलों में प्रवृत्त घोषित किया गया है, अर्थात् :–

हजारीबाग, लोहारदागा (अब जिला रांची,
कलकत्ता राजपत्र, 1899, भाग 1 पृ. 44 देखिए)
तथा मानभूम जिलों और सिंहभूम जिले में

परगना दालभूम तथा कोल्हन ..... भारत का राजपत्र, 1881, भाग 1, पृ. 504 देखिए ।

मिर्जापुर जिले का अनुसूचित
भाग ..... भारत का राजपत्र, 1879, भाग 1, पृ. 383 देखिए ।

जौनसार बाबर ..... भारत का राजपत्र, 1879, भाग 1, पृ. 382 देखिए ।

गंजाम और विशाखापत्तनम के
अनसूचित जिले ..... भारत का राजपत्र, 1898, भाग 1, पृ. 870 देखिए ।

असम (नार्थ लुशाई हिल्स को
छोड़कर) .....भारत का राजपत्र, 1897, भाग 1, पृ. 299 देखिए ।

इसका पश्चात्वर्ती उल्लिखित अधिनियम की धारा 5 के अधीन अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित अनुसूचित जिलों, पर विस्तार किया गया है, अर्थात् :–

कुमाऊं और गढ़वाल ..... भारत का राजपत्र, 1976, भाग 1, पृ. 606 देखिए ।

आगरा प्रान्त की तराइ ..... भारत का राजपत्र, 1876, भाग 1, पृ. 505 देखिए ।

अजमेर और मेरवाड़ा ..... भारत का राजपत्र, 1877, भाग 1, पृ. 605 देखिए ।

(1863 का अधिनियम संख्यांक 20)

[10 मार्च, 1863]

सरकार को धार्मिक विन्यासों के प्रबन्ध से अपने को निर्निहित करने के वास्ते समर्थ बनाने के लिए अधिनियम

उद्देशिका – यह समीचीन है कि बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी में और फोर्ट सेन्ट जार्ज की प्रेसीडेंसी में राजस्व बोर्डों और स्थानीय अभिकर्ताओं को बंगाल संहिता के विनियम 19, 1810 (बंगाल विनियम, 1810 का 19) द्वारा (मस्जिदों, हिन्दू मंदिरों, महाविद्यालयों की संभाल और अन्य प्रयोजनों के लिए अनुदान की गई भूमियों के किराए और उपज के सम्यक् विनियोग के लिए ; पुलों, सरायों, क्षेत्रों और अन्य सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए ; और नजूल संपत्ति या राजगामी संपत्ति की अभिरक्षा और निपटान के लिए), और मद्रास संहिता के विनियम 7, 1817 द्वारा (मस्जिदों, हिन्दू मंदिरों और महाविद्यालयों की संभाल या अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनुदान की गई भूमियों के किराए और उपज के सम्यक् विनियोग के लिए ; पुलों, चौल्ट्रियों, या सत्रमों और अन्य

1963 के विनियम सं. 6 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा (1-7-1965 से) यह अधिनियम दादरा और नागर हवेली पर विस्तारित किया गया एवं प्रवृत्त हुआ ।

धारा 22 भाग ख राज्यों के सिवाय संपूर्ण भारत पर लागू होती है ।

मद्रास हिन्दू रिलिजियस एण्डाउमेंट्स ऐक्ट, 1926 (1927 का मद्रास अधिनियम सं. 2) द्वारा मद्रास में हिन्दू धार्मिक विन्यास तक और उड़ीसा हिन्दू रिलिजियस एण्डाउमेंट्स ऐक्ट, 1939 (1939 का उड़ीसा अधिनियम सं. 4) द्वारा उड़ीसा में अधिनियम निरसित किया गया तथा बंगाल वक्फ ऐक्ट, 1934 (1934 का बंगाल अधिनियम सं. 13) द्वारा बंगाल में संशोधित किया गया ।

यह अधिनियम बिहार राज्य के किसी धार्मिक न्यास पर लागू नहीं होगा (1951 का बिहार अधिनियम सं. 1) ।

1964 के अधिनियम सं. 34 द्वारा यह अधिनियम किसी ऐसे वक्फ पर लागू नहीं होगा जिसे वक्फ अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम सं. 29) लागू होता हो ।

1959 के मद्रास अधिनियम सं. 22 द्वारा यह अधिनियम मद्रास राज्य में प्रवृत्त नहीं रहेगा ।

सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए ; और राजगामी संपत्ति की अभिरक्षा और निपटान के लिए) उन पर अधिरोपित कर्तव्यों में वहां तक अवमुक्त कर दिया जाए जहां तक उन कर्तव्यों में मस्जिदों या हिन्दू मंदिरों की संभाल के लिए और अन्य धार्मिक उपयोगों के लिए अनुदान की गई भूमियों का अधीक्षण ; ऐसे धार्मिक स्थापनों के अनुरक्षण के लिए बनाए गए विन्यासों का विनियोग ; उनसे संबंधित भवनों की मरम्मत और परिरक्षण, और उनके न्यासियों या प्रबंधकों की नियुक्ति सम्मिलित है अथवा ऐसे धार्मिक स्थापनों [1]**** के प्रबन्ध से किसी प्रकार का संबंध अंतर्ग्रस्त है, अतः निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :–

1. [**1810 के बंगाल विनियम 19 और 1817 के मद्रास विनियम 7 के कुछ भागों का निरसन** ।] – निरसन अधिनियम, 1870 (1870 का 14) की धारा 1 तथा अनुसूची द्वारा निरसित ।

2. **निर्वचन-खंड** – इस अधिनियम में –

[2]*****

"सिविल न्यायालय" और "न्यायालय" – "सिविल न्यायालय" और "न्यायालय" शब्दों से, [3][धारा 10 में यथा उपबंधित के सिवाय,] अभिप्रेत है उस जिले में आरंभिक सिविल अधिकारिता वाला प्रधान न्यायालय जिसमें, [3][या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई अन्य न्यायालय जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर] वह मस्जिद, मंदिर या धार्मिक स्थापन स्थित है जिसके संबंध में या जिसके विन्यास के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कोई वाद संस्थित किया जाएगा या आवेदन दिया जाएगा ।

3. **मस्जिदों आदि के बारे में सरकार द्वारा विशेष उपबंध किया जाना** –

---

[1] 1874 के अधिनियम सं. 16 की धारा 1 और अनुसूची द्वारा "और यह मस्जिदों, हिन्दू मंदिरों की संभाल या अन्य धार्मिक प्रयोजनों के लिए विन्यास से संबंधित बंगाल संहिता के विनियम 19, 1810 तथा मद्रास संहिता से विनियम सं. 7, 1817 का निरसन उस प्रयोजन के लिए समीचीन है," शब्दों और अक्षरों को निरसित किया गया ।

[2] 1914 के अधिनियम सं. 10 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा "संख्या" और "लिंग" से संबंधित खंड निरसित ।

[3] 1925 के अधिनियम सं. 21 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित ।

प्रत्येक ऐसी मस्जिद, मंदिर या अन्य धार्मिक स्थापन के मामले में, जिसको [1][इस अधिनियम की उद्देशिका] में विनिर्दिष्ट विनियमों में से किसी के उपबंध लागू हैं और जिसके न्यासी, प्रबंधक, या अधीक्षक का नामनिर्देशन, इस अधिनियम के पारित होने के समय, सरकार या किसी लोक अधिकारी में निहित है, या उसके द्वारा किया जा सकता है, या जिसमें ऐसे न्यासी, प्रबंधक या अधीक्षक का नामनिर्देशन सरकार या किसी लोक अधिकारी द्वारा पुष्टि के अधीन है, राज्य सरकार इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र इसमें इसके पश्चात् यथा उपबंधित विशेष उपबंध करेगी ।

4. **राजस्व बोर्ड के भाराधीन न्यास संपत्ति का न्यासियों आदि को अंतरण** – प्रत्येक ऐसी मस्जिद, मंदिर, या अन्य धार्मिक स्थापन के मामले में, जो इस अधिनियम के पारित होने के समय, किसी ऐसे न्यासी, प्रबंधक या अधीक्षक के प्रबंध के अधीन है, जिसका नामनिर्देशन न तो सरकार या किसी लोक अधिकारी में निहित है न उसके द्वारा किया जा सकता है और न उसकी पुष्टि के ही अधीन है, राज्य सरकार इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, ऐसी संपत्ति के सिवाय जो इसमें इसके पश्चात् उपबंधित है, उस समस्त भू-संपत्ति या अन्य संपत्ति को, जो इस अधिनियम के पारित होने के समय राजस्व बोर्ड या किसी स्थानीय अभिकर्ता के कब्जे में या अधीक्षण के अधीन है और ऐसी मस्जिद, मंदिर या अन्य धार्मिक स्थापन की है, ऐसे न्यासी, प्रबंधक या अधीक्षक को अंतरित करेगी ;

ऐसी संपत्ति के बारे में बोर्ड की शक्तियों की समाप्ति – और ऐसी मस्जिद, मंदिर या अन्य धार्मिक स्थापन के बारे में, और इस प्रकार अंतरित समस्त भूमि और अन्य संपत्ति के बारे में, राजस्व बोर्ड और स्थानीय अभिकर्ताओं की शक्तियां और उत्तरदायित्व वहां तक के सिवाय जहां तक वे ऐसे अंतरण के पूर्व उक्त राजस्व बोर्ड या किसी स्थानीय अभिकर्ता द्वारा किए गए कार्य और उपगत दायित्व के बारे में हैं, समाप्त और पर्यवसित हो जाएंगे ।

[2]5. **न्यास अधिकारी पद के रिक्त होने पर उसके उत्तराधिकार के**

---

[1] 1891 के अधिनियम सं. 12 की धारा 2 और अनुसूची 2 द्वारा "धारा 1" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] धारा 5 किसी ऐसे वक्फ पर लागू नहीं होगी जिसे वक्फ अधिनियम, 1954 (1954 का 29) लागू होता हो ।

अधिकार के बारे में विवाद की दशा में प्रक्रिया – जब कभी किसी कारण किसी न्यासी, प्रबंधक, या अधीक्षक का पद जिसको पूर्वगामी धारा के अधीन संपत्ति अंतरित कर दी गई है रिक्त हो जाता है और ऐसे पद के उत्तराधिकार के अधिकार के बारे में कोई विवाद पैदा हो जाता है तो जिस मस्जिद, मंदिर या धार्मिक स्थापन की वह संपत्ति है उसमें या उसकी पूजा या सेवा करने में या उससे संबंधित न्यासों में हितबद्ध किसी व्यक्ति के लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह ऐसे मस्जिद, मंदिर या अन्य धार्मिक स्थापन का कोई प्रबंधक, नियुक्त किए जाने के लिए सिविल न्यायालय को आवेदन करे और तब ऐसा न्यायालय ऐसे प्रबंधक को तब तक कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगा जब तक कि कोई अन्य व्यक्ति ऐसे पद के उत्तराधिकार के अपने अधिकार को वाद द्वारा स्थापित नहीं कर लेता ।

न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रबंधकों की शक्तियां – सिविल न्यायालय द्वारा इस प्रकार नियुक्त प्रबंधक का वे सब शक्तियां होंगी और वह उनका प्रयोग करेगा जो इस या किसी अन्य अधिनियम के अधीन, पूर्ववर्ती न्यासी, प्रबंधक या अधीक्षक को, जिसके स्थान पर ऐसा प्रबंधक न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया है, ऐसे मस्जिद, मंदिर और धार्मिक स्थापन के या उसकी संपत्ति के संबंध में प्राप्त थी या जिनका वह प्रयोग कर सकता था ।

6. **जिन न्यासियों को धारा 4 के अधीन संपत्ति का अन्तरण किया जाता है उनके अधिकार आदि** – प्रत्येक ऐसे न्यासी, प्रबंधक या अधीक्षक के, जिसको इस अधिनियम की धारा 4 में विहित रीति में किसी मस्जिद, मंदिर या अन्य धार्मिक स्थापन की भूमि और अन्य संपत्ति अंतरित की गई है, अधिकार, शक्तियां और उत्तरदायित्व, तथा उसकी नियुक्ति, निर्वाचन और हटाने की शर्तें, इस अधिनियम के अधीन वाद चलाए जाने के दायित्वाधीन होने के सिवाय और राजस्व बोर्ड और स्थानीय अभिकर्ताओं को ऐसे मस्जिद, मंदिर या धार्मिक स्थापन पर और ऐसे न्यासी, प्रबंधक या अधीक्षक पर इसके द्वारा निरसित विनियमों द्वारा दिए गए प्राधिकार के सिवाय जो प्राधिकार इसके द्वारा पर्यवसित और निरसित किया जाता है, वैसी ही होंगी जैसी वे उस दशा में होती जब यह अधिनियम पारित नहीं किया गया होता ।

ऐसी सब शक्तियां जो इस अधिनियम की उक्त धारा 4 के अधीन अन्तरित भूमि और अन्य सम्पत्ति के किराए की वसूली के लिए किसी बोर्ड या स्थानीय अभिकर्ता द्वारा प्रयुक्त की जा सकती हैं ऐसे अन्तरण की

तारीख से किसी ऐसे न्यासी, प्रबन्धक या अधीक्षक द्वारा प्रयुक्त की जा सकेंगी जिसको ऐसा अन्तरण किया गया है ।

7. **समितियों की नियुक्ति** – इस अधिनियम की धारा 3 में वर्णित सभी मामलों में, राज्य सरकार प्रत्येक खण्ड या जिले में एक बार एक या अधिक समितियां नियुक्त करेगी जो इसके द्वारा निरसित विनियमों के अधीन राजस्व बोर्ड और स्थानीय अभिकर्ताओं का स्थान ग्रहण करेंगी और उनकी शक्तियों का प्रयोग करेंगी ।

समितियों का गठन और कर्तव्य – ऐसी समिति में तीन या अधिक व्यक्ति होंगे, और वह ऐसी किसी सम्पत्ति से, जिसके लिए इस अधिनियम की धारा 21 के अधीन विशेष रूप से उपबन्ध किया गया है, सम्बन्धित कर्तव्यों के सिवाय उन सभी कर्तव्यों का पालन करेगी जो ऐसे बोर्ड और स्थानीय अभिकर्ताओं पर अधिरोपित हों ।

8. **समिति के सदस्य की अर्हताएं** – उक्त समिति के सदस्य, उन धर्मों को जिनके प्रयोजनों के लिए, वह मस्जिद, मन्दिर या अन्य धार्मिक स्थापन स्थापित किया गया था या अब अनुरक्षित किया जाता है मानने वाले व्यक्तियों में से और जहां तक अभिनिश्चित किया जा सके उन व्यक्तियों की, जो ऐसी मस्जिद, मन्दिर या अन्य धार्मिक स्थापन के अनुरक्षण में हितबद्ध हैं, सामान्य इच्छा के अनुसार नियुक्त किए जाएंगे ।

समिति की नियुक्ति राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी ।

हितबद्ध व्यक्तियों की इच्छा अभिनिश्चित करना – ऐसी नियुक्ति के बारे में, ऐसे व्यक्तियों की सामान्य इच्छा अभिनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार [1][राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,] (इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न होने वाले), ऐसे नियमों के अधीन जो ऐसी राज्य सरकार द्वारा बनाए जाएं, निर्वाचन करा सकती है । [1][इस धारा के अधीन बनाया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखा जाएगा ।]

9. **पदावधि** – यथापूर्वोक्त नियुक्त समिति का प्रत्येक सदस्य जीवनपर्यन्त पद धारण करेगा जब तक कि उसे अवचार या अयोग्यता के कारण हटा न दिया जाए ;

---

[1] 1983 के अधिनियम सं. 20 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-3-1984 से) अंत:स्थापित ।

हटाना – और कोई भी ऐसा सदस्य सिविल न्यायालय के आदेश के बिना नहीं हटाया जाएगा जैसा कि इसमें इसके पश्चात्, उपबन्धित है ।

10. **रिक्तियों का भरा जाना** – जब यथापूर्वोक्त नियुक्त समिति के सदस्यों में कोई रिक्ति हो जाए तब ऊपर उपबन्धित रूप से हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा उस रिक्ति को भरने के लिए एक नया सदस्य निर्वाचित किया जाएगा ।

प्रक्रिया – समिति के शेष सदस्य यथासम्भव शीघ्र, ऐसी रिक्ति की सार्वजनिक सूचना देंगे और निर्वाचन संबंधी नियमों के अधीन, जो राज्य सरकार द्वारा बनाए जाएं, ऊपर उपबंधित रूप से हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा नए सदस्य के निर्वाचन के लिए कोई दिन नियत करेंगे जो ऐसी रिक्ति की तारीख से तीन मास के पश्चात् का नहीं होगा ;

और जो कोई भी उक्त नियमों के अधीन निर्वाचित होगा वह ऐसी रिक्ति को भरने के लिए समिति का सदस्य होगा ।

कब न्यायालय द्वारा रिक्ति का भरा जाना – यदि यथापूर्वोक्त किसी रिक्ति को उसके होने के पश्चात् तीन मास के भीतर यथापूर्वोक्त निर्वाचन द्वारा न भरा जाए तो सिविल न्यायालय किसी भी व्यक्ति के आवेदन पर उस रिक्ति को भरने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा अथवा यह आदेश दे सकेगा कि उस रिक्ति को समिति के शेष सदस्यों द्वारा तुरन्त भर लिया जाए, जिस आदेश का पालन करना शेष सदस्यों का कर्तव्य होगा और यदि इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो सिविल न्यायालय उक्त रिक्ति को भरने के लिए कोई सदस्य नियुक्त कर सकेगा ।

[1][**स्पष्टीकरण** – इस धारा में "सिविल न्यायालय" से उस जिले में आरम्भिक सिविल अधिकारिता वाला प्रधान न्यायालय अभिप्रेत है जिसमें वह मस्जिद, मन्दिर या धार्मिक स्थापन, जिनके लिए समिति नियुक्त की गई है, या उनमें से कोई स्थित है ।]

11. **समिति के किसी सदस्य का मस्जिद आदि का न्यासी आदि भी न होना** – इस अधिनियम के अधीन नियुक्त समिति का कोई सदस्य, उस मस्जिद, मन्दिर या अन्य धार्मिक स्थापन का, जिसके प्रबनध के लिए ऐसी समिति नियुक्त की गई है, न्यासी, प्रबन्धक या अधीक्षक भी नहीं हो सकेगा

---

[1] 1925 के अधिनियम सं. 21 की धारा 3 द्वारा जोड़ा गया ।

या उस रूप में कार्य भी नहीं करेगा ।

12. **समिति की नियुक्ति पर, बोर्ड और स्थानीय अभिकर्ताओं का सम्पत्ति को अन्तरित करना** – किसी ऐसी मस्जिद, मन्दिर या धार्मिक स्थापन के अधीक्षण के लिए और उसके कार्यों के प्रबन्ध के लिए ऊपर उपबन्धित रूप से किसी समिति की नियुक्ति पर तुरन्त राजस्व बोर्ड या उक्त बोर्ड के प्राधिकार के अधीन कार्य करने वाले स्थानीय अभिकर्ता, इसमें इसके पश्चात् यथा उपबन्धित के सिवाय उस समस्त भू-सम्पत्ति या अन्य सम्पत्ति को जो नियुक्ति के समय उक्त बोर्ड या स्थानीय अभिकर्ताओं के अधीक्षण के अधीन या कब्जे में है और उक्त धार्मिक स्थापन की है, ऐसी समिति को अन्तरित करेंगे ।

बोर्ड और अभिकर्ताओं की शक्तियों और उत्तरदायित्वों की समाप्ति – और तब ऐसी मस्जिद, मन्दिर और धार्मिक स्थापन के बारे में और इस प्रकार अन्तरित समस्त भूमि और अन्य सम्पत्ति के बारे में बोर्ड और स्थानीय अभिकर्ताओं की शक्तियां और उत्तरदायित्व, उपरोक्त के सिवाय और वहां तक के सिवाय जहां तक वे ऐसे अन्तरण के पूर्व उक्त बोर्ड और अभिकर्ताओं द्वारा किए गए कार्यों और उपगत दायित्वों के बारे में है, समाप्त और पर्यवसित हो जाएंगे ।

समिति की शक्तियों का प्रारम्भ – वे सब शक्तियां, जो इस धारा के अधीन अन्तरित भूमि और अन्य सम्पत्ति के किराए की वसूली के लिए किसी बोर्ड या स्थानीय अभिकर्ता द्वारा प्रयुक्त की जा सकती थीं, ऐसे अन्तरण की तारीख से उस समिति द्वारा प्रयुक्त की जा सकेंगी जिसको ऐसे अन्तरण किया गया है ।

13. **लेखाओं के बारे में न्यासी आदि का कर्तव्य** – जिस मस्जिद, मन्दिर या धार्मिक स्थापन को इस अधिनियम के उपबन्ध लागू होते हैं उसके प्रत्येक न्यासी, प्रबंधक और अधीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह ऐसे मस्जिद, मन्दिर या अन्य धार्मिक स्थापन के विन्यासों और व्ययों के बारे में अपनी प्राप्तियों और संवितरणों के नियमित लेखे रखें ;

और समिति के कर्तव्य – और इस अधिनियम के प्राधिकार के अधीन नियुक्त या कार्य करने वाली प्रत्येक प्रबन्ध समिति का कर्तव्य होगा कि वह ऐसी मस्जिद, मन्दिर या अन्य धार्मिक स्थापन के प्रत्येक न्यासी, प्रबन्धक और अधीक्षक से ऐसी प्राप्तियों और संवितरणों के नियमित लेखे

प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार पेश करने की अपेक्षा करे और ऐसी प्रत्येक प्रबन्ध समिति उनके ऐसे लेखे स्वयं रखेगी ।

14. **न्यासभंग आदि की दशा में हितबद्ध व्यक्ति द्वारा अकेले ही वाद लाया जा सकना** – किसी मस्जिद, मन्दिर या धार्मिक स्थापन में, या उसकी पूजा या सेवा करने या उससे संबंधित न्यासों में हितबद्ध कोई व्यक्ति उसमें हितबद्ध अन्य व्यक्तियों में से किसी को वादी के रूप में संयोजित किए बिना, ऐसे मस्जिद, मन्दिर या धार्मिक स्थापन के न्यासी, प्रबन्धक या अधीक्षक अथवा इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी समिति के सदस्य के विरुद्ध किसी ऐसे अपकरण, न्यासभंग या कर्तव्य-उपेक्षा के लिए सिविल न्यायालय में वाद ला सकेगा जो ऐसे न्यासी, प्रबंधक, अधीक्षक या ऐसी समिति के सदस्य द्वारा क्रमशः उनमें निहित या उनको विश्वासपूर्वक सौंपे गए न्यासों के बारे में किए गए हों ;

सिविल न्यायालय की शक्तियां – और सिविल न्यायालय ऐसे न्यासी, प्रबंधक, अधीक्षक या समिति के सदस्य द्वारा किसी कार्य के विनिर्दिष्ट पालन के लिए निदेश दे सकेगा,

और ऐसे न्यासी, प्रबन्धक, अधीक्षक या समिति के सदस्य के विरुद्ध नुकसानी और खर्चों की डिक्री दे सकेगा,

और ऐसे न्यासी, प्रबन्धक, अधीक्षक या समिति के सदस्य को हटाने का निदेश भी दे सकेगा ।

15. **व्यक्ति को वाद लाने के लिए हकदार बनाने वाले हित का स्वरूप** – अन्तिम पूर्वगामी धारा के अधीन किसी व्यक्ति को वाद लाने का हकदार बनाने के लिए अपेक्षित हित का धन-सम्बन्धी या प्रत्यक्ष या तात्कालिक हित या ऐसा हित होना आवश्यक नहीं है जिससे कि वाद लाने वाला व्यक्ति न्यासों के प्रबन्ध या अधीक्षण में कोई भाग लेने का हकदार हो ।

जो कोई व्यक्ति किसी मस्जिद, मन्दिर या धार्मिक स्थापन में पूजा या सेवा में उपस्थित होने का अधिकारी है या उपस्थित होता रहा है अथवा किसी भिक्षा-वितरण के लाभ में भाग लेने का अधिकारी है, वह अन्तिम पूर्वगामी धारा के अर्थ में हितबद्ध व्यक्ति समझा जाएगा ।

16. **मध्यस्थों को निर्देश** – इस अधिनियम के अधीन संस्थित किसी वाद या कार्यवाही में उस न्यायालय के लिए, जिसके समक्ष ऐसे वाद या

कार्यवाही लम्बित है, यह आदेश देना विधिसम्मत होगा कि ऐसे वाद में जिस मामले पर मतभेद है वह एक या अधिक मध्यस्थों को विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाए ।

1940 के अधिनियम संख्यांक 10 का लागू होना – जब कभी ऐसा कोई आदेश दिया जाए तो, [1][माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 के अध्याय 4] के उपबंध, ऐसे आदेश और माध्यस्थम् को सभी मामलों में उसी रीति में लागू होंगे मानो पक्षकारों के आवेदन पर ऐसा आदेश [2][उक्त अधिनियम की धारा 21] के अधीन दिया गया हो ।

17. **1940 के अधिनियम संख्यांक 10 के अधीन निर्देश** – अन्तिम पूर्वगामी धारा की कोई भी बात, उक्त [3][माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 की] उक्त [3][धारा 21] के अधीन पक्षकारों को न्यायालय में आवेदन करने के लिए या न्यायालय को निर्देश का आदेश देने के लिए निवारित नहीं करेगी ।

18. **वाद संस्थित करने की इजाजत के लिए आवेदन** – इस अधिनियम के अधीन कोई वाद जब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे वाद को संस्थित करने की इजाजत के लिए न्यायालय को प्रारम्भिक आवेदन न किया गया हो । [4]****

न्यायालय आवेदन के परिशीलन पर यह अवधारित करेगा कि वाद को संस्थित करने के लिए पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या आधार है या नहीं, और यदि न्यायालय का यह निर्णय है कि ऐसे आधार हैं तो वाद संस्थित करने के लिए इजाजत दे दी जाएगी ।

---

[1] 1940 के अधिनियम सं. 10 की धारा 49 और अनुसूची 4 द्वारा "सिविल प्रक्रिया संहिता के अध्याय 6" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1940 के अधिनियम सं. 10 की धारा 49 और अनुसूची 4 द्वारा "उक्त संहिता की धारा 312" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1940 के अधिनियम सं. 10 की धारा 49 और अनुसूची 4 द्वारा "उक्त सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 312" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 1870 के अधिनियम सं. 7 की धारा 2 और अनुसूची 3 द्वारा "आवेदन अस्टाम्पित पत्र पर किया जाए" शब्द निरसित ।

खर्चे – [1]*** यदि न्यायलय की यह राय है कि वाद न्यास के फायदे के लिए रहा है और वाद के किसी भी पक्षकार का कसूर नहीं है तो न्यायालय खर्चे का या उसके ऐसे भाग का संदाय, जो वह ठीक समझे, संपदा में से किए जाने का आदेश दे सकेगा ।

19. **न्यायालय का न्यास के लेखे दाखिल किए जाने की अपेक्षा कर सकना** – वाद संस्थित करने की इजाजत देने के पहले, या इजाजत देने के बाद कोई कार्यवाही किए जाने के पहले, या जब वाद लम्बित हो तब किसी भी समय न्यायालय, यथास्थिति, न्यासी, प्रबन्धक या अधीक्षक अथवा समिति के किसी सदस्य को न्यास के लेखे या उनका उतना भाग, जो न्यायालय को आवश्यक प्रतीत हो, न्यायालय में दाखिल करने के लिए आदेश दे सकेगा ।

20. **आपराधिक न्यासभंग के लिए कार्यवाही** – पूर्वगामी धाराओं के अधीन किसी न्यायालय के समक्ष लम्बित कोई वाद या कार्यवाही, आपराधिक न्यासभंग के लिए किसी दाण्डिक न्यायालय में किसी कार्यवाही पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं डालेगी या हस्तक्षेप नहीं करेगी ।

21. **वे मामले जिनमें विन्यास भागतः धार्मिक और भागतः लौकिक प्रयोजनों के लिए हैं** – किसी ऐसे मामले में जिसमें किसी भूमि या अन्य सम्पत्ति का अनुदान किसी ऐसे स्थापन की संभाल के लिए किया गया है जिसका स्वरूप भागतः धार्मिक और भागतः लौकिक है,

या जिसमें किसी स्थापन की संभाल के लिए किए गए विन्यास का विनियोग भागतः धार्मिक और भागतः लौकिक उपयोगों के लिए किया जाता है,

राजस्व बोर्ड किसी न्यासी, प्रबन्धक या अधीक्षक, अथवा इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी प्रबन्ध समिति को अन्तरण करने से पहले, यह अवधारित करेगा कि उक्त भूमि या अन्य सम्पत्ति का कितना भाग, यदि कोई हो, लौकिक उपयोगों में लगाए जाने के लिए उक्त बोर्ड के अधीक्षणाधीन रहे,

---

[1] 1870 के अधिनियम सं. 7 की धारा 2 और अनुसूची 3 द्वारा "वाद के उन्मोचन पर खर्चे की संगणना करते समय प्रारम्भिक आवेदन पर स्टाम्प शुल्क प्राक्कलित किया जाएगा और वाद के खर्चे में जोड़ा जाएगा" शब्द निरसित ।

और कितना भाग न्यासी, प्रबन्धक या अधीक्षक, अथवा समिति के अधीक्षण के लिए अन्तरित किया जाए,

और कितनी वार्षिक रकम, यदि कोई हो, उक्त न्यासी, प्रबन्धक या अधीक्षक, या समिति के अधीक्षण में इस प्रकार अंतरित की जाने वाली भूमि या अन्य सम्पत्ति पर प्रभारित की जाए और यथापूर्वोक्त लौकिक उपयोगों के लिए उक्त बोर्ड या स्थानीय अभिकर्ताओं को संदेय की जाए ।

ऐसे प्रत्येक मामले में इस अधिनियम के उपबन्ध केवल उस भूमि और अन्य सम्पत्ति के बारे में ही प्रभावी होंगे जो इस प्रकार अन्तरित की जाए ।

22. **सरकार द्वारा अब इसके पश्चात् से किसी मस्जिद, मन्दिर आदि की संभाल के लिए सम्पत्ति का भार धारण न किया जाना** – इस अधिनियम में यथा उपबन्धित के सिवाय, [1][केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार] के लिए या किसी सरकार के किसी अधिकारी के लिए अपनी शासकीय हैसियत में यह विधिसम्मत [2]*** नहीं होगा कि वह,

किसी मस्जिद, मन्दिर या अन्य धार्मिक स्थापन की संभाल के लिए अनुदान की गई या अन्यथा उसकी किसी भूमि या अन्य संपत्ति के अधीक्षण का भार ग्रहण करे या पुनर्गहण करे, अथवा

ऐसी किसी मस्जिद, मंदिर या अन्य स्थापन के अनुरक्षण के लिए किए गए किसी विन्यास के प्रबंध या विनियोग में कोई भाग ले, अथवा

उसका कोई न्यासी, प्रबन्धक या अधीक्षक नामनिर्देशित या नियुक्त करे, या किसी रूप में उससे [3]सम्बन्धित रहे ।

23. **अधिनियम का उसमें उल्लिखित विनियमों और पुरावशेष भवनों आदि के बारे में प्रभाव** – इस अधिनियम की किसी भी बात के बारे में यह

---

[1] विधि अनुकूलन आदेश, 1948 द्वारा "भारत में किसी सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1874 के अधिनियम सं. 16 की धारा 1 और अनुसूची द्वारा "इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात्" शब्द निरसित ।

[3] बंगाल वक्फ अधिनियम, 1934 (1934 का बंगाल अधिनियम सं. 13) द्वारा केवल बंगाल पर लागू धारा 22 में एक परन्तुक जोड़ा गया ।

नहीं माना जाएगा कि वह इस अधिनियम में उल्लिखित [1]विनियमों के उपबंधों पर, वहां तक के सिवाय जहां तक उनका सम्बन्ध मस्जिदों, हिन्दू मन्दिरों और अन्य धार्मिक स्थापनों से है, प्रभाव डालती है; या सरकार को ऐसे विनियमों के उपबन्धों के अधीन ऐसे भवनों[2] को, जो अपनी पुरातनता के लिए, या अपने ऐतिहासिक या वास्तुकलात्मक महत्व के लिए प्रसिद्ध है या लोक सुविधाओं के लिए अपेक्षित है, हानि से बचाने के लिए और परिरक्षित करने के लिए उक्त विनियमों के उपबन्धों के अधीन ऐसी कार्रवाई करने से रोकती है जैसी वह आवश्यक समझती है ।[3]

24. ["**भारत**" ।] - भारतीय स्वतन्त्रता (केन्द्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा निरसित ।

---

[1] अर्थात् बंगाल चैरिटेबल एण्डाउमेन्ट्स, पब्लिक बिल्डिंग एण्ड एनचीट्स रेगूलेशन, 1810 (1810 का बंगाल विनियम सं. 19) और मद्रास एण्डाउमेंट्स एंड एनचीट्स रेगूलेशन, 1817 (1817 का मद्रास विनियम सं. 7) ।

[2] अब प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 (1904 का 7) भी देखिए ।

[3] बंगाल वक्फ ऐक्ट, 1934 (1934 का बंगाल अधिनियम सं. 13) द्वारा केवल बंगाल पर लागू धारा 23क जोड़ी गई ।

कार्यालय आदेश तारीख 13 फरवरी, 2017 के अनुसार विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों पर छूट देने की सूची

क्रम सं.	पुस्तक का नाम, लेखक का नाम व प्रकाशन वर्ष (संस्करण)	पुस्तक की मुद्रित कीमत (रुपयों में)	7 वर्ष से पुराने संस्करण पर 35% छूट के पश्चात् कीमत (रुपयों में)	8 से 15 वर्ष पुराने संस्करण पर 50% छूट के पश्चात् कीमत (रुपयों में)	15 वर्ष से अधिक पुराने संस्करण पर 75% छूट के पश्चात् कीमत (रुपयों में)
1.	भारत का विधिक इतिहास - श्री सुरेन्द्र मधुकर - 1989	30	–	–	8
2.	माल विक्रय और परक्राम्य लिखत विधि - डा. एन. वी. परांजपे - 1990	40	–	–	10
3.	वाणिज्य विधि - डा. आर. एल. भट्ट - 1993	108	–	–	27
4.	अपकृत्य विधि के सिद्धांत - श्री शर्मन लाल अग्रवाल - 1993	40	–	–	10
5.	अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय - डा. एस. वी. खरे - 1996	115	–	–	29
6.	श्रम विधि - श्री गोपी कृष्ण अरोड़ा - 1996	452	–	–	113
7.	संविदा विधि - डा. रामगोपाल चतुर्वेदी - 1998	275	–	–	69
8.	चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान - डा. सी. के. पारिख - 1999	293	–	–	74
9.	आधुनिक पारिवारिक विधि - श्री राम शरण माथुर - 2000	429	–	–	108
10.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय) - विधि साहित्य प्रकाशन - 2000	225	–	–	57
11.	हिन्दू विधि - डा. रवीन्द्र नाथ - 2001	425	–	–	106
12.	भारतीय भागीदारी अधिनियम - श्री माधव प्रसाद वशिष्ठ - 2001	165	–	–	41
13.	प्रशासनिक विधि - डा. कैलाश चन्द्र जोशी - 2001	200	–	–	50
14.	भारतीय दंड संहिता - डा. रवीन्द्र नाथ - 2002	741	–	–	185
15.	विधिक उपचार - डा. एस. के. कपूर - 2002	311	–	–	78
16.	विधि शास्त्र - डा. शिवदत्त शर्मा - 2005	580	–	290	–
17.	मानव अधिकार - डा. शिवदत्त शर्मा - 2006	120	–	60	–

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

Cover-IV

पी एल डी (सी. डी)-10-2018
भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 17552/69

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – **उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका** और **उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका** का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिकाओं में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के क्रमशः चयनित सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । इन पत्रिकाओं को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इनमें जनवरी, 2010 के अंक से महत्वपूर्ण केन्द्रीय अधिनियमों का प्राधिकृत हिन्दी पाठ पाठकों की सुविधा के लिए शृंखलाबद्ध रूप से प्रकाशित किया जा रहा है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका को उपादेय और ज्ञानवर्द्धक बनाने के लिए प्रिवी कौंसिल के निर्णयों को भी समाविष्ट किया जा रहा है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका की मासिक कीमत ₹ 195/- उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका की मासिक कीमत ₹ 125/- और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की मासिक कीमत ₹ 125/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें ।

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विक्रेता : 1. प्रकाशन नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054.
2. सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in